

UPPSC PRELIMS

# QRS

क्विक  
रिवीजन  
सीरीज

*Last-Minute Revision Notes*

## भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

संविधान • सरकार • शासन

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संविधान निर्माण               | 09 स्थानीय शासन, संघ राज्यक्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र |
| 02 विशेषताएँ, प्रस्तावना, संघ एवं उसका क्षेत्र          | 10 संवैधानिक निकाय                                  |
| 03 नागरिकता, मौलिक अधिकार, DPSP, कर्तव्य, संशोधन        | 11 गैर-संवैधानिक निकाय                              |
| 04 संसदीय एवं संघीय व्यवस्था, आपातकाल                   | 12 सहकारिता, भाषा, सेवाएँ                           |
| 05 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् | 13 दल, चुनाव, दल-बदल विरोधी                         |
| 06 संसद एवं संसदीय समितियाँ                             | 14 ऐतिहासिक निर्णय एवं सिद्धांत                     |
| 07 उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, जनहित याचिका   | 15 विश्व के संविधान                                 |
| 08 राज्य सरकार: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय    |                                                     |

तथ्यों की समीक्षा एवं अद्यतन: अक्टूबर 2026 तक

# विषय-सूची

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संविधान का निर्माण.....</b>                             | <b>4</b>   |
| ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.....                                                           | 4          |
| संविधान का निर्माण.....                                                           | 7          |
| <b>विशेषताएँ, प्रस्तावना, संघ एवं उसका क्षेत्र .....</b>                          | <b>12</b>  |
| संविधान की अवधारणा.....                                                           | 12         |
| संविधान की प्रमुख विशेषताएँ .....                                                 | 13         |
| संविधान की प्रस्तावना.....                                                        | 18         |
| संघ और उसका क्षेत्र.....                                                          | 19         |
| <b>नागरिकता, मौलिक अधिकार, DPSP, कर्तव्य, संशोधन, मूल ढाँचा .....</b>             | <b>22</b>  |
| नागरिकता.....                                                                     | 22         |
| मौलिक अधिकार .....                                                                | 25         |
| राज्य के नीति निर्देशक तत्व.....                                                  | 32         |
| मौलिक कर्तव्य.....                                                                | 34         |
| संविधान का संशोधन .....                                                           | 35         |
| संविधान का मूल ढाँचा.....                                                         | 36         |
| <b>संसदीय एवं संघीय व्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध, आपातकाल .....</b>               | <b>38</b>  |
| संसदीय व्यवस्था .....                                                             | 38         |
| संघीय व्यवस्था .....                                                              | 39         |
| केंद्र-राज्य संबंध .....                                                          | 40         |
| अंतर-राज्यीय संबंध .....                                                          | 44         |
| आपातकालीन उपबंध.....                                                              | 46         |
| <b>राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद्.....</b>                  | <b>50</b>  |
| राष्ट्रपति.....                                                                   | 50         |
| उपराष्ट्रपति .....                                                                | 54         |
| प्रधानमंत्री .....                                                                | 55         |
| केंद्रीय मंत्रिपरिषद्.....                                                        | 56         |
| मंत्रिमंडलीय समितियाँ.....                                                        | 57         |
| <b>संसद एवं संसदीय समितियाँ .....</b>                                             | <b>58</b>  |
| संसद .....                                                                        | 58         |
| संसदीय समितियाँ.....                                                              | 69         |
| भारतीय संसदीय समूह.....                                                           | 71         |
| <b>उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, सक्रियता, जनहित याचिका.....</b>          | <b>72</b>  |
| उच्चतम न्यायालय.....                                                              | 72         |
| न्यायिक पुनर्विलोकन .....                                                         | 76         |
| न्यायिक सक्रियता .....                                                            | 77         |
| जनहित याचिका.....                                                                 | 78         |
| <b>राज्य सरकार: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधिकरण .....</b> | <b>79</b>  |
| राज्यपाल .....                                                                    | 79         |
| मुख्यमंत्री .....                                                                 | 82         |
| राज्य मंत्रिपरिषद्.....                                                           | 83         |
| राज्य विधान-मंडल .....                                                            | 83         |
| उच्च न्यायालय.....                                                                | 86         |
| अधीनस्थ न्यायालय .....                                                            | 88         |
| अधिकरण.....                                                                       | 89         |
| उपभोक्ता आयोग .....                                                               | 89         |
| लोक अदालतें एवं अन्य न्यायालय .....                                               | 90         |
| <b>स्थानीय शासन, संघ राज्यक्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र.....</b>                      | <b>92</b>  |
| पंचायती राज .....                                                                 | 92         |
| नगरपालिकाएँ.....                                                                  | 95         |
| संघ राज्यक्षेत्र .....                                                            | 98         |
| अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र .....                                                | 99         |
| <b>संवैधानिक निकाय .....</b>                                                      | <b>101</b> |
| निर्वाचन आयोग .....                                                               | 101        |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| संघ लोक सेवा आयोग.....                        | 102 |
| राज्य लोक सेवा आयोग.....                      | 103 |
| वित्त आयोग.....                               | 104 |
| वस्तु एवं सेवा कर परिषद.....                  | 105 |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग.....             | 106 |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग.....           | 107 |
| राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग.....               | 107 |
| भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी..... | 107 |
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक.....     | 108 |
| भारत का महान्यायवादी.....                     | 109 |
| राज्य का महाधिवक्ता.....                      | 109 |
| संवैधानिक उपबंध.....                          | 110 |

## गैर-संवैधानिक निकाय ..... 114

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| गैर-संवैधानिक निकाय.....               | 114 |
| नीति आयोग.....                         | 115 |
| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग.....         | 116 |
| राज्य मानवाधिकार आयोग.....             | 117 |
| राष्ट्रीय महिला आयोग.....              | 117 |
| राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग..... | 118 |
| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग.....         | 118 |
| केंद्रीय सूचना आयोग.....               | 118 |
| राज्य सूचना आयोग.....                  | 119 |
| केंद्रीय सतर्कता आयोग.....             | 119 |
| केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो.....           | 120 |
| लोकपाल एवं लोकायुक्त.....              | 120 |
| राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण.....          | 121 |
| राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण.....  | 121 |
| भारतीय विधिज्ञ परिषद.....              | 122 |
| भारत का विधि आयोग.....                 | 122 |
| भारत का परिसीमन आयोग.....              | 122 |
| पूर्वोत्तर परिषद.....                  | 123 |

## सहकारी समितियाँ, राजभाषा, लोक सेवाएँ, विशेष उपबंध ..... 125

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| सहकारी समितियाँ.....                   | 125 |
| राजभाषा.....                           | 126 |
| लोक सेवाएँ.....                        | 127 |
| सरकार के अधिकार एवं दायित्व.....       | 128 |
| कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध..... | 129 |
| कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध.....    | 130 |

## राजनीतिक गतिकी: दल, चुनाव, सुधार, दल-बदल विरोध ..... 132

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| राजनीतिक दल.....                                          | 132 |
| क्षेत्रीय दलों की भूमिका.....                             | 133 |
| चुनाव.....                                                | 134 |
| निर्वाचन विधियाँ.....                                     | 135 |
| चुनाव सुधार.....                                          | 135 |
| मतदान व्यवहार.....                                        | 137 |
| गठबंधन सरकार.....                                         | 138 |
| दल-बदल विरोधी कानून.....                                  | 138 |
| दबाव समूह.....                                            | 139 |
| राष्ट्रीय एकता.....                                       | 139 |
| विदेश नीति.....                                           | 140 |
| संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग..... | 141 |

## ऐतिहासिक निर्णय एवं सिद्धांत ..... 144

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| ऐतिहासिक निर्णय और उनका प्रभाव.....            | 144 |
| अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाने वाले निर्णय.....   | 148 |
| संशोधनों से संबंधित निर्णय.....                | 150 |
| संवैधानिक निर्वाचन के महत्वपूर्ण सिद्धांत..... | 151 |

## विश्व के संविधान ..... 155

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| विश्व के संविधान..... | 155 |
|-----------------------|-----|

## अध्याय 01

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संविधान का निर्माण

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

## प्रमुख तिथियाँ

- ईस्ट इंडिया कंपनी: एलिज़ाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर (1600); भारत आगमन 1608; बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में (1764 के बक्सर युद्ध के बाद, शाह आलम से)
- 1858 में ब्रिटिश ताज ने शासन अपने हाथ में लिया; स्वतंत्रता 15 अगस्त, 1947

## कंपनी शासन (1773-1858)

## कंपनी शासन के अधिनियम

| अधिनियम                   | प्रमुख विशेषताएँ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट   | कंपनी को विनियमित करने की दिशा में पहला कदम; बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल बनाया गया (वारेन हेस्टिंग्स पहले); 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद; बंबई और मद्रास को अधीनस्थ किया गया; 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश + 3 न्यायाधीश); निजी व्यापार और रिश्वतखोरी पर प्रतिबंध |
| 1781 का संशोधन अधिनियम    | इसे बंदोबस्त अधिनियम भी कहते हैं; गवर्नर-जनरल और परिषद को शासकीय कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से छूट; राजस्व संबंधी मामले अपवर्जित; प्रतिवादियों की वैयक्तिक विधि का पालन; प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को                                            |
| 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट | वाणिज्यिक (निदेशक मंडल) और राजनीतिक (नियंत्रण बोर्ड) कार्यों का पृथक्करण; द्वैध शासन व्यवस्था; 'भारत में ब्रिटिश आधिपत्य वाले प्रदेश' शब्द का पहली बार प्रयोग                                                                                                                              |
| 1786 का अधिनियम           | कॉर्नवालिस को परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति तथा प्रधान सेनापति का पद भी मिला                                                                                                                                                                                                       |
| 1793 का चार्टर अधिनियम    | निरस्त करने की शक्ति सभी गवर्नर-जनरलों और गवर्नरों तक बढ़ाई गई; एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा; नियंत्रण बोर्ड का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा                                                                                                                                        |
| 1813 का चार्टर अधिनियम    | व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर); ब्रिटिश ताज की संप्रभुता की घोषणा; ईसाई मिशनरियों को अनुमति; शिक्षा का प्रावधान; स्थानीय करान                                                                                                                                 |
| 1833 का चार्टर अधिनियम    | भारत का गवर्नर-जनरल (लॉर्ड विलियम बैंटिक पहले); बंबई और मद्रास की विधायी शक्ति समाप्त; विनियम अब अधिनियम कहलाए; कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बनी; सिविल सेवा में प्रतियोगिता का प्रयास                                                                                             |
| 1853 का चार्टर अधिनियम    | अंतिम चार्टर अधिनियम; विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण (6 विधायी पार्षद); सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता; मैकाले समिति, 1854; कंपनी शासन की कोई अवधि निर्धारित नहीं; स्थानीय प्रतिनिधित्व (6 में से 4 मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा से)                                            |

## ताज का शासन (1858-1947)

## 1858 का भारत शासन अधिनियम

- 1857 के विद्रोह के बाद अधिनियमित
- ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन; शक्तियाँ ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित
- भारत के गवर्नर-जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया
- प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग
- नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल समाप्त (द्वैध शासन का अंत)
- भारत सचिव के पद का सृजन (ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य)

- भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद (सलाहकारी निकाय)
- परिषद-सहित भारत सचिव को निगमित निकाय बनाया गया, जो वाद दायर कर सकता था और जिस पर वाद चलाया जा सकता था

### 1861 का भारत परिषद अधिनियम

- प्रतिनिधि संस्थाओं का आरंभ: वायसराय द्वारा भारतीयों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने की व्यवस्था
- 1862: लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को मनोनीत किया (बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव)
- बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियाँ बहाल (विकेंद्रीकरण)
- नई विधान परिषदें: बंगाल (1862), उत्तर-पश्चिमी प्रांत (1886), पंजाब (1897)
- लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई 'पोर्टफोलियो' प्रणाली को मान्यता
- वायसराय को आपात स्थिति में परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार
- ऐसे अध्यादेश की अवधि: छह माह

### 1892 का भारत परिषद अधिनियम

- अतिरिक्त (गैर-सरकारी) सदस्यों की संख्या में वृद्धि; सरकारी बहुमत बना रहा
- परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई
- निकायों की सिफारिश पर गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन (सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन)
- अधिनियम में 'निर्वाचन' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया

### 1909 का भारत परिषद अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार)

- लॉर्ड मॉर्ले: भारत सचिव; लॉर्ड मिंटो: वायसराय
- केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की गई
- केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा; प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी बहुमत की अनुमति
- सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव रखने की अनुमति
- वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों का पहली बार सहयोजन
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा: वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय (विधि सदस्य)
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत; मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा निर्वाचित
- लॉर्ड मिंटो: सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक
- प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व

### 1919 का भारत शासन अधिनियम (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)

- 20 अगस्त, 1917 की घोषणा: उत्तरदायी शासन का क्रमिक प्रारंभ
- 1921 में लागू हुआ
- विषयों का केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गीकरण, हस्तांतरण नियमों द्वारा
- प्रांतीय विषयों का हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजन; इसके द्वारा द्वैध शासन (ग्रीक शब्द 'डाई-आर्की' से व्युत्पन्न) प्रारंभ हुआ
- पहली बार द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष निर्वाचन: राज्य परिषद (उच्च सदन), विधान सभा (निम्न सदन)
- वायसराय की कार्यकारी परिषद के छह सदस्यों में से (प्रधान सेनापति को छोड़कर) तीन का भारतीय होना अनिवार्य
- पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपीयों तक
- संपत्ति, कर या अन्य अर्हताओं के आधार पर सीमित मताधिकार
- लंदन में भारत के उच्चायुक्त का पद सृजित
- लोक सेवा आयोग का प्रावधान; केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में (ली आयोग, 1923-24)
- प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया (पहली बार)
- दस वर्ष बाद एक सांविधिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान
- नरेंद्र मंडल (राजाओं का सदन) का उद्घाटन, 1921

#### प्रांतों में द्वैध शासन (1919)

| श्रेणी     | विषय                                            | प्रशासन                                                      |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| हस्तांतरित | लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि    | गवर्नर, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के साथ      |
| आरक्षित    | पुलिस, न्याय प्रशासन, कारागार, भू-राजस्व, वित्त | गवर्नर और कार्यकारी परिषद; विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं |

- साइमन आयोग (नवंबर 1927): 7 सदस्य, सभी ब्रिटिश, बहिष्कार; अध्यक्ष सर जॉन साइमन; प्रतिवेदन 1930; गोलमेज सम्मेलन; श्वेत पत्र से 1935 का अधिनियम बना

### सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता

- सांप्रदायिक पंचाट: अगस्त 1932, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित

- मुसलमानों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपीयों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जारी रखे गए
- पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों) तक किया गया
- गांधीजी ने यरवदा जेल (पूना) में आमरण अनशन किया
- पूना समझौता: कांग्रेस और डॉ. बी.आर. आंबेडकर के बीच समझौता
- पूना समझौते में हिंदू संयुक्त निर्वाचक मंडल बना रहा और दलित वर्गों को आरक्षित स्थान दिए गए
- पूना समझौते के उपबंध 1935 के भारत शासन अधिनियम में सम्मिलित किए गए

### 1935 का भारत शासन अधिनियम

- उत्तरदायी शासन की ओर दूसरा मील का पत्थर; 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ
- प्रांतों और रियासतों के अखिल भारतीय संघ का प्रावधान (कभी अस्तित्व में नहीं आया)
- अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय (गवर्नर-जनरल) को दी गईं
- प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त; प्रांतीय स्वायत्तता लागू (1937 से प्रभावी, 1939 में समाप्त)
- केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान (कभी लागू नहीं हुआ)
- ग्यारह में से छह प्रांतों में द्विसदनीयता: बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत
- दलित वर्गों के लिए आरक्षित स्थान; महिलाओं और श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व
- भारत परिषद (1858 में स्थापित) समाप्त
- मताधिकार का विस्तार: लगभग 14 प्रतिशत जनसंख्या को मत देने का अधिकार
- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना का प्रावधान
- संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान
- 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना
- बर्मा (म्यांमार) भारत से अलग किया गया
- नए प्रांत बनाए गए: उड़ीसा और सिंध
- संघीय रेलवे प्राधिकरण और भारत के महालेखा परीक्षक का प्रावधान

### 1935 के अधिनियम के अंतर्गत तीन सूचियाँ

| सूची          | किसके लिए | मदें |
|---------------|-----------|------|
| संघीय सूची    | केंद्र    | 59   |
| प्रांतीय सूची | प्रांत    | 54   |
| समवर्ती सूची  | दोनों     | 36   |

### 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

- 20 फरवरी, 1947: प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन 30 जून, 1948 तक समाप्त हो जाएगा
- 3 जून, 1947: माउंटबेटन योजना (विभाजन योजना), कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत
- विधेयक 4 जुलाई, 1947 को प्रस्तुत; 18 जुलाई, 1947 को शाही स्वीकृति; 15 अगस्त, 1947 से लागू
- 15 अगस्त, 1947 से भारत को स्वतंत्र घोषित किया
- दो डोमिनियन बनाए गए: भारत और पाकिस्तान (राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार)
- वायसराय का पद समाप्त; प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर-जनरल की नियुक्ति डोमिनियन मंत्रिमंडल की सलाह पर सम्राट द्वारा
- संविधान सभाओं को संविधान बनाने तथा ब्रिटिश कानूनों को, यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी, निरसित करने का अधिकार
- नए संविधान लागू होने तक संविधान सभाएँ विधि-निर्माण करेंगी
- भारत सचिव का पद समाप्त (कार्य राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव को सौंपे गए)
- देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता की समाप्ति
- रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र
- अंतरिम काल में शासन 1935 के अधिनियम (संशोधनों सहित) द्वारा
- ब्रिटिश सम्राट से वीटो का अधिकार छीना गया; विधेयकों पर अनुमति देने की शक्ति गवर्नर-जनरल को
- गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नर संविधानिक (नाममात्र) प्रमुख बनाए गए
- शाही उपाधियों से 'भारत का सम्राट' की उपाधि हटाई गई
- रैडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने भारत-पाकिस्तान सीमा निर्धारित की
- लॉर्ड माउंटबेटन: भारत डोमिनियन के प्रथम गवर्नर-जनरल
- माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई
- अंतरिम सरकार (1946): नेहरू वायसराय की परिषद के उपाध्यक्ष थे; लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था
- प्रथम मंत्रिमंडल (1947): नेहरू प्रधानमंत्री; पटेल गृह एवं रियासत; आंबेडकर विधि; आर.के. षण्मुखम चेट्टी वित्त; बलदेव सिंह रक्षा; आज़ाद शिक्षा; अमृत कौर स्वास्थ्य

**प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य - अधिनियम और उनके प्रथम पदधारक**

- 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट: प्रथम गवर्नर-जनरल (बंगाल) वारेन हेस्टिंग्स; कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय
- 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट: द्वैध शासन (निदेशक मंडल + नियंत्रण बोर्ड)
- 1833 का चार्टर अधिनियम: भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक
- 1858 का भारत शासन अधिनियम: प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग; नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल समाप्त
- 1853 का चार्टर अधिनियम: विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण; खुली प्रतियोगिता

**संविधान का निर्माण****संविधान सभा की माँग****संविधान सभा की दिशा में उठाए गए कदम**

| वर्ष | घटना                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1934 | एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया                                         |
| 1935 | कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की माँग की                                                 |
| 1938 | नेहरू: संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार से निर्वाचित संविधान सभा द्वारा हो                       |
| 1939 | कांग्रेस के प्रस्ताव द्वारा माँग का समर्थन                                                        |
| 1940 | अगस्त प्रस्ताव: ब्रिटिश सरकार द्वारा माँग सैद्धांतिक रूप से स्वीकार                               |
| 1942 | क्रिप्स प्रस्ताव (सर स्टैफर्ड क्रिप्स); मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत                               |
| 1946 | कैबिनेट मिशन (पेथिक लॉरेंस, क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर); 24 मार्च को आगमन; योजना 16 मई को प्रकाशित |

- मुस्लिम लीग दो संविधान सभाओं सहित दो स्वायत्त राज्य चाहती थी
- कैबिनेट मिशन ने दो संविधान सभाओं का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया

**संविधान सभा की संरचना**

- कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में गठित
- कुल सदस्य संख्या 389: ब्रिटिश भारत 296 + देशी रियासतें 93
- ब्रिटिश भारत के 296 = ग्यारह गवर्नरों के प्रांतों से 292 + चार मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से 4
- लगभग प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर एक स्थान आवंटित
- ब्रिटिश प्रांतों के स्थान मुसलमानों, सिक्खों और सामान्य वर्ग के बीच विभाजित
- प्रांतीय विधान सभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचन: एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व
- देशी रियासतों के प्रतिनिधि रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत
- आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से मनोनीत; अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
- 296 स्थानों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए
- देशी रियासतों के 93 स्थान आरंभ में नहीं भरे गए (रियासतें दूर रहीं)
- महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे
- परिणाम: कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, अन्य 15 (निर्दलीय 8)
- समुदायवार संख्या (296): हिंदू 163, मुसलमान 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियाँ 6, सिक्ख 4, आंग्ल-भारतीय 3, पारसी 3
- महिला सदस्य: 15 (जैसे सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई, रेणुका रे)

**संविधान सभा की कार्यवाही**

- पहली बैठक: 9 दिसंबर, 1946; मुस्लिम लीग का बहिष्कार; 207 सदस्य उपस्थित
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा: आयु में सबसे वरिष्ठ सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष (फ्रांसीसी परंपरा)
- 11 दिसंबर, 1946: डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित
- 25 जनवरी, 1947: एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित
- 16 जुलाई, 1947: वी.टी. कृष्णामाचारी दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित

**उद्देश्य प्रस्ताव**

| बिंदु | तथ्य |
|-------|------|
|-------|------|

| बिंदु                 | तथ्य                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| प्रस्तावक             | जवाहरलाल नेहरू                                     |
| प्रस्तुत करने की तिथि | 13 दिसंबर, 1946                                    |
| सर्वसम्मति से स्वीकृत | 22 जनवरी, 1947                                     |
| महत्त्व               | इसका संशोधित रूप ही प्रस्तावना है                  |
| मूल घोषणा             | भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य; क्षेत्रों का संघ |
| इकाइयाँ               | अवशिष्ट शक्तियों सहित स्वायत्त इकाइयाँ             |
| शक्ति का स्रोत        | समस्त शक्तियाँ जनता से व्युत्पन्न                  |

### स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हुए परिवर्तन

- सभा पूर्णतः संप्रभु हो गई (भारत से संबंधित किसी भी ब्रिटिश कानून को निरसित या परिवर्तित कर सकती थी)
- संविधान-निर्माण के साथ-साथ सभा विधायी निकाय (डोमिनियन विधानमंडल) भी बन गई
- संविधान-निर्मात्री संस्था के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद; विधायी निकाय के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर
- 17 नवंबर, 1947 को मावलंकर डोमिनियन विधानमंडल के अध्यक्ष निर्वाचित
- दोनों कार्य 26 नवंबर, 1949 तक जारी रहे
- पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों के मुस्लिम लीग सदस्य सभा से हट गए
- सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई
- भारतीय प्रांत: 296 से घटकर 229; देशी रियासतें: 93 से घटकर 70
- 28 अप्रैल, 1947: छह रियासतों (बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा, उदयपुर) के प्रतिनिधि सभा में उपस्थित

### संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य

- भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता का अनुसमर्थन: मई 1949
- राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया: 22 जुलाई, 1947
- राष्ट्रगान को अपनाया: 24 जनवरी, 1950
- राष्ट्रगीत को अपनाया: 24 जनवरी, 1950
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया: 24 जनवरी, 1950
- अंतिम सत्र: 24 जनवरी, 1950; 26 जनवरी, 1950 से अनंतिम संसद के रूप में कार्य जारी रखा
- अनंतिम संसद 17 अप्रैल, 1952 को समाप्त; प्रथम निर्वाचित संसद मई 1952

#### आँकड़ों में संविधान सभा

| मद                                                                    | आँकड़ा                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| सत्र                                                                  | 11                     |
| कुल समय                                                               | 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन |
| संविधान प्रारूप पर विचार के दिन                                       | 114                    |
| अध्ययन किए गए देशों के संविधान                                        | लगभग 60                |
| व्यय                                                                  | 64 लाख रुपये           |
| प्रस्तुत संशोधन (द्वितीय वाचन)                                        | 7,635                  |
| प्रस्तावित, चर्चित एवं निपटाए गए संशोधन                               | 2,473                  |
| 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर करने वाले सदस्य (26 नवंबर 1949 को अंगीकृत) | 299 में से 284         |
| प्रारूप समिति की बैठकें                                               | 141 दिन                |

### संविधान सभा की समितियाँ

#### प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष

| समिति             | अध्यक्ष        |
|-------------------|----------------|
| संघ शक्ति समिति   | जवाहरलाल नेहरू |
| संघ संविधान समिति | जवाहरलाल नेहरू |

| समिति                                                                                | अध्यक्ष             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| प्रांतीय संविधान समिति                                                               | सरदार पटेल          |
| प्रारूप समिति                                                                        | डॉ. बी.आर. आंबेडकर  |
| मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्र संबंधी परामर्शदात्री समिति | सरदार पटेल          |
| प्रक्रिया नियम समिति                                                                 | डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
| राज्य समिति (राज्यों से वार्ता हेतु)                                                 | जवाहरलाल नेहरू      |
| संचालन समिति                                                                         | डॉ. राजेंद्र प्रसाद |

### परामर्शदात्री समिति की उप-समितियाँ

| उप-समिति                                                                                | अध्यक्ष                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| मौलिक अधिकार                                                                            | जे.बी. कृपलानी                              |
| अल्पसंख्यक                                                                              | एच.सी. मुखर्जी                              |
| पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र तथा असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र | गोपीनाथ बारदोलोई                            |
| अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र (असम को छोड़कर)                              | ए.वी. ठक्कर                                 |
| उत्तर-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र                                                     | कार्यरत नहीं (क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए) |

- अन्य लघु समितियाँ: प्रत्यय-पत्र (ए.के. अय्यर), सदन (पट्टाभि सीतारामैया), कार्य-संचालन (के.एम. मुंशी), भाषायी प्रांत आयोग (एस.के. धर), प्रारूप संविधान पर विशेष समिति (नेहरू), नागरिकता (एस. वरदाचारी)

### प्रारूप समिति

- 29 अगस्त, 1947 को गठित; सात सदस्य
- सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति

### प्रारूप समिति के सदस्य

| सदस्य                      | टिप्पणी                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| डॉ. बी.आर. आंबेडकर         | अध्यक्ष                                                  |
| एन. गोपालस्वामी आयरंगर     | -                                                        |
| अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर | -                                                        |
| डॉ. के.एम. मुंशी           | -                                                        |
| सैयद मोहम्मद सादुल्लाह     | -                                                        |
| एन. माधव राव               | बी.एल. मित्तर् (अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र) के स्थान पर |
| टी.टी. कृष्णमाचारी         | डी.पी. खेतान (1948 में निधन) के स्थान पर                 |

- प्रथम प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित; जन-सुझावों के लिए आठ माह का समय दिया गया
- द्वितीय प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित
- नज़ीरुद्दीन अहमद ने इसे 'ड्रिफ्टिंग कमेटी' (दिशाहीन समिति) कहा

### संविधान का अधिनियमन

#### प्रारूप संविधान के वाचन

| चरण          | अवधि                            | तथ्य                                                                     |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| प्रथम वाचन   | 4 नवंबर, 1948                   | आंबेडकर ने प्रारूप प्रस्तुत किया; पाँच दिन (9 नवंबर तक) सामान्य चर्चा    |
| द्वितीय वाचन | 15 नवंबर, 1948-17 अक्टूबर, 1949 | खंडशः विचार                                                              |
| तृतीय वाचन   | 14 नवंबर, 1949                  | आंबेडकर ने प्रस्ताव रखा कि 'सभा द्वारा निर्धारित संविधान पारित किया जाए' |

| चरण   | अवधि           | तथ्य                                                                    |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| पारित | 26 नवंबर, 1949 | 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत; 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए |

- अंगीकृत संविधान: प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ
- प्रस्तावना संपूर्ण संविधान के बाद अधिनियमित की गई
- 26 नवंबर, 1949: प्रस्तावना में अंगीकरण की तिथि के रूप में उल्लिखित
- डॉ. बी.आर. आंबेडकर (विधि मंत्री) ने प्रारूप संविधान का संचालन किया
- आंबेडकर: 'भारतीय संविधान के जनक' तथा 'मुख्य शिल्पकार'
- संविधान दिवस: प्रतिवर्ष 26 नवंबर (निर्णय 19 नवंबर, 2015 को)

### संविधान का प्रवर्तन

- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 26 नवंबर, 1949 को लागू हुए
- शेष उपबंध 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए (प्रारंभ की तिथि; गणतंत्र दिवस)
- 26 जनवरी इसलिए चुनी गई कि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था (लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929)
- निरसित: 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम
- प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उन्मूलन अधिनियम (1949) यथावत रहा
- अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम; 394 प्रारंभ; 394क हिंदी पाठ; 395 निरसन

### कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति

- संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने हेतु 8 जुलाई, 1946 को कांग्रेस द्वारा नियुक्त
- अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू
- सदस्य: एम. आसफ़ अली, के.एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी आयंगर, के.टी. शाह, डी.आर. गाडगिल, हुमायूँ कबीर, के. संधानम
- कृष्ण कृपलानी को सदस्य एवं संयोजक के रूप में सहयोजित किया गया
- दो बैठकें: नई दिल्ली (20-22 जुलाई, 1946) और बंबई (15-17 अगस्त, 1946)
- उद्देश्य प्रस्ताव से अत्यंत मिलता-जुलता प्रस्ताव तैयार किया

### संविधान सभा की आलोचना

- अप्रतिनिधिक: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से निर्वाचित नहीं
- संप्रभु नहीं: ब्रिटिश प्रस्तावों से गठित; ब्रिटिश अनुमति से बैठी
- समय-साध्य: अमेरिकी निर्माताओं ने चार माह से भी कम समय लिया
- कांग्रेस का वर्चस्व: ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार 'सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी'
- वकील-राजनेताओं का वर्चस्व
- हिंदू-प्रधान: लॉर्ड विस्काउंट साइमन ('हिंदुओं की सभा'); विंस्टन चर्चिल ('केवल एक प्रमुख समुदाय')

### महत्वपूर्ण तथ्य

- संविधान सभा का प्रतीक (मुहर): हाथी
- संवैधानिक सलाहकार (विधि सलाहकार): सर बी.एन. राउ
- सचिव: एच.वी.आर. आयंगर
- मुख्य प्रारूपकार: एस.एन. मुखर्जी
- मूल अंग्रेज़ी संविधान के सुलेखक: प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा (प्रवाहमान इटैलिक शैली)
- नंदलाल बोस और व्यौहार राममनोहर सिन्हा सहित शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा सज्जित
- व्यौहार राममनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना का अलंकरण किया
- हिंदी संस्करण के सुलेखक वसंत कृष्ण वैद्य; सज्जा नंदलाल बोस

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य - संविधान सभा के पदाधिकारी

अस्थायी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा  
स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद  
उपाध्यक्ष: एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी  
संवैधानिक सलाहकार: बी.एन. राउ  
अध्यक्ष (विधायी): जी.वी. मावलंकर  
प्रारूप समिति के अध्यक्ष: बी.आर. आंबेडकर

**याद रखें - सदस्य संख्या में परिवर्तन**

मूल योजना: 389 (296 + 93)

विभाजन के बाद: 299 (229 + 70)

कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 (296 में से)

पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित

24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए (संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत)

**याद रखें - किसकी अध्यक्षता किसने की**

नेहरू: संघ शक्ति, संघ संविधान, राज्य समिति

पटेल: प्रांतीय संविधान, परामर्शदात्री समिति

राजेंद्र प्रसाद: प्रक्रिया नियम, संचालन, वित्त एवं कर्मचारी, ध्वज (तदर्थ)

आंबेडकर: प्रारूप समिति

## अध्याय 02

## विशेषताएँ, प्रस्तावना, संघ एवं उसका क्षेत्र

## संविधान की अवधारणा

- अंग्रेजी शब्द 'कॉन्स्टिट्यूशन' (संविधान) की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द **कॉन्स्टिट्यूएरे** (स्थापित करना) से हुई है
- अन्य नाम: मूल विधि, सर्वोच्च विधि, गुंडनॉर्म, आधारभूत विधि, शासन-पत्र

## कार्य (एलियट बुल्मर) एवं गुण

- कार्य: राजनीतिक समुदाय, उसकी पहचान/मूल्य, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, संस्थाएँ, शक्ति-साझेदारी, धार्मिक पहचान, सामाजिक/आर्थिक लक्ष्य परिभाषित करना
- 7 गुण: संक्षिप्तता, स्पष्टता, निश्चितता, व्यापकता, उपयुक्तता, स्थिरता, अनुकूलनशीलता

## वर्गीकरण

## संविधानों के प्रकार

| आधार                  | प्रकार                               | मुख्य बिंदु                                   | उदाहरण                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| विकास                 | विकसित (संचयी)                       | धीमा विकास; परंपराएँ, प्रथाएँ, न्यायिक निर्णय | ब्रिटेन                                                   |
| विकास                 | अधिनियमित (निर्मित)                  | संविधान सभा / राजा / संसद द्वारा निर्मित      | अमेरिका, भारत                                             |
| समावेशन               | लिखित (दस्तावेज़ी, संहिताबद्ध)       | पुस्तक या दस्तावेज़ों की शृंखला               | अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, भारत                       |
| समावेशन               | अलिखित (गैर-दस्तावेज़ी, असंहिताबद्ध) | परंपराएँ, घोषणा-पत्र, संविधि, न्यायिक निर्णय  | ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड, इज़राइल                             |
| संशोधन (लॉर्ड ब्राइस) | कठोर (अनम्य)                         | संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया                 | अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड                       |
| संशोधन (लॉर्ड ब्राइस) | लचीला (नम्य)                         | साधारण कानून की तरह संशोधित                   | ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड                                      |
| शक्ति-वितरण           | संघीय                                | केंद्र और क्षेत्रों के बीच शक्तियों का विभाजन | अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील |
| शक्ति-वितरण           | एकात्मक                              | शक्ति राष्ट्रीय सरकार में केंद्रित            | ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे                 |
| उद्देश्य (बुल्मर)     | प्रक्रियात्मक                        | संस्थाओं की संरचना; सरकार की शक्ति पर सीमाएँ  | -                                                         |
| उद्देश्य (बुल्मर)     | निर्देशात्मक                         | सामाजिक लक्ष्यों पर आम सहमति भी मानता है      | -                                                         |

- लिखित = दस्तावेज़ी = संहिताबद्ध; विकसित/अलिखित मोटे तौर पर एक ही हैं
- भारत: न तो कठोर, न लचीला - दोनों का समन्वय
- भारत: संघीय और एकात्मक, दोनों लक्षण - **अर्ध-संघीय** (के.सी. व्हेयर)

## संविधानवाद

- सार: **सीमित सरकार**; स्वेच्छाचारी सत्ता का विलोम
- संविधान होते हुए भी संविधानवाद का अभाव संभव है (जैसे तानाशाही)
- संवैधानिक सरकार = नियमों के अनुसार चलने वाली, संविधान से सीमित सरकार (व्हेयर)
- परिभाषाएँ: फ्रेडरिक (सरकार पर प्रतिबंध), राउचेक (सीमित सरकार), व्हेयर (नियम बनाम स्वेच्छाचार), यबेमा (शासक नियमों से बंधे)

## संविधानवाद के तत्त्व (लुई हेन्किन - 8)

- लोकप्रिय संप्रभुता
- विधि का शासन
- लोकतांत्रिक (उत्तरदायी एवं जवाबदेह) सरकार
- शक्तियों का पृथक्करण (नियंत्रण एवं संतुलन)

- स्वतंत्र न्यायपालिका
- सेना पर नागरिक नियंत्रण
- पुलिस का विधि एवं न्यायिक नियंत्रण से शासित होना
- व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान

### याद रखें

संविधानों के प्रकारों का ब्राइस-वर्गीकरण = कठोर/लचीला

बुल्मर = कार्यों की सूची + प्रक्रियात्मक/निर्देशात्मक

हेन्किन = संविधानवाद के 8 तत्त्व

व्हेयर = भारत के लिए अर्ध-संघीय

## संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

- 42वाँ संशोधन (1976) = 'लघु संविधान'
- मूल विशेषताओं में प्रमुख परिवर्तन: 7वाँ, 42वाँ, 44वाँ, 73वाँ, 74वाँ, 97वाँ, 101वाँ संशोधन
- केशवानंद भारती (1973): संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत **मूल ढाँचे** को नहीं बदल सकती

### 1. सबसे लंबा लिखित संविधान

- मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ; अब लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ
- 1951 से: लगभग 20 अनुच्छेद और भाग 7 निरसित; लगभग 95 अनुच्छेद जोड़े गए
- जोड़े गए भाग: 4क, 9क, 9ख, 14क
- जोड़ी गई अनुसूचियाँ: 9, 10, 11, 12
- विशाल आकार के कारण: भौगोलिक विस्तार/विविधता; भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव; केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान; विधि-विशेषज्ञों का प्रभुत्व
- अन्य संविधानों में अनुच्छेदों की मूल संख्या: अमेरिका 7, ऑस्ट्रेलिया 128, चीन 138, कनाडा 147
- जम्मू-कश्मीर: 2019 तक अपना संविधान और अनुच्छेद 370 का दर्जा
  - संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 2019 ने 1954 के आदेश का स्थान लिया
  - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र बने

### 2. विभिन्न स्रोतों से ग्रहण

- आर्बेडकर: 'विश्व के सभी ज्ञात संविधानों को खँगालकर' बनाया गया
- संरचनात्मक भाग: भारत शासन अधिनियम 1935 (लगभग 250 उपबंध)
- दार्शनिक भाग: मौलिक अधिकार अमेरिका से, DPSP आयरलैंड से
- राजनीतिक भाग (मंत्रिमंडलीय सरकार): ब्रिटेन

### 3. कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण (अनुच्छेद 368)

- संसद का विशेष बहुमत
  - उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 + प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत
- विशेष बहुमत + आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
- कुछ उपबंध साधारण बहुमत से (अनुच्छेद 368 से बाहर)

### 4. एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली

- संघीय लक्षण: दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान, कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता
- एकात्मक लक्षण: शक्तिशाली केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपातकालीन उपबंध
- 'फेडरेशन' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है; अनुच्छेद 1 में 'राज्यों का संघ' कहा गया है
- व्हेयर: अर्ध-संघीय; मॉरिस जोन्स: सौदेबाज़ी वाला संघवाद; ग्रेनविल ऑस्टिन: सहकारी संघवाद; जेनिंग्स: केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ

### 5. संसदीय शासन प्रणाली

- ब्रिटेन से अपनाई गई ('वेस्टमिंस्टर मॉडल'); राज्य स्तर पर भी
- लक्षण: नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका; बहुमत दल का शासन; सामूहिक उत्तरदायित्व; मंत्री विधायिका के सदस्य; प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री का नेतृत्व; निम्न सदन का विघटन
- ब्रिटेन से भिन्नता: भारतीय संसद संप्रभु नहीं है; भारत गणराज्य है (निर्वाचित प्रमुख)

## 6. संसदीय संप्रभुता + न्यायिक सर्वोच्चता

- भारत: 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (अनुच्छेद 21); अमेरिका: 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया'
- अतः भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका की तुलना में सीमित है

## 7. एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका

- एकल पदानुक्रम: उच्चतम न्यायालय - उच्च न्यायालय - अधीनस्थ न्यायालय; केंद्रीय और राज्य, दोनों कानूनों को लागू करती है
- स्वतंत्रता: कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, व्यय भारत की संचित निधि पर भारित, विधायिका में आचरण पर चर्चा नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, अवमानना की शक्ति, कार्यपालिका से पृथक्करण

## 8. मौलिक अधिकार (भाग 3)

### छह मौलिक अधिकार

| अधिकार                    | अनुच्छेद |
|---------------------------|----------|
| समता                      | 14-18    |
| स्वतंत्रता                | 19-22    |
| शोषण के विरुद्ध           | 23-24    |
| धर्म की स्वतंत्रता        | 25-28    |
| संस्कृति और शिक्षा संबंधी | 29-30    |
| संवैधानिक उपचार           | 32       |

- मूलतः 7 मौलिक अधिकार; संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) 44वें संशोधन (1978) द्वारा हटाया गया; अब यह विधिक अधिकार है, जो **अनुच्छेद 300क** (भाग 12) में निहित है
- न्यायसंगत; रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर

## 9. DPSP (भाग 4)

- आंबेडकर: 'नवीन विशेषता'
- तीन श्रेणियाँ: समाजवादी, गांधीवादी, उदार-बौद्धिक
- गैर-न्यायसंगत; इनका प्रवर्तन राजनीतिक (जनमत) है
- मिनर्वा मिल्स (1980): संविधान मौलिक अधिकारों और DPSP के संतुलन पर आधारित

## 10. मौलिक कर्तव्य (भाग 4क, अनुच्छेद 51क)

- 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए; सिफारिश: **स्वर्ण सिंह समिति**
- 86वें संशोधन (2002) द्वारा एक और जोड़ा गया; कुल **11**
- गैर-न्यायसंगत

## 11. पंथनिरपेक्ष राज्य

- 'पंथनिरपेक्ष' शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया: 42वाँ संशोधन (1976)
- सकारात्मक पंथनिरपेक्षता (सभी धर्मों का समान आदर) बनाम चर्च और राज्य के पृथक्करण की पश्चिमी अवधारणा
- पंथनिरपेक्ष उपबंध: अनुच्छेद 14, 15, 16, 25 (धर्म की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक कार्यों का प्रबंधन), 27 (किसी धर्म के लिए कर नहीं), 28 (राज्य संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं), 29, 30, 44 (समान नागरिक संहिता)
- सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व (1909, 1919, 1935 के अधिनियम) समाप्त; केवल अस्थायी अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण

## 12. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

- लोक सभा और राज्य विधान सभाएँ; मतदान की आयु 18 वर्ष (21 वर्ष से घटाई गई; **61वाँ संशोधन 1988** द्वारा, 1989 से प्रभावी)

## 13. एकल नागरिकता

- केवल भारतीय नागरिकता (अमेरिका के विपरीत, जहाँ दोहरी नागरिकता है)

## 14. स्वतंत्र निकाय

- निर्वाचन आयोग
- CAG
- UPSC

- राज्य लोक सेवा आयोग
- कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें और व्यय के भारत की संचित निधि पर भारित होने से स्वतंत्रता सुनिश्चित
- अखिल भारतीय सेवाएँ: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय वन सेवा (IFoS) (IFoS का सृजन 1963 में हुआ; यह 1966 में अस्तित्व में आई)

## 15. आपातकालीन उपबंध

### तीन आपातकाल

| प्रकार                  | अनुच्छेद | आधार                                                        |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| राष्ट्रीय               | 352      | युद्ध / बाह्य आक्रमण / सशस्त्र विद्रोह                      |
| राज्य (राष्ट्रपति शासन) | 356, 365 | संवैधानिक तंत्र की विफलता / संघ के निर्देशों का पालन न करना |
| वित्तीय                 | 360      | भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा                      |

- 'सशस्त्र विद्रोह' ने 'आंतरिक अशांति' का स्थान लिया (44वाँ संशोधन 1978)
- आपातकाल के दौरान संघीय ढाँचा एकात्मक बन जाता है

## 16. त्रि-स्तरीय सरकार

- 73वाँ संशोधन (1992): भाग 9 + ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतें)
- 74वाँ संशोधन (1992): भाग 9क + बारहवीं अनुसूची (नगरपालिकाएँ)
- नगरपालिकाएँ: नगर पंचायत (संक्रमणशील क्षेत्र), नगर परिषद (छोटे शहरी क्षेत्र), नगर निगम (बड़े शहरी क्षेत्र)

## 17. सहकारी समितियाँ (97वाँ संशोधन 2011)

- सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया (अनुच्छेद 19)
- नया DPSP: अनुच्छेद 43ख
- भाग 9ख (अनुच्छेद 243यज से 243यन)
- बहु-राज्यीय समितियों के लिए संसद विधि बनाती है; अन्य के लिए राज्य विधानमंडल

## संविधान की आलोचना

- 'उधार' / 'उधारियों की पोटली' / 'खिचड़ी'; '1935 के अधिनियम की कार्बन प्रति' (आईवर जेनिंग्स, एन. श्रीनिवासन)
- 'अभारतीय' (के. हनुमंतैया: 'अंग्रेज़ी बैंड का संगीत')
- 'अगांधीवादी' (ग्राम पंचायत का आधार नहीं)
- 'विशालकाय' (एच.वी. कामथ, जेनिंग्स); 'वकीलों का स्वर्ग' (जेनिंग्स, एच.के. माहेश्वरी)
- ऑबेडियेंस का उत्तर: उधार लेने में कोई लज्जा नहीं, मूलभूत विचारों पर कोई पेटेंट नहीं

## संविधान के भाग

### भाग और अनुच्छेद

| भाग | विषय                                                  | अनुच्छेद        |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | संघ और उसका राज्यक्षेत्र                              | 1-4             |
| 2   | नागरिकता                                              | 5-11            |
| 3   | मौलिक अधिकार                                          | 12-35           |
| 4   | DPSP                                                  | 36-51           |
| 4क  | मौलिक कर्तव्य                                         | 51क             |
| 5   | संघ सरकार                                             | 52-151          |
| 6   | राज्य सरकारें                                         | 152-237         |
| 7   | ख-श्रेणी के राज्य (7वें संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया) | 238 (हटाया गया) |
| 8   | संघ राज्यक्षेत्र                                      | 239-242         |
| 9   | पंचायतें                                              | 243-243ण        |
| 9क  | नगरपालिकाएँ                                           | 243त से 243यछ   |

| भाग | विषय                                     | अनुच्छेद                                                    |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 9ख  | सहकारी समितियाँ                          | 243यज से 243यन                                              |
| 10  | अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र             | 244-244क                                                    |
| 11  | केंद्र-राज्य संबंध                       | 245-263                                                     |
| 12  | वित्त, संपत्ति, संविदाएँ, वाद            | 264-300क                                                    |
| 13  | व्यापार, वाणिज्य और समागम                | 301-307                                                     |
| 14  | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ            | 308-323                                                     |
| 14क | अधिकरण                                   | 323क से 323ख                                                |
| 15  | चुनाव                                    | 324-329 (अनुच्छेद 329क 44वें संशोधन, 1978 द्वारा हटाया गया) |
| 16  | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध            | 330-342क                                                    |
| 17  | राजभाषा                                  | 343-351                                                     |
| 18  | आपातकालीन उपबंध                          | 352-360                                                     |
| 19  | प्रकीर्ण                                 | 361-367                                                     |
| 20  | संशोधन                                   | 368                                                         |
| 21  | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध     | 369-392                                                     |
| 22  | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ, निरसन | 393-395                                                     |

- जोड़े गए भाग: 4क और 14क (42वाँ संशोधन 1976); 9 (73वाँ); 9क (74वाँ); 9ख (97वाँ)

## महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

### महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद (चयनित)

| अनुच्छेद | संबंधित विषय                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 3        | राज्यों का पुनर्गठन                                         |
| 13       | मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ                             |
| 21क      | प्रारंभिक शिक्षा                                            |
| 32       | संवैधानिक उपचार                                             |
| 40       | ग्राम पंचायतें                                              |
| 44       | समान नागरिक संहिता                                          |
| 45       | प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल (6 वर्ष से कम)              |
| 46       | अनुसूचित जाति/जनजाति/दुर्बल वर्ग                            |
| 50       | न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण                      |
| 72/161   | राष्ट्रपति/राज्यपाल की क्षमादान शक्ति                       |
| 74/163   | मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति/राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देती है |
| 110      | धन विधेयक                                                   |
| 123/213  | राष्ट्रपति/राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति                       |
| 143      | राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श                    |
| 169      | विधान परिषदें                                               |
| 226      | उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता                              |
| 239कक    | दिल्ली                                                      |
| 249      | संसद का राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाना                  |
| 262/263  | जल विवाद / अंतर-राज्य परिषद्                                |
| 279क/280 | GST परिषद् / वित्त आयोग                                     |
| 300क     | संपत्ति का अधिकार                                           |

| अनुच्छेद        | संबंधित विषय                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 311/312         | लोक सेवकों का संरक्षण / अखिल भारतीय सेवाएँ                                              |
| 323क            | प्रशासनिक अधिकरण                                                                        |
| 324             | निर्वाचन आयोग                                                                           |
| 352/356/360/365 | राष्ट्रीय आपातकाल / राष्ट्रपति शासन / वित्तीय आपातकाल / संघ के निर्देशों का पालन न करना |
| 368             | संशोधन                                                                                  |

## अनुसूचियाँ

### बारह अनुसूचियाँ

| अनुसूची   | विषय                                                                                                                                                               | अनुच्छेद                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| पहली      | राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम, राज्यक्षेत्रीय विस्तार                                                                                                       | 1, 4                                         |
| दूसरी     | राष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्षों/उपाध्यक्षों, सभापतियों/उपसभापतियों, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा CAG की उपलब्धियाँ                              | 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221 |
| तीसरी     | शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप                                                                                                                                       | 75, 84, 99, 124, 148, 164, 173, 188, 219     |
| चौथी      | राज्य सभा में स्थानों का आवंटन                                                                                                                                     | 4, 80                                        |
| पाँचवीं   | अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन                                                                                                                | 244                                          |
| छठी       | असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र                                                                                                                 | 244, 275                                     |
| सातवीं    | संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ                                                                                                                                      | 246                                          |
| आठवीं     | भाषाएँ                                                                                                                                                             | 344, 351                                     |
| नौवीं     | भूमि सुधार तथा अन्य कानून अनुच्छेद 31ख के अंतर्गत रखे गए; पूर्णतः उन्मुक्त नहीं (24 अप्रैल 1973 के बाद के कानून मूल ढाँचे की समीक्षा के अधीन, आई.आर. कोएल्हो 2007) | 31ख                                          |
| दसवीं     | दल-बदल विरोधी (52वाँ संशोधन 1985)                                                                                                                                  | 102, 191                                     |
| ग्यारहवीं | पंचायतें - 29 विषय (73वाँ संशोधन)                                                                                                                                  | 243छ                                         |
| बारहवीं   | नगरपालिकाएँ - 18 विषय (74वाँ संशोधन)                                                                                                                               | 243ब                                         |

- सातवीं अनुसूची: संघ सूची 98 (मूलतः 97); राज्य सूची 59 (मूलतः 66); समवर्ती सूची 52 (मूलतः 47)
- आठवीं अनुसूची: मूलतः 14 भाषाएँ; अब **22**
  - सिंधी: 21वाँ संशोधन (1967)
  - कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली: 71वाँ संशोधन (1992)
  - बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली: 92वाँ संशोधन (2003)
  - 'उड़िया' का नाम बदलकर 'ओड़िया' किया गया: 96वाँ संशोधन (2011)
- नौवीं अनुसूची: प्रथम संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई; मूलतः 13 अधिनियम, अब 282 प्रविष्टियाँ; पूर्ण उन्मुक्ति नहीं
  - 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद की सीमा-तिथि) के बाद रखे गए कानूनों को मूल ढाँचे के आधार पर चुनौती दी जा सकती है (आई.आर. कोएल्हो, 2007)

## संविधान के स्रोत

### ग्रहण की गई विशेषताएँ

| स्रोत                  | ग्रहण की गई विशेषताएँ                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारत शासन अधिनियम 1935 | संघीय योजना, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता, प्रशासनिक ब्योरे |

| स्रोत             | ग्रहण की गई विशेषताएँ                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रिटेन           | संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता                |
| अमेरिका           | मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद |
| आयरलैंड           | DPSP, राज्य सभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति                                                                            |
| कनाडा             | सशक्त केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल                                                             |
| ऑस्ट्रेलिया       | समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक                                                                              |
| वाइमर (जर्मनी)    | आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन                                                                                                         |
| सोवियत संघ (USSR) | मौलिक कर्तव्य; प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) का आदर्श                                                                          |
| फ्रांस            | गणराज्य; प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता                                                                                                  |
| दक्षिण अफ्रीका    | संशोधन की प्रक्रिया; राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन                                                                                             |
| जापान             | विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया                                                                                                                     |

**प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य**

मौलिक कर्तव्य: सोवियत स्रोत, 42वाँ संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति  
 DPSP: आयरलैंड का स्रोत; मौलिक अधिकार: अमेरिका का स्रोत  
 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया: जापान; सम्यक् प्रक्रिया: अमेरिका  
 समवर्ती सूची: ऑस्ट्रेलिया; अवशिष्ट शक्तियाँ: कनाडा  
 आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन: वाइमर जर्मनी

**विशेषताओं में परिवर्तन करने वाले संशोधन**

7वाँ: भाग 7 हटाया गया; 42वाँ: लघु संविधान; 44वाँ: संपत्ति का अधिकार हटाया गया  
 73वाँ/74वाँ: स्थानीय शासन; 97वाँ: सहकारिता; 101वाँ: GST

**संविधान की प्रस्तावना**

- प्रस्तावना से आरंभ होने वाला पहला संविधान अमेरिका का है; पालकीवाला: 'संविधान का परिचय-पत्र'
- आधारित: **उद्देश्य प्रस्ताव** (नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत; 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत)
- केवल एक बार संशोधित: **42वाँ संशोधन (1976)** द्वारा 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए
- 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत; शेष संविधान के बाद अधिनियमित
- पाठ: 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य'; न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक); स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की); समता (प्रतिष्ठा और अवसर की); बंधुता (व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता)
- चार घटक: प्राधिकार का स्रोत (जनता), राज्य की प्रकृति, उद्देश्य, अंगीकरण की तिथि (26 नवंबर 1949)

**मुख्य शब्द**

| शब्द        | अर्थ / बिंदु                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संप्रभु     | न तो पराधीन, न डोमिनियन; राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता इसे सीमित नहीं करती                                                                  |
| समाजवादी    | लोकतांत्रिक समाजवाद (मिश्रित अर्थव्यवस्था), राज्य समाजवाद नहीं; गांधीवादी झुकाव; कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन (1955) में 'समाजवादी ढंग का समाज' अपनाया गया |
| पंथनिरपेक्ष | सकारात्मक अवधारणा; अनुच्छेद 25-28; उच्चतम न्यायालय (1974) ने कहा कि संविधान-निर्माताओं का आशय पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना था                           |
| लोकतांत्रिक | लोकप्रिय संप्रभुता; प्रतिनिधिक संसदीय लोकतंत्र; राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सम्मिलित                                                           |

| शब्द                     | अर्थ / बिंदु                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| गणराज्य                  | निर्वाचित प्रमुख (राष्ट्रपति, 5 वर्ष, अप्रत्यक्ष); कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं |
| न्याय                    | सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक - रूसी क्रांति (1917) से लिया गया                          |
| स्वतंत्रता, समता, बंधुता | फ्रांसीसी क्रांति (1789-99) से लिया गया                                              |

- प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन: जनमत संग्रह (रेफरेंडम), लोक पहल (इनिशिएटिव), प्रत्याह्वान (रिकॉल), सर्वमत संग्रह (प्लेबिसाइट) (स्विट्ज़रलैंड)
- सामाजिक + आर्थिक न्याय = वितरणात्मक न्याय
- समता संबंधी उपबंध: अनुच्छेद 14-18; राजनीतिक समता अनुच्छेद 325, 326; अनुच्छेद 39 में समान वेतन
- बंधुता: एकल नागरिकता, अनुच्छेद 51क; 1976 में 'अखंडता' जोड़ी गई
- 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटिश डोमिनियन था
- धर्म के आधार पर राज्यों के प्रकार: नास्तिक, धर्मतंत्रीय (पाकिस्तान, श्रीलंका), पंथनिरपेक्ष (अमेरिका, भारत)
- उपमाएँ: पालकीवाला - परिचय-पत्र; मुंशी - जन्मकुंडली; भार्गव - आत्मा/कुंजी/रत्न; बार्कर - मूल स्वर; हिदायतुल्लाह - आत्मा

### प्रस्तावना: विधिक स्थिति

#### प्रस्तावना संबंधी मामले

| मामला                        | निर्णय                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| बेरुबारी संघ (1960)          | प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं; निर्माताओं के मन की कुंजी            |
| केशवानंद भारती (1973)        | प्रस्तावना संविधान का भाग है; संशोधन योग्य, किंतु मूल विशेषताएँ नहीं |
| भारतीय जीवन बीमा निगम (1995) | प्रस्तावना अभिन्न अंग                                                |

- न तो विधायिका को शक्ति का स्रोत, न उस पर निषेध
- गैर-न्यायसंगत

#### याद रखें

प्रस्तावना: 42वें संशोधन ने 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष', 'अखंडता' जोड़े (अब तक एकमात्र संशोधन)  
 बेरुबारी (1960) गलत; केशवानंद (1973) सही  
 प्रस्तावना के उधार लिए विचार: न्याय - रूस; स्वतंत्रता/समता/बंधुता - फ्रांस

### संघ और उसका क्षेत्र

- भाग 1, अनुच्छेद 1-4
- अनुच्छेद 1: 'इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा'
- 'संघ' इसलिए (आंबेडकर): यह राज्यों के बीच समझौता नहीं है; अलग होने का अधिकार नहीं; अविनाशी
- भारत का राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 1): राज्यों के राज्यक्षेत्र + संघ राज्यक्षेत्र + अर्जित किए जा सकने वाले राज्यक्षेत्र
- 'भारत का राज्यक्षेत्र' 'भारत संघ' (केवल राज्य) से अधिक व्यापक है
- वर्तमान: **28 राज्य और 8 संघ राज्यक्षेत्र**
- अनुच्छेद 2: संसद नए राज्यों को (जो संघ के भाग नहीं हैं) शामिल या स्थापित कर सकती है
- अनुच्छेद 3: विद्यमान राज्यों का पुनर्गठन (आंतरिक समायोजन)

#### अनुच्छेद 3 के अंतर्गत शक्तियाँ

| शक्ति                                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| ---                                                         |
| नया राज्य बनाना (राज्यों या उनके भागों का पृथक्करण / संघटन) |
| किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना                                |
| किसी राज्य का क्षेत्र घटाना                                 |
| किसी राज्य की सीमाएँ बदलना                                  |
| किसी राज्य का नाम बदलना                                     |

- शर्तें: विधेयक केवल **राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश** पर ही प्रस्तुत हो सकता है; राष्ट्रपति उसे राज्य विधानमंडल को भेजते हैं (बाध्यकारी नहीं)
- संसद में प्रस्तुत संशोधनों के लिए नया निर्देश आवश्यक नहीं (बाबूलाल बनाम बंबई राज्य, 1959)

- संघ राज्यक्षेत्र के मामले में विधानमंडल को निर्देश आवश्यक नहीं
- 18वाँ संशोधन (1966): अनुच्छेद 3 की शक्ति में किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भाग को मिलाकर नया राज्य/संघ राज्यक्षेत्र बनाना भी सम्मिलित
- अनुच्छेद 4: अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनी विधियाँ अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं मानी जातीं - साधारण बहुमत
- भारत = 'नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ'; अमेरिका = 'अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ'

### राज्यक्षेत्र का अभ्यर्पण

बेरुबारी मामला (1960, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्देश): अनुच्छेद 3 विदेशी राज्य को राज्यक्षेत्र के अभ्यर्पण पर लागू नहीं होता; अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन आवश्यक (9वाँ संशोधन 1960)

सीमा विवाद का निपटारा (1969): कार्यपालिका की कार्यवाई; संशोधन आवश्यक नहीं

- **100वाँ संशोधन (2015):** बांग्लादेश के साथ भू-सीमा समझौता
  - भारत ने 111 छिटमहल हस्तांतरित किए; बांग्लादेश से 51 प्राप्त किए; 6.1 किमी का असीमांकित खंड
  - असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा प्रभावित (पहली अनुसूची)

### राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का विकास-क्रम

- 552 रियासतों में से 549 भारत में शामिल हुई; हैदराबाद (पुलिस कार्यवाई), जूनागढ़ (जनमत संग्रह), कश्मीर (विलय-पत्र)
- 1950: क-श्रेणी (9), ख-श्रेणी (9), ग-श्रेणी (10), घ-श्रेणी (अंडमान और निकोबार) - कुल 29
- **धर आयोग** (1948, एस.के. धर): प्रशासनिक सुविधा का आधार, भाषा का नहीं
- **जे.वी.पी. समिति** (दिसंबर 1948; नेहरू, पटेल, पट्टाभि सीतारामैया): भाषा के आधार को अस्वीकार किया (अप्रैल 1949)
- आंध्र राज्य (अक्टूबर 1953): प्रथम भाषायी राज्य, पोर्टी श्रीरामुलु के 56 दिन के अनशन के बाद
- **फज़ल अली आयोग** (राज्य पुनर्गठन आयोग, दिसंबर 1953): सदस्य फज़ल अली, के.एम. पणिककर, एच.एन. कुंजरू; प्रतिवेदन सितंबर 1955; भाषा को आधार माना, किंतु 'एक भाषा-एक राज्य' को अस्वीकार किया; 16 राज्यों और 3 केंद्र-प्रशासित क्षेत्रों की सिफारिश
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम + 7वाँ संशोधन (1956): क/ख/ग श्रेणी समाप्त; 1 नवंबर 1956 से 14 राज्य और 6 संघ राज्यक्षेत्र

### 1956 में राज्यक्षेत्र

| राज्य (14)                                                                                                                          | संघ राज्यक्षेत्र (6)                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल | अंडमान और निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव-मिनिक्ॉय-अमीनदीवी, मणिपुर, त्रिपुरा |

- केरल का गठन त्रावणकोर-कोचीन + मालाबार + कासरगोड को मिलाकर हुआ

### 1956 के बाद नए राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

#### राज्यों (क्रमांक सहित) और संघ राज्यक्षेत्रों का कालक्रम

| वर्ष | घटना                                                                                      | विधि                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1960 | गुजरात (15वाँ) बंबई से                                                                    | बंबई पुनर्गठन अधिनियम            |
| 1961 | दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र (1954 तक पुर्तगाली शासन में)                          | 10वाँ संशोधन                     |
| 1962 | गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र (1961 की पुलिस कार्यवाई)                                | 12वाँ संशोधन                     |
| 1962 | पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र (1954 में फ्रांस ने सौंपा)                                      | 14वाँ संशोधन                     |
| 1963 | नागालैंड (16वाँ) असम से                                                                   | नागालैंड राज्य अधिनियम 1962      |
| 1966 | हरियाणा (17वाँ) और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पंजाब से (शाह आयोग)                           | पंजाब पुनर्गठन अधिनियम           |
| 1971 | हिमाचल प्रदेश (18वाँ)                                                                     | हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 |
| 1972 | मणिपुर (19वाँ), त्रिपुरा (20वाँ), मेघालय (21वाँ); संघ राज्यक्षेत्र मिजोरम, अरुणाचल (नेफा) | पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971  |
| 1975 | सिक्किम (22वाँ)                                                                           | 36वाँ संशोधन                     |
| 1987 | मिजोरम (23वाँ), अरुणाचल प्रदेश (24वाँ), गोवा (25वाँ)                                      | अधिनियम 1986/1987                |
| 2000 | छत्तीसगढ़ (26वाँ), उत्तराखंड (27वाँ), झारखंड (28वाँ)                                      | पुनर्गठन अधिनियम 2000            |

| वर्ष | घटना                                      | विधि                               |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 2014 | तेलंगाना (29वाँ) आंध्र प्रदेश से          | आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 |
| 2019 | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र   | जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 |
| 2020 | दादरा और नगर हवेली का दमन और दीव में विलय | संघ राज्यक्षेत्र विलय अधिनियम 2019 |

- मेघालय: 22वें संशोधन (1969) द्वारा असम के भीतर स्वायत्त (उप-)राज्य
- सिक्किम: संरक्षित राज्य (1947) - 35वें संशोधन (1974; अनुच्छेद 2क, दसवीं अनुसूची) द्वारा 'सहयोगी राज्य' - 36वें संशोधन (1975) द्वारा पूर्ण राज्य; अनुच्छेद 371च; अनुच्छेद 2क निरसित
- अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा 2019 में समाप्त (संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू होना) आदेश, 2019)
- वर्तमान संघ राज्यक्षेत्र (8): अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी

## नामों में परिवर्तन

### नाम बदले गए राज्य और संघ राज्यक्षेत्र

| पुराना                       | नया                                                          | वर्ष |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| संयुक्त प्रांत               | उत्तर प्रदेश                                                 | 1950 |
| मद्रास                       | तमिलनाडु                                                     | 1969 |
| मैसूर                        | कर्नाटक                                                      | 1973 |
| लक्कादीव, मिनिक्ॉय, अमीनदीवी | लक्षद्वीप                                                    | 1973 |
| दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र      | दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (69वाँ संशोधन 1991) | 1992 |
| उत्तरांचल                    | उत्तराखंड                                                    | 2006 |
| पांडिचेरी                    | पुदुचेरी                                                     | 2006 |
| उड़ीसा                       | ओडिशा                                                        | 2011 |

### याद रखें

प्रथम भाषायी राज्य: आंध्र (1953); नाम बदलने वाला प्रथम राज्य: संयुक्त प्रांत (1950)  
 सिक्किम: 35वाँ संशोधन (सहयोगी), फिर 36वाँ (22वाँ राज्य)  
 बेरुबारी: अभ्यर्पण के लिए अनुच्छेद 368 आवश्यक, सीमा-निपटारे के लिए नहीं  
 चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी

## अध्याय 03

# नागरिकता, मौलिक अधिकार, DPSP, कर्तव्य, संशोधन, मूल ढाँचा

## नागरिकता

### मूल बातें

- दो प्रकार के व्यक्ति: नागरिक और विदेशी (मित्र / शत्रु)
- शत्रु-देश के विदेशियों को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण नहीं (अनुच्छेद 22)
- केवल एकल नागरिकता (कनाडा की तरह); अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता
- कोई पृथक राज्य-नागरिकता नहीं; सभी नागरिक संघ के प्रति निष्ठा रखते हैं
- केवल नागरिकों के लिए (विदेशियों को नहीं): अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30; मत देने का अधिकार; संसद/राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने का अधिकार
- केवल नागरिकों के लिए खुले पद: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता
- भारत: देशीकृत नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं; अमेरिका: केवल जन्मजात नागरिक

### समान नागरिकता अधिकारों के अपवाद

| उपबंध                                           | विवरण                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>अनुच्छेद 16</b>                              | संसद कुछ नौकरियों के लिए किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में निवास को शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है                          |
| लोक नियोजन (निवास संबंधी अपेक्षा) अधिनियम, 1957 | आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में अराजपत्रित पद; 1974 में समाप्त                                                |
| <b>अनुच्छेद 371घ</b>                            | निवास-आधारित उपबंध अब केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए                                                                      |
| <b>अनुच्छेद 15</b>                              | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध - निवास के आधार पर नहीं                                           |
| <b>अनुच्छेद 19</b>                              | अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए आवागमन/निवास पर निर्बंधन                                                            |
| <b>अनुच्छेद 35क (जम्मू-कश्मीर)</b>              | स्थायी निवासियों के विशेषाधिकार; 1954 में अनुच्छेद 370 के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया; विशेष दर्जा 2019 में समाप्त |

### संवैधानिक उपबंध (अनुच्छेद 5-11, भाग 2)

- केवल संविधान के प्रारंभ (26 जनवरी 1950) पर नागरिकता से संबंधित; संसद को आगे विधि बनाने की शक्ति
- संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया

### अनुच्छेद 5-11

| अनुच्छेद  | विषय                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>5</b>  | संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता                     |
| <b>6</b>  | पाकिस्तान से भारत आए प्रवासी                       |
| <b>7</b>  | पाकिस्तान गए प्रवासी (पुनर्वास हेतु लौटे)          |
| <b>8</b>  | भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति       |
| <b>9</b>  | विदेशी नागरिकता का स्वेच्छा से अर्जन - नागरिक नहीं |
| <b>10</b> | नागरिकता के अधिकारों का बना रहना                   |
| <b>11</b> | संसद विधि द्वारा नागरिकता का विनियमन करेगी         |

### 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक बना

| श्रेणी | शर्त |
|--------|------|
|--------|------|

| श्रेणी                                         | शर्त                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारत में अधिवास                                | भारत में जन्म, या किसी एक माता-पिता का भारत में जन्म, या सामान्यतः 5 वर्ष से निवासी                              |
| पाकिस्तान से प्रवासित                          | 19 जुलाई 1948 से पहले: प्रवास के बाद से सामान्यतः निवासी; 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद: पंजीकृत (6 माह का निवास) |
| 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, किंतु लौट आए | 6 माह के निवास के बाद पंजीकृत                                                                                    |
| विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति      | भारतीय राजनयिक/कौंसुलीय अधिकारी द्वारा पंजीकृत                                                                   |

## नागरिकता अधिनियम, 1955

- अर्जन के पाँच तरीके: जन्म, वंश-परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण, राज्यक्षेत्र का समावेशन
- समाप्ति के तीन तरीके: परित्याग, पर्यवसान, वंचन
- राष्ट्रमंडल नागरिकता का उपबंध नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा निरसित

### जन्म द्वारा अर्जन

| भारत में जन्म                | नागरिक यदि                                                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 26 जनवरी 1950 - 30 जून 1987  | माता-पिता की राष्ट्रीयता से निरपेक्ष                            |
| 1 जुलाई 1987 - 2 दिसंबर 2004 | जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक नागरिक                      |
| 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद | माता-पिता दोनों नागरिक, या एक नागरिक और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं |

- विदेशी राजनयिकों और शत्रु-देश के विदेशियों की संतानें जन्म से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकतीं

### वंश-परंपरा द्वारा अर्जन (भारत से बाहर जन्म)

| अवधि                          | शर्त                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 26 जनवरी 1950 - 9 दिसंबर 1992 | जन्म के समय पिता नागरिक                                                |
| 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद | जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक नागरिक                             |
| 3 दिसंबर 2004 से              | जन्म का पंजीकरण 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य-दूतावास में कराना आवश्यक |

- वंश-परंपरा से दोहरी नागरिकता वाले अवयस्क को वयस्क होने के 6 माह के भीतर अन्य नागरिकता त्यागनी होगी

### पंजीकरण द्वारा अर्जन

| श्रेणी                                                                              | आवश्यक निवास    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| भारतीय मूल का व्यक्ति, सामान्यतः भारत में निवासी                                    | 7 वर्ष          |
| भारतीय मूल का व्यक्ति, अविभाजित भारत से बाहर निवासी                                 | कोई नहीं        |
| भारतीय नागरिक से विवाहित                                                            | 7 वर्ष          |
| भारतीय नागरिकों की अवयस्क संतानें                                                   | -               |
| वयस्क व्यक्ति जिसके माता-पिता पंजीकृत नागरिक हैं                                    | -               |
| वयस्क व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता-पिता में से कोई स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो | 12 माह          |
| 5 वर्ष से OCI कार्डधारक                                                             | भारत में 12 माह |

- भारतीय मूल का व्यक्ति: स्वयं या माता-पिता में से कोई अविभाजित भारत में अथवा 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग बने क्षेत्र में जन्मा हो
- निष्ठा की शपथ अनिवार्य

### देशीकरण द्वारा अर्जन

| शर्त                    | अपेक्षा                  |
|-------------------------|--------------------------|
| निवास                   | आवेदन से ठीक पहले 12 माह |
| पिछले 14 वर्षों में कुल | कम से कम 11 वर्ष         |

| शर्त                                                                                               | अपेक्षा                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAA 2019 में छूट (अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) | 5 वर्ष                                                                                          |
| अन्य                                                                                               | अच्छा चरित्र; आठवीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञान; भारत में रहने का आशय; अन्य नागरिकता का त्याग |

- विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति में विशिष्ट सेवा के लिए शर्तें माफ़ की जा सकती हैं
- संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ आवश्यक
- राज्यक्षेत्र का समावेशन: सरकार निर्दिष्ट करती है कि कौन नागरिक बनेंगे; उदाहरण: नागरिकता (पुदुचेरी) आदेश, 1962

### विशेष उपबंध

| विधि                                         | उपबंध                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 (असम समझौता) | 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए: उस तिथि से नागरिक माने गए                                                                               |
| वही                                          | 1 जनवरी 1966 - 24 मार्च 1971 के बीच आए: पंजीकृत; पहचान के 10 वर्ष बाद नागरिक; इस बीच मताधिकार नहीं                                   |
| नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019              | 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले प्रविष्ट हुए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई प्रवासी |
| CAA 2019 का प्रभाव                           | प्रवेश की तिथि से नागरिक; अवैध प्रवास संबंधी लंबित मामले समाप्त; 10 जनवरी 2020 से लागू                                               |
| CAA 2019 का अपवर्जन                          | असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के छठी अनुसूची वाले जनजातीय क्षेत्र तथा इनर लाइन क्षेत्र                                               |

### नागरिकता की समाप्ति

| तरीका    | विवरण                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परित्याग | वयस्क नागरिक द्वारा स्वेच्छिक घोषणा; युद्ध के दौरान रोकੀ जाती है; अवयस्क संतानें भी नागरिकता खो देती हैं, 18 वर्ष की आयु होने पर 1 वर्ष के भीतर पुनः प्राप्त कर सकती हैं                  |
| पर्यवसान | विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने पर स्वतः; युद्ध के दौरान लागू नहीं                                                                                                               |
| वंचन     | केंद्र द्वारा अनिवार्य रूप से: कपट; संविधान के प्रति अनिष्ठा; युद्ध में शत्रु से व्यापार; पंजीकरण/देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष का कारावास; लगातार 7 वर्ष तक सामान्यतः विदेश में निवास |

- विदेश में 7 वर्ष के निवास पर वंचन विद्यार्थियों, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों या वाणिज्य-दूतावास में प्रतिवर्ष पंजीकरण कराने वालों पर लागू नहीं होता

### भारत की प्रवासी नागरिकता (OCI)

- प्रवासी भारतीय समुदाय पर एल.एम. सिंघवी उच्च स्तरीय समिति (2000; प्रतिवेदन 2002) ने भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) के लिए दोहरी नागरिकता की सिफारिश की
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003: 16 निर्दिष्ट देशों के PIO के लिए OCI
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005: पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देश
- OCI दोहरी नागरिकता नहीं है (अनुच्छेद 9 इसे निषिद्ध करता है)
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015: PIO और OCI का विलय कर बनाया गया **OCI कार्डधारक**
- PIO कार्ड योजना 19 अगस्त 2002 को आरंभ; OCI कार्ड योजना 2 दिसंबर 2005 को; PIO 9 जनवरी 2015 को रद्द
- अपात्र: वह व्यक्ति जिसके माता-पिता/दादा-दादी/परदादा-परदादी में से कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या केंद्र द्वारा निर्दिष्ट देश का नागरिक रहा हो
- विदेशी मूल का जीवनसाथी: विवाह पंजीकृत हो और कम से कम 2 वर्ष तक कायम रहा हो

### OCI कार्डधारक निम्नलिखित का हकदार नहीं

| अधिकार                           | अनुच्छेद |
|----------------------------------|----------|
| लोक नियोजन में समता              | 16       |
| राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन   | 58       |
| उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन | 66       |

| अधिकार                                                      | अनुच्छेद |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश                                | 124      |
| उच्च न्यायालय का न्यायाधीश                                  | 217      |
| मतदाता के रूप में पंजीकरण; संसद, राज्य विधानमंडल की सदस्यता | -        |
| लोक सेवाएँ (केंद्र द्वारा निर्दिष्ट को छोड़कर)              | -        |

- पंजीकरण निरस्त होता है: कपट; संविधान के प्रति अप्रीति; शत्रु से व्यापार; 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष का कारावास; अधिनियम का उल्लंघन (2019 में जोड़ा गया); राष्ट्रीय हित; विवाह-विच्छेद या दूसरा विवाह
- निरस्तीकरण से पूर्व सुनवाई का उचित अवसर (2019 में जोड़ा गया)

#### NRI बनाम PIO बनाम OCI

| बिंदु                 | NRI                                                      | PIO                                             | OCI                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| कौन                   | भारतीय पासपोर्ट के साथ विदेश में रहने वाला भारतीय नागरिक | भारतीय पूर्वज वाला, विदेशी पासपोर्टधारी व्यक्ति | नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कार्डधारक     |
| भारत आने के लिए वीज़ा | नहीं                                                     | हाँ                                             | नहीं (स्वयं बहु-प्रवेश आजीवन वीज़ा है)            |
| पुलिस पंजीकरण         | नहीं                                                     | हाँ, यदि 180 दिन से अधिक ठहरे                   | नहीं                                              |
| भारतीय नागरिकता       | पहले से नागरिक                                           | 7 वर्ष का निवास                                 | 5 वर्ष का पंजीकरण + 12 माह का निवास               |
| OCI शुल्क             | -                                                        | -                                               | विदेश में 275 अमेरिकी डॉलर; भारत में 15,000 रुपये |

- OCI को इनके लिए विशेष अनुमति चाहिए: अनुसंधान, धर्म-प्रचार/तबलीगा/पर्वतारोहण/पत्रकारिता, विदेशी मिशन में इंटर्नशिप, संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र
- OCI की NRI से समानता: दत्तक ग्रहण, NEET/JEE के NRI कोटे की सीटें, कृषि भूमि/फार्म हाउस/बागान को छोड़कर संपत्ति, व्यवसाय (चिकित्सक, दंत-चिकित्सक, नर्स, औषधि-विक्रेता, अधिवक्ता, वास्तुकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट)
- OCI की भारतीयों से समानता: घरेलू हवाई किराया, पार्कों और स्मारकों में प्रवेश शुल्क
- OCI भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NIT), भारतीय प्रबंध संस्थानों (IIM), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (IISER), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), केंद्रीय विश्वविद्यालयों और नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (AIIMS) में शिक्षण संकाय के रूप में पात्र

#### याद रखें - नागरिकता

अनुच्छेद 5-11 भाग 2 में; 1955 का अधिनियम

बाद में नागरिकता के अर्जन/समाप्ति पर विधि संविधान नहीं, संसद बनाती है (अनुच्छेद 11)

जन्म की कट-ऑफ तिथियाँ: 1 जुलाई 1987, 3 दिसंबर 2004; वंश की कट-ऑफ तिथि: 10 दिसंबर 1992

OCI दोहरी नागरिकता नहीं है; अनुच्छेद 9 इसे वर्जित करता है

देशीकरण: 14 में से 11 वर्ष; CAA 2019 ने इसे घटाकर 5 वर्ष किया

## मौलिक अधिकार

### मूल बातें

- भाग 3, अनुच्छेद 12-35; अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित; भारत का मैग्रा कार्टा कहा जाता है
- मूलतः 7 अधिकार; संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया; अब यह विधिक अधिकार है, जो **अनुच्छेद 300क** (भाग 12) में निहित है
- अब छह मौलिक अधिकार; न्यायसंगत; उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षित
- निरपेक्ष नहीं: व्यक्तिगत निर्बंधन, जिनका निर्णय न्यायालय करते हैं
- केवल संविधान संशोधन द्वारा संशोधनीय, मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाए बिना
- राज्य की कार्यवाई के विरुद्ध उपलब्ध; कुछ (अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24) निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी

#### छह मौलिक अधिकार

| अधिकार | अनुच्छेद | विषय-सूची                                                     |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------|
| समता   | 14-18    | विधि के समक्ष समता; अभेदभाव; लोक नियोजन; अस्पृश्यता; उपाधियाँ |

| अधिकार                             | अनुच्छेद       | विषय-सूची                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वतंत्रता                         | 19-22          | छह स्वतंत्रताएँ; दोषसिद्धि संबंधी संरक्षण; प्राण और दैहिक स्वतंत्रता; शिक्षा (21क); गिरफ्तारी/निरोध                          |
| शोषण के विरुद्ध धर्म की स्वतंत्रता | 23-24<br>25-28 | मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम; बाल श्रम<br>अंतःकरण/प्रचार; कार्यों का प्रबंध; धार्मिक कर नहीं; अनिवार्य धार्मिक शिक्षा नहीं |
| संस्कृति और शिक्षा संबंधी          | 29-30          | अल्पसंख्यकों की भाषा/संस्कृति; अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएँ                                                                    |
| संवैधानिक उपचार                    | 32             | उच्चतम न्यायालय से रिट                                                                                                       |

### कौन-सा अधिकार किसे

| केवल नागरिक                 | नागरिक और विदेशी (शत्रु-देश के विदेशी नहीं)          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 | अनुच्छेद 14, 20, 21, 21क, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |

### मौलिक अधिकारों की सीमाएँ

| अनुच्छेद      | सीमा                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31क, 31ख, 31ग | कुछ विधियों को बचाने वाले अपवाद                                                                               |
| 33            | संसद सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों के अधिकारों पर निर्बंधन लगा सकती है                                |
| 34            | सैन्य विधि के दौरान निर्बंधन                                                                                  |
| 35            | निर्दिष्ट अधिकारों पर केवल संसद (राज्य नहीं) विधि बनाती है                                                    |
| 358/359       | आपातकाल: अनुच्छेद 19 केवल युद्ध/बाह्य आक्रमण के आपातकाल में स्वतः निलंबित; अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं |

### अनुच्छेद 12 और 13

- **अनुच्छेद 12** के अंतर्गत राज्य: भारत की सरकार और संसद; राज्यों की सरकार और विधानमंडल; स्थानीय प्राधिकारी; अन्य सभी प्राधिकारी (भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC), भारतीय इस्पात प्राधिकरण (SAIL))
- राज्य के साधन के रूप में कार्य करने वाली निजी संस्था भी सम्मिलित
- **अनुच्छेद 13:** मौलिक अधिकारों से असंगत विधियाँ शून्य हैं (न्यायिक पुनर्विलोकन: उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226)
- विधि में सम्मिलित: अधिनियम, अध्यादेश, प्रत्यायोजित विधान (आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना), विधि का बल रखने वाली रूढ़ि/प्रथा
- अनुच्छेद 13 के अनुसार संशोधन विधि नहीं है; केशवानंद भारती (1973): मूल ढाँचे का उल्लंघन करने वाला संशोधन अवैध घोषित किया जा सकता है

### समता का अधिकार

#### अनुच्छेद 14

- विधि के समक्ष समता (ब्रिटिश मूल; नकारात्मक) और विधियों का समान संरक्षण (अमेरिकी मूल; सकारात्मक)
- विधिक व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तियों पर लागू
- युक्तियुक्त वर्गीकरण (बोधगम्य अंतर) की अनुमति; वर्ग विधान निषिद्ध
- विधि का शासन (ए.वी. डायसी): स्वेच्छाचारी शक्ति का अभाव; विधि के समक्ष समता; व्यक्तिगत अधिकारों की प्रधानता (तीसरा तत्त्व भारत पर लागू नहीं)
- विधि का शासन मूल विशेषता है

### विधि के समक्ष समता के अपवाद

| उपबंध              | उन्मुक्ति                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 361       | राष्ट्रपति/राज्यपाल: न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं; कार्यकाल में आपराधिक कार्यवाही या गिरफ्तारी नहीं; सिविल कार्यवाही केवल 2 माह की सूचना के बाद |
| अनुच्छेद 361क      | विधायी कार्यवाही की सारत: सही रिपोर्ट संरक्षित                                                                                                      |
| अनुच्छेद 105 / 194 | सांसद / विधायक: सदन में वाक्-स्वातंत्र्य और मतदान                                                                                                   |

| उपबंध                                   | उन्मुक्ति                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 31ग                            | अनुच्छेद 39(ख) या (ग) के लिए बनी विधियों को अनुच्छेद 14 के अधीन चुनौती नहीं दी जा सकती |
| विदेशी संप्रभु, राजदूत, संयुक्त राष्ट्र | राजनयिक उन्मुक्ति                                                                      |

### अनुच्छेद 15

- राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा (नागरिकों के प्रति)
- अनुच्छेद 15(2): दुकानें, भोजनालय, होटल, कुएँ, तालाब, घाट, सड़कें - राज्य और निजी व्यक्तियों, दोनों पर लागू

#### अनुच्छेद 15 के खंड

| खंड   | उपबंध                                                                                                   | संशोधन       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 15(3) | महिलाओं और बालकों के लिए विशेष उपबंध                                                                    | मूल          |
| 15(4) | सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति                    | पहला, 1951   |
| 15(5) | शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, निजी सहायता-प्राप्त/गैर-सहायता-प्राप्त सहित (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) | 93वाँ, 2005  |
| 15(6) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; प्रवेश में 10% तक आरक्षण                                                      | 103वाँ, 2019 |

- केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006: 27% OBC कोटा; 2008 में क्रीमी लेयर के अपवर्जन के साथ वैध ठहराया गया
- क्रीमी लेयर की आय सीमा: 1 लाख रुपये (1993), 2.5 लाख (2004), 4.5 लाख (2008), 6 लाख (2013), 8 लाख (2017)
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम; अपवर्जित यदि 5 एकड़ कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट का प्लैट, 100 वर्ग गज का भूखंड (अधिसूचित नगरपालिका में) या 200 वर्ग गज का भूखंड (अन्यत्र) हो

### अनुच्छेद 16

- लोक नियोजन में अवसर की समता; धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं

#### अनुच्छेद 16 के खंड

| खंड    | उपबंध                                                               | संशोधन                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 16(3)  | संसद निवास संबंधी अपेक्षा निर्धारित कर सकती है                      | मूल                      |
| 16(4)  | पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण       | मूल                      |
| 16(4क) | अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण (परिणामी ज्येष्ठता) | 77वाँ, 1995; 85वाँ, 2001 |
| 16(4ख) | न भरी रिक्तियों का अग्रनयन; 50% की सीमा से बाहर                     | 81वाँ, 2000              |
| 16(5)  | धार्मिक संस्थाओं के पदधारक उसी धर्म के हो सकते हैं                  | मूल                      |
| 16(6)  | EWS के लिए 10% तक आरक्षण                                            | 103वाँ, 2019             |

### मंडल आयोग और इंद्रा साहनी

- द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग: 1979 में (मोरारजी देसाई) अनुच्छेद 340 के अंतर्गत नियुक्त; अध्यक्ष बी.पी. मंडल; प्रतिवेदन 1980; 3743 जातियाँ; 27% OBC आरक्षण की सिफारिश
- वी.पी. सिंह सरकार ने 1990 में 27% लागू किया; नरसिम्हा राव सरकार (1991) ने आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% जोड़ा
- इंद्रा साहनी मामला (1992): 27% OBC आरक्षण वैध; 10% आर्थिक आरक्षण अस्वीकृत

#### इंद्रा साहनी निर्देश और सरकार की प्रतिक्रिया

| उच्चतम न्यायालय का निर्णय                | सरकार की प्रतिक्रिया                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| क्रीमी लेयर को अपवर्जित करें             | राम नंदन समिति (प्रतिवेदन 1993)                                           |
| OBC सूची की शिकायतों के लिए स्थायी निकाय | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 1993; 102वें संशोधन 2018 द्वारा अनुच्छेद 338ख |

| उच्चतम न्यायालय का निर्णय                                  | सरकार की प्रतिक्रिया                                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>पदोन्नति में आरक्षण नहीं</b>                            | 77वाँ संशोधन 1995 (अनुच्छेद 16(4क)); 85वाँ संशोधन 2001                      |
| 50% की सीमा वार्षिक रूप से लागू; 50% के भीतर अग्रनयन मान्य | 81वाँ संशोधन 2000 (अनुच्छेद 16(4ख))                                         |
| <b>पदोन्नति में अंकों में छूट नहीं (अनुच्छेद 335)</b>      | 82वाँ संशोधन 2000                                                           |
| <b>कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं</b>                         | 76वाँ संशोधन 1994 ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम (69%) को नौवीं अनुसूची में रखा |

## अनुच्छेद 17 और 18

- **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता का उन्मूलन; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1976 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम से नाम बदला)
- अनुच्छेद 17 निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध (पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, 1982)
- **अनुच्छेद 18:** सैन्य और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर कोई उपाधि नहीं; नागरिक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता; लाभ का पद धारण करने वाले विदेशी को राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक
- बालाजी राघवन (1995): भारत रत्न, पद्म पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं; इन्हें नाम के पूर्व/पश्चात् प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए
- राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 में आरंभ; 1977 में (जनता सरकार द्वारा) बंद; 1980 में पुनः आरंभ
- पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष अधिकतम 120; भारत रत्न प्रतिवर्ष अधिकतम 3

## स्वातंत्र्य का अधिकार

### अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएँ, केवल नागरिकों के लिए; राज्य के विरुद्ध)

- 19(1)(च) संपत्ति 44वें संशोधन द्वारा हटाई गई

#### अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएँ और निर्बंधन

| स्वतंत्रता                                 | खंड             | निर्बंधन के आधार                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य</b>     | 19(1)(क), 19(2) | संप्रभुता और अखंडता (16वाँ संशोधन), राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध (पहला संशोधन), लोक व्यवस्था (पहला संशोधन), शिष्टता/सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध-उद्दीपन (पहला संशोधन) |
| <b>सम्मेलन (शांतिपूर्ण, निरायुध)</b>       | 19(1)(ख), 19(3) | संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था                                                                                                                                                            |
| <b>संगम, संघ, सहकारी समितियाँ</b>          | 19(1)(ग), 19(4) | संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार                                                                                                                                                    |
| <b>अबाध संचरण</b>                          | 19(1)(घ), 19(5) | सामान्य जनहित; अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण                                                                                                                                                 |
| <b>निवास और बस जाना</b>                    | 19(1)(ङ), 19(5) | सामान्य जनहित; अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण                                                                                                                                                 |
| <b>वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार</b> | 19(1)(छ), 19(6) | सामान्य जनहित; व्यावसायिक/तकनीकी अर्हताएँ; राज्य का एकाधिकार (पहला संशोधन)                                                                                                                   |

- सहकारी समितियाँ 97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ी गई
- वाक्-स्वातंत्र्य में सम्मिलित: प्रेस की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक विज्ञापन, जानने का अधिकार, मौन रहना, प्रसारण, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, मतदाताओं का उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार, उत्तर देने का अधिकार, इंटरनेट की पहुँच, लैंगिक पहचान की अभिव्यक्ति
- सम्मिलित नहीं: हड़ताल का अधिकार, बंद, टैपिंग
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144: मजिस्ट्रेट सम्मेलन को रोक सकता है; भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 141: विधिविरुद्ध जमाव 5 या अधिक व्यक्तियों का होता है
- संगम: मान्यता का अधिकार और हड़ताल का अधिकार मौलिक नहीं हैं
- संचरण की स्वतंत्रता आंतरिक है; बाह्य संचरण (विदेश यात्रा) अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है
- अनुराधा भसीन (2020): इंटरनेट पर व्यापार 19(1)(छ) के अंतर्गत संरक्षित; अनिश्चितकालीन इंटरनेट निलंबन अस्वीकार्य; आनुपातिकता का परीक्षण

## अनुच्छेद 20

- संरक्षण: **कार्योत्तर विधि** (केवल आपराधिक), **दोहरा दंड** (केवल न्यायालय/अधिकरण), **आत्म-अभिशासन** (आपराधिक कार्यवाही में; उँगलियों के निशान, हस्ताक्षर के नमूने, रक्त के नमूनों पर लागू नहीं)
- नागरिकों, विदेशियों और कंपनियों को उपलब्ध

**अनुच्छेद 21**

- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा (नागरिक और गैर-नागरिक)
- ए.के. गोपालन (1950):** संकीर्ण दृष्टिकोण; विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया; केवल कार्यपालिका की कार्रवाई के विरुद्ध
- मेनका गांधी (1978):** गोपालन मामले को पलटा; प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और व्यक्तिगत होनी चाहिए ("सम्यक् प्रक्रिया" का समावेश)
- अनुच्छेद 21क: 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (86वाँ संशोधन 2002; शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू)
- 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 45 (6 वर्ष तक की आयु की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल) को बदला और मौलिक कर्तव्य 51क(ट) जोड़ा
- उन्नी कृष्णन (1993): 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार; मोहिनी जैन (1992) को पलटा

**अनुच्छेद 21 का विस्तार करने वाले मामले**

| मामला                                       | घोषित अधिकार                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| सतवंत सिंह साहनी (1967)                     | विदेश यात्रा                                |
| एम.एच. होस्कोट (1978)                       | निःशुल्क विधिक सहायता                       |
| हुसैनारा खातून (1979)                       | शीघ्र विचारण                                |
| फ्रांसिस कौरैली मुलिन (1981)                | मानव गरिमा; बंदी की आवश्यकताएँ              |
| शीला बार्से (1983)                          | हिरासत में उत्पीड़न के विरुद्ध              |
| रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र (1985) | उचित पर्यावरण                               |
| ओल्गा टेलिस (1985)                          | आजीविका                                     |
| परमानंद कटारा (1989)                        | आपातकालीन चिकित्सा सहायता                   |
| शांतिस्टार बिल्डर्स (1990)                  | आवास                                        |
| के.एस. पुट्टस्वामी (2017)                   | निजता                                       |
| कॉमन कॉज़ (2018)                            | गरिमा के साथ मृत्यु (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) |

**अनुच्छेद 22****अनुच्छेद 22 के रक्षोपाय**

| साधारण विधि (नागरिक और विदेशी; शत्रु-देश के विदेशियों/निवारक निरोध पर नहीं) | निवारक निरोध (नागरिक और विदेशी)                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| गिरफ्तारी के आधार की सूचना                                                  | 3 माह से अधिक निरोध केवल सलाहकार बोर्ड (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) की अनुमति से |
| अधिवक्ता से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार                                 | आधार की सूचना (लोकहित के तथ्य रोके जा सकते हैं)                                  |
| 24 घंटे के भीतर (यात्रा-समय छोड़कर) मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत            | अभ्यावेदन करने का अधिकार                                                         |
| 24 घंटे के बाद रिहाई, जब तक मजिस्ट्रेट प्राधिकृत न करे                      | संसद अधिकतम अवधि और प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है                               |

- 44वाँ संशोधन 3 माह को घटाकर 2 माह करता है - अभी लागू नहीं
- संसद का अनन्य अधिकार: रक्षा, विदेश कार्य, भारत की सुरक्षा हेतु निवारक निरोध; संसद और राज्य दोनों: राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, आवश्यक आपूर्ति
- निवारक निरोध विधियाँ: PDA 1950 (1969 में समाप्त); MISA 1971 (1978 में निरसित); COFEPOSA 1974; NSA 1980; PBMSECA 1980; TADA 1985 (1995 में निरसित); PITNDPSA 1988; POTA 2002 (2004 में निरसित); UAPA 1967 (2004, 2008, 2012, 2019 में संशोधित)

**शोषण के विरुद्ध अधिकार**

- अनुच्छेद 23:** मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम प्रतिबंधित; नागरिक और गैर-नागरिक; राज्य और निजी व्यक्तियों, दोनों के विरुद्ध
- अपवाद: राज्य लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है (धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव किए बिना)
- विधियाँ: अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956; बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948; समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
- अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने, खान या जोखिम भरे कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा
- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986; 2016 में संशोधित और नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम किया गया
- 1996 में उच्चतम न्यायालय: बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष; प्रति बालक 20,000 रुपये का जुर्माना
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005

**धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार****अनुच्छेद 25-28**

| अनुच्छेद | अधिकार                                                                        | धारक                  | अधीन                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 25       | अंतःकरण की स्वतंत्रता; धर्म को मानना, उसका आचरण और प्रचार करना                | व्यक्ति (सभी व्यक्ति) | लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, अन्य मौलिक अधिकार       |
| 26       | संस्थाएँ स्थापित करना; धार्मिक कार्यों का प्रबंध; संपत्ति का अर्जन और प्रशासन | धार्मिक संप्रदाय      | लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य (अन्य मौलिक अधिकार नहीं) |
| 27       | किसी धर्म के लिए कर देने को बाध्य नहीं (शुल्क की अनुमति)                      | व्यक्ति               | -                                                        |
| 28       | शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा                                            | विद्यार्थी            | -                                                        |

- अनुच्छेद 25 की व्याख्याएँ: कृपाण धारण करना सिक्ख धर्म के पालन में सम्मिलित; हिंदू में सिक्ख, जैन, बौद्ध सम्मिलित
- प्रचार में बलपूर्वक धर्मांतरण सम्मिलित नहीं
- राज्य लौकिक गतिविधियों का विनियमन, सामाजिक कल्याण/सुधार का उपबंध तथा हिंदुओं के सार्वजनिक मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खोल सकता है
- संप्रदाय की कसौटी: साझा आस्थाएँ, साझा संगठन, विशिष्ट नाम (रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हाँ; अरविंद सोसाइटी नहीं)

**अनुच्छेद 28 - संस्थाओं के प्रकार**

| संस्था                                              | धार्मिक शिक्षा |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| पूर्णतः राज्य-वित्तपोषित                            | निषिद्ध        |
| राज्य द्वारा प्रशासित, किंतु बंदोबस्त/न्यास के अधीन | अनुमत          |
| राज्य-मान्यताप्राप्त                                | स्वैच्छिक      |
| राज्य-सहायताप्राप्त                                 | स्वैच्छिक      |

**संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार****अनुच्छेद 29 और 30**

| बिंदु    | अनुच्छेद 29                                                                               | अनुच्छेद 30                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| धारक     | नागरिकों का कोई भी वर्ग (अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक)                                         | धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक                                        |
| अधिकार   | भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण; धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं | शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन                               |
| अतिरिक्त | 29(2) में व्यक्तिगत अधिकार                                                                | 44वाँ संशोधन: प्रतिकर अधिकार को सीमित न करे; सहायता में भेदभाव नहीं |

- संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं है
- अल्पसंख्यक संस्थाएँ: सहायता-प्राप्त/मान्यता-प्राप्त संस्थाएँ विनियमित (पाठ्यक्रम, मानक); गैर-सहायता-प्राप्त, गैर-मान्यता-प्राप्त संस्थाएँ सामान्य विधियों को छोड़कर स्वतंत्र
- मलंकरा सीरियन कैथोलिक कॉलेज (2006): विपरीत भेदभाव नहीं; अधिकार निरपेक्ष नहीं

**संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)**

- डॉ. आंबेडकर: संविधान का "हृदय और आत्मा"; मूल विशेषता
- उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता मूल है, किंतु अनन्य नहीं (अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की समवर्ती)
- संसद अन्य न्यायालयों को सशक्त कर सकती है (कभी नहीं किया); अनुच्छेद 359: आपातकाल में अधिकार निलंबित

**रिट**

| रिट                | अर्थ                 | जारी की जाती है                                 | टिप्पणी                                                                                     |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | शरीर को प्रस्तुत करो | लोक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध | विधिपूर्ण निरोध, सक्षम न्यायालय द्वारा निरोध, अवमानना, अधिकारिता से बाहर की स्थिति में नहीं |

| रिट           | अर्थ               | जारी की जाती है                                                     | टिप्पणी                                                                           |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| परमादेश       | हम आदेश देते हैं   | लोक अधिकारी/निकाय/अधीनस्थ न्यायालय                                  | निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति/राज्यपाल, विवेकाधीन कर्तव्य, संविदा के विरुद्ध नहीं      |
| प्रतिषेध      | निषेध करना         | उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय/अधिकरण को अंतिम आदेश से पूर्व | केवल न्यायिक/अर्ध-न्यायिक                                                         |
| उत्प्रेषण     | प्रमाणित किया जाना | अंतिम निर्णय के बाद आदेश को रद्द करना                               | प्रशासनिक प्राधिकारियों पर भी (बाद के निर्णय)                                     |
| अधिकार पृच्छा | किस अधिकार से      | सार्वजनिक पद के अनधिकृत धारक के विरुद्ध                             | कोई भी लोकहित-भाव वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है; मंत्रिस्तरीय/निजी पद के लिए नहीं |

### अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226

| बिंदु   | उच्चतम न्यायालय (32)                                | उच्च न्यायालय (226)                                   |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| प्रयोजन | केवल मौलिक अधिकार                                   | मौलिक अधिकार और अन्य कोई भी प्रयोजन                   |
| क्षेत्र | संपूर्ण भारत                                        | अपनी अधिकारिता (और बाहर भी, यदि वाद-हेतुक उत्पन्न हो) |
| प्रकृति | मौलिक अधिकार; उच्चतम न्यायालय अस्वीकार नहीं कर सकता | विवेकाधीन                                             |

- रिट अंग्रेजी विधि से लिए गए विशेषाधिकार रिट हैं
- 1950 से पूर्व केवल कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते थे

### अनुच्छेद 33, 34, 35

- अनुच्छेद 33:** केवल संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है; विधियाँ: थल सेना, नौसेना, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल (अधिकार निर्बंधन) अधिनियम 1966
- अनुच्छेद 34:** सैन्य विधि के दौरान निर्बंधन; संसद अधिकारियों को क्षतिपूर्ति (इंडेमिटी) दे सकती है
- अनुच्छेद 35:** अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33, 34 और अनुच्छेद 17 एवं 23 के अधीन अपराधों के दंड पर केवल संसद विधि बनाती है

### सैन्य विधि बनाम राष्ट्रीय आपातकाल

| सैन्य विधि                                                  | राष्ट्रीय आपातकाल                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है                     | मौलिक अधिकार, केंद्र-राज्य संबंध, वित्त, संसद के कार्यकाल को प्रभावित करता है |
| सरकार और साधारण न्यायालयों को निलंबित करती है               | सरकार और न्यायालय कार्यरत रहते हैं                                            |
| विधि-व्यवस्था भंग होने पर, विशिष्ट क्षेत्र में लगाई जाती है | युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह; संपूर्ण देश या उसके भाग में             |
| कोई स्पष्ट उपबंध नहीं (अनुच्छेद 34 में निहित)               | स्पष्ट उपबंध (अनुच्छेद 352)                                                   |

### संपत्ति का अधिकार और अपवाद

- 44वाँ संशोधन 1978: 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 निरसित; अनुच्छेद 300क जोड़ा गया (विधिक अधिकार; मूल ढाँचा नहीं)
- अनुच्छेद 300क: कार्यपालिका की कार्रवाई से संरक्षण, विधायी कार्रवाई से नहीं; प्रतिकर की गारंटी नहीं; उपचार उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) के माध्यम से, अनुच्छेद 32 से नहीं
- प्रतिकर की गारंटी अब भी: अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था की संपत्ति (अनुच्छेद 30) और सीमा के भीतर निजी जोत की भूमि (अनुच्छेद 31क, 17वाँ संशोधन 1964)
- संपत्ति पर संशोधन: पहला, चौथा, सातवाँ, 17वाँ, 25वाँ, 39वाँ, 40वाँ, 42वाँ, 44वाँ

### अनुच्छेद 31क, 31ख, 31ग

| अनुच्छेद               | संरक्षित करता है                                                             | के विरुद्ध        | मुख्य बिंदु                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 31क (पहला संशोधन 1951) | संपदाओं का अर्जन, प्रबंध का अधिग्रहण, समामेलन, निदेशकों के अधिकार, खनन पट्टे | अनुच्छेद 14 और 19 | राज्य की विधि को राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक |

| अनुच्छेद                       | संरक्षित करता है                         | के विरुद्ध        | मुख्य बिंदु                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>31ख (पहला संशोधन 1951)</b>  | नौवीं अनुसूची की विधियाँ                 | सभी मौलिक अधिकार  | 24 अप्रैल 1973 के बाद की विधियाँ मूल ढाँचे की कसौटी के अधीन (वामन राव 1980; आई.आर. कोएल्हो 2007)            |
| <b>31ग (25वाँ संशोधन 1971)</b> | अनुच्छेद 39(ख) या (ग) के लिए बनी विधियाँ | अनुच्छेद 14 और 19 | न्यायिक पुनर्विलोकन पर रोक केशवानंद में अमान्य; सभी DPSP तक 42वें संशोधन का विस्तार मिन्स (1980) में अमान्य |

- नौवीं अनुसूची: मूलतः 13 अधिनियम (1951); अब 282; पूर्ण उन्मुक्ति नहीं - 24 अप्रैल 1973 के बाद के समावेश पुनर्विलोकन योग्य (आई.आर. कोएल्हो 2007)

#### मौलिक अधिकार - प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

अनुच्छेद 25 = व्यक्ति; अनुच्छेद 26 = संप्रदाय  
 अनुच्छेद 29 = नागरिकों का कोई भी वर्ग; अनुच्छेद 30 = केवल अल्पसंख्यक  
 प्रतिषेध (अंतिम आदेश से पूर्व) बनाम उत्प्रेषण (अंतिम आदेश के बाद)  
 परमादेश कार्रवाई का निर्देश देता है; प्रतिषेध निष्क्रियता का  
 गोपालन = विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया; मेनका = सम्यक् प्रक्रिया  
 अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी बने रहते हैं; अनुच्छेद 19 केवल बाह्य आपातकाल में निष्प्रभावी होता है

#### भाग 3 से बाहर के अधिकार

अनुच्छेद 265: विधि के बिना कोई कर नहीं  
 अनुच्छेद 300क: संपत्ति  
 अनुच्छेद 301: व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता  
 अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार  
 उपचार: उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226), अनुच्छेद 32 नहीं

## राज्य के नीति निदेशक तत्त्व

### विशेषताएँ

- भाग 4, अनुच्छेद 36-51; आयरलैंड के संविधान (1937) से लिया गया, जिसने इसे स्पेन से अपनाया
- भारत शासन अधिनियम 1935 के "निदेश-पत्र" से मिलते-जुलते
- ग्रेनविल ऑस्टिन: मौलिक अधिकार और DPSP संविधान की "अंतरात्मा" हैं
- अनुच्छेद 36: "राज्य" का अर्थ भाग 3 के समान; अनुच्छेद 37: न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, किंतु शासन में मूलभूत
- उद्देश्य: लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र
- सर बी.एन. राउ: न्यायसंगत (मौलिक अधिकार) और गैर-न्यायसंगत (DPSP) का विभाजन

### DPSP का वर्गीकरण

| समूह     | अनुच्छेद | निदेश                                                                                                |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समाजवादी | 38       | न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था; असमानताओं में कमी (आय की असमानता संबंधी खंड: 44वाँ संशोधन)         |
| समाजवादी | 39       | आजीविका, संसाधनों का वितरण, संपत्ति का संकेंद्रण नहीं, समान वेतन, श्रमिकों का स्वास्थ्य, बाल्यावस्था |
| समाजवादी | 39क      | समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (42वाँ संशोधन)                                                   |
| समाजवादी | 41       | काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार                                                                  |
| समाजवादी | 42       | काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएँ; प्रसूति सहायता                                                   |
| समाजवादी | 43       | निर्वाह मजदूरी                                                                                       |

| समूह         | अनुच्छेद | निर्देश                                                                |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| समाजवादी     | 43क      | प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी (42वाँ संशोधन)                         |
| समाजवादी     | 47       | पोषाहार, जीवन-स्तर, लोक स्वास्थ्य                                      |
| गांधीवादी    | 40       | ग्राम पंचायतें                                                         |
| गांधीवादी    | 43       | कुटीर उद्योग                                                           |
| गांधीवादी    | 43ख      | सहकारी समितियाँ (97वाँ संशोधन 2011)                                    |
| गांधीवादी    | 46       | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के हित                 |
| गांधीवादी    | 47       | मादक पेयों और नशीली दवाओं का प्रतिषेध                                  |
| गांधीवादी    | 48       | गोवध पर रोक; पशु-नस्लों में सुधार                                      |
| उदार-बौद्धिक | 44       | समान नागरिक संहिता                                                     |
| उदार-बौद्धिक | 45       | 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (86वाँ संशोधन) |
| उदार-बौद्धिक | 48       | आधुनिक कृषि और पशुपालन                                                 |
| उदार-बौद्धिक | 48क      | पर्यावरण, वन, वन्य जीव (42वाँ संशोधन)                                  |
| उदार-बौद्धिक | 49       | राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों का संरक्षण                               |
| उदार-बौद्धिक | 50       | न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण                                 |
| उदार-बौद्धिक | 51       | अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा                                         |

### DPSP जोड़ने वाले संशोधन

| संशोधन      | परिवर्तन                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 42वाँ, 1976 | 39(च) बाल विकास, 39क, 43क, 48क जोड़े गए                                        |
| 44वाँ, 1978 | अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया: आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की असमानताओं में कमी |
| 86वाँ, 2002 | अनुच्छेद 45 बदला गया (पहले: 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा)               |
| 97वाँ, 2011 | अनुच्छेद 43ख जोड़ा गया                                                         |

- अनुच्छेद 39(ख): भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में वितरित
- अनुच्छेद 39(ग): आर्थिक प्रणाली से संपत्ति का संकेंद्रण न हो
- निर्वाह मजदूरी > उचित मजदूरी > न्यूनतम मजदूरी

### मौलिक अधिकार बनाम DPSP

| मौलिक अधिकार                                 | DPSP                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| नकारात्मक (राज्य पर रोक)                     | सकारात्मक (राज्य की कार्यवाई अपेक्षित)                 |
| न्यायसंगत                                    | गैर-न्यायसंगत                                          |
| राजनीतिक लोकतंत्र                            | सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र                             |
| विधिक अनुमोदन                                | नैतिक और राजनीतिक अनुमोदन                              |
| व्यक्ति का कल्याण                            | समुदाय का कल्याण                                       |
| स्वतः लागू                                   | विधान की आवश्यकता                                      |
| मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधि शून्य | DPSP के उल्लंघन पर न्यायालय विधि को शून्य नहीं कर सकता |

### मौलिक अधिकार बनाम DPSP का टकराव

#### न्यायिक यात्रा

| मामला / संशोधन         | निर्णय                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| चंपकम दोरायराजन (1951) | मौलिक अधिकार DPSP पर प्रभावी; मौलिक अधिकार संशोधनीय |

| मामला / संशोधन                                | निर्णय                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| पहला (1951), चौथा (1955), 17वाँ (1964) संशोधन | DPSP लागू किए गए                                                           |
| गोलकनाथ (1967)                                | मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता                                     |
| 24वाँ संशोधन (1971)                           | संसद किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है                            |
| 25वाँ संशोधन (1971)                           | अनुच्छेद 31ग जोड़ा गया                                                     |
| केशवानंद भारती (1973)                         | गोलकनाथ को पलटा; 31ग का पहला भाग वैध, न्यायिक पुनर्विलोकन पर रोक अवैध      |
| 42वाँ संशोधन (1976)                           | 31ग का विस्तार सभी DPSP तक                                                 |
| मिनर्वा मिल्स (1980)                          | विस्तार अमान्य; मौलिक अधिकार-DPSP का संतुलन मूल ढाँचा है ("रथ के दो पहिए") |

- वर्तमान स्थिति: मौलिक अधिकार सर्वोच्च, किंतु संसद मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाए बिना DPSP लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है

### क्रियान्वयन

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987: लोक अदालत (सिविल न्यायालय का दर्जा; पंचाट अंतिम, अपील नहीं)
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961; समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976; बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976
- राष्ट्रीयकरण: जीवन बीमा 1956; 14 बैंक 1969; साधारण बीमा 1971; प्रिवी पर्स 1971 में समाप्त
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972; वन संरक्षण अधिनियम 1980; राष्ट्रीय वन नीति 1988
- 73वाँ संशोधन 1992: पंचायती राज
- 65वाँ संशोधन 1990: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग; 89वाँ संशोधन 2003: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजन
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 (102वें संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक); राष्ट्रीय महिला आयोग 1992; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993; राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007
- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् किया
- 103वाँ संशोधन 2019: 10% EWS आरक्षण

### भाग 4 से बाहर के निदेश

| अनुच्छेद | निदेश                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 335      | सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के दावे, प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप |
| 350क     | भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा     |
| 351      | हिंदी का प्रसार और विकास                                            |

### DPSP - याद रखें

अनुच्छेद 40 पंचायतें; 44 समान नागरिक संहिता; 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था; 48क पर्यावरण; 50 शक्तियों का पृथक्करण; 51 शांति गांधीवादी: 40, 43, 43ख, 46, 47, 48  
मौलिक अधिकार DPSP के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता; DPSP मौलिक अधिकार का विस्तार कर सकता है  
मिनर्वा मिल्स: मौलिक अधिकारों और DPSP का सामंजस्य मूल ढाँचा है

## मौलिक कर्तव्य

### उद्गम

- मूल संविधान में नहीं; 42वें संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया (कांग्रेस समिति, 1976; आपातकाल की अवधि)
- भाग 4क, अनुच्छेद 51क; USSR के संविधान से प्रेरित
- समिति ने 8 कर्तव्य सुझाए; 42वें संशोधन ने 10 जोड़े; 86वें संशोधन 2002 ने 11वाँ जोड़ा
- समिति के जो सुझाव स्वीकार नहीं हुए: अनुपालन न करने पर दंड; ऐसी विधियों को न्यायालय में चुनौती से संरक्षण; कर चुकाने का कर्तव्य
- केवल नागरिकों के लिए (विदेशियों के लिए नहीं); गैर-न्यायसंगत; संसद विधि द्वारा लागू करा सकती है

### मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51क)

| खंड | कर्तव्य |
|-----|---------|
|-----|---------|

| खंड | कर्तव्य                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (क) | संविधान का पालन; उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर            |
| (ख) | स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना                                 |
| (ग) | संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा                                                   |
| (घ) | देश की रक्षा; राष्ट्र-सेवा                                                           |
| (ङ) | सौहार्द और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण; महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग |
| (च) | सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण                                         |
| (छ) | प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा; जीवधारियों के प्रति दया                                 |
| (ज) | वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना                           |
| (झ) | सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा; हिंसा से दूर रहना                                        |
| (ञ) | उत्कर्ष की ओर प्रयास                                                                 |
| (ट) | 6-14 वर्ष की आयु के बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (86वाँ संशोधन 2002)           |

- मोहन कुमार सिंघानिया (1991): अनुच्छेद 51क अस्पष्ट विधियों की व्याख्या में सहायक हो सकता है
- रामलीला मैदान (2012): भाग 3, 4 और 4क को एक साथ पढ़ा जाए
- वर्मा समिति (1999) ने कर्तव्यों का समर्थन करने वाली विद्यमान विधियों की सूची बनाई:
  - राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971
  - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
  - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967
  - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972
  - वन (संरक्षण) अधिनियम 1980

#### मौलिक कर्तव्य - याद रखें

केवल भाग 4क, अनुच्छेद 51क  
 42वाँ संशोधन 1976: 10 कर्तव्य; 86वाँ संशोधन 2002: 11वाँ (खंड ट)  
 कर चुकाना और मतदान करना कर्तव्य नहीं हैं  
 केवल नागरिक; गैर-न्यायसंगत

## संविधान का संशोधन

### अनुच्छेद 368

- भाग 20, अनुच्छेद 368: संसद की संविधायी शक्ति; मूल ढाँचे के अधीन (केशवानंद भारती 1973)
- न लचीला (ब्रिटेन), न कठोर (अमेरिका) - समन्वय
- विधेयक केवल संसद (किसी भी सदन) में, मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत; राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं
- प्रत्येक सदन में पृथक्-पृथक् विशेष बहुमत; संयुक्त बैठक नहीं
- संघीय उपबंधों के लिए आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन (साधारण बहुमत) आवश्यक; कोई समय-सीमा नहीं
- राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी (24वाँ संशोधन 1971)
- राज्य विधानमंडल पहल नहीं कर सकते (केवल विधान परिषद के सृजन/उत्सादन का संकल्प)

#### संशोधन के तीन प्रकार

| प्रकार                              | बहुमत                                       | उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| साधारण बहुमत (अनुच्छेद 368 से बाहर) | उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत | नए राज्य, सीमाएँ, नाम (अनुच्छेद 2-4); विधान परिषदें (169); दूसरी अनुसूची; गणपूर्ति; सांसदों के वेतन; प्रक्रिया-नियम; विशेषाधिकार; संसद में अंग्रेज़ी; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या; राजभाषा; नागरिकता; चुनाव; परिसीमन; संघ राज्यक्षेत्र; पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ |

| प्रकार                  | बहुमत                                                                   | उदाहरण                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विशेष बहुमत             | कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई | मौलिक अधिकार; DPSP; अन्य सभी उपबंध                                                                                                                                                                                               |
| विशेष बहुमत + आधे राज्य | उपर्युक्त के साथ आधे राज्य विधानमंडलों का (साधारण बहुमत से) अनुसमर्थन   | राष्ट्रपति का निर्वाचन; संघ/राज्यों की कार्यपालिका शक्ति; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय; विधायी शक्तियों का वितरण; GST परिषद (101वाँ संशोधन); सातवीं अनुसूची की सूचियाँ; संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व; अनुच्छेद 368 स्वयं |

- "कुल सदस्यता" में रिक्तियाँ और अनुपस्थित सदस्य सम्मिलित हैं

## संविधान का मूल ढाँचा

### विकास

#### न्यायिक यात्रा

| मामला                              | वर्ष | निर्णय                                                                                 |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| शंकरी प्रसाद                       | 1951 | संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है; संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन "विधि" नहीं है   |
| सज्जन सिंह                         | 1964 | शंकरी प्रसाद की पुनः पुष्टि                                                            |
| गोलकनाथ                            | 1967 | मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता; संशोधन "विधि" है; 17वें संशोधन को चुनौती       |
| 24वाँ संशोधन                       | 1971 | संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है; अनुच्छेद 13 और 368 संशोधित                  |
| केशवानंद भारती                     | 1973 | गोलकनाथ को पलटा; 24वें संशोधन को वैध ठहराया; मूल ढाँचे का सिद्धांत (7:6 के बहुमत से)   |
| इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण | 1975 | 39वें संशोधन का खंड अमान्य (प्रधानमंत्री/अध्यक्ष के निर्वाचन विवाद न्यायालयों से बाहर) |
| 42वाँ संशोधन                       | 1976 | घोषित किया कि संशोधन शक्ति की कोई सीमा नहीं; न्यायिक चुनौती नहीं                       |
| मिनर्वा मिल्स                      | 1980 | 42वें संशोधन का खंड अमान्य; सीमित संशोधन शक्ति मूल ढाँचा है                            |
| वामन राव                           | 1980 | मूल ढाँचा 24 अप्रैल 1973 के बाद के संशोधनों पर लागू                                    |

### मूल ढाँचे के तत्त्व (सामान्यतः सूचीबद्ध)

- संविधान की सर्वोच्चता
- संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक स्वरूप
- पंथनिरपेक्ष चरित्र
- शक्तियों का पृथक्करण
- संघीय चरित्र
- राष्ट्र की एकता और अखंडता
- लोक कल्याणकारी राज्य
- न्यायिक पुनर्विलोकन
- व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
- संसदीय प्रणाली
- विधि का शासन
- मौलिक अधिकारों और DPSP में सामंजस्य
- समता का सिद्धांत
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता

- संसद की सीमित संशोधन शक्ति
- न्याय तक प्रभावी पहुँच
- मौलिक अधिकारों का सार
- अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ
- अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

### मामले और घोषित मूल विशेषताएँ

| मामला (वर्ष)                                     | विशेषता                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केशवानंद भारती (1973)                            | सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण, गणराज्य और लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, संप्रभुता और एकता, व्यक्ति की गरिमा, लोक कल्याणकारी राज्य, संसदीय प्रणाली |
| इंदिरा गांधी / चुनाव मामला (1975)                | विधि का शासन, न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, समता, पंथनिरपेक्षता                                                                     |
| मिनर्वा मिल्स (1980)                             | सीमित संशोधन शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार-DPSP संतुलन                                                                                       |
| सेंट्रल कोल फील्ड्स (1980)                       | न्याय तक प्रभावी पहुँच                                                                                                                                  |
| भीम सिंह जी (1980)                               | लोक कल्याणकारी राज्य (सामाजिक-आर्थिक न्याय)                                                                                                             |
| एस.पी. संपत कुमार (1986), पी. साम्बमूर्ति (1986) | विधि का शासन, न्यायिक पुनर्विलोकन                                                                                                                       |
| दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस एसोसिएशन (1991)         | अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ                                                                                       |
| इंद्रा साहनी (1992)                              | विधि का शासन                                                                                                                                            |
| कुमार पद्म प्रसाद (1992)                         | न्यायपालिका की स्वतंत्रता                                                                                                                               |
| किहोतो होलोहन (1992) (दल-बदल मामला)              | स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव; लोकतंत्र                                                                                                                   |
| रघुनाथ राव (1993)                                | समता; एकता और अखंडता                                                                                                                                    |
| एस.आर. बोम्मई (1994)                             | संघवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, एकता, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनर्विलोकन                                                                               |
| एल. चंद्र कुमार (1997)                           | अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ                                                                                                  |
| इंद्रा साहनी द्वितीय (1999), एम. नागराज (2006)   | समता का सिद्धांत                                                                                                                                        |
| अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (2001)                 | स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली                                                                                                                                |
| कुलदीप नैयर (2006)                               | लोकतंत्र; स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव                                                                                                                   |
| आई.आर. कोएल्हो (2007) (नौवीं अनुसूची मामला)      | विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, मौलिक अधिकारों का सार, न्यायिक पुनर्विलोकन, समता                                                                    |
| राम जेठमलानी (2011)                              | अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ                                                                                                      |
| नमित शर्मा (2012)                                | व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा                                                                                                                          |
| मद्रास बार एसोसिएशन (2014)                       | न्यायिक पुनर्विलोकन; 226, 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ                                                                                      |

### मूल ढाँचा - याद रखें

सिद्धांत का जन्म केशवानंद भारती (1973) में; पूर्णतः परिभाषित नहीं  
 गोलकनाथ (मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय) पलटा गया; शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह (मौलिक अधिकारों में संशोधन) प्रभावतः पुनर्जीवित  
 मिनर्वा मिल्स: सीमित संशोधन शक्ति असीमित नहीं हो सकती  
 वामन राव: नौवीं अनुसूची की विधियों के लिए कट-ऑफ 24 अप्रैल 1973  
 आई.आर. कोएल्हो (2007): 1973 के बाद की नौवीं अनुसूची की विधियाँ पुनर्विलोकन योग्य

## अध्याय 04

## संसदीय एवं संघीय व्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध, आपातकाल

## संसदीय व्यवस्था

- केंद्र में संसदीय स्वरूप: अनुच्छेद 74-75; राज्यों में: अनुच्छेद 163-164
- प्रचलित: ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत
- प्रधानमंत्री = 'समकक्षों में प्रथम' (प्राइमस इंटर पेयर्स); बाद में 'प्रधानमंत्रीय शासन' (क्रॉसमैन, मैकिंटोश)

## संसदीय शासन की विशेषताएँ

## भारत में संसदीय शासन की विशेषताएँ

| विशेषता                          | मुख्य बिंदु                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका | राष्ट्रपति = नाममात्र (विधितः); प्रधानमंत्री = वास्तविक (वस्तुतः)                        |
| सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी     | अनुच्छेद 74; 42वें और 44वें संशोधन द्वारा बाध्यकारी बनाया गया                            |
| बहुमत दल का शासन                 | लोक सभा में बहुमत वाला दल सरकार बनाता है                                                 |
| सामूहिक उत्तरदायित्व             | अनुच्छेद 75; विशेषतः लोक सभा के प्रति; आधारभूत सिद्धांत: 'साथ तैरें, साथ डूबें'          |
| राजनीतिक समरूपता                 | मंत्री प्रायः एक ही दल के; गठबंधन आम सहमति से बँधा                                       |
| दोहरी सदस्यता                    | मंत्री विधायिका और कार्यपालिका, दोनों का सदस्य; गैर-सदस्य अधिकतम 6 माह मंत्री रह सकता है |
| प्रधानमंत्री का नेतृत्व          | मंत्रिपरिषद, संसद और दल का नेता                                                          |
| निम्न सदन का विघटन               | राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोक सभा भंग करता है                                |
| गोपनीयता                         | गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है                                          |

## संसदीय बनाम अध्यक्षीय प्रणाली

| संसदीय                                                                 | अध्यक्षीय                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| दोहरी कार्यपालिका                                                      | एकल कार्यपालिका                                                           |
| सामूहिक उत्तरदायित्व                                                   | अनुत्तरदायित्व                                                            |
| दोहरी सदस्यता                                                          | एकल सदस्यता                                                               |
| निम्न सदन भंग किया जा सकता है                                          | निम्न सदन भंग नहीं किया जा सकता                                           |
| शक्तियों का मिश्रण                                                     | शक्तियों का पृथक्करण                                                      |
| राजनीतिक समरूपता                                                       | समरूपता न भी हो                                                           |
| गुण: सामंजस्य, उत्तरदायी सरकार, निरंकुशता से बचाव, व्यापक प्रतिनिधित्व | गुण: स्थिर सरकार, नीतियों में निश्चितता, विशेषज्ञों का शासन               |
| दोष: अस्थिर सरकार, नीतियों में निरंतरता नहीं, अनुभवहीनों का शासन       | दोष: विधायिका-कार्यपालिका टकराव, निरंकुशता की संभावना, सीमित प्रतिनिधित्व |

- संसदीय प्रणाली के कारण: परिचितता (के.एम. मुंशी), आंबेडकर ने स्थिरता से अधिक उत्तरदायित्व को वरीयता दी, विधायिका-कार्यपालिका टकराव से बचाव, बहुलवादी समाज
- स्वर्ण सिंह समिति (1975): संसदीय प्रणाली बदलने की आवश्यकता नहीं

## भारतीय बनाम ब्रिटिश मॉडल

## भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणालियाँ

| बिंदु          | भारत                           | ब्रिटेन       |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| राष्ट्र-प्रमुख | निर्वाचित राष्ट्रपति (गणराज्य) | वंशानुगत राजा |

| बिंदु                           | भारत                                                                          | ब्रिटेन                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| संप्रभुता                       | संसद सर्वोच्च नहीं (लिखित संविधान, संघवाद, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार) | संसद की संप्रभुता                     |
| प्रधानमंत्री का सदन             | कोई भी सदन                                                                    | हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य |
| सांसद न होने वाला मंत्री        | 6 माह तक अनुमत                                                                | प्रायः केवल सांसद                     |
| मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व | कोई नहीं; प्रमुख के कृत्यों पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं                            | विद्यमान                              |
| छाया मंत्रिमंडल                 | कोई नहीं                                                                      | विद्यमान (विपक्षी दल का)              |

**याद रखें**

राज्य सभा से प्रधानमंत्री: इंदिरा गांधी (1966), देवेगौड़ा (1996), मनमोहन सिंह (2004)

सामूहिक उत्तरदायित्व = अनुच्छेद 75; व्यक्तिगत उत्तरदायित्व = मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है

42वें (1976) और 44वें (1978) संशोधन ने मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बनाई

**संघीय व्यवस्था**

- 'फेडरेशन' शब्द लैटिन 'फोएडस' से बना है, जिसका अर्थ संधि/समझौता है
- गठन: एकीकरण (अमेरिका, 1787, प्रथम संघ) या विघटन (कनाडा, 1867) द्वारा
- अनुच्छेद 1: भारत 'राज्यों का संघ' है ('फेडरेशन' नहीं); आंबेडकर: यह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं - 'अविनाशी'
- भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा के मॉडल (सशक्त केंद्र) पर आधारित

**संघीय बनाम एकात्मक सरकार**

| संघीय                 | एकात्मक                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| दोहरी सरकार           | एकल सरकार                                         |
| लिखित संविधान         | लिखित (फ्रांस) या अलिखित (ब्रिटेन) हो सकता है     |
| शक्तियों का विभाजन    | शक्तियों का विभाजन नहीं                           |
| संविधान की सर्वोच्चता | सर्वोच्च हो भी सकता है, नहीं भी (जापान / ब्रिटेन) |
| कठोर संविधान          | कठोर (फ्रांस) या लचीला (ब्रिटेन) हो सकता है       |
| स्वतंत्र न्यायपालिका  | स्वतंत्र हो भी सकती है, नहीं भी                   |
| द्विसदनीय विधायिका    | द्विसदनीय (ब्रिटेन) या एकसदनीय (चीन)              |

**एकात्मक (गैर-संघीय) लक्षण****भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण**

| विशेषता                       | विवरण                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| सशक्त केंद्र                  | संघ सूची बड़ी; अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास; समवर्ती सूची पर केंद्र का अधिभावी प्रभाव |
| राज्य अविनाशी नहीं            | संसद साधारण बहुमत से राज्य का क्षेत्र, सीमाएँ, नाम बदल सकती है                          |
| एकल संविधान                   | राज्यों के पृथक् संविधान नहीं (अपवाद: 2019 तक तत्कालीन जम्मू-कश्मीर)                    |
| लचीला संविधान                 | अधिकांश संशोधन संसद द्वारा; संशोधन की पहल केवल केंद्र कर सकता है                        |
| राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व | राज्य सभा में स्थान जनसंख्या के अनुसार (1 से 31); अमेरिकी सीनेट में प्रति राज्य 2       |
| आपातकालीन उपबंध               | संघीय ढाँचा बिना संशोधन के एकात्मक हो जाता है                                           |
| एकल नागरिकता                  | अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया (दोहरी) के विपरीत                                                |
| एकीकृत न्यायपालिका            | न्यायालयों की एकल प्रणाली                                                               |
| अखिल भारतीय सेवाएँ            | IAS, IPS, IFoS की भर्ती केंद्र द्वारा                                                   |
| एकीकृत लेखा-परीक्षा           | CAG केंद्र और राज्य, दोनों की लेखा-परीक्षा करता है                                      |

| विशेषता                      | विवरण                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| राज्य सूची पर संसद का अधिकार | अनुच्छेद 249 (राज्य सभा का संकल्प)                 |
| राज्यपाल की नियुक्ति         | राष्ट्रपति द्वारा; उसके प्रसादपर्यंत पद धारण       |
| एकीकृत निर्वाचन तंत्र        | निर्वाचन आयोग संघ और राज्यों के चुनाव कराता है     |
| राज्य विधेयकों पर वीटो       | आरक्षित राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को पूर्ण वीटो |

- "नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ" (भारत) बनाम "अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" (अमेरिका)

### समालोचनात्मक मूल्यांकन

#### भारतीय संघवाद पर विद्वान

| विद्वान         | विवरण                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| के.सी. व्हेयर   | 'अर्ध-संघीय'; सहायक संघीय लक्षणों वाला एकात्मक राज्य          |
| के. संधानम      | केंद्र और योजना आयोग के वित्तीय वर्चस्व के कारण एकात्मक झुकाव |
| पॉल एपलबी       | 'अत्यंत संघीय'                                                |
| मॉरिस जोन्स     | 'सौदेबाज़ी वाला संघवाद'                                       |
| आइवर जेनिंग्स   | 'सशक्त केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ'                         |
| अलेक्जेंड्रोविच | 'अद्वितीय' (सुई जेनेरिस)                                      |
| ग्रेनविल ऑस्टिन | 'सहकारी संघवाद'                                               |

- आंबेडकर: संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघीय, दोनों हो सकता है
- बोम्मई मामला (1994): संघवाद संविधान की 'मूल विशेषता' है; राज्य केंद्र के मात्र उपांग नहीं हैं

### केंद्र-राज्य संबंध

- तीन शीर्षक: विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय संबंध
- न्यायिक शक्ति का विभाजन नहीं (एकीकृत न्यायपालिका)

### विधायी संबंध (अनुच्छेद 245 से 255)

- चार पहलू: राज्यक्षेत्रीय विस्तार; विषयों का वितरण; राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान; राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण

#### राज्यक्षेत्रीय विस्तार

- संसद: संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए; अतिरिक्त-राज्यक्षेत्रीय विधान केवल संसद बना सकती है
- राज्य विधानमंडल: संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए (पर्याप्त संबंध न हो तो नहीं)
- संसद की विधियाँ इनमें लागू नहीं (या परिवर्तित):
  - संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लद्दाख: राष्ट्रपति विनियम बनाता है
  - पुदुचेरी: राष्ट्रपति के विनियम केवल तब, जब विधान सभा निर्लंबित या विघटित हो
  - अनुसूचित क्षेत्र: राज्यपाल लागू न होने / संशोधन का निर्देश दे सकता है
  - असम के जनजातीय क्षेत्र: राज्यपाल; मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र: राष्ट्रपति

### विषयों का वितरण (सातवीं अनुसूची)

#### तीन सूचियाँ

| सूची           | वर्तमान (मूल) विषय | उदाहरण                                                                                              |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संघ (सूची 1)   | 98 (97)            | रक्षा, बैंकिंग, विदेश कार्य, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, अंतर-राज्यीय व्यापार, जनगणना, लेखा-परीक्षा |
| राज्य (सूची 2) | 59 (66)            | लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, कारागार, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाज़ार, जुआ           |

| सूची             | वर्तमान (मूल) विषय | उदाहरण                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समवर्ती (सूची 3) | 52 (47)            | दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह-विच्छेद, परिवार नियोजन, विद्युत, श्रमिक कल्याण, आर्थिक नियोजन, औषधियाँ, समाचार पत्र |

- 42वें संशोधन (1976) ने 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले: शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन)
- जो राज्यक्षेत्र किसी राज्य में सम्मिलित नहीं (संघ राज्यक्षेत्र), उसके लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है
- 101वाँ संशोधन (2016): अनुच्छेद 246क - संसद और राज्य, दोनों GST पर विधि बना सकते हैं; अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर GST पर संसद की अनन्य शक्ति
- अवशिष्ट शक्तियाँ (अवशिष्ट कर सहित) संसद के पास (कनाडा का उदाहरण; भारत शासन अधिनियम 1935 में गवर्नर-जनरल के पास)
- संघ सूची राज्य और समवर्ती सूची पर प्रभावी; समवर्ती सूची राज्य सूची पर
- समवर्ती सूची में टकराव (अनुच्छेद 254): केंद्रीय विधि प्रभावी, सिवाय उस दशा के जब राज्य विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित हो और अनुमति प्राप्त हो - तब उस राज्य में राज्य विधि प्रभावी; संसद बाद में भी उसे अधिभावी कर सकती है
- प्रविष्टियाँ जोड़ी/हटाई गई: संघ सूची की प्रविष्टियाँ 2क, 92क, 92ख जोड़ी गई; 33, 92, 92ग हटाई गई

### राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान (पाँच स्थितियाँ)

संसद राज्य सूची पर कब विधि बना सकती है

| स्थिति                              | अनुच्छेद | मुख्य बिंदु                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राज्य सभा का संकल्प (राष्ट्रीय हित) | 249      | उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई; 1 वर्ष के लिए मान्य, नवीकरणीय; संकल्प की समाप्ति के 6 माह बाद विधि निष्प्रभावी |
| राष्ट्रीय आपातकाल                   | 250      | आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद विधि निष्प्रभावी                                                                              |
| राज्यों का अनुरोध                   | 252      | दो या अधिक राज्य संकल्प पारित करें; केवल उन पर लागू; अन्य अपना सकते हैं; संशोधन/निरसन केवल संसद कर सकती है                     |
| अंतरराष्ट्रीय करार                  | 253      | संधियाँ, अभिसमय                                                                                                                |
| राष्ट्रपति शासन                     | 357      | शासन के बाद भी विधि जारी; राज्य विधानमंडल उसे निरसित/परिवर्तित कर सकता है                                                      |

- अनुच्छेद 251: असंगति की दशा में अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन संसद की विधि राज्य विधि पर प्रभावी
- अनुच्छेद 252 के अधीन विधियाँ: पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974, नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994
- अनुच्छेद 253 के अधीन विधियाँ: संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ) अधिनियम 1947, जेनेवा अभिसमय अधिनियम 1960, अपहरण-विरोधी अधिनियम 1982, पर्यावरण संबंधी विधियाँ, TRIPS

### राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण

- राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है: पूर्ण वीटो (अनुच्छेद 200, 201)
- व्यापार, वाणिज्य, समागम पर निर्बंधन वाला राज्य विधेयक: राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक (अनुच्छेद 304)
- वित्तीय आपातकाल: राज्य के धन / वित्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित (अनुच्छेद 360)

### प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256 से 263)

- समवर्ती सूची: कार्यपालिका शक्ति राज्यों के पास, जब तक संविधान / संसद केंद्र को प्रदान न करे (जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम)
- अनुच्छेद 256: राज्य संसद की विधियों का पालन करें; अनुच्छेद 257: केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में बाधा न डालें
- अनुच्छेद 365: केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर - राष्ट्रपति मान सकता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है (अनुच्छेद 356)

राज्यों को केंद्र के निर्देश

| विषय   | निर्देश                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| संचार  | राष्ट्रीय / सैन्य महत्व के संचार साधनों का निर्माण और अनुरक्षण       |
| रेलवे  | राज्य के भीतर रेलवे की सुरक्षा                                       |
| शिक्षा | भाषायी अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा |

| विषय               | निर्देश                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| अनुसूचित जनजातियाँ | निर्दिष्ट कल्याण योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन |

### कार्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन

- राष्ट्रपति, राज्य की सहमति से, केंद्र के कार्यपालिका कार्य राज्य को सौंप सकता है (अनुच्छेद 258)
- राज्यपाल, केंद्र की सहमति से, राज्य के कार्य केंद्र को सौंप सकता है (अनुच्छेद 258क; 7वें संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया)
- संसद विधि द्वारा राज्यों की सहमति के बिना उन्हें शक्तियाँ प्रदान कर सकती है (संघ सूची के विषय); राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता

### अखिल भारतीय सेवाएँ

- IAS, IPS, IFoS; IFoS का सृजन 1966 में तीसरी सेवा के रूप में
- अनुच्छेद 312: राज्य सभा के संकल्प (उपस्थित और मतदान करने वालों के दो-तिहाई) पर संसद नई अखिल भारतीय सेवा बनाती है
- भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा; अंतिम नियंत्रण केंद्र का, तात्कालिक नियंत्रण राज्यों का

### लोक सेवा आयोग और न्यायपालिका

- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त, केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं
- संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (दो या अधिक राज्य): राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा स्थापित; सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- राज्यपाल के अनुरोध पर, राष्ट्रपति की अनुमति से, UPSC किसी राज्य की सेवा कर सकता है
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, स्थानांतरित, हटाए जाते हैं
- राज्य निर्वाचन आयोग: राज्यपाल द्वारा नियुक्त, केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है

### वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 268 से 293)

#### कराधान शक्तियाँ

- अवशिष्ट कराधान संसद के पास (उपहार कर, संपत्ति कर, व्यय कर)
- वृत्ति कर की सीमा: 2,500 रुपये प्रतिवर्ष (मूलतः 250 रुपये; 60वें संशोधन 1988 द्वारा बढ़ाई गई)
- राज्य, राज्य के बाहर या आयात / निर्यात के दौरान माल / सेवाओं की आपूर्ति पर कर नहीं लगा सकते (अनुच्छेद 286)

#### कर राजस्व का वितरण

- 80वाँ संशोधन (2000): 10वें वित्त आयोग पर आधारित; 'वैकल्पिक अंतरण योजना' - केंद्रीय करों का 29% राज्यों को; 1 अप्रैल 1996 से प्रभावी; अनुच्छेद 272 हटाया गया

| श्रेणी                                                    | अनुच्छेद   | उदाहरण / नियम                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केंद्र द्वारा आरोपित, राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित | 268        | विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र, बीमा पॉलिसी, शेरर अंतरण पर स्टॉप शुल्क; भारत की संचित निधि का भाग नहीं                             |
| केंद्र द्वारा आरोपित और संगृहीत, राज्यों को समनुदेशित     | 269        | माल (समाचार पत्रों को छोड़कर) के अंतर-राज्यीय विक्रय / क्रय और परेषण पर कर; भारत की संचित निधि का भाग नहीं                     |
| अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर GST                               | 269क       | केंद्र द्वारा आरोपित और संगृहीत; GST परिषद की सिफारिश के अनुसार विभाजित                                                        |
| केंद्र द्वारा आरोपित और संगृहीत, दोनों के बीच वितरित      | 270        | अनुच्छेद 268, 269, 269क, अधिभार (अनुच्छेद 271) और उपकरों को छोड़कर सभी संघीय कर; वितरण वित्त आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा |
| केंद्र के लिए अधिभार                                      | 271        | आगम केवल केंद्र को; GST अधिभार से मुक्त                                                                                        |
| राज्यों द्वारा आरोपित, संगृहीत और रखे गए                  | राज्य सूची | 18 कर                                                                                                                          |

- राज्य सूची के कर (18): भू-राजस्व, कृषि आयकर, कृषि भूमि पर उत्तराधिकार / संपदा शुल्क, भूमि और भवन, खनिज अधिकार, मदिरा पर उत्पाद शुल्क, पेट्रोल / डीज़ल / प्राकृतिक गैस / विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) पर बिक्री कर, सड़क द्वारा माल और यात्री, वाहन, पशु और नौकाएँ, पथकर, विद्युत, वृत्तियाँ, प्रति-व्यक्ति कर, मनोरंजन (स्थानीय निकाय), स्टॉप शुल्क, फीस (न्यायालय शुल्क को छोड़कर)

### सहायता अनुदान

| प्रकार | अनुच्छेद | विशेषताएँ |
|--------|----------|-----------|
|--------|----------|-----------|

| प्रकार         | अनुच्छेद | विशेषताएँ                                                                                                                                           |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| साविधिक        | 275      | केवल ज़रूरतमंद राज्यों के लिए; भारत की संचित निधि पर भारत; वित्त आयोग की सलाह पर; जनजाति कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों (असम सहित) के अनुदान सम्मिलित |
| विवेकाधीन      | 282      | केंद्र या राज्यों द्वारा किसी भी लोक प्रयोजन के लिए; केंद्र पर कोई बाध्यता नहीं; योजना लक्ष्यों और केंद्र के प्रभाव के लिए प्रयुक्त                 |
| अन्य (अस्थायी) | 273      | प्रारंभ से 10 वर्ष तक असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को जूट निर्यात शुल्क के बदले                                                                 |

### GST परिषद (अनुच्छेद 279क)

- सिफारिश करती है: GST में समाहित कर; GST के अधीन या उससे मुक्त वस्तुएँ/सेवाएँ; मॉडल GST विधियाँ; आपूर्ति स्थान के सिद्धांत; सीमा-टर्नओवर; दरें (न्यूनतम दर और बैड सहित); आपदा के दौरान विशेष दरें
- समाहित केंद्रीय कर: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD), विशेष अतिरिक्त शुल्क, केंद्रीय अधिभार और उपकर

### वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)

- अर्ध-न्यायिक; राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष या उससे पहले गठित
- सिफारिश: साझा करेंगे के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों में आवंटन
- पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाने के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय (राज्य वित्त आयोग के आधार पर; 73वें और 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
- 'राजकोषीय संघवाद का संतुलन-चक्र'

### राज्यों के हितों का संरक्षण, उधार और उन्मुक्तियाँ

- राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक विधेयक (अनुच्छेद 274): ऐसा कर लगाना / बदलना जिसमें राज्यों का हित हो; 'कृषि आय' का अर्थ बदलना; राज्यों को वितरण के सिद्धांतों को प्रभावित करना; केंद्र के लिए अधिभार लगाना
- 'शुद्ध आगम' = आगम घटा संग्रहण-व्यय; CAG द्वारा प्रमाणित (अंतिम)
- केंद्र भारत के भीतर या बाहर उधार ले सकता है (सीमाएँ संसद तय करेगी; अभी कोई विधि नहीं); राज्य केवल भारत के भीतर (अनुच्छेद 293); केंद्र का ऋण बकाया हो तो राज्य को केंद्र की सहमति आवश्यक

### अंतर-सरकारी कर उन्मुक्तियाँ

| उन्मुक्ति                                                          | उपबंध                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केंद्र की संपत्ति (अनुच्छेद 285)                                   | राज्य करों से मुक्त; संसद हटा सकती है; केंद्रीय निगम / कंपनियाँ उन्मुक्त नहीं                                                          |
| राज्य की संपत्ति और आय (अनुच्छेद 289)                              | केंद्रीय कराधान से मुक्त; संसद उपबंध करे तो केंद्र वाणिज्यिक कार्यों पर कर लगा सकता है; स्थानीय प्राधिकारी और राज्य निगम उन्मुक्त नहीं |
| उच्चतम न्यायालय की परामर्शी राय (1963, समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम) | राज्यों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लगाए जा सकते हैं                                                                                 |

### केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रवृत्तियाँ और आयोग

- 1967 के चुनावों (कांग्रेस नौ राज्यों में हारी) के बाद राज्य स्वायत्तता की माँग बढ़ी

### केंद्र-राज्य संबंधों पर समितियाँ, आयोग और माँगें

| निकाय                            | वर्ष                  | अध्यक्ष / स्रोत                                                 | प्रमुख सिफारिशें                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) | 1966 (प्रतिवेदन 1969) | मोरारजी देसाई, बाद में के. हनुमंतैया; अध्ययन दल एम.सी. सीतलवाड़ | 22 सिफारिशें; अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263); गैर-दलीय राज्यपाल; अधिकतम प्रत्यायोजन; राज्यों को अधिक संसाधन                               |
| राजमन्त्रार समिति                | 1969 (प्रतिवेदन 1971) | तमिलनाडु (DMK) सरकार; डॉ. पी.वी. राजमन्त्रार                    | अंतर-राज्य परिषद; स्थायी वित्त आयोग; अनुच्छेद 356, 357, 365 समाप्त; अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को; अखिल भारतीय सेवाएँ समाप्त; योजना आयोग भंग |

| निकाय                  | वर्ष                  | अध्यक्ष / स्रोत                                                                        | प्रमुख सिफारिशें                                                                                           |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आनंदपुर साहिब प्रस्ताव | 1973                  | अकाली दल                                                                               | केंद्र केवल रक्षा, विदेश कार्य, संचार, मुद्रा तक सीमित; अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को                        |
| पश्चिम बंगाल ज्ञापन    | 1977                  | पश्चिम बंगाल (कम्युनिस्ट) सरकार                                                        | 'संघ' के स्थान पर 'संघीय'; 75% राजस्व राज्यों को; अनुच्छेद 356, 357, 360 निरसित; अखिल भारतीय सेवाएँ समाप्त |
| सरकारिया आयोग          | 1983 (प्रतिवेदन 1988) | आर.एस. सरकारिया (सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश); सदस्य बी. शिवरामन, एस.आर. सेन | 247 सिफारिशें; कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं; 180 लागू                                                      |
| पुंछी आयोग             | 2007 (प्रतिवेदन 2010) | मदन मोहन पुंछी (पूर्व मुख्य न्यायाधीश)                                                 | 310 से अधिक सिफारिशें; 'सहकारी संघवाद'; 7 खंड, 1,456 पृष्ठ                                                 |

### सरकारिया और पुंछी आयोग - प्रमुख सिफारिशें

- सरकारिया: स्थायी अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263), 1990 में गठित
- सरकारिया: अनुच्छेद 356 अंतिम उपाय के रूप में ही; अखिल भारतीय सेवाओं को सुदृढ़ करना; अवशिष्ट कराधान संसद के पास, अन्य अवशिष्ट शक्तियाँ समवर्ती सूची में
- सरकारिया: समवर्ती सूची पर विधान से पहले राज्यों से परामर्श; राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श; बहुमत वाले मंत्रिमंडल को राज्यपाल बर्खास्त न करे; राज्यपाल का पाँच वर्ष का कार्यकाल
- सरकारिया: NDC का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद; क्षेत्रीय परिषदों को पुनः सक्रिय करना; निगम कर साझा करने योग्य
- पुंछी: राज्यपाल प्रतिष्ठित व्यक्ति, राज्य से बाहर का, स्थानीय राजनीति से निर्लिप्त; निश्चित पाँच वर्ष का कार्यकाल; राष्ट्रपति की भाँति महाभियोग; कुलाधिपति न हो
- पुंछी: त्रिशंकु विधान सभा का क्रम - चुनाव-पूर्व गठबंधन, सबसे बड़ा एकल दल, चुनाव-पश्चात् गठबंधन, बाहरी समर्थन से चुनाव-पश्चात् गठबंधन
- पुंछी: मुख्यमंत्री को केवल शक्ति-परीक्षण के बाद हटाया जाए; बोम्मई दिशा-निर्देशों को संहिताबद्ध किया जाए; "स्थानीयकृत आपातकाल" की रूपरेखा
- पुंछी: अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263) को सुदृढ़ करना; क्षेत्रीय परिषदों की वर्ष में दो बैठकें; राज्य सभा में समान स्थान; वृत्ति कर की सीमा हटाना
- पुंछी: नई अखिल भारतीय सेवाएँ (स्वास्थ्य, शिक्षा, अभियांत्रिकी, न्यायपालिका); अंतर-राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग (अनुच्छेद 307)

#### याद रखें

अनुच्छेद 268 (राज्य संग्रह करें) बनाम 269 (केंद्र संग्रह कर राज्यों को समनुदेशित करे) बनाम 270 (साझा) बनाम 271 (अधिभार केवल केंद्र)  
 अनुच्छेद 275 = सांविधिक अनुदान (वित्त आयोग); अनुच्छेद 282 = विवेकाधीन अनुदान  
 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष; अनुच्छेद 279क GST परिषद; अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद  
 अतिरिक्त-राज्यक्षेत्रीय विधि केवल संसद बना सकती है; संविधान संशोधन की पहल केवल केंद्र कर सकता है

## अंतर-राज्यीय संबंध

### अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262)

- संसद अंतर-राज्यीय नदियों और घाटियों के विवादों के न्यायनिर्णयन का उपबंध कर सकती है
- विधियाँ: नदी बोर्ड अधिनियम 1956 (राज्यों के अनुरोध पर परामर्शदात्री नदी बोर्ड) और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 (तदर्थ अधिकरण; निर्णय अंतिम और बाध्यकारी)

#### अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिकरण

| अधिकरण         | वर्ष | राज्य                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------------|
| कृष्णा-प्रथम   | 1969 | महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश                     |
| गोदावरी        | 1969 | महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा |
| नर्मदा         | 1969 | राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र             |
| रावी और ब्यास  | 1986 | पंजाब, हरियाणा, राजस्थान                              |
| कावेरी         | 1990 | कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी                     |
| कृष्णा-द्वितीय | 2004 | महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश                     |
| वंशधारा        | 2010 | ओडिशा, आंध्र प्रदेश                                   |

| अधिकरण  | वर्ष | राज्य                     |
|---------|------|---------------------------|
| महादायी | 2010 | गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र |
| महानदी  | 2018 | ओडिशा, छत्तीसगढ़          |

### अंतर-राज्य परिषदें (अनुच्छेद 263)

- यदि लोकहित अपेक्षित हो तो राष्ट्रपति स्थापित कर सकता है; कर्तव्य और संगठन परिभाषित करता है
- कर्तव्य: अंतर-राज्यीय विवादों की जाँच और सलाह; सामान्य हित के विषयों की जाँच; बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश
- अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित परिषदें: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद; केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद (मूलतः स्थानीय स्वशासन, 1954); बिक्री कर के लिए चार क्षेत्रीय परिषदें

#### अंतर-राज्य परिषद (1990)

| बिंदु   | विवरण                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गठन     | 28 मई 1990 को वी.पी. सिंह (जनता दल) सरकार द्वारा, सरकारिया की सिफारिश पर                                                                                                                                                           |
| अध्यक्ष | प्रधानमंत्री                                                                                                                                                                                                                       |
| सदस्य   | सभी राज्यों के मुख्यमंत्री; विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री; अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक; राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल; प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (गृह मंत्री सहित) |
| भूमिका  | सिफारिशी; बाध्यकारी निर्णय नहीं                                                                                                                                                                                                    |
| बैठकें  | वर्ष में कम से कम तीन बार; गोपनीय (बंद कक्ष में); निर्णय सर्वसम्मति से                                                                                                                                                             |
| सचिवालय | अंतर-राज्य परिषद सचिवालय (1991), भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में; 2011 से क्षेत्रीय परिषदों का सचिवालय भी                                                                                                                      |

### लोक अधिनियम, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ (अनुच्छेद 261)

- 'पूर्ण विश्वास और साख' खंड: संपूर्ण भारत में संघ और प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता
- लोक अधिनियम = विधायी और कार्यपालिका के कृत्य; लोक अभिलेख = लोक सेवक द्वारा रखी गई सरकारी पुस्तक / रजिस्टर
- सबूत का प्रकार और प्रभाव संसद की विधि द्वारा निर्धारित
- अंतिम सिविल निर्णय और आदेश संपूर्ण भारत में निष्पादन योग्य; आपराधिक निर्णय नहीं (दूसरे राज्य की दंड विधियाँ लागू नहीं की जातीं)

### अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य (अनुच्छेद 301-307, भाग 13)

#### व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

| अनुच्छेद | उपबंध                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301      | संपूर्ण भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र (अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर)                                                               |
| 302      | संसद लोकहित में निर्बंधन लगा सकती है; माल की कमी को छोड़कर राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती                                                     |
| 304      | राज्य आयातित माल पर स्थानीय माल के समान, भेदभाव-रहित कर लगा सकता है; लोकहित में व्यक्तिगत निर्बंधन, विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी सहित |
| 305      | विद्यमान विधियों और राष्ट्रीयकरण विधियों (राज्य एकाधिकार) की व्यावृत्ति                                                                           |
| 307      | संसद अनुच्छेद 301-304 के पालन हेतु प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है - अब तक कोई नियुक्त नहीं                                                         |

### क्षेत्रीय परिषदें

- सांविधिक (संवैधानिक नहीं); राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा गठित; पाँच क्षेत्र
- सदस्य: केंद्रीय गृह मंत्री; क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री; प्रत्येक राज्य के दो अन्य मंत्री; प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक
- सलाहकार (मताधिकार नहीं): नीति आयोग द्वारा नामित व्यक्ति; प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त
- केंद्रीय गृह मंत्री = पाँचों के सामान्य अध्यक्ष; मुख्यमंत्री एक वर्ष के लिए बारी-बारी से उपाध्यक्ष

| परिषद   | सदस्य                                                                          | मुख्यालय  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| उत्तरी  | हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख | नई दिल्ली |
| मध्य    | उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश                                | प्रयागराज |
| पूर्वी  | बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा                                             | कोलकाता   |
| पश्चिमी | गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव                    | मुंबई     |
| दक्षिणी | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी                      | चेन्नई    |

- पूर्वोत्तर परिषद: पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 (अस्तित्व में 1972); सदस्य: असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम (2002 में जोड़ा गया); एकीकृत क्षेत्रीय योजना भी बनाती है तथा सुरक्षा / लोक व्यवस्था की समीक्षा करती है

#### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

क्षेत्रीय परिषदें (सांविधिक, 1956 का अधिनियम) बनाम पूर्वोत्तर परिषद (पृथक् अधिनियम, 1971) बनाम अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263, 1990, प्रधानमंत्री अध्यक्ष)

क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष = केंद्रीय गृह मंत्री; अंतर-राज्य परिषद का अध्यक्ष = प्रधानमंत्री  
जल अधिकरण के निर्णय: अंतिम; न्यायालयों का वर्जन (अनुच्छेद 262)

## आपातकालीन उपबंध

- औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढाँचा एकात्मक हो जाता है (अनूठी विशेषता)

### आपातकाल के तीन प्रकार

| प्रकार    | अनुच्छेद | आधार                                   | लोकप्रिय नाम                                |
|-----------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| राष्ट्रीय | 352      | युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह   | राष्ट्रीय आपातकाल ('आपातकाल की उद्घोषणा')   |
| राज्य     | 356      | राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता    | राष्ट्रपति शासन / राज्य / संवैधानिक आपातकाल |
| वित्तीय   | 360      | भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा | वित्तीय आपातकाल                             |

## राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

### आधार और उद्घोषणा

- आधार: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह (44वें संशोधन 1978 ने 'आंतरिक अशांति' को बदला)
- 38वाँ संशोधन (1975): एक आधार पर उद्घोषणा होते हुए भी भिन्न आधारों पर अलग उद्घोषणाएँ की जा सकती हैं
- 42वाँ संशोधन (1976): भारत के किसी भाग तक सीमित की जा सकती है
- राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक (44वाँ संशोधन; मंत्रिमंडल = प्रधानमंत्री और कैबिनेट-स्तर के मंत्री)
- न्यायिक पुनर्विलोकन: 38वें संशोधन ने रोका; 44वें संशोधन ने रोक हटाई; मिनर्वा मिल्स (1980) - असन्दाव, बाह्य / असंगत तथ्यों, अनर्गल या विकृत आधारों पर चुनौती योग्य

### अनुमोदन, अवधि और प्रतिसंहरण

#### राष्ट्रीय आपातकाल - अनुमोदन और अवधि

| बिंदु               | नियम                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| संसद द्वारा अनुमोदन | दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर (मूलतः 2 माह)                                       |
| लोक सभा विघटित      | यदि राज्य सभा ने अनुमोदन किया हो तो नई लोक सभा की पहली बैठक के 30 दिन बाद तक प्रभावी |
| अवधि                | 6 माह; प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन से अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है                 |

| बिंदु                        | नियम                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| बहुमत                        | विशेष बहुमत: कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई   |
| राष्ट्रपति द्वारा प्रतिसंहरण | किसी भी समय परवर्ती उद्घोषणा द्वारा; संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं                  |
| लोक सभा द्वारा प्रतिसंहरण    | साधारण बहुमत से अनुमोदन का संकल्प (केवल लोक सभा)                                       |
| विशेष बैठक                   | लोक सभा के 1/10 सदस्यों की अध्यक्ष (या राष्ट्रपति) को लिखित सूचना; 14 दिन के भीतर बैठक |

## राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव

### प्रभाव

| क्षेत्र                | प्रभाव                                                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्यपालिका            | केंद्र किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश देता है; राज्य निलंबित नहीं                                                                          |
| विधायी                 | संसद राज्य सूची पर विधि बनाती है (अनुच्छेद 250); राष्ट्रपति राज्य विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है; आपातकाल के 6 माह बाद विधियाँ निष्प्रभावी |
| वित्तीय (अनुच्छेद 354) | राष्ट्रपति वित्त वर्ष के अंत तक राजस्व वितरण बदल सकता है; आदेश संसद के समक्ष रखे जाते हैं                                                      |
| लोक सभा का कार्यकाल    | विधि द्वारा एक बार में एक वर्ष बढ़ाया जाता है; आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह                                                         |
| मौलिक अधिकार           | अनुच्छेद 358 और 359                                                                                                                            |

- पाँचवीं लोक सभा (1971-77) का कार्यकाल एक-एक वर्ष करके दो बार बढ़ाया गया; 18 जनवरी 1977 को विघटित

### अनुच्छेद 358 बनाम अनुच्छेद 359

| बिंदु                | अनुच्छेद 358                       | अनुच्छेद 359                                                            |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| प्रभावित अधिकार      | केवल अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएँ) | राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट कोई भी मौलिक अधिकार (प्रवर्तन निलंबित) |
| प्रवर्तन             | उद्घोषणा पर स्वतः                  | राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता                                          |
| आपातकाल का प्रकार    | केवल बाह्य (युद्ध / बाह्य आक्रमण)  | बाह्य और आंतरिक, दोनों                                                  |
| अनुच्छेद 20 और 21    | लागू नहीं (केवल अनुच्छेद 19)       | प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता (44वाँ संशोधन)                       |
| क्या निलंबित होता है | स्वयं अधिकार                       | केवल उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार                   |
| संसद को आदेश         | आवश्यक नहीं                        | प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है                                       |

- आपातकाल समाप्त होने के बाद असंगत विधियाँ निष्प्रभावी हो जाती हैं, किंतु उस दौरान किए गए कार्यों का कोई उपचार नहीं

## अब तक की उद्घोषणाएँ

### भारत में राष्ट्रीय आपातकाल

| वर्ष         | आधार            | संदर्भ                                                                              |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| अक्टूबर 1962 | बाह्य आक्रमण    | नेफा में चीनी आक्रमण; जनवरी 1968 तक लागू (इसलिए 1965 के युद्ध में नई उद्घोषणा नहीं) |
| दिसंबर 1971  | बाह्य आक्रमण    | पाकिस्तान का आक्रमण; मार्च 1977 में रद्द                                            |
| जून 1975     | 'आंतरिक अशांति' | इंदिरा गांधी सरकार; मार्च 1977 में रद्द                                             |

- 1975 का आपातकाल सर्वाधिक विवादास्पद; 1977 में जनता पार्टी की जीत; शाह आयोग ने जाँच की; 44वें संशोधन (1978) ने रक्षोपाय जोड़े

**राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)**

- आधार: अनुच्छेद 356 (राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान); अनुच्छेद 365 (राज्य द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न करना)

**राष्ट्रपति शासन - अनुमोदन और अवधि**

| बिंदु          | नियम                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुमोदन        | दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर                                                                                                                                 |
| लोक सभा विघटित | यदि राज्य सभा ने अनुमोदन किया हो तो नई लोक सभा की पहली बैठक के 30 दिन बाद तक प्रभावी                                                                             |
| प्रारंभिक अवधि | 6 माह (42वें संशोधन ने 1 वर्ष किया; 44वें ने पलट दिया)                                                                                                           |
| विस्तार        | एक बार में 6 माह; अधिकतम 3 वर्ष                                                                                                                                  |
| बहुमत          | साधारण बहुमत                                                                                                                                                     |
| 1 वर्ष के बाद  | केवल यदि (क) संपूर्ण भारत में या राज्य के संपूर्ण / किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में हो, और (ख) निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव नहीं कराए जा सकते |
| प्रतिसंहरण     | राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय; संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं                                                                                                  |

- पंजाब (1987): 68वें संशोधन (1991) द्वारा राष्ट्रपति शासन 5 वर्ष तक बढ़ाया गया

**राष्ट्रपति शासन के परिणाम**

| क्षेत्र       | प्रभाव                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्यपालिका   | राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य और राज्यपाल की शक्तियाँ ग्रहण करता है; मंत्रिपरिषद् बर्खास्त; राज्यपाल मुख्य सचिव / सलाहकारों के सहयोग से शासन करता है |
| विधायिका      | शक्तियों का प्रयोग संसद करती है; विधान सभा निलंबित या विघटित                                                                                           |
| प्रत्यायोजन   | संसद विधि-निर्माण राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित कर सकती है (राष्ट्रपति के अधिनियम)                                                                        |
| वित्त         | लोक सभा के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय प्राधिकृत कर सकता है                                                              |
| उच्च न्यायालय | शक्तियाँ अप्रभावित; राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियाँ ग्रहण नहीं कर सकता                                                                            |

- बनाई गई विधियाँ शासन के बाद भी जारी रहती हैं; राज्य विधानमंडल उन्हें निरसित / परिवर्तित / पुनः अधिनियमित कर सकता है
- प्रथम राष्ट्रपति शासन: पंजाब, 1951
- 1992: मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में शासन लागू; बोम्मई मामले में वैध ठहराया गया (पंथनिरपेक्षता मूल विशेषता); नागालैंड 1988, कर्नाटक 1989, मेघालय 1991 को वैध नहीं ठहराया गया

**राष्ट्रीय आपातकाल बनाम राष्ट्रपति शासन**

| बिंदु                            | राष्ट्रीय आपातकाल (352)              | राष्ट्रपति शासन (356)                           |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| आधार                             | युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह | राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता             |
| राज्य की कार्यपालिका और विधायिका | कार्य करती रहती हैं                  | कार्यपालिका बर्खास्त; विधायिका निलंबित / विघटित |
| विधान                            | केवल संसद; प्रत्यायोजन नहीं          | संसद राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित कर सकती है      |
| अधिकतम अवधि                      | कोई नहीं                             | 3 वर्ष                                          |
| अनुमोदन के लिए बहुमत             | विशेष बहुमत                          | साधारण बहुमत                                    |
| मौलिक अधिकार                     | प्रभावित                             | प्रभावित नहीं                                   |
| लोक सभा द्वारा प्रतिसंहरण        | संकल्प द्वारा संभव                   | संभव नहीं                                       |
| प्रभाव                           | सभी राज्यों से संबंध                 | केवल संबंधित राज्य                              |

**बोम्मई मामला (एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994)**

- उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन

- समाधान प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होना चाहिए; असद्व्वाव, विकृति या बाह्य आधार पर रद्द
- प्रासंगिक सामग्री सिद्ध करने का भार केंद्र पर; न्यायालय उसकी पर्याप्तता की जाँच नहीं कर सकता
- न्यायालय बर्खास्त सरकार को बहाल और विधान सभा को पुनर्जीवित कर सकता है
- विधान सभा संसद के अनुमोदन के बाद ही विघटित की जाए; तब तक केवल निलंबित; अनुमोदन न मिलने पर विधान सभा पुनर्जीवित
- पंथनिरपेक्षता मूल विशेषता है; पंथनिरपेक्षता-विरोधी राज्य सरकार अनुच्छेद 356 के अधीन कार्यवाई योग्य
- बहुमत की हानि का परीक्षण सदन के पटल पर हो
- केंद्र में नया दल अन्य दलों की राज्य सरकारों को बर्खास्त नहीं कर सकता
- संघवाद मूल विशेषता है

### अनुच्छेद 356 का उचित बनाम अनुचित प्रयोग (सरकारिया / बोम्मई)

| उचित                                                            | अनुचित                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| त्रिशंकु विधान सभा                                              | मंत्रिमंडल पराजित / बर्खास्त, पर विकल्प की खोज नहीं की गई   |
| बहुमत वाला दल मंत्रिमंडल बनाने से इनकार करे और गठबंधन संभव न हो | राज्यपाल शक्ति-परीक्षण के बिना स्वयं बहुमत का आकलन करे      |
| पराजय के बाद मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे और कोई विकल्प न हो         | सत्तारूढ़ दल को लोक सभा में भारी पराजय (1977, 1980)         |
| केंद्र के संवैधानिक निर्देश की अवहेलना                          | विध्वंस / भंग की सीमा तक न पहुँची आंतरिक अशांति             |
| आंतरिक विध्वंस                                                  | कुशासन, भ्रष्टाचार, वित्तीय संकट                            |
| भौतिक भंग                                                       | राज्य को पूर्व चेतावनी नहीं (अत्यधिक तात्कालिकता को छोड़कर) |
| -                                                               | दल के आंतरिक मामले या बाह्य प्रयोजन                         |

### वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

- आधार: भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा
- 38वें संशोधन ने न्यायिक पुनर्विलोकन रोक; 44वें संशोधन ने वह रोक हटा दी
- अनुमोदन: दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर (लोक सभा के विघटन का नियम पूर्ववत्); साधारण बहुमत
- प्रतिसंहरण तक अनिश्चित काल तक जारी; बार-बार अनुमोदन आवश्यक नहीं; कोई अधिकतम अवधि नहीं
- प्रतिसंहरण: राष्ट्रपति द्वारा परवर्ती उद्घोषणा से
- प्रभाव: केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के बारे में निर्देश देता है; वेतन / भत्तों में कटौती; धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित
- अब तक कभी घोषित नहीं हुआ (1991 का संकट इसके लिए आधार नहीं बना)

### याद रखें

44वाँ संशोधन (1978): 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह'; मंत्रिमंडल की लिखित सलाह; 1 माह में अनुमोदन; विशेष बहुमत; लोक सभा द्वारा अननुमोदन; अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते

अनुच्छेद 358 = स्वतः; केवल अनुच्छेद 19, केवल बाह्य आपातकाल; अनुच्छेद 359 = आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित, अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं

राष्ट्रपति शासन: 2 माह, 6-6 माह का विस्तार, अधिकतम 3 वर्ष; 1 वर्ष के बाद निर्वाचन आयोग का प्रमाणपत्र और राष्ट्रीय आपातकाल आवश्यक राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अननुमोदन का संकल्प केवल लोक सभा पारित कर सकती है (साधारण बहुमत)

## अध्याय 05

## राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद

## राष्ट्रपति

- अनुच्छेद 52-78 (भाग 5) संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी
- राष्ट्रपति = राज्य का नाममात्र (विधितः) प्रधान; प्रथम नागरिक

## निर्वाचन (अनुच्छेद 54, 55)

## निर्वाचक मंडल

| सम्मिलित                                                                  | अपवर्जित                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य                                    | मनोनीत सांसद                         |
| राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य                                 | मनोनीत विधायक; सभी विधान परिषद सदस्य |
| दिल्ली और पुदुचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वाँ संशोधन, 1992) | पुदुचेरी का मनोनीत सदस्य             |

- विघटित विधान सभा के सदस्य मतदान नहीं कर सकते, भले ही नया चुनाव लंबित हो
- आंग्ल-भारतीय मनोनयन 104वें संशोधन द्वारा समाप्त (25 जनवरी 2020 से प्रभावी)
- मत-मूल्य के लिए जनसंख्या = 1971 की जनगणना (84वाँ संशोधन), 2026 के बाद की पहली जनगणना तक

## मतों का मूल्य

| किसका मत | सूत्र                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| विधायक   | राज्य की जनसंख्या / निर्वाचित विधायकों की संख्या / 1000             |
| सांसद    | सभी विधायकों के कुल मत / दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या |

- 2022: प्रत्येक सांसद के मत का मूल्य = 700; विधायकों के कुल मत 5,43,231; कुल योग 10,86,431; निर्वाचक 4,809
- विधायक के मत का सर्वाधिक मूल्य: उत्तर प्रदेश (208); न्यूनतम: सिक्किम (7)
- प्रणाली: एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व; गुप्त मतदान
- **कोटा = (वैध मत / 2) + 1**; सबसे कम मत पाने वाला उम्मीदवार बाहर किया जाता है और उसके द्वितीय वरीयता के मत अंतरित होते हैं
- विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है (अनुच्छेद 71); निर्वाचक मंडल में रिक्तियों के कारण निर्वाचन अविधिमान्य नहीं होता
- यदि निर्वाचन शून्य घोषित हो, तो राष्ट्रपति के पहले के कार्य विधिमान्य रहते हैं

## याद रखें - निर्वाचन

राष्ट्रपति के निर्वाचक: निर्वाचित सांसद + निर्वाचित विधायक (दिल्ली, पुदुचेरी सहित)

उपराष्ट्रपति के निर्वाचक: सभी सांसद (निर्वाचित + मनोनीत), विधायक नहीं

दोनों के विवाद: उच्चतम न्यायालय

## भारत के राष्ट्रपति (निर्वाचन)

| वर्ष       | विजेता               | मुख्य प्रतिद्वंद्वी    |
|------------|----------------------|------------------------|
| 1952, 1957 | राजेंद्र प्रसाद      | के.टी. शाह; एन.एन. दास |
| 1977       | एन. संजीव रेड्डी     | निर्विरोध              |
| 1982       | ज्ञानी जैल सिंह      | एच.आर. खन्ना           |
| 1987       | आर. वेंकटरमण         | वी.आर. कृष्ण अय्यर     |
| 1992       | शंकर दयाल शर्मा      | जॉर्ज गिल्बर्ट स्वेल   |
| 1997       | के.आर. नारायणन       | टी.एन. शेषन            |
| 2002       | ए.पी.जे. अब्दुल कलाम | लक्ष्मी सहगल           |
| 2007       | प्रतिभा पाटिल        | बी.एस. शेखावत          |

| वर्ष | विजेता         | मुख्य प्रतिद्वंद्वी |
|------|----------------|---------------------|
| 2012 | प्रणब मुखर्जी  | पी.ए. संगमा         |
| 2017 | रामनाथ कोविंद  | मीरा कुमार          |
| 2022 | द्रौपदी मुर्मू | यशवंत सिन्हा        |

- केवल राजेंद्र प्रसाद दो कार्यकालों तक रहे; एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति: संजीव रेड्डी
- 1969 (गिरि) सबसे कड़ा मुकाबला था (50.22%), द्वितीय वरीयता के मतों से जीत मिली
- पद पर रहते हुए निधन: ज़ाकिर हुसैन (1969), फ़ख़रुद्दीन अली अहमद (1977)
- प्रथम महिला: प्रतिभा पाटिल; प्रथम आदिवासी: द्रौपदी मुर्मू

### अर्हताएँ, शपथ और पद की शर्तें (अनुच्छेद 58-60)

#### अर्हताएँ

| मद             | उपबंध                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| नागरिकता / आयु | भारत का नागरिक; 35 वर्ष                                                   |
| पात्रता        | लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता                                 |
| लाभ का पद      | कोई नहीं; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ / राज्य के मंत्री अपवाद |
| नामांकन        | 50 प्रस्तावक + 50 अनुमोदक (पहले 10 + 10; 1997)                            |
| जमानत राशि     | 15,000 रुपये (पहले 2,500 रुपये); डाले गए मतों के 1/6 से कम मिलने पर जब्त  |

- शपथ: पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन; संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण; जनता की सेवा में स्वयं को समर्पित करना
- शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश) द्वारा दिलाई जाती है
- संसद / राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं; पद ग्रहण करने पर सीट रिक्त
- निःशुल्क आवास (राष्ट्रपति भवन); उपलब्धियाँ संसद द्वारा निर्धारित, कार्यकाल में घटाई नहीं जा सकती
- वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह (2018; पहले 1.5 लाख रुपये); पेंशन = वेतन का 50% (2008)
- उन्मुक्ति (अनुच्छेद 361): कार्यकाल में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं; व्यक्तिगत कृत्यों के लिए सिविल कार्यवाही केवल 2 माह की पूर्व सूचना के बाद

### कार्यकाल, महाभियोग, रिक्ति

- कार्यकाल 5 वर्ष (अनुच्छेद 56); उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है; कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन संभव (अनुच्छेद 57)
- त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को

#### महाभियोग (अनुच्छेद 61)

| बिंदु      | उपबंध                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| आधार       | 'संविधान का अतिक्रमण' (अपरिभाषित)                                         |
| प्रारंभ    | कोई भी सदन; सदस्यों के 1/4 के हस्ताक्षर; 14 दिन की सूचना                  |
| पारित होना | दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 द्वारा                             |
| प्रकृति    | अर्ध-न्यायिक                                                              |
| सहभागिता   | मनोनीत सांसद मतदान करते हैं; राज्यों तथा दिल्ली / पुदुचेरी के विधायक नहीं |

- आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला
- रिक्ति के कारण: कार्यकाल समाप्ति, त्यागपत्र, पद से हटाया जाना, मृत्यु, निरर्हता / निर्वाचन का शून्य होना
- कार्यकाल समाप्ति: समाप्ति से पहले निर्वाचन; निवर्तमान राष्ट्रपति पद पर बना रहता है; उपराष्ट्रपति कार्य नहीं करता
- अन्य रिक्ति: निर्वाचन **6 माह** के भीतर (अनुच्छेद 62); नए राष्ट्रपति को पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है
- उपराष्ट्रपति कार्य करता है; उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो मुख्य न्यायाधीश (अन्यथा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्य करते हैं; 1969 में एम. हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया

### शक्तियाँ

#### राष्ट्रपति की शक्तियाँ

| प्रकार | प्रमुख शक्तियाँ |
|--------|-----------------|
|--------|-----------------|

| प्रकार      | प्रमुख शक्तियाँ                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्यपालिका | कार्य उसके नाम से होते हैं; प्रधानमंत्री, मंत्रियों, महान्यायवादी, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त / निर्वाचन आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्यपालों, वित्त आयोग की नियुक्ति; संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन; अनुसूचित क्षेत्र; अंतर-राज्य परिषद |
| विधायी      | सत्र आहूत / सत्रावसान करना; लोक सभा का विघटन; संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108); राज्य सभा के 12 सदस्यों का मनोनयन; अध्यादेश; अनुमति; वर्ष के प्रथम सत्र में / निर्वाचन के बाद अभिभाषण                                                                                |
| वित्तीय     | सिफारिश पर धन विधेयक; बजट प्रस्तुत करवाना; आकस्मिकता निधि; प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग                                                                                                                                                                        |
| न्यायिक     | उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति; सलाहकारी राय (अनुच्छेद 143, बाध्यकारी नहीं); क्षमादान (अनुच्छेद 72)                                                                                                                               |
| कूटनीतिक    | संधियाँ उसके नाम से, संसद के अधीन                                                                                                                                                                                                                               |
| सैन्य       | सर्वोच्च सेनापति; सेनाध्यक्षों की नियुक्ति; युद्ध / शांति की घोषणा संसद के अधीन                                                                                                                                                                                 |
| आपातकाल     | अनुच्छेद 352, 356/365, 360                                                                                                                                                                                                                                      |

- निर्वाचन आयोग से परामर्श करके सांसदों की निर्हता का निर्णय करता है
- अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव, लद्दाख के लिए विनियम; पुदुचेरी (केवल तब, जब विधान सभा निलंबित / विघटित हो)

### वे विधेयक जिनके लिए पूर्व सिफारिश / मंजूरी आवश्यक है

| विधेयक                                                                      | अपेक्षा      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| धन विधेयक                                                                   | सिफारिश      |
| संचित निधि से व्यय                                                          | सिफारिश      |
| नया राज्य / सीमा परिवर्तन                                                   | सिफारिश      |
| ऐसा कर जिसमें राज्यों का हित हो; 'कृषि आय'; राज्यों को वितरण; संघ का अधिभार | सिफारिश      |
| व्यापार पर निर्बंधन लगाने वाला राज्य विधेयक (अनुच्छेद 304)                  | पूर्व मंजूरी |

### आपातकाल

| प्रकार          | अनुच्छेद  | आधार                                                        | प्रभाव                                                                     |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| राष्ट्रीय       | 352       | युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह                        | वित्तीय वितरण में परिवर्तन; अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर मौलिक अधिकार निलंबित |
| राष्ट्रपति शासन | 356 / 365 | संवैधानिक तंत्र की विफलता / संघ के निर्देशों का पालन न करना | राज्य के कार्य अपने हाथ में लेना; संसद विधि बनाती है; व्यय प्राधिकृत       |
| वित्तीय         | 360       | वित्तीय स्थायित्व / साख को खतरा                             | उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित वेतन में कटौती       |

### वीटो शक्ति

- अनुमति: अनुच्छेद 111; राज्यपाल: अनुच्छेद 200; आरक्षित राज्य विधेयक: अनुच्छेद 201

### वीटो के प्रकार

| वीटो       | अर्थ                                                     | भारत           |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| आत्यंतिक   | अनुमति रोक लेना                                          | हाँ            |
| सीमित      | उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सकता है                 | नहीं (अमेरिका) |
| निलंबनकारी | विधेयक लौटाना; साधारण बहुमत से पुनः पारित होने पर निरस्त | हाँ            |

| वीटो | अर्थ                               | भारत |
|------|------------------------------------|------|
| जेबी | कोई कार्रवाई नहीं, अनिश्चित काल तक | हाँ  |

- आत्यंतिक: गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक; मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद सरकारी विधेयक; 1954 का पेप्सू विनियोग विधेयक (राजेंद्र प्रसाद); 1991 का सांसदों के वेतन का विधेयक (वेंकटरमण)
- निलंबनकारी: धन विधेयकों के लिए नहीं (केवल अनुमति देना या रोकना)
- जेबी: कोई समय-सीमा नहीं; 1986 में ज़ैल सिंह, भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक
- संविधान संशोधन विधेयकों पर कोई वीटो नहीं (24वाँ संशोधन, 1971)

### वीटो एक नज़र में

| विधेयक         | केंद्रीय                    | राज्य (आरक्षित)             |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| साधारण         | अनुमति / अस्वीकृति / लौटाना | अनुमति / अस्वीकृति / लौटाना |
| धन             | अनुमति / अस्वीकृति          | अनुमति / अस्वीकृति          |
| संविधान संशोधन | केवल अनुमति                 | पुरःस्थापित नहीं हो सकता    |

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य - पुनः पारण

लौटाने के बाद पुनः पारित केंद्रीय विधेयक: राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी

पुनः पारित आरक्षित राज्य विधेयक: राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना आवश्यक नहीं

### अध्यादेश (अनुच्छेद 123)

- केवल तब, जब कोई सदन (एक / दोनों) सत्र में न हो; दोनों सदनों के सत्र के दौरान जारी अध्यादेश शून्य
- मंत्रिपरिषद् की सलाह पर; समाधान असम्भवाव के आधार पर न्यायिक समीक्षा योग्य (कूपर, 1970; 38वें संशोधन ने रोका, 44वें संशोधन ने हटाया)
- अधिनियम के समान बल; संसद की शक्तियों के समविस्तृत; संविधान में संशोधन नहीं कर सकता और मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता
- पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह बाद (बाद की तिथि से) समाप्त, या दोनों सदनों द्वारा अननुमोदन पर पहले ही समाप्त
- अधिकतम आयु 6 माह + 6 सप्ताह
- व्यपगत अध्यादेश के अधीन किए गए कार्य विधिमान्य रहते हैं; भूतलक्षी हो सकता है; कर विधि में संशोधन कर सकता है
- डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986): विधायी अनुमोदन के बिना पुनः प्रख्यापन अविधिमान्य

### क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 72)

- मामले: संघ की विधि के विरुद्ध अपराध; कोर्ट मार्शल; मृत्युदंड

#### क्षमादान

| रूप       | अर्थ                                              |
|-----------|---------------------------------------------------|
| क्षमा     | दंडादेश और दोषसिद्धि दोनों समाप्त                 |
| लघुकरण    | दंड का हल्का रूप (मृत्युदंड से कठोर कारावास)      |
| परिहार    | कम अवधि, वही स्वरूप                               |
| विराम     | विशेष तथ्य (गर्भावस्था, विकलांगता) के कारण कम दंड |
| प्रविलंबन | दंड के निष्पादन पर अस्थायी रोक                    |

### राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल (अनुच्छेद 72, 161)

| शक्ति                                 | राष्ट्रपति | राज्यपाल |
|---------------------------------------|------------|----------|
| कोर्ट मार्शल                          | हाँ        | नहीं     |
| मृत्युदंड में क्षमा                   | हाँ        | नहीं     |
| मृत्युदंड का निलंबन / परिहार / लघुकरण | हाँ        | हाँ      |
| विधि                                  | संघ        | राज्य    |

- केहर सिंह (1988): मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं; साक्ष्य का पुनः परीक्षण संभव; मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी; पुनर्विलोकन केवल तब, जब निर्णय तर्कहीन, असम्भवावपूर्ण या विभेदकारी हो
- मारू राम (1980): सलाह बाध्यकारी, न्यायिक पुनर्विलोकन सीमित

## संवैधानिक स्थिति

- अनुच्छेद 53: कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित; अनुच्छेद 74: परिषद सहायता और सलाह देती है; अनुच्छेद 75: लोक सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व
- 42वाँ संशोधन (1976): सलाह बाध्यकारी; 44वाँ संशोधन (1978): एक बार लौटा सकता है; पुनर्विचारित सलाह बाध्यकारी
- 1997 (उत्तर प्रदेश) और 1998 (बिहार): के.आर. नारायणन ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिशें लौटाईं
- परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार: प्रधानमंत्री की नियुक्ति (बहुमत न होने पर / आकस्मिक मृत्यु पर); विश्वास खो चुकी परिषद की बर्खास्तगी; लोक सभा का विघटन

## उपराष्ट्रपति

- दूसरा सर्वोच्च पद; अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आधार पर निर्मित
- निर्वाचक मंडल: सभी सांसद (निर्वाचित + मनोनीत); विधायक नहीं (11वाँ संशोधन, 1961 ने संयुक्त बैठक को प्रतिस्थापित किया)
- एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान; विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है

### राष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति

| बिंदु                         | राष्ट्रपति                   | उपराष्ट्रपति                                           |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| निर्वाचक                      | निर्वाचित सांसद + विधायक     | सभी सांसद                                              |
| अर्हता                        | लोक सभा                      | राज्य सभा                                              |
| प्रस्तावक + अनुमोदक           | 50 + 50                      | 20 + 20                                                |
| जमानत राशि                    | 15,000 रुपये                 | 15,000 रुपये                                           |
| शपथ किसके द्वारा              | मुख्य न्यायाधीश              | राष्ट्रपति या उसका नामित व्यक्ति                       |
| त्यागपत्र किसको               | उपराष्ट्रपति                 | राष्ट्रपति                                             |
| पद से हटाना                   | महाभियोग, दोनों सदनों के 2/3 | राज्य सभा का संकल्प (प्रभावी बहुमत) + लोक सभा (साधारण) |
| रिक्ति की स्थिति में निर्वाचन | 6 माह के भीतर                | यथाशीघ्र                                               |

### निर्वाचित उपराष्ट्रपति

| वर्ष       | विजेता            | उपविजेता                   |
|------------|-------------------|----------------------------|
| 1992       | के.आर. नारायणन    | काका जोगिंदर सिंह          |
| 1997       | कृष्णकांत         | सुरजीत सिंह बरनाला         |
| 2002       | बी.एस. शेखावत     | सुशीलकुमार शिंदे           |
| 2007, 2012 | हामिद अंसारी      | नजमा हेपतुल्ला; जसवंत सिंह |
| 2017       | एम. वैकैया नायडू  | गोपालकृष्ण गांधी           |
| 2022       | जगदीप धनखड़       | मागरिट अल्वा               |
| 2025       | सी.पी. राधाकृष्णन | बी. सुदर्शन रेड्डी         |

- निर्विरोध: राधाकृष्णन (1952, 1957), हिदायतुल्लाह (1979), शंकर दयाल शर्मा (1987)
- राधाकृष्णन (प्रथम उपराष्ट्रपति) और हामिद अंसारी दो कार्यकालों तक पद पर रहे
- कृष्णकांत: पद पर रहते हुए निधन होने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति
- धनखड़ ने कार्यकाल के बीच में त्यागपत्र दिया (जुलाई 2025)
- अर्हताएँ: भारत का नागरिक, 35 वर्ष, राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता, लाभ का पद नहीं; वर्तमान राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति / राज्यपाल / मंत्री अपवाद
- शपथ: संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा; कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन
- कार्यकाल 5 वर्ष (अनुच्छेद 67); उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है; पुनर्निर्वाचन की अनुमति
- पद से हटाना: संकल्प केवल राज्य सभा में प्रस्तुत; 14 दिन की सूचना; कोई आधार निर्दिष्ट नहीं
- कार्य: पदेन राज्य सभा सभापति (अनुच्छेद 64); राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य करता है (अनुच्छेद 65)
- राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय राज्य सभा के कर्तव्य उपसभापति निभाते हैं और उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलता है
- राज्य सभा के सभापति के रूप में वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह (2018); पेंशन वेतन का 50% (2008)
- कार्यवाहक राष्ट्रपति: वी.वी. गिरि (1969), बी.डी. जत्ती (1977)

**प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य - भारतीय बनाम अमेरिकी उपराष्ट्रपति**

अमेरिका: उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है

भारत: उपराष्ट्रपति केवल नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक कार्य करता है

उपराष्ट्रपति को 'हिज़ सुपरफ्लुअस हाइनेस' (अर्थात् 'अनावश्यक महामहिम') कहा गया

**प्रधानमंत्री**

- राष्ट्रपति = राज्य का विधितः प्रधान; प्रधानमंत्री = सरकार का वास्तविक प्रधान
- अनुच्छेद 75(1): प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है (कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं)

**नियुक्ति**

- परिपाटी: लोक सभा में बहुमत दल का नेता
- बहुमत न होने पर: राष्ट्रपति का विवेक; प्रायः सबसे बड़े दल / गठबंधन का नेता, एक माह के भीतर विश्वास मत
- ऐसे विवेक का प्रथम प्रयोग: 1979, संजीव रेड्डी ने चरण सिंह को नियुक्त किया
- 1984: जैल सिंह ने कार्यवाहक सरकार के बिना राजीव गांधी को नियुक्त किया
- गुलज़ारीलाल नंदा ने नेहरू और शास्त्री के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया
- दिल्ली उच्च न्यायालय (1980): नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करना आवश्यक नहीं
- उच्चतम न्यायालय (1996): संसद का गैर-सदस्य 6 माह के लिए प्रधानमंत्री हो सकता है
- राज्य सभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने: इंदिरा गांधी (1966), देवेगौड़ा (1996), मनमोहन सिंह (2004)

**प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रहे**

| प्रधानमंत्री        | राज्य                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| मोरारजी देसाई       | बंबई (प्रथम गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री, 1977) |
| चरण सिंह            | उत्तर प्रदेश                                  |
| वी.पी. सिंह         | उत्तर प्रदेश                                  |
| पी.वी. नरसिम्हा राव | आंध्र प्रदेश (दक्षिण भारत से प्रथम)           |
| एच.डी. देवेगौड़ा    | कर्नाटक                                       |
| नरेंद्र मोदी        | गुजरात                                        |

**शपथ, कार्यकाल, वेतन**

- राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है
- शपथ: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा; प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना; निष्ठापूर्वक निर्वहन; भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति न्याय करना
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है; लोक सभा में बहुमत रहते हुए उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता
- सांसद का वेतन + 3,000 रुपये प्रति माह सत्कार भत्ता (2001), मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 के अनुसार

**शक्तियाँ****प्रधानमंत्री की शक्तियाँ**

| संबंध      | शक्तियाँ                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिषद      | मंत्रियों की सिफारिश करता है; विभागों का आवंटन; किसी मंत्री से त्यागपत्र माँगता है; अध्यक्षता करता है; त्यागपत्र / मृत्यु से मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है |
| राष्ट्रपति | संचार माध्यम (अनुच्छेद 78); महान्यायवादी, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग की नियुक्तियों पर सलाह देता है        |
| संसद       | निचले सदन का नेता; सत्र आहूत / सत्रावसान करने पर सलाह देता है; लोक सभा के विघटन की सिफारिश करता है                                                      |
| अन्य       | नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर-राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष                                                                 |

- आंबेडकर: अमेरिकी राष्ट्रपति से तुलना प्रधानमंत्री की होती है, राष्ट्रपति की नहीं

- उपमाएँ: 'समकक्षों में प्रथम' (मॉर्ले); 'छोटे तारों के बीच चंद्रमा' (हार्कोर्ट); 'सूर्य, जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं' (जेनिंग्स); 'राज्य रूपी जहाज़ का कप्तान' (मुनरो)

### कार्यवाहक सरकार

- संविधान में नहीं; परिस्थितिजन्य व्यवस्था; केवल नियमित कार्य
- तारकुंडे समिति (1974-75, जे.पी. समिति): कोई नई नीति, परियोजना, ऋण, भत्ते नहीं
- 1979: संजीव रेड्डी की विघटन-संबंधी विज्ञप्ति; कलकत्ता उच्च न्यायालय (1979): केवल दैनिक प्रशासन

## केंद्रीय मंत्रिपरिषद्

### संवैधानिक उपबंध

#### अनुच्छेद

| अनुच्छेद | उपबंध                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74       | सलाह बाध्यकारी; राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है; सलाह की न्यायालय में जाँच नहीं हो सकती |
| 75(1)    | प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा; अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह पर                  |
| 75(1क)   | मंत्रिपरिषद् लोक सभा के अधिकतम 15% (91वाँ संशोधन, 2003)                                                |
| 75(1ख)   | दल-बदल के कारण निरर्हित सदस्य मंत्री नहीं बन सकता (91वाँ संशोधन)                                       |
| 75(2)    | राष्ट्रपति का प्रसाद                                                                                   |
| 75(3)    | लोक सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व                                                                  |
| 75(4)    | राष्ट्रपति द्वारा शपथ                                                                                  |
| 75(5)    | गैर-सदस्य मंत्री 6 माह बाद पद से हट जाता है                                                            |
| 75(6)    | वेतन संसद द्वारा निर्धारित                                                                             |
| 77       | कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से; कार्य-संचालन नियम                                       |
| 88       | मंत्री किसी भी सदन में बोलता है, मतदान केवल अपने सदन में करता है                                       |

- अनुच्छेद 352 में 'मंत्रिमंडल' की परिभाषा (44वाँ संशोधन, 1978)
- यू.एन.आर. राव (1971): लोक सभा के विघटन के बाद भी परिषद् बनी रहती है; अनुच्छेद 74 आज्ञापक
- शमशेर सिंह (1974): राष्ट्रपति का समाधान = मंत्रिपरिषद् का समाधान
- देवीलाल (1990): उप प्रधानमंत्री की शपथ वैध; पदनाम केवल वर्णनात्मक

### उत्तरदायित्व

#### प्रकार

| प्रकार    | आधार           | विशेषता                                                                     |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| सामूहिक   | अनुच्छेद 75(3) | लोक सभा के प्रति उत्तरदायी; साथ तैरना या साथ डूबना; निर्णय सभी पर बाध्यकारी |
| व्यक्तिगत | अनुच्छेद 75(2) | प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना                        |
| विधिक     | कोई नहीं       | प्रतिहस्ताक्षर नहीं; न्यायालयों का वर्जन                                    |

- सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रश्न पर त्यागपत्र: आंबेडकर (हिंदू कोड बिल, सितंबर 1951), सी.डी. देशमुख (राज्य पुनर्गठन), आरिफ़ मोहम्मद खान (मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986)
- प्रधानमंत्री का त्यागपत्र = संपूर्ण मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र

### संरचना

- कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार या संबद्ध), उप मंत्री; उप प्रधानमंत्री वैकल्पिक
- संसदीय सचिव: मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं; प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त

**मंत्रिपरिषद् बनाम मंत्रिमंडल**

| बिंदु        | मंत्रिपरिषद्                    | मंत्रिमंडल                               |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| आकार         | बड़ा                            | छोटा                                     |
| सदस्य        | तीनों श्रेणियाँ                 | केवल कैबिनेट मंत्री                      |
| बैठकें       | निकाय के रूप में बैठक नहीं करती | साप्ताहिक बैठक                           |
| भूमिका       | क्रियान्वयन करती है             | निर्देश देता है; नीतिगत निर्णय बाध्यकारी |
| स्थिति       | अनुच्छेद 74, 75                 | केवल अनुच्छेद 352 में परिभाषा            |
| उत्तरदायित्व | लोक सभा के प्रति सामूहिक        | उसे लागू कराता है                        |

- मंत्रिमंडल: सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय, प्रमुख नीति-निर्माता, संकट-प्रबंधक, उच्च नियुक्तियों का नियंत्रक
- किचन (आंतरिक) कैबिनेट: अनौपचारिक, इसमें बाहरी लोग भी हो सकते हैं; संविधानेतर; इंदिरा गांधी के समय शक्तिशाली

**याद रखें**

मंत्रिपरिषद् लोक सभा के अधिकतम 15% (91वाँ संशोधन, 2003)  
 गैर-सदस्य मंत्री: 6 माह  
 मंत्रिमंडल की परिभाषा अनुच्छेद 352 में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई  
 केवल लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी

**मंत्रिमंडलीय समितियाँ**

- संविधानेतर; कार्य-संचालन नियमों में उपबंधित
- स्थायी या तदर्थ (जैसे 1962 की आपातकालीन समिति)
- प्रधानमंत्री द्वारा गठित; सदस्यता बदलती रहती है; अधिकांश की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं
- निर्णय लेती हैं; मंत्रिमंडल उनकी समीक्षा कर सकता है

| समिति                       | कार्य                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| राजनीतिक मामलों की समिति    | समस्त घरेलू और विदेश नीति; सर्वाधिक शक्तिशाली ('सुपर-कैबिनेट') |
| आर्थिक मामलों की समिति      | आर्थिक गतिविधियों में समन्वय                                   |
| नियुक्ति समिति              | सचिवालय, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों के उच्च पद               |
| संसदीय मामलों की समिति      | संसद में सरकारी कार्य                                          |
| सुरक्षा समिति               | रक्षा, कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा            |
| आवास समिति                  | सरकारी आवास                                                    |
| निवेश और विकास समिति        | पूँजी प्रवाह, निर्यात, कारोबार में सुगमता                      |
| रोज़गार और कौशल विकास समिति | कौशल, रोज़गार-योग्यता, महिला कार्यबल                           |

- मंत्री-समूह: तदर्थ, सलाह देने के बाद भंग; कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ सिफारिश करते हैं
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (वीरप्पा मोइली): बहुत अधिक मंत्री-समूहों से विलंब होता है; समय-सीमा के साथ चयनात्मक उपयोग करें

**याद रखें**

राजनीतिक मामलों की समिति = 'सुपर-कैबिनेट'  
 प्रधानमंत्री जिस समिति के सदस्य हों, उसकी अध्यक्षता करते हैं

## अध्याय 06

## संसद एवं संसदीय समितियाँ

## संसद

## संसद का संगठन

- अनुच्छेद 79-122 (भाग 5) संसद से संबंधित हैं
- संसद = राष्ट्रपति + राज्यों की परिषद (राज्य सभा) + लोगों का सदन (लोक सभा)
- राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं है, किंतु संसद का अभिन्न अंग है
- दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विधि नहीं बन सकता

## राज्य सभा बनाम लोक सभा

| बिंदु                              | राज्य सभा                                                                                         | लोक सभा                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संरचना का अनुच्छेद                 | अनुच्छेद 80                                                                                       | अनुच्छेद 81                                                                                    |
| अधिकतम सदस्य संख्या                | 250 (राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के 238 प्रतिनिधि + 12 मनोनीत)                                   | 550 (राज्यों के 530 + संघ राज्यक्षेत्रों के 20)                                                |
| वर्तमान सदस्य संख्या               | 245 (राज्यों के 225 + संघ राज्यक्षेत्रों के 8 + 12 मनोनीत)                                        | 543 (राज्यों के 524 + संघ राज्यक्षेत्रों के 19)                                                |
| निर्वाचन                           | अप्रत्यक्ष: राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य; एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व | प्रत्यक्ष; प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र; सर्वाधिक मत पाने वाले की जीत                            |
| संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व | निर्वाचक मंडल; केवल दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू-कश्मीर                                                | प्रत्यक्ष निर्वाचन (संघ राज्यक्षेत्र (लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम, 1965)        |
| न्यूनतम आयु                        | 30 वर्ष                                                                                           | 25 वर्ष                                                                                        |
| अवधि                               | स्थायी सदन; प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त                                             | 5 वर्ष; विघटन के अधीन                                                                          |
| सदस्य का कार्यकाल                  | 6 वर्ष (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951)                                                           | 5 वर्ष                                                                                         |
| सीटों का आवंटन                     | चौथी अनुसूची; जनसंख्या के आधार पर (उत्तर प्रदेश 31, त्रिपुरा 1)                                   | जनसंख्या-आधारित; सभी राज्यों के लिए अनुपात समान (60 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर) |

## परिसीमन और आरक्षण

- प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन: (क) राज्यों को लोक सभा सीटों का आवंटन, (ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन
- परिसीमन आयोग अधिनियम: 1952, 1962, 1972, 2002
- 42वाँ संशोधन (1976): सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों को वर्ष 2000 तक 1971 की जनगणना के स्तर पर स्थिर किया
- 84वाँ संशोधन (2001): यह स्थिरीकरण 2026 तक (25 वर्ष) बढ़ाया गया; 1991 की जनगणना के आधार पर युक्तिकरण की भी अनुमति
- 87वाँ संशोधन (2003): परिसीमन 2001 की जनगणना पर (1991 पर नहीं), प्रति राज्य सीटों की संख्या बदले बिना
- लोक सभा में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षण: जनसंख्या अनुपात में; मूलतः 10 वर्ष (1960 तक), प्रत्येक 10 वर्ष पर बढ़ाया गया
- 104वाँ संशोधन (2019): अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया
- आरक्षित सीटों पर सभी मतदाता चुनाव करते हैं (पृथक निर्वाचक मंडल नहीं); अनुसूचित जाति / जनजाति के लोग सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं
- लोक सभा की वर्तमान आरक्षित सीटें: अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 47

## संसद में सीटों का आवंटन (राज्य सभा, लोक सभा, लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें)

| राज्य / संघ राज्यक्षेत्र | रा.स. | लो.स. | अ.जा. | अ.ज.जा. |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| आंध्र प्रदेश             | 11    | 25    | 4     | 1       |
| बिहार                    | 16    | 40    | 6     | -       |

| राज्य / संघ राज्यक्षेत्र | रा.स. | लो.स. | अ.जा. | अ.ज.जा. |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| गुजरात                   | 11    | 26    | 2     | 4       |
| कर्नाटक                  | 12    | 28    | 5     | 2       |
| केरल                     | 9     | 20    | 2     | -       |
| मध्य प्रदेश              | 11    | 29    | 4     | 6       |
| महाराष्ट्र               | 19    | 48    | 5     | 4       |
| ओडिशा                    | 10    | 21    | 3     | 5       |
| राजस्थान                 | 10    | 25    | 4     | 3       |
| तमिलनाडु                 | 18    | 39    | 7     | -       |
| तेलंगाना                 | 7     | 17    | 3     | 2       |
| उत्तर प्रदेश             | 31    | 80    | 17    | -       |
| पश्चिम बंगाल             | 16    | 42    | 10    | 2       |
| दिल्ली                   | 3     | 7     | 1     | -       |
| जम्मू-कश्मीर             | 4     | 5     | -     | -       |
| कुल                      | 245   | 543   | 84    | 47      |

### लोक सभा के निर्वाचन की प्रणाली

- एकरूपता के दो सिद्धांत: (क) राज्यों के बीच, (ख) एक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के बीच
- लोक सभा में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व (सर्वाधिक मत पाने वाले की जीत; एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र; साधारण बहुमत)
- समानुपातिक प्रतिनिधित्व (एकल संक्रमणीय मत) का प्रयोग: राज्य सभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति

### सदनों की अवधि

- राज्य सभा: स्थायी सदन, विघटन के अधीन नहीं
- राज्य सभा सदस्य का कार्यकाल (6 वर्ष) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा निर्धारित (संविधान ने इसे संसद पर छोड़ा)
- लोक सभा: सामान्य कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष; उसके बाद स्वतः विघटन
- राष्ट्रपति लोक सभा को पहले भी भंग कर सकता है (प्रधानमंत्री की सलाह पर); न्यायिक पुनर्विलोकन पर कोई निरपेक्ष रोक नहीं - न्यायालय अवैधता या असन्द्भाव जैसे सीमित आधारों पर जाँच कर सकते हैं, यद्यपि अत्यधिक सम्मान रखा जाता है
- राष्ट्रीय आपातकाल: लोक सभा का कार्यकाल विधि द्वारा एक बार में एक वर्ष बढ़ाया जाता है; आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं
- पाँचवीं लोक सभा: दो बार बढ़ाई गई (1976, 1977); 5 वर्ष, 10 माह, 6 दिन बाद विघटित
- 18वीं लोक सभा: 2024 से (17वीं: 2019-24)

### संसद की सदस्यता

#### सदस्यता की अर्हताएँ

| स्रोत                          | अर्हता                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संविधान (अनुच्छेद 84)          | भारत का नागरिक                                                                                                                                          |
| संविधान                        | निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ / प्रतिज्ञान                                                                                        |
| संविधान                        | आयु: 30 (राज्य सभा), 25 (लोक सभा)                                                                                                                       |
| संविधान                        | अन्य अर्हताएँ संसद द्वारा विहित                                                                                                                         |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत निर्वाचक (राज्य सभा के लिए 'उसी राज्य' की अपेक्षा 2003 में हटाई गई; उच्चतम न्यायालय ने 2006 में बरकरार रखा) |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति का होना आवश्यक (अनुसूचित जाति / जनजाति के लोग सामान्य सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं)          |

#### निरर्हताएँ (अनुच्छेद 102)

| स्रोत | आधार |
|-------|------|
|-------|------|

| स्रोत                          | आधार                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| संविधान                        | संघ / राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना (मंत्री या छूट-प्राप्त पद को छोड़कर)          |
| संविधान                        | न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित                                                            |
| संविधान                        | अनुमोचित दिवालिया                                                                           |
| संविधान                        | नागरिक न होना / स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित करना / किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा |
| संविधान                        | संसद की किसी विधि द्वारा निरर्हित                                                           |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | निर्वाचन संबंधी अपराधों या भ्रष्ट आचरण का दोषी                                              |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | 2 वर्ष या अधिक के कारावास से दोषसिद्ध (निवारक निरोध आधार नहीं है)                           |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | निर्वाचन व्यय का लेखा समय पर दाखिल न करना                                                   |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | सरकारी संविदाओं, कार्यों या सेवाओं में हित                                                  |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | कम-से-कम 25% सरकारी अंश वाले निगम में निदेशक / प्रबंध अभिकर्ता / लाभ का पद                  |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त                                   |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्त के लिए दोषसिद्ध                               |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | सामाजिक अपराधों के लिए दंडित: अस्पृश्यता, दहेज, सती                                         |

- निरर्हता का प्रश्न (अनुच्छेद 103): राष्ट्रपति द्वारा, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करके निर्णय (राय बाध्यकारी)
- दल-बदल (दसवीं अनुसूची) संबंधी निरर्हता का निर्णय सभापति (राज्य सभा) / अध्यक्ष (लोक सभा) करता है, राष्ट्रपति नहीं
- किहोतो होलोहन मामला (1992): सभापति / अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन

#### दल-बदल निरर्हता के आधार (दसवीं अनुसूची)

| सदस्य           | आधार                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| निर्वाचित सदस्य | दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागता है                                    |
| निर्वाचित सदस्य | दल के सचेतक के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है / मतदान से विरत रहता है |
| निर्दलीय सदस्य  | किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है                                      |
| मनोनीत सदस्य    | 6 माह के बाद किसी दल में शामिल होता है                                  |

### सीटों का रिक्त होना (अनुच्छेद 101)

#### सीट रिक्त होने के तरीके

| आधार                                               | नियम                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संसद की दोहरी सदस्यता                              | 10 दिन के भीतर सूचित करना होगा; अन्यथा राज्य सभा की सीट रिक्त                                                    |
| एक सदन का वर्तमान सदस्य दूसरे सदन के लिए निर्वाचित | पहले सदन की सीट रिक्त                                                                                            |
| संसद और राज्य विधानमंडल                            | 14 दिन के भीतर राज्य की सीट से त्यागपत्र न देने पर संसद की सीट रिक्त                                             |
| निरर्हता                                           | दसवीं अनुसूची के अधीन दल-बदल सहित                                                                                |
| त्यागपत्र                                          | सभापति / अध्यक्ष को लिखित; स्वैच्छिक या वास्तविक न होने पर अस्वीकार किया जा सकता है                              |
| अनुपस्थिति                                         | अनुमति के बिना सभी बैठकों से 60 दिन अनुपस्थित (सत्रावसान / स्थगन की 4 से अधिक लगातार दिनों की अवधि गणना से बाहर) |
| न्यायालय द्वारा निर्वाचन शून्य घोषित               | उच्च न्यायालय; उच्चतम न्यायालय में अपील                                                                          |
| अन्य                                               | निष्कासित; राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति निर्वाचित; राज्यपाल नियुक्त                                                 |

- सदस्यों की शपथ (अनुच्छेद 99): राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष
- शपथ की विषय-वस्तु: संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा; प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना; कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन
- शपथ के बिना: न मतदान कर सकता है, न कार्यवाही में भाग ले सकता है, न विशेषाधिकार पा सकता है

- शास्ति (अनुच्छेद 104): शपथ से पूर्व बैठने / मतदान करने, या निरर्हित / प्रतिषिद्ध होने पर बैठने के लिए प्रतिदिन 500 रुपये
- वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित (अनुच्छेद 106); पेंशन 1976 में प्रारंभ
- वित्त अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित: वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह; निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये; कार्यालय भत्ता 60,000 रुपये; पेंशन 25,000 रुपये
- पीठासीन अधिकारियों के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित (मतदान-योग्य नहीं)
- सत्कार भत्ता: अध्यक्ष = कैबिनेट मंत्री की दर (2,000 रुपये); उपाध्यक्ष / उपसभापति = राज्य मंत्री की दर (1,000 रुपये)

## संसद के पीठासीन अधिकारी

### पीठासीन अधिकारियों की तुलना

| बिंदु                                                    | अध्यक्ष                                                                     | उपाध्यक्ष                                     | सभापति (राज्य सभा)                     | उपसभापति (राज्य सभा)                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| अनुच्छेद                                                 | 93                                                                          | 93                                            | 89                                     | 89                                             |
| निर्वाचन                                                 | लोक सभा द्वारा अपने सदस्यों में से; तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित        | लोक सभा द्वारा; तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित | पदेन उपराष्ट्रपति                      | राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से           |
| सदन का सदस्य                                             | हाँ                                                                         | हाँ                                           | नहीं                                   | हाँ                                            |
| कार्यकाल                                                 | लोक सभा का जीवनकाल; विघटन के बाद भी नई लोक सभा की बैठक तक पद पर बना रहता है | लोक सभा का जीवनकाल                            | उपराष्ट्रपति के समान                   | सदस्य न रहने तक                                |
| त्यागपत्र किसे                                           | उपाध्यक्ष                                                                   | अध्यक्ष                                       | उपराष्ट्रपति के रूप में त्यागपत्र      | अध्यक्ष                                        |
| पद से हटाना                                              | लोक सभा के प्रभावी बहुमत से; 14 दिन की सूचना                                | वही                                           | केवल उपराष्ट्रपति पद से हटाए जाने पर   | राज्य सभा के प्रभावी बहुमत से; 14 दिन की सूचना |
| पद से हटाने के अनुच्छेद                                  | 94                                                                          | 94                                            | 67                                     | 90                                             |
| अपने विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव के दौरान सदन की अध्यक्षता | नहीं (बोल सकता है, प्रथम बार मतदान कर सकता है)                              | नहीं                                          | नहीं (बोल सकता है; मतदान नहीं कर सकता) | नहीं                                           |

- पदच्युति प्रस्ताव पर विचार के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक
- अध्यक्ष के आचरण पर चर्चा केवल सारभूत प्रस्ताव पर हो सकती है
- अध्यक्ष दल की सदस्यता नहीं छोड़ता (ब्रिटेन के विपरीत)
- अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर): राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (प्रायः वरिष्ठतम सदस्य); नए सदस्यों को शपथ दिलाता है; अध्यक्ष के निर्वाचन पर पद समाप्त
- उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं है; सदन के प्रति उत्तरदायी है
- उपाध्यक्ष जिस समिति में नियुक्त हो, उसका सभापति बन जाता है
- अध्यक्ष: सदन के भीतर संविधान / नियमों का अंतिम व्याख्याता; व्यवस्था बनाए रखता है; केवल निर्णायक मत देता है
- अध्यक्ष: संयुक्त बैठक की अध्यक्षता; गुप्त बैठक की अनुमति; धन विधेयक प्रमाणित करना; दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता का निर्णय
- अध्यक्ष: भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति; कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता; लोक सभा की समितियों के सभापतियों की नियुक्ति

### अध्यक्ष बनाम सभापति

केवल अध्यक्ष धन विधेयकों का निर्णय करता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है  
 सभापति राज्य सभा का सदस्य नहीं है; अध्यक्ष लोक सभा का सदस्य है  
 सभापति को केवल उपराष्ट्रपति पद से हटाने पर ही हटाया जाता है  
 अध्यक्ष अपने पदच्युति प्रस्ताव पर विचार के दौरान (प्रथम बार) मत दे सकता है; सभापति नहीं

## संसद में नेता

- विपक्ष का नेता: संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 द्वारा सांविधिक मान्यता
- सदन की सदस्य संख्या के कम-से-कम दसवें भाग वाला दल आवश्यक (अध्यक्ष / सभापति के निर्देशों के अनुसार)
- सरकारी मुख्य सचेतक: संसदीय कार्य मंत्री (लोक सभा); संसदीय कार्य राज्य मंत्री (राज्य सभा)
- संसद में मान्यताप्राप्त दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों (सुविधाएँ) अधिनियम, 1998
- मान्यताप्राप्त दल: कम-से-कम 55 (लोक सभा), 25 (राज्य सभा); मान्यताप्राप्त समूह: कम-से-कम 30 (लोक सभा), 15 (राज्य सभा)

## संसद के सत्र

- अनुच्छेद 85: राष्ट्रपति सत्र आहूत करता है; दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं (वर्ष में कम-से-कम दो सत्र)
- तीन सत्र: बजट (फरवरी-मई), मानसून (जुलाई-सितंबर), शीतकालीन (नवंबर-दिसंबर)
- अनिश्चित काल के लिए स्थगन: पुनः समवेत होने की कोई तिथि निर्धारित नहीं; पीठासीन अधिकारी द्वारा

### स्थगन बनाम सत्रावसान

| बिंदु          | स्थगन           | सत्रावसान                                                         |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| समाप्त करता है | केवल एक बैठक    | बैठक और सत्र                                                      |
| किसके द्वारा   | पीठासीन अधिकारी | राष्ट्रपति                                                        |
| लंबित विधेयक   | प्रभावित नहीं   | प्रभावित नहीं (अनुच्छेद 107(3)); लंबित सूचनाएँ व्यपगत हो जाती हैं |

### लोक सभा के विघटन पर विधेयकों का व्यपगत होना

| विधेयक की स्थिति                                                  | व्यपगत होता है?   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| लोक सभा में लंबित (अपना या राज्य सभा से आया)                      | व्यपगत हो जाता है |
| लोक सभा द्वारा पारित, राज्य सभा में लंबित                         | व्यपगत हो जाता है |
| राज्य सभा में लंबित, लोक सभा द्वारा पारित नहीं                    | व्यपगत नहीं होता  |
| असहमति; विघटन से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक की अधिसूचना | व्यपगत नहीं होता  |
| दोनों सदनों द्वारा पारित, राष्ट्रपति की अनुमति की प्रतीक्षा में   | व्यपगत नहीं होता  |
| राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया                    | व्यपगत नहीं होता  |

- मतदान (अनुच्छेद 100): उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत; पीठासीन अधिकारी को केवल निर्णायक मत
- लोक सभा में मतदान की पद्धतियाँ: ध्वनि मत; मत-विभाजन (स्वचालित मत अभिलेखक / पर्चियाँ / लॉबी); गुप्त मतदान; निर्णायक मत
- मंत्री और महान्यायवादी (अनुच्छेद 88): किसी भी सदन, संयुक्त बैठक और जिन समितियों के सदस्य हों, उनमें बोलने का अधिकार; मतदान का अधिकार नहीं
- गणपूर्ति: सदस्य संख्या का दसवाँ भाग (लोक सभा में 55, राज्य सभा में 25)
- अवसान-कालीन (लेम डक) सत्र: नई लोक सभा के निर्वाचन के बाद पुरानी लोक सभा का अंतिम सत्र
- मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना 6 माह तक पद पर रह सकता है

## बहुमत के प्रकार

| प्रकार                | अर्थ                                                                                   | उपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| साधारण (अनुच्छेद 100) | उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत                                            | साधारण, धन और वित्त विधेयक; स्थगन, अविश्वास, विश्वास, निंदा, धन्यवाद प्रस्ताव; लोक सभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प पर सहमति; राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) का अनुमोदन; अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (अनुच्छेद 93), उपसभापति (अनुच्छेद 89) का निर्वाचन; राष्ट्रीय आपातकाल के अननुमोदन का लोक सभा का संकल्प (अनुच्छेद 352) |
| प्रभावी               | रिक्तियों को छोड़कर कुल सदस्य संख्या का बहुमत ('तत्समय के सभी सदस्य')                  | राज्य सभा में उपराष्ट्रपति को हटाना (अनुच्छेद 67); उपसभापति (अनुच्छेद 90); अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (अनुच्छेद 94)                                                                                                                                                                                                                                             |
| निरपेक्ष              | रिक्तियों सहित कुल सदस्य संख्या का बहुमत (लोक सभा 272, राज्य सभा 123)                  | स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं; विशेष बहुमत-1 का भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विशेष बहुमत-1         | प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 | संशोधन (अनुच्छेद 368); उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (124), उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (217), नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (148), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (324), राज्य निर्वाचन आयुक्त (243T) को हटाना; राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन (352)                                                                                                                    |

| प्रकार        | अर्थ                                                         | उपयोग                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| विशेष बहुमत-2 | प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3                      | राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61)                                    |
| विशेष बहुमत-3 | केवल राज्य सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 | राज्य सूची पर विधि (अनुच्छेद 249); नई अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुच्छेद 312) |

**याद रखें**

प्रभावी बहुमत का उदाहरण: 25 रिक्तियों के साथ राज्य सभा 245 = 111; 15 रिक्तियों के साथ लोक सभा 543 = 265

निरपेक्ष बहुमत: राज्य सभा 123; लोक सभा 272

उपराष्ट्रपति को हटाना: संकल्प केवल राज्य सभा में (प्रभावी बहुमत); लोक सभा साधारण बहुमत से सहमत होती है

**संसदीय कार्यवाही के उपकरण****प्रश्नकाल और शून्यकाल**

- प्रश्नकाल: प्रत्येक बैठक का पहला घंटा
- शून्यकाल: अनौपचारिक, नियमों में नहीं, 1962 से
- नेता: सदन का नेता (प्रधानमंत्री या नामित मंत्री); विपक्ष का नेता (1977 का अधिनियम; कैबिनेट-स्तर; दसवें भाग की संख्या आवश्यक)
- तारांकित: मौखिक उत्तर; अनुपूरक प्रश्न अनुज्ञेय (हरे रंग में मुद्रित)
- अतारांकित: लिखित, अनुपूरक प्रश्न नहीं; अल्प सूचना: 10 दिन से कम की सूचना, मौखिक

**प्रस्ताव****प्रस्तावों और चर्चा-उपकरणों के प्रकार**

| उपकरण                    | मुख्य तथ्य                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समापन प्रस्ताव (क्लोज़र) | बहस को संक्षिप्त करता है; चार प्रकार: साधारण, खंडशः, कंगारू, गिलोटिन                                           |
| ध्यानाकर्षण              | अविलंबनीय लोक महत्त्व का विषय; नियमों में, 1954 से भारतीय नवाचार                                               |
| स्थगन प्रस्ताव           | 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक; कम-से-कम 2 घंटे 30 मिनट चर्चा; निंदा का तत्त्व शामिल; राज्य सभा में अनुज्ञेय नहीं |
| अविश्वास प्रस्ताव        | अनुच्छेद 75; 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक; संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध; केवल लोक सभा में                     |
| धन्यवाद प्रस्ताव         | राष्ट्रपति के अभिभाषण पर (आम चुनाव के बाद का पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र); पारित होना अनिवार्य     |
| व्यवस्था का प्रश्न       | प्रक्रिया का उल्लंघन; बहस की अनुमति नहीं                                                                       |
| आधे घंटे की चर्चा        | पहले चर्चा हो चुका विषय जिसमें स्पष्टीकरण आवश्यक; सप्ताह में अधिकतम 3 दिन; कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं  |
| अल्पकालिक चर्चा          | दो घंटे की चर्चा; 1953 से; सप्ताह में अधिकतम 2 दिन; मतदान नहीं                                                 |
| विशेष उल्लेख (राज्य सभा) | लोक सभा में समकक्ष: नियम 377                                                                                   |

- समापन के प्रकार: साधारण; खंडशः (भागों पर सामूहिक मतदान); कंगारू (केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस); गिलोटिन (समय समाप्त होने पर अचर्चित खंडों पर मतदान)
- विशेषाधिकार प्रस्ताव: मंत्री द्वारा विशेषाधिकार भंग; विश्वास प्रस्ताव: बहुमत सिद्ध करने हेतु; पराजय पर सरकार गिर जाती है

**निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव**

| निंदा                                                         | अविश्वास                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| कारण बताना आवश्यक                                             | कारण बताना आवश्यक नहीं                         |
| किसी एक मंत्री, मंत्रियों के समूह या संपूर्ण परिषद के विरुद्ध | केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध            |
| विशिष्ट नीतियों / कार्यों के लिए                              | लोक सभा का विश्वास परखने के लिए                |
| पारित होने पर परिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं             | पारित होने पर परिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य |

**संकल्प**

- संकल्प सदन के निर्णय हेतु स्वतःपूर्ण प्रस्ताव है; सभी संकल्प सारभूत प्रस्ताव होते हैं

## विधायी प्रक्रिया

### सार्वजनिक विधेयक बनाम गैर-सरकारी विधेयक

| बिंदु               | सार्वजनिक (सरकारी) विधेयक                        | गैर-सरकारी (निजी) विधेयक        |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| प्रस्तुतकर्ता       | मंत्री                                           | मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य |
| अस्वीकृति           | अविश्वास का द्योतक; त्यागपत्र का कारण बन सकता है | ऐसा कोई निहितार्थ नहीं          |
| पुरःस्थापन की सूचना | 7 दिन                                            | 1 माह                           |

### साधारण विधेयक के चरण

| चरण          | मुख्य बिंदु                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथम वाचन   | पुरःस्थापन (सदन की अनुमति से) और राजपत्र में प्रकाशन; कोई चर्चा नहीं; राजपत्र में पहले से प्रकाशित हो तो अनुमति आवश्यक नहीं         |
| द्वितीय वाचन | सामान्य चर्चा (विचार करना / प्रवर समिति को भेजना / संयुक्त समिति को भेजना / जनमत हेतु परिचालित करना), समिति चरण, विचार चरण (खंडवार) |
| तृतीय वाचन   | केवल संपूर्ण रूप में स्वीकृति या अस्वीकृति; कोई संशोधन नहीं                                                                         |
| दूसरा सदन    | वही तीन चरण; विकल्प: पारित करना, संशोधन करना, अस्वीकार करना, या लंबित रखना                                                          |
| अनुमति       | राष्ट्रपति: अनुमति देना, रोकना, या (एक बार) लौटाना; पुनः पारित होने पर अनुमति देना अनिवार्य                                         |

- गतिरोध: दूसरा सदन अस्वीकार करे, संशोधनों पर अंतिम रूप से असहमत हो, या 6 माह तक कार्रवाई न करे
- धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों पर राष्ट्रपति को 'निलंबनकारी वीटो' प्राप्त है

### धन विधेयक और वित्त विधेयक

- धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में; विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में
- केवल अनुच्छेद 110 के विषय होने चाहिए: कर; उधार; संचित / आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा; विनियोग; भारित व्यय; प्राप्तियाँ और लेखापरीक्षा; आनुषंगिक विषय
- केवल इन कारणों से धन विधेयक नहीं: जुर्माने / शास्तियाँ; अनुज्ञप्ति या सेवा शुल्क; स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थानीय कर
- धन विधेयक पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है (किसी न्यायालय, सदन या राष्ट्रपति द्वारा प्रश्नगत नहीं)
- अध्यक्ष राज्य सभा को भेजते समय और अनुमति के लिए भेजते समय प्रमाणपत्र पृष्ठांकित करता है

### साधारण विधेयक बनाम धन विधेयक

| बिंदु                      | साधारण विधेयक                                      | धन विधेयक                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| पुरःस्थापित कहाँ होता है   | कोई भी सदन                                         | केवल लोक सभा                                                                   |
| किसके द्वारा               | मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य                         | केवल मंत्री                                                                    |
| राष्ट्रपति की सिफारिश      | आवश्यक नहीं                                        | पुरःस्थापन के लिए आवश्यक                                                       |
| राज्य सभा                  | संशोधन या अस्वीकार कर सकती है                      | संशोधन / अस्वीकार नहीं कर सकती; सिफारिशों सहित / रहित 14 दिन के भीतर लौटाती है |
| राज्य सभा द्वारा रोके रखना | अधिकतम 6 माह                                       | 14 दिन                                                                         |
| अध्यक्ष का प्रमाणपत्र      | आवश्यक नहीं                                        | आवश्यक                                                                         |
| संयुक्त बैठक               | उपबंध है                                           | कोई उपबंध नहीं                                                                 |
| लोक सभा में पराजय          | त्यागपत्र का कारण बन सकती है (सरकारी विधेयक हो तो) | त्यागपत्र अनिवार्य                                                             |
| राष्ट्रपति                 | अनुमति / रोकना / लौटाना                            | अनुमति / रोकना; लौटा नहीं सकता                                                 |

- राज्य सभा 14 दिन में न लौटाए तो: लोक सभा द्वारा पारित रूप में दोनों सदनों से पारित माना जाता है
- लोक सभा राज्य सभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है; दोनों दशाओं में विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाता है

**वित्त विधेयकों के प्रकार**

| प्रकार           | अनुच्छेद | विशेषता                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धन विधेयक        | 110      | केवल अनुच्छेद 110 के विषय; केवल लोक सभा; राज्य सभा संशोधन / अस्वीकार नहीं कर सकती                                                                                                          |
| वित्त विधेयक (1) | 117(1)   | अनुच्छेद 110 के विषय तथा अन्य विषय (जैसे उधार संबंधी खंड); केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोक सभा में पुरःस्थापित; अन्यथा साधारण विधेयक के समान; संयुक्त बैठक संभव; राष्ट्रपति लौटा सकता है |
| वित्त विधेयक (2) | 117(3)   | केवल भारत की संचित निधि से व्यय; किसी भी सदन में बिना सिफारिश के पुरःस्थापित; विचार चरण पर राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक                                                                    |

- सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं; इसका उलटा सत्य नहीं
- कर घटाने / समाप्त करने के संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं

**संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)**

- साधारण या वित्त विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आहूत
- धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर लागू नहीं
- गतिरोध: अस्वीकृति; संशोधनों पर अंतिम असहमति; 6 माह से अधिक विलंब (4 दिन से अधिक के स्थगन की अवधि छोड़कर)
- लोक सभा के विघटन से विधेयक व्यपगत हो जाए: संयुक्त बैठक नहीं; यदि विघटन से पूर्व राष्ट्रपति ने आशय अधिसूचित किया हो: अनुज्ञेय
- अधिसूचना के बाद कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकता
- अध्यक्षता अध्यक्ष करता है; उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष; फिर उपसभापति (राज्य सभा); फिर सदस्यों द्वारा चुना गया व्यक्ति
- दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित
- नए संशोधन केवल तब, जब वे अंतिम असहमति का कारण बने हों या विलंब के कारण आवश्यक हों

**संयुक्त बैठकों में पारित विधेयक**

| विधेयक                           | वर्ष | संयुक्त बैठक की तिथि                         |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------|
| दहेज प्रतिषेध विधेयक             | 1960 | 6 मई 1961                                    |
| बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक | 1977 | 16 मई 1978                                   |
| आतंकवाद निवारण विधेयक (पोटा)     | 2002 | 26 मार्च 2002 (पक्ष में 425, विपक्ष में 296) |

**संसद में बजट**

- संविधान का शब्द: 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (अनुच्छेद 112); 'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं
- वित्त वर्ष: 1 अप्रैल से 31 मार्च
- 2017 से बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत (पहले फरवरी का अंतिम कार्य-दिवस)
- अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण; भारित और मतदान-योग्य व्यय अलग-अलग दर्शाए जाते हैं
- अनुच्छेद 113: अनुदान की माँगों केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर; लोक सभा घटा सकती है या अस्वीकार कर सकती है, कभी बढ़ा नहीं सकती; भारित मदों पर केवल चर्चा
- अनुच्छेद 114: विनियोग विधि के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता; अनुच्छेद 265: विधि के बिना कर नहीं
- राज्य सभा अनुदान की माँगों पर मतदान नहीं कर सकती (केवल लोक सभा का अधिकार)
- भारत की संचित निधि पर भारित (मतदान-योग्य नहीं): राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ; अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन; उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक; संघ लोक सेवा आयोग; ऋण भार; न्यायालयों की डिफ्रियाँ और पंचाट; संसद द्वारा घोषित अन्य

**संसद में बजट के छह चरण**

| चरण                                              | मुख्य तथ्य                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. प्रस्तुति                                     | लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा; बजट भाषण; उस दिन कोई चर्चा नहीं; भाषण के बाद राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है |
| 2. सामान्य चर्चा                                 | 3-4 दिन; दोनों सदन; कटौती प्रस्ताव या मतदान नहीं; वित्त मंत्री उत्तर देते हैं                                 |
| 3. विभाग-संबंधित स्थायी समितियों द्वारा संवीक्षा | 3-4 सप्ताह का अवकाश; 24 समितियाँ अनुदान की माँगों की जाँच करती हैं                                            |

| चरण                | मुख्य तथ्य                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. माँगों पर मतदान | केवल लोक सभा; मंत्रालयवार; केवल मतदान-योग्य भाग; कटौती प्रस्ताव; अंतिम दिन गिलोटिन                                                                     |
| 5. विनियोग विधेयक  | संचित निधि से धन निकालने को प्राधिकृत करता है; अनुदान की राशि या गंतव्य बदलने वाला संशोधन नहीं हो सकता                                                 |
| 6. वित्त विधेयक    | कर प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है; कर अस्वीकार / घटाने के संशोधन अनुज्ञेय; 75 दिन के भीतर अधिनियमित होना आवश्यक (करों का अनंतिम संग्रहण अधिनियम, 1931) |

### कटौती प्रस्ताव

| प्रकार           | प्रभाव                                          |
|------------------|-------------------------------------------------|
| नीति कटौती       | नीति का अनुमोदन; माँग घटाकर 1 रुपया             |
| मितव्ययिता कटौती | माँग को निर्दिष्ट राशि से घटाता है              |
| सांकेतिक कटौती   | शिकायत व्यक्त करना; माँग 100 रुपये घटाई जाती है |

- लोक सभा द्वारा कटौती प्रस्ताव पारित होना = अविश्वास; त्यागपत्र का कारण बन सकता है
- लेखानुदान (अनुच्छेद 116): वर्ष के कुछ भाग के लिए अग्रिम अनुदान; सामान्यतः 2 माह, अनुमान का छठा भाग; चुनावी वर्ष में अधिक अवधि
- विनियोग अधिनियम संचित निधि से भुगतान को वैध बनाता है; वित्त अधिनियम आय पक्ष को वैध बनाता है

### अन्य अनुदान

| अनुदान        | कब                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| अनुपूरक       | प्राधिकृत राशि अपर्याप्त हो                                                   |
| अतिरिक्त      | बजट में अपेक्षित न की गई नई सेवा                                              |
| अधिक          | अनुदान से अधिक व्यय हुआ धन; वर्ष के बाद मतदान; पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन |
| प्रत्ययानुदान | अप्रत्याशित माँग, अनिश्चित सेवा; 'कोरा चेक'                                   |

### केंद्र की निधियाँ

| निधि                   | अनुच्छेद | विशेषताएँ                                                                                             |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारत की संचित निधि     | 266      | सभी राजस्व, ऋण और प्रतिदान; विनियोग केवल संसद की विधि द्वारा                                          |
| भारत का लोक लेखा       | 266      | भविष्य निधि, न्यायिक, बचत बैंक जमा आदि; कार्यपालिका की कार्यवाही से संचालित                           |
| भारत की आकस्मिकता निधि | 267      | आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950; राष्ट्रपति के अधीन; वित्त सचिव के पास रहती है; कार्यपालिका की कार्यवाही |

## संसद की बहुकार्यात्मक भूमिका

### संसद की शक्तियाँ और कार्य

| श्रेणी      | मुख्य बिंदु                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विधायी      | संघ सूची (98 विषय), समवर्ती सूची (52), राज्य सूची (59); अवशिष्ट शक्ति; अध्यादेशों का पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन; प्रत्यायोजित विधायन |
| कार्यपालिका | प्रश्नकाल, प्रस्तावों आदि द्वारा नियंत्रण; मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी                                                     |
| वित्तीय     | बजट का अनुमोदन; लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा नियंत्रण; वार्षिकता का सिद्धांत                                        |

| श्रेणी          | मुख्य बिंदु                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संविधायी        | संशोधन: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन; मूल ढाँचा (केशवानंद भारती, 1973)                                                                   |
| न्यायिक         | राष्ट्रपति पर महाभियोग; उपराष्ट्रपति को हटाना; न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की सिफारिश; विशेषाधिकार भंग पर दंड |
| निर्वाचन संबंधी | उपराष्ट्रपति का निर्वाचन; राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग; लोक सभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष और राज्य सभा उपसभापति का निर्वाचन                                                       |
| अन्य            | आपातकाल का अनुमोदन; विधान परिषदों का सृजन / उत्सादन; राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन; न्यायालयों का विनियमन                                                  |

### राज्य सूची पर संसद की शक्ति (पाँच परिस्थितियाँ)

| परिस्थिति                                                | अनुच्छेद |
|----------------------------------------------------------|----------|
| राज्य सभा का संकल्प (उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3) | 249      |
| राष्ट्रीय आपातकाल                                        | 250      |
| दो या अधिक राज्यों का अनुरोध                             | 252      |
| अंतरराष्ट्रीय करार / संधियाँ                             | 253      |
| राष्ट्रपति शासन                                          | 356      |

- राज्य विधानमंडल केवल एक संशोधन आरंभ कर सकता है: विधान परिषद का सृजन / उत्सादन

### राज्य सभा की स्थिति

#### राज्य सभा बनाम लोक सभा की शक्तियाँ

| श्रेणी                         | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समान                           | साधारण विधेयक; संविधान संशोधन विधेयक; संचित निधि से व्यय वाले वित्त विधेयक; राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग; उपराष्ट्रपति का निर्वाचन; न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हटाने की सिफारिश; अध्यादेशों का अनुमोदन; तीनों आपातकालों का अनुमोदन; मंत्रियों का चयन (किंतु उत्तरदायित्व केवल लोक सभा के प्रति); संवैधानिक निकायों के प्रतिवेदन; उच्चतम न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग की अधिकारिता का विस्तार |
| असमान (लोक सभा अधिक शक्तिशाली) | धन विधेयक; वित्त विधेयक (1) का पुरःस्थापन; अध्यक्ष द्वारा धन विधेयकों का प्रमाणन; संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है और लोक सभा की संख्या का पलड़ा भारी रहता है; बजट माँगों पर मतदान; राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प; अविश्वास प्रस्ताव                                                                                                                                                                                 |
| विशेष (केवल राज्य सभा)         | अनुच्छेद 249 (राज्य सूची पर विधि); अनुच्छेद 312 (नई अखिल भारतीय सेवाएँ); उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आरंभ करना (अनुच्छेद 67); लोक सभा के विघटित होने पर केवल राज्य सभा के अनुमोदन से आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी (अनुच्छेद 352, 356, 360)                                                                                                                                                                                         |

### संसदीय विशेषाधिकार

- अनुच्छेद 105: संसद में वाक्-स्वातंत्र्य और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार
- 44वाँ संशोधन (1978): प्रेस बिना अनुमति के सही प्रतिवेदन प्रकाशित कर सकता है (गुप्त बैठकों के लिए नहीं)

#### विशेषाधिकार

| प्रकार  | विशेषाधिकार                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सामूहिक | प्रतिवेदन और वाद-विवाद प्रकाशित करना; अपरिचितों को बाहर करना; गुप्त बैठकें                                                     |
| सामूहिक | विशेषाधिकार भंग या अवमानना पर सदस्यों / बाहरी व्यक्तियों को दंड (भर्त्सना, चेतावनी, कारावास; सदस्यों के लिए निलंबन / निष्कासन) |

| प्रकार    | विशेषाधिकार                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सामूहिक   | सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध या रिहाई की तत्काल सूचना                                                                             |
| सामूहिक   | पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना परिसर में गिरफ्तारी या विधिक प्रक्रिया नहीं                                                  |
| व्यक्तिगत | सत्र के दौरान तथा उससे 40 दिन पहले और बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति (आपराधिक मामलों या निवारक निरोध में नहीं) |
| व्यक्तिगत | संसद और उसकी समितियों में वाक्-स्वातंत्र्य (अनुच्छेद 105(2))                                                                   |
| व्यक्तिगत | जुरी सेवा से छूट; सत्र में होने पर साक्ष्य देने से इनकार कर सकता है                                                            |

- विशेषाधिकार भंग सदैव अवमानना है; अवमानना सदैव विशेषाधिकार भंग नहीं है

### संसद की संप्रभुता

- ब्रिटिश संसद: संप्रभु (डायसी) - कोई भी विधि बना / संशोधित कर सकती है; संवैधानिक और साधारण विधियाँ एक ही प्रक्रिया से; कोई न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं
- भारतीय संसद: संप्रभु नहीं

### भारतीय संसद की संप्रभुता की सीमाएँ

| सीमा                | कारण                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| लिखित संविधान       | विधायी और संविधायी प्राधिकार में भेद करता है                           |
| संघीय व्यवस्था      | राज्य सूची पर सामान्यतः विधि नहीं बना सकती                             |
| न्यायिक पुनर्विलोकन | उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधियों को शून्य घोषित कर सकते हैं    |
| मौलिक अधिकार        | अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को न्यून करने वाली विधियों का निषेध करता है |

### संसद से संबंधित अनुच्छेद

#### अनुच्छेद एक नज़र में

| अनुच्छेद | विषय                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79-81    | संसद का गठन; राज्यों की परिषद; लोगों का सदन                                                         |
| 82-83    | जनगणना के बाद पुनः समायोजन; सदनों की अवधि                                                           |
| 84-85    | अर्हता; सत्र, सत्रावसान, विघटन                                                                      |
| 86-88    | राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश; मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार                                 |
| 89-92    | राज्य सभा के सभापति और उपसभापति (निर्वाचन, पदच्युति, कर्तव्य)                                       |
| 93-96    | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (निर्वाचन, पदच्युति, कर्तव्य)                                                  |
| 97-98    | पीठासीन अधिकारियों के वेतन; सचिवालय                                                                 |
| 99-100   | शपथ; मतदान, गणपूर्ति                                                                                |
| 101-104  | सीटों का रिक्त होना; निरर्हता; निर्णय; शास्ति                                                       |
| 105-106  | विशेषाधिकार; सदस्यों के वेतन                                                                        |
| 107-111  | विधेयक; संयुक्त बैठक (108); धन विधेयक की प्रक्रिया (109); परिभाषा (110); अनुमति (111)               |
| 112-117  | बजट (112); प्राक्कलन (113); विनियोग (114); अनुपूरक (115); लेखानुदान (116); वित्त विधेयक (117)       |
| 118-122  | प्रक्रिया के नियम; वित्तीय कार्य विधि द्वारा; भाषा (120); न्यायाधीशों का आचरण (121); न्यायालय (122) |
| 123      | राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति                                                                        |

- प्रथम अध्यक्ष: जी.वी. मावलंकर; प्रथम उपाध्यक्ष: एम. अनंतशयनम अय्यंगार
- मीरा कुमार (15वीं लोक सभा): प्रथम महिला अध्यक्ष; सुमित्रा महाजन (16वीं); ओम बिरला (17वीं और 18वीं)

- अन्य: हुकम सिंह (तीसरी), बलराम जाखड़ (7वीं-8वीं), पी.ए. संगमा (11वीं), जी.एम.सी. बालयोगी (12वीं-13वीं, 2002 में निधन), सोमनाथ चटर्जी (14वीं)

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

आंग्ल-भारतीय मनोनयन 2020 में समाप्त (104वाँ संशोधन); अनुसूचित जाति / जनजाति आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया  
राष्ट्रपति पर महाभियोग: कुल सदस्य संख्या का 2/3; न्यायाधीशों को हटाना: निरपेक्ष बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3  
संयुक्त बैठक: धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के लिए नहीं  
शून्यकाल (1962, नियमों में नहीं) बनाम ध्यानाकर्षण (1954, नियमों में)  
स्थगन प्रस्ताव: केवल लोक सभा; 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक

## संसदीय समितियाँ

### अर्थ और वर्गीकरण

- संविधान समितियों का उल्लेख करता है, किंतु उनकी संरचना, कार्यकाल और कार्य सदनों के नियमों पर छोड़ता है
- संसदीय समिति: सदन द्वारा नियुक्त / निर्वाचित या अध्यक्ष / सभापति द्वारा मनोनीत; उनके निदेशन में कार्य करती है; सदन या पीठासीन अधिकारी को प्रतिवेदन देती है; सचिवालय लोक सभा / राज्य सभा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है
- दो प्रकार: स्थायी (स्थायी, सतत) और तदर्थ (अस्थायी)

### श्रेणी के अनुसार स्थायी समितियाँ

| श्रेणी                    | समितियाँ                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वित्तीय                   | लोक लेखा; प्राक्कलन; सार्वजनिक उपक्रम                                                                                                              |
| विभाग-संबंधित             | 24 विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ                                                                                                                   |
| जाँच हेतु                 | याचिकाएँ; विशेषाधिकार; आचार                                                                                                                        |
| संवीक्षा और नियंत्रण हेतु | सरकारी आश्वासन; अधीनस्थ विधायन; सभा पटल पर रखे गए पत्र; अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण; महिला सशक्तीकरण; लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति |
| दैनंदिन कार्य             | कार्य मंत्रणा; गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प; नियम; सदस्यों की अनुपस्थिति                                                                 |
| सदन-व्यवस्था              | सामान्य प्रयोजन; सदन समिति; पुस्तकालय; सांसदों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति                                                              |

- प्रवर समिति: एक सदन की; संयुक्त समिति: दोनों सदनों की; असहमति की टिप्पणियाँ संलग्न की जा सकती हैं

### वित्तीय समितियाँ

#### वित्तीय समितियों की तुलना

| बिंदु                | लोक लेखा समिति                                                                                        | प्राक्कलन समिति                                                   | सार्वजनिक उपक्रम समिति                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उद्गम                | 1921 (भारत शासन अधिनियम 1919)                                                                         | 1921 में स्थायी वित्तीय समिति; स्वतंत्रता के बाद 1950 (जॉन मथाई)  | 1964 (कृष्ण मेनन समिति)                                                                           |
| सदस्य                | 22 (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा)                                                                         | 30, सभी लोक सभा से                                                | 22 (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा); मूलतः 15 (10+5)                                                    |
| निर्वाचन             | संसद द्वारा, प्रतिवर्ष, एकल संक्रमणीय मत                                                              | लोक सभा द्वारा, प्रतिवर्ष, एकल संक्रमणीय मत                       | संसद द्वारा, प्रतिवर्ष, एकल संक्रमणीय मत                                                          |
| कार्यकाल             | 1 वर्ष                                                                                                | 1 वर्ष                                                            | 1 वर्ष                                                                                            |
| मंत्री का सदस्य होना | अनुमत नहीं                                                                                            | अनुमत नहीं                                                        | अनुमत नहीं                                                                                        |
| अध्यक्ष              | अध्यक्ष द्वारा नियुक्त; 1967 से विपक्ष से                                                             | अध्यक्ष द्वारा नियुक्त; सत्तारूढ़ दल से                           | अध्यक्ष द्वारा नियुक्त                                                                            |
| कार्य                | नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जाँच (विनियोग लेखे, वित्त लेखे, सार्वजनिक उपक्रम) | प्राक्कलनों की जाँच; मितव्ययिता के सुझाव ('सतत मितव्ययिता समिति') | सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों की जाँच |

| बिंदु   | लोक लेखा समिति                                                                        | प्राक्कलन समिति                                                          | सार्वजनिक उपक्रम समिति                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकृति | मरणोत्तर परीक्षण; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सहायता ('मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक') | मतदान के बाद प्राक्कलनों की जाँच; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सहायता नहीं | नीति और दैनंदिन प्रशासन की जाँच नहीं कर सकती; वर्ष में 10-12 सार्वजनिक उपक्रम |

- तीनों की सिफारिशें परामर्शी हैं

### विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ

- 1993 में नियम समिति की सिफारिश पर गठित; 2004 में 17 से बढ़ाकर 24
- 8 राज्य सभा के अधीन; 16 लोक सभा के अधीन
- प्रत्येक में 31 सदस्य (21 लोक सभा + 10 राज्य सभा); लोक सभा के सदस्य अध्यक्ष द्वारा, राज्य सभा के सदस्य सभापति द्वारा मनोनीत
- कार्य: अनुदान की माँगें (कटौती-प्रस्ताव प्रकार के सुझाव नहीं); भेजे गए विधेयक; वार्षिक प्रतिवेदन; दीर्घकालिक नीति-दस्तावेज़
- दैनंदिन प्रशासन पर विचार नहीं करेंगी
- सिफारिशें परामर्शी हैं, बाध्यकारी नहीं
- मंत्री सदस्य नहीं हो सकता; कार्यकाल 1 वर्ष

#### विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (24)

| सदन           | समितियाँ                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राज्य सभा (8) | वाणिज्य; गृह मामले; शिक्षा-महिला-बाल-युवा-खेल; उद्योग; विज्ञान-प्रौद्योगिकी-पर्यावरण-वन-जलवायु परिवर्तन; परिवहन-पर्यटन-संस्कृति; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; कार्मिक-लोक शिकायत-विधि और न्याय                                                                         |
| लोक सभा (16)  | कृषि; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी; रक्षा; ऊर्जा; विदेश मामले; वित्त; उपभोक्ता मामले-खाद्य-सार्वजनिक वितरण; श्रम-वस्त्र-कौशल; पेट्रोलियम; रेल; आवास और शहरी कार्य; जल संसाधन; रसायन और उर्वरक; ग्रामीण विकास-पंचायती राज; कोयला-खान-इस्पात; सामाजिक न्याय और अधिकारिता |

### अन्य स्थायी समितियाँ

#### जाँच और संवीक्षा करने वाली समितियाँ

| समिति                                   | सदस्य                          | मुख्य तथ्य                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| याचिकाएँ                                | 15 लोक सभा, 10 राज्य सभा       | विधेयकों और लोक महत्त्व के विषयों पर याचिकाओं की जाँच         |
| विशेषाधिकार                             | 15 लोक सभा, 10 राज्य सभा       | अर्ध-न्यायिक; विशेषाधिकार भंग                                 |
| आचार                                    | 15 लोक सभा, 10 राज्य सभा       | आचार संहिता; राज्य सभा 1997, लोक सभा 2000                     |
| सरकारी आश्वासन                          | 15 लोक सभा, 10 राज्य सभा       | मंत्रियों के वचन; 1953 में गठित                               |
| अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण | 30 (20 लोक सभा + 10 राज्य सभा) | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयोगों के प्रतिवेदन |
| महिला सशक्तीकरण                         | 30 (20 लोक सभा + 10 राज्य सभा) | 1997 में गठित; राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदन              |
| लाभ के पद (संयुक्त)                     | 15 (10 लोक सभा + 5 राज्य सभा)  | पदधारकों की निरर्हता की सिफारिश करती है                       |

#### दैनंदिन कार्य और सदन-व्यवस्था समितियाँ

| समिति                                  | सदस्य                    | मुख्य तथ्य                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| कार्य मंत्रणा                          | लोक सभा 15; राज्य सभा 11 | अध्यक्ष / सभापति अध्यक्षता करते हैं; समय-सारणी                                   |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्प | 15, केवल लोक सभा         | उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं; राज्य सभा में कार्य मंत्रणा समिति यह कार्य करती है |
| नियम                                   | लोक सभा 15; राज्य सभा 16 | अध्यक्ष / सभापति अध्यक्षता करते हैं; प्रक्रिया                                   |

| समिति                               | सदस्य                         | मुख्य तथ्य                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| सामान्य प्रयोजन                     | -                             | पीठासीन अधिकारी अध्यक्षता करता है; अन्य समितियों के अधीन न आने वाले विषय |
| सदन                                 | लोक सभा 12; राज्य सभा 10      | आवास, भोजन, चिकित्सा सहायता                                              |
| वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति | 15 (10 लोक सभा + 5 राज्य सभा) | 1954 के अधिनियम के अधीन; नियम बनाती है                                   |

- अन्य: अधीनस्थ विधायन (प्रत्येक सदन में 15, 1953); सभा पटल पर रखे गए पत्र (1975); सदस्यों की अनुपस्थिति (केवल लोक सभा, 60 दिन); पुस्तकालय (9: 6+3)

#### समितियाँ - संक्षिप्त तथ्य

प्राक्कलन समिति: केवल लोक सभा के सदस्य (30)  
लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति: 22 सदस्य (15+7)  
लोक लेखा समिति का सभापति विपक्ष से (1967 से)  
कार्य मंत्रणा, नियम, सामान्य प्रयोजन: अध्यक्ष अध्यक्षता करता है  
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंधी समिति: उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है  
विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ: 31 सदस्य (21+10); 24 समितियाँ (16 लोक सभा + 8 राज्य सभा)

## भारतीय संसदीय समूह

### भारतीय संसदीय समूह एक नज़र में

- अंतर-संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारतीय शाखा के रूप में कार्य करता है

#### भारतीय संसदीय समूह के पदाधिकारी और तथ्य

| पद                            | तथ्य                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्यक्ष                       | लोक सभा अध्यक्ष (पदेन)                                                                                          |
| उपाध्यक्षगण                   | लोक सभा उपाध्यक्ष और राज्य सभा उपसभापति (पदेन)                                                                  |
| महासचिव                       | लोक सभा महासचिव (पदेन)                                                                                          |
| विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल | केवल कम-से-कम 6 माह की सदस्यता वाले सदस्य                                                                       |
| पुरस्कार                      | 1995 से उत्कृष्ट सांसद; अध्यक्ष द्वारा गठित पाँच सदस्यीय समिति                                                  |
| संसदीय मैत्री समूह            | भारतीय संसदीय समूह द्वारा गठित; समूह के प्रमुख की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा; दोनों सदनों के वर्तमान सांसद |

- अंतर-संसदीय संघ: संप्रभु राज्यों की संसदों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (179 संसदें); भारतीय संसदीय समूह इसका राष्ट्रीय समूह है
- राष्ट्रमंडल संसदीय संघ: 53 राष्ट्रमंडल देशों के सांसद (लगभग 17,000 सदस्य); भारतीय संसदीय समूह भारत में इसकी मुख्य शाखा है
- भारतीय संसदीय समूह 1949 में गठित; सभी सांसदों के लिए खुला; पूर्व सांसद सहयोगी सदस्य
- राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के प्रकाशन: 'द पार्लियामेंटैरियन' (त्रैमासिक), 'फर्स्ट रीडिंग'

## अध्याय 07

# उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, सक्रियता, जनहित याचिका

## उच्चतम न्यायालय

### मूल बातें

- एकीकृत न्यायिक प्रणाली (भारत शासन अधिनियम 1935 से): शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय
- एक ही प्रणाली केंद्रीय और राज्य, दोनों विधियों को लागू करती है (अमेरिका में दोहरी प्रणाली)
- उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ; यह भारत के संघीय न्यायालय (भारत शासन अधिनियम 1935) का उत्तराधिकारी है
- उच्चतम न्यायालय ने अंतिम अपील न्यायालय के रूप में प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया
- **अनुच्छेद 124-147** (भाग 5 में) उच्चतम न्यायालय से संबंधित हैं
- प्रमुख अनुच्छेद: 124 गठन; 124क-ग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (असंवैधानिक घोषित); 125 वेतन; 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश; 127 तदर्थ; 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश; 129 अभिलेख न्यायालय; 130 स्थान
- 131 मूल; 132 संवैधानिक अपील; 133 सिविल; 134 आपराधिक; 134क प्रमाणपत्र; 136 विशेष अनुमति; 137 पुनर्विलोकन; 139 रिट; 139क मामलों का अंतरण
- 141 विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी; 142 पूर्ण न्याय; 143 परामर्श; 144 उच्चतम न्यायालय की सहायता; 145 नियम; 146 कर्मचारी; 131क, 144क निरसित

### संरचना

- वर्तमान संख्या: **34** (भारत के मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश)
- मूल संख्या 1950: 8 (मुख्य न्यायाधीश + 7); अनुच्छेद 124(1) संसद द्वारा बढ़ाए जाने तक 7 निर्धारित करता है
- वृद्धि: 10 (1956); 13 (1960); 17 (1977); 25 (1986); 30 (2008); 33 (2019), मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश

### न्यायाधीशों की नियुक्ति

- नियुक्तिकर्ता: **राष्ट्रपति**
- मुख्य न्यायाधीश: राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श के बाद नियुक्त
- अन्य न्यायाधीश: मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य

### न्यायाधीश मामले (परामर्श / कॉलेजियम)

| मामला                                                                   | वर्ष | निर्णय                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथम न्यायाधीश मामला (एस.पी. गुप्ता)                                   | 1981 | परामर्श सहमति नहीं है; केवल विचारों का आदान-प्रदान                                                                            |
| द्वितीय न्यायाधीश मामला (उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन) | 1993 | परामर्श = सहमति; मुख्य न्यायाधीश की सलाह बाध्यकारी; मुख्य न्यायाधीश 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करता है; कॉलेजियम का जन्म |
| तृतीय न्यायाधीश मामला (राष्ट्रपति का संदर्भ, अनुच्छेद 143)              | 1998 | मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम; दो प्रतिकूल राय होने पर सिफारिश वर्जित                                  |
| चतुर्थ न्यायाधीश मामला (उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन)  | 2015 | 99वाँ संशोधन 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 निरस्त; कॉलेजियम बहाल                                       |

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों में कॉलेजियम का स्थान लेना था

### न्यायाधीश मामले

- 1981 प्रथम: परामर्श सहमति नहीं है
- 1993 द्वितीय: परामर्श सहमति है; कॉलेजियम का आरंभ
- 1998 तृतीय: कॉलेजियम का विस्तार - मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश

2015 चतुर्थ: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और 99वाँ संशोधन शून्य

## मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- 1950-73: परिपाटी से वरिष्ठतम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता था
- 1973 में परिपाटी भंग: शेलट, हेगड़े और ग्रीवर की वरिष्ठता लॉघकर ए.एन. रे नियुक्त (केशवानंद भारती निर्णय के बाद); तीनों ने त्यागपत्र दिया
- 1977 में पुनः भंग: एच.आर. खन्ना (एडीएम जबलपुर मामले में असहमति) की वरिष्ठता लॉघकर एम.यू. बेग नियुक्त; खन्ना ने त्यागपत्र दिया
- द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993): केवल वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होगा

## अर्हताएँ, शपथ, वेतन

### उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएँ

| अपेक्षा          | विवरण                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| नागरिकता         | भारत का नागरिक                                            |
| न्यायाधीश मार्ग  | उच्च न्यायालय (या उच्च न्यायालयों) का 5 वर्ष तक न्यायाधीश |
| अधिवक्ता मार्ग   | उच्च न्यायालय (या उच्च न्यायालयों) का 10 वर्ष तक अधिवक्ता |
| विधिवेत्ता मार्ग | राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता                   |
| न्यूनतम आयु      | विहित नहीं                                                |

- शपथ / प्रतिज्ञान राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष
- वेतन, भत्ते, पेंशन संसद द्वारा निर्धारित; वित्तीय आपातकाल को छोड़कर अहित में परिवर्तित नहीं किए जा सकते
- वेतन (2018): मुख्य न्यायाधीश 2.80 लाख रुपये प्रति माह; न्यायाधीश 2.50 लाख रुपये प्रति माह
- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन मिलती है

## कार्यकाल और पदच्युति

- कार्यकाल निश्चित नहीं; **65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है**
- राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र देता है
- संसद के प्रत्येक सदन के समावेदन पर, उसी सत्र में, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है
- विशेष बहुमत: कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई
- आधार: **सिद्ध कदाचार या अक्षमता**
- प्रक्रिया का विनियमन: **न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968**
- 100 लोक सभा सदस्यों या 50 राज्य सभा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव, अध्यक्ष / सभापति को; वे उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं
- तीन सदस्यीय समिति: मुख्य न्यायाधीश / उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता
- दोषी पाए जाने पर प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत, फिर राष्ट्रपति का आदेश

## कार्यवाहक, तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश

### अस्थायी न्यायाधीश

| प्रकार                    | अनुच्छेद | नियुक्तिकर्ता                                                                            | शर्त                                                                                         |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश | 126      | राष्ट्रपति                                                                               | मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त / वह अनुपस्थित / कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ                      |
| तदर्थ न्यायाधीश           | 127      | मुख्य न्यायाधीश (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति) | गणपूर्ति का अभाव; उच्चतम न्यायालय की अर्हता आवश्यक                                           |
| सेवानिवृत्त न्यायाधीश     | 128      | मुख्य न्यायाधीश (राष्ट्रपति और संबंधित न्यायाधीश की पूर्व सहमति)                         | उच्चतम न्यायालय की अर्हता रखने वाला सेवानिवृत्त उच्चतम / उच्च न्यायालय का न्यायाधीश; अस्थायी |

## स्थान और प्रक्रिया

- स्थान: **दिल्ली**; मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थान (स्थानों) को नियत कर सकता है (वैकल्पिक, कोई न्यायालय निर्देश नहीं दे सकता)
- उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के अनुमोदन से प्रक्रिया के नियम बनाता है

- संवैधानिक मामलों और अनुच्छेद 143 के संदर्भों के लिए: कम-से-कम **5 न्यायाधीशों की पीठ**
- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए जाते हैं; बहुमत से; असहमति की अनुमति

## उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता

### स्वतंत्रता के रक्षोपाय

| रक्षोपाय                              | उपबंध                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| नियुक्ति की रीति                      | न्यायपालिका से परामर्श करके राष्ट्रपति                                    |
| कार्यकाल की सुरक्षा                   | केवल संवैधानिक प्रक्रिया से पदच्युति                                      |
| निश्चित सेवा शर्तें                   | अहित में परिवर्तित नहीं की जा सकती (वित्तीय आपातकाल को छोड़कर)            |
| भारित व्यय                            | वेतन और व्यय संचित निधि पर भारित; मतदान-योग्य नहीं, किंतु चर्चा योग्य     |
| आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती            | महाभियोग प्रस्ताव को छोड़कर संसद / विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं           |
| सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध | भारत में किसी न्यायालय / प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकते |
| अवमानना की शक्ति                      | उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है                        |
| अपने कर्मचारी                         | मुख्य न्यायाधीश अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करता है                  |
| अधिकारिता                             | संसद घटा नहीं सकती; केवल बढ़ा सकती है                                     |

## अधिकारिता और शक्तियाँ

- नौ शीर्षक: मूल, रिट, अपीलीय, परामर्शी, अभिलेख न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन, संवैधानिक व्याख्या, अन्य शक्तियाँ

### मूल अधिकारिता (अनुच्छेद 131)

- इन विवादों पर अनन्य और मूल अधिकारिता: केंद्र बनाम एक या अधिक राज्य; केंद्र + राज्य बनाम अन्य राज्य; दो या अधिक राज्यों के बीच
- विवाद में विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर हो; राजनीतिक प्रश्न अपवर्जित
- किसी निजी नागरिक का केंद्र / राज्य के विरुद्ध वाद स्वीकार नहीं किया जाता
- **अपवर्जित:** संविधान-पूर्व संधियाँ / सनदें जो प्रवर्तन में हैं; अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956); वित्त आयोग को निर्दिष्ट विषय; केंद्र और राज्यों के बीच कुछ व्ययों / पेंशनों का समायोजन
- प्रथम वाद: पश्चिम बंगाल बनाम केंद्र (1961), कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम 1957 वैध ठहराया गया

### रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 32)

- उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा रिट केवल **मौलिक अधिकारों के लिए जारी करता है**
- उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) मौलिक अधिकारों और **अन्य प्रयोजनों** के लिए रिट जारी कर सकता है; उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता अधिक व्यापक है
- संसद उच्चतम न्यायालय को अन्य प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है (अनुच्छेद 139)

### उच्चतम न्यायालय की दो मूल अधिकारिताएँ

| आधार     | संघीय विवाद     | मौलिक अधिकार                   |
|----------|-----------------|--------------------------------|
| प्रकृति  | अनन्य           | उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती |
| पक्षकार  | केंद्र और राज्य | नागरिक बनाम सरकार              |
| अनुच्छेद | 131             | 32                             |

## अपीलीय अधिकारिता

| प्रकार    | अनुच्छेद | शर्त                                                                                                                |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संवैधानिक | 132      | उच्च न्यायालय संविधान के निर्वचन के सारभूत विधि-प्रश्न का प्रमाणपत्र देता है                                        |
| सिविल     | 133      | उच्च न्यायालय सामान्य महत्त्व के ऐसे सारभूत प्रश्न का प्रमाणपत्र देता है जिस पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आवश्यक हो |
| आपराधिक   | 134      | नीचे देखें                                                                                                          |

| प्रकार       | अनुच्छेद | शर्त                                                |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------|
| विशेष अनुमति | 136      | विवेकाधीन; सैन्य को छोड़कर कोई भी न्यायालय / अधिकरण |

- सिविल अपीलों के लिए मौद्रिक सीमा (20,000 रुपये) **30वें संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा हटाई गई**
- अधिकार के रूप में आपराधिक अपील (प्रमाणपत्र के बिना), जब उच्च न्यायालय ने: दोषमुक्ति को पलटकर मृत्युदंड दिया हो; या मामला अपने पास मंगाकर दोषसिद्ध कर मृत्युदंड दिया हो
- 1970 के अधिनियम ने इन्हीं दो स्थितियों में आजीवन कारावास या दस वर्ष के कारावास तक विस्तार किया
- उच्च न्यायालय दोषसिद्ध पलटकर दोषमुक्त करे: अपील का अधिकार नहीं
- विशेष अनुमति: विवेकाधीन, कोई भी निर्णय (अंतिम या अंतरिम), कोई भी विषय, सैन्य को छोड़कर कोई भी न्यायालय या अधिकरण

### परामर्शी अधिकारिता (अनुच्छेद 143)

- दो विषय: (क) लोक महत्त्व का विधि या तथ्य का प्रश्न; (ख) संविधान-पूर्व संधियों / सनदों से उत्पन्न विवाद
- (क) में उच्चतम न्यायालय राय देने से इनकार कर सकता है; (ख) में राय देना **अनिवार्य** है
- राय परामर्शी है; राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं
- अनुच्छेद 143 के संदर्भ समय-समय पर भेजे जाते हैं; नवंबर 2025 की परामर्शी राय (विधेयकों पर अनुमति की समय-सीमा) 16वें राष्ट्रपति संदर्भ का उत्तर थी
- कालानुक्रमिक: दिल्ली विधि अधिनियम 1951; केरल शिक्षा विधेयक 1958; बेरुबारी 1960; समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1963; केशव सिंह 1964; राष्ट्रपति निर्वाचन 1974; विशेष न्यायालय विधेयक 1978; जम्मू-कश्मीर पुनर्वास अधिनियम 1982; कावेरी अधिकरण 1992; राम जन्मभूमि 1993; मुख्य न्यायाधीश से परामर्श 1998; प्राकृतिक गैस 2001; गुजरात चुनाव स्थगन 2002; पंजाब करार समापन अधिनियम 2004; 2जी स्पेक्ट्रम 2012; राज्यपाल / राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति 2025

### अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 129)

- निर्णय और कार्यवाहियाँ शाश्वत स्मृति हेतु अभिलिखित; साक्ष्य मूल्य; विधिक नजीरें
- अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति; 1991 का निर्णय: उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों की अवमानना भी

#### न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971

| पहलू            | विवरण                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समिति           | एच.एन. सान्याल समिति (1961, प्रतिवेदन 1963)                                                                            |
| सिविल अवमानना   | निर्णय, आदेश, रिट की जानबूझकर अवज्ञा; वचन भंग                                                                          |
| आपराधिक अवमानना | न्यायालय के प्राधिकार को कलंकित / कम करना; न्यायिक कार्यवाही में पूर्वाग्रह उत्पन्न करना; न्याय प्रशासन में बाधा डालना |
| अवमानना नहीं    | निर्दोष प्रकाशन, कार्यवाही का निष्पक्ष प्रतिवेदन, न्यायिक कृत्यों की निष्पक्ष आलोचना                                   |
| दंड             | 6 माह तक का साधारण कारावास या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों                                                      |
| परिसीमा         | कथित अवमानना से 1 वर्ष के बाद कोई कार्यवाही नहीं                                                                       |
| अपवर्जन         | न्याय पंचायतों / ग्राम न्यायालयों पर लागू नहीं                                                                         |

### पुनर्विलोकन और उपचारात्मक अधिकारिता (अनुच्छेद 137)

- पुनर्विलोकन याचिका **30 दिन** के भीतर, उसी पीठ के समक्ष
- आधार: नया और महत्वपूर्ण साक्ष्य; अभिलेख में प्रकट भूल; कोई अन्य पर्याप्त कारण
- पुनर्विलोकन याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका: नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन; न्याय की घोर विफलता; प्रक्रिया का दुरुपयोग; न्यायाधीश का पक्षपात

### संवैधानिक व्याख्या

- उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है
- सिद्धांत: पृथक्करणीयता; अधित्यजन (त्याग); आच्छादन; राज्यक्षेत्रीय संबंध; सार और तत्त्व; छद्म विधायन; विवक्षित शक्तियाँ; आनुषंगिक और सहायक शक्तियाँ; पूर्व-निर्णय; अधिकृत क्षेत्र; भविष्यलक्षी अधिनिर्णय; सामंजस्यपूर्ण निर्वचन; उदार निर्वचन

### अन्य शक्तियाँ

- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों में मूल, अनन्य और अंतिम प्राधिकार
- राष्ट्रपति के संदर्भ पर संघ / राज्य / संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष / सदस्यों के कदाचार की जाँच; सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी
- उच्च न्यायालयों से मामले वापस ले सकता है; उच्च न्यायालयों के बीच मामले अंतरित कर सकता है (अनुच्छेद 139क)
- उसकी विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी (अनुच्छेद 141)

- सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर न्यायिक अधीक्षण और नियंत्रण
- संघ सूची संबंधी अधिकारिता संसद बढ़ा सकती है; अन्य विषय केंद्र और राज्यों के विशेष करार से

### याद रखें

अनुच्छेद 131: अनन्य मूल (संघीय विवाद)  
 अनुच्छेद 32: समवर्ती मूल (मौलिक अधिकार); अनुच्छेद 143: परामर्शी; अनुच्छेद 136: विशेष अनुमति  
 अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय; अनुच्छेद 141: विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी  
 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं

### भारत बनाम अमेरिका का उच्चतम न्यायालय

| विशेषता                    | भारत                          | अमेरिका                                             |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| मूल अधिकारिता              | केवल संघीय मामले              | संघीय तथा नौसैनिक, समुद्री और राजदूतों संबंधी मामले |
| अपीलीय                     | संवैधानिक, सिविल, आपराधिक     | केवल संवैधानिक                                      |
| विशेष अनुमति               | अत्यंत व्यापक                 | ऐसी कोई शक्ति नहीं                                  |
| परामर्शी अधिकारिता         | हाँ                           | नहीं                                                |
| न्यायिक पुनर्विलोकन        | सीमित                         | अत्यंत व्यापक                                       |
| अधिकारों का संरक्षण        | विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया | विधि की सम्यक् प्रक्रिया                            |
| अधिकारिता                  | संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है  | संविधान तक सीमित                                    |
| उच्च न्यायालयों पर अधीक्षण | हाँ (एकीकृत न्यायपालिका)      | नहीं (दोहरी न्यायपालिका)                            |

### न्यायिक पुनर्विलोकन

#### अर्थ

- उद्भव: अमेरिका; मार्बरी बनाम मैडिसन (1803), मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल
- भारत: संविधान स्वयं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह शक्ति देता है
- न्यायिक पुनर्विलोकन **मूल विशेषता** है; संविधान संशोधन द्वारा भी इसे कम नहीं किया जा सकता
- 'न्यायिक पुनर्विलोकन' पद संविधान में प्रयुक्त नहीं है
- केंद्र और राज्यों के विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जाँच की शक्ति; अधिकारातीत पाए जाने पर अकृत और शून्य घोषित
- न्यायमूर्ति एस.एस.एम. कादरी की तीन श्रेणियाँ: संविधान संशोधनों का पुनर्विलोकन; विधान और अधीनस्थ विधान का पुनर्विलोकन; प्रशासनिक कार्रवाई का पुनर्विलोकन
- मामले: गोलकनाथ (1967); बैंक राष्ट्रीयकरण / आर.सी. कूपर (1970); प्रिवी पर्स / माधवराव सिंधिया (1970); केशवानंद भारती (1973); मिनर्वा मिल्स (1980)
- 2015: 99वाँ संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम निरस्त
- महत्त्व: संविधान की सर्वोच्चता; संघीय संतुलन; मौलिक अधिकारों का संरक्षण

#### संवैधानिक उपबंध

- अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियाँ शून्य; अनुच्छेद 32: उच्चतम न्यायालय की रिट
- अनुच्छेद 131-136, 143: उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता (134क प्रमाणपत्र 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया)
- अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय की रिट (मौलिक अधिकार और अन्य प्रयोजन); अनुच्छेद 227: सैन्य को छोड़कर उच्च न्यायालय का अधीक्षण
- अनुच्छेद 245-246: विधियों का प्रादेशिक विस्तार और विषय-वस्तु; अनुच्छेद 251, 254: केंद्रीय विधि प्रबल; अनुच्छेद 372: संविधान-पूर्व विधियाँ

#### विस्तार

- चुनौती के आधार: मौलिक अधिकारों का उल्लंघन; प्राधिकारी की क्षमता से बाहर; संवैधानिक उपबंधों के प्रतिकूल
- विस्तार अमेरिका से संकीर्ण है, क्योंकि भारत में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' है
- उच्चतम न्यायालय सामान्यतः नीतिगत औचित्य पर संयम रखता है, किंतु अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अधीन मनमानेपन, आनुपातिकता और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की जाँच कर सकता है, केवल शक्ति के प्रश्न की नहीं
- भारत अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता और ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता का संश्लेषण है

#### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (भारत, अनुच्छेद 21) बनाम विधि की सम्यक् प्रक्रिया (अमेरिका)  
अमेरिका: न्यायिक सर्वोच्चता; ब्रिटेन: संसदीय सर्वोच्चता; भारत: दोनों का संश्लेषण

## नौवीं अनुसूची का न्यायिक पुनर्विलोकन

- अनुच्छेद 31ख और नौवीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़े गए
- मूलतः 13 अधिनियम; अब 282 अधिनियम और विनियम (अंतिम प्रविष्टि का क्रमांक 284; प्रविष्टि 87, 92, 130 हटाई गई; 257क जोड़ी गई)
- राज्य के अधिनियम भूमि सुधार और ज़मींदारी उन्मूलन से संबंधित हैं; संसद के अधिनियम अन्य विषयों से संबंधित हैं

### नौवीं अनुसूची के मामलों का न्यायिक पुनर्विलोकन

| मामला          | वर्ष | निर्णय                                                                                                                                                 |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केशवानंद भारती | 1973 | नौवीं अनुसूची की विधियाँ मूल ढाँचे के आधार पर चुनौती योग्य हैं                                                                                         |
| वामन राव       | 1980 | 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई विधियाँ केवल तभी वैध हैं, जब वे मूल ढाँचे को क्षति न पहुँचाएँ                                                           |
| आई.आर. कोएल्हो | 2007 | कोई समग्र उन्मुक्ति नहीं; न्यायिक पुनर्विलोकन मूल विशेषता है; 24 अप्रैल 1973 के बाद की विधियों की परख अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और मूल ढाँचे पर की जाएगी |

- कोएल्हो: 'अधिकार परीक्षण' / 'प्रभाव और परिणाम परीक्षण'; संशोधन का रूप अप्रासंगिक, परिणाम निर्णायक
- उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही वैध ठहराई गई विधियाँ पुनः नहीं खोली जा सकतीं; संपन्न लेन-देन चुनौती योग्य नहीं
- 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़ी गई प्रविष्टियाँ: 34वाँ (1974) 20; 39वाँ (1975) 38; 40वाँ (1976) 64; 47वाँ (1984) 14; 66वाँ (1990) 55; 76वाँ (1994) 1; 78वाँ (1995) 27
- पहले: पहला (1951) 13; चौथा (1955) 7; 17वाँ (1964) 44; 29वाँ (1972) 2
- प्रविष्टियाँ 87, 92, 130, 44वें संशोधन (1978) द्वारा हटाई गई

## न्यायिक सक्रियता

### अर्थ

- यह शब्द 1947 में आर्थर श्लेसिंगर जूनियर (अमेरिका) ने गढ़ा; 'फॉर्च्यून' पत्रिका में लेख 'द सुप्रीम कोर्ट: 1947'
- भारत में 1970 के दशक के मध्य में आरंभ
- अग्रणी: न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती, ओ. चित्रप्पा रेड्डी, डी.ए. देसाई
- नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका
- 'न्यायिक गतिशीलता' भी कहा जाता है; **न्यायिक संयम का विलोम**
- दो पक्ष: सरकारी प्राधिकारियों को निर्देश (जनहित याचिका इसमें आती है); अनुच्छेद 14, 19, 21 की विस्तारित व्याख्या

### न्यायिक पुनर्विलोकन बनाम न्यायिक सक्रियता

| न्यायिक पुनर्विलोकन                             | न्यायिक सक्रियता                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| संवैधानिक मापदंडों के आलोक में विधि की व्याख्या | बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप विधि को ढालना         |
| विधियों को वैध ठहराता या अवैध घोषित करता है     | न्यायाधीश नीतिगत वरीयताओं / न्यायिक विधायन का भी प्रयोग करते हैं |
| संवैधानिक शक्ति                                 | विधिक शब्द नहीं; कोई मानक परिभाषा नहीं                           |

### औचित्य

- बी.एल. वाधेरा: उत्तरदायी सरकार का विफल होना; नागरिकों का दबाव; न्यायिक उत्साह; विधायी रिक्तता; संवैधानिक अवकाश
- सुभाष कश्यप: तब आवश्यक, जब विधायिका विफल हो, त्रिशंकु विधायिका हो, मूल अधिकार असुरक्षित हों, आपातकाल में दुरुपयोग हुआ हो
- बक्शी के छह भय: वैचारिक, ज्ञानमीमांसीय, प्रबंधकीय, वैधीकरण संबंधी, लोकतांत्रिक, जीवनी-संबंधी
- न्यायिक संयम: न्यायाधीश केवल विधि की घोषणा करते हैं, विधि-निर्माण विधायिका / कार्यपालिका पर छोड़ा जाता है; मूल आशय पर आधारित
- उच्चतम न्यायालय (दिसंबर 2007) ने संयम का आग्रह किया: सक्रियता न्यायिक दुस्साहस न बने; न्यायाधीश सम्राट की तरह आचरण न करें

## जनहित याचिका

### अर्थ

- 1960 के दशक में अमेरिका में उद्भव (अप्रतिनिधित्व-प्राप्त समूहों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व)
- भारत में आरंभ: **1980 के दशक के प्रारंभ में**; अग्रणी न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती
- न्यायिक सक्रियता का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप
- इसे सामाजिक कार्यवाई वाद, सामाजिक हित वाद, वर्ग कार्यवाई वाद भी कहते हैं
- संभव हुई **सुने जाने के अधिकार (लोकस स्टैंडी) में ढील से**
- लोकहित की भावना रखने वाला कोई भी नागरिक या संगठन उन व्यक्तियों की ओर से न्यायालय जा सकता है जो स्वयं नहीं जा सकते
- अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय) और 226 (उच्च न्यायालय) के अधीन दायर
- उद्देश्य: विधि के शासन की स्थापना; कमज़ोर वर्गों को न्याय तक पहुँच; मौलिक अधिकारों की प्राप्ति

### विशेषताएँ

- विधिक सहायता आंदोलन की रणनीतिक भुजा
- विरोधात्मक नहीं; लक्ष्य व्यक्तिगत अधिकार नहीं, लोकहित की स्थापना
- याचिकाकर्ता, राज्य और न्यायालय का सहकारी प्रयास
- न्यायालय सृजनात्मक और मुखर भूमिका निभाता है; प्रक्रिया लचीली किंतु न्यायिक
- व्यक्तिगत अधिकारों का न्यायनिर्णयन नहीं

### विस्तार (1988 के दिशानिर्देश, 1993 और 2003 में संशोधित)

- स्वीकार: बंधुआ मज़दूरी; उपेक्षित बच्चे; न्यूनतम मज़दूरी; जेल से याचिकाएँ; पुलिस की निष्क्रियता / हिरासत में मृत्यु; महिलाओं पर अत्याचार; अनुसूचित जाति / जनजाति का उत्पीड़न; पर्यावरण, नशीली दवाएँ, ख़ाद्य मिलावट, विरासत, वन्यजीव; दंगा पीड़ित; पारिवारिक पेंशन
- अस्वीकार: मकान मालिक-किरायेदार; सेवा / पेंशन / उपदान; सरकारी विभागों के विरुद्ध शिकायतें (उपर्युक्त को छोड़कर); शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश; लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई

### सिद्धांत और दिशानिर्देश

- न्यायालय पत्र या तार को जनहित याचिका मान सकता है; प्रक्रिया और अभिवचन संबंधी विधियों में ढील
- गरीब, अशिक्षित, दिव्यांग के लिए लोकस स्टैंडी में ढील
- तथ्यों के अनुसार पूर्व-न्याय (रेस ज्यूडिकाटा) लागू हो भी सकता है, नहीं भी
- विरोधी समूहों के बीच निजी विधि के विवाद जनहित याचिका के रूप में अनुमत नहीं
- न्यायालय तथ्यों की जाँच हेतु आयोग नियुक्त कर सकता है
- न्यायालय सामान्यतः नीति के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगा
- उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 जैसी शक्ति प्राप्त नहीं है
- उच्च न्यायालय को सामान्यतः किसी कानून की वैधता पर प्रश्न उठाने वाली जनहित याचिका स्वीकार नहीं करनी चाहिए
- दुरुपयोग के रूप: प्रचार, राजनीति, निजी हित, पैसा, मध्यम-वर्गीय हित से प्रेरित याचिकाएँ
- दुरुपयोग के विरुद्ध दिशानिर्देश: सद्भावपूर्ण जनहित याचिका को प्रोत्साहन; उच्च न्यायालय अपने नियम बनाएँ; याचिकाकर्ता की साख और याचिका की विषय-वस्तु की जाँच; पर्याप्त लोकहित और निजी उद्देश्य का अभाव सुनिश्चित करना; अत्यावश्यक मामलों को प्राथमिकता; तुच्छ याचिकाओं पर अनुकरणीय हर्जाना

### याद रखें

जनहित याचिका = पारंपरिक लोकस स्टैंडी नियम का अपवाद  
 जनहित याचिका के अग्रणी: कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती  
 न्यायिक सक्रियता: 1970 के दशक का मध्य; जनहित याचिका: 1980 के दशक का आरंभ  
 पत्र को जनहित याचिका माना जा सकता है (पत्र-अधिकारिता)

## अध्याय 08

# राज्य सरकार: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधिकरण

## राज्यपाल

### मूल बातें

- राज्य की कार्यपालिका (अनुच्छेद 153-167): राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता; कोई उप-राज्यपाल नहीं
- राज्यपाल = नाममात्र का प्रधान + केंद्र का अभिकर्ता (दोहरी भूमिका)
- 7वाँ संशोधन (1956): एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है
- राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त (अनुच्छेद 155); केंद्र के अधीन नौकरी नहीं (हरगोविंद पंत, 1979)
- संविधान सभा ने प्रत्यक्ष निर्वाचन (अमेरिकी मॉडल) अस्वीकार किया; नियुक्ति का कनाडाई मॉडल अपनाया

### अर्हताएँ, शपथ, शर्तें

| पहलू                    | उपबंध                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| अर्हताएँ (अनुच्छेद 157) | भारत का नागरिक; आयु 35 वर्ष                                                                   |
| शपथ (अनुच्छेद 159)      | राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (या वरिष्ठतम न्यायाधीश) द्वारा दिलाई जाती है        |
| सदस्यता                 | सांसद / विधायक नहीं; पद ग्रहण करने पर सीट रिक्त; लाभ का पद नहीं                               |
| निवास                   | राजभवन, निःशुल्क                                                                              |
| उपलब्धियाँ              | संसद द्वारा निर्धारित; कार्यकाल में घटाई नहीं जा सकती; 3.50 लाख रुपये प्रति माह (2018)        |
| दो राज्य                | उपलब्धियाँ राष्ट्रपति के निर्धारण के अनुसार बाँटी जाती हैं                                    |
| उन्मुक्ति               | कार्यकाल में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं; गिरफ्तारी नहीं; सिविल वाद केवल 2 माह की सूचना के बाद |

- चयन पर सरकारिया आयोग: प्रतिष्ठित व्यक्ति, राज्य के बाहर का, स्थानीय राजनीति से निरपेक्ष, हाल की राजनीति में सक्रिय न हो
- सरकारिया: केंद्र के सत्तारूढ़ दल का राजनेता किसी अन्य दल शासित राज्य का राज्यपाल न बने; मुख्यमंत्री से परामर्श अनुच्छेद 155 में लिखित हो; प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष से अनौपचारिक परामर्श कर सकते हैं

### कार्यकाल और पदच्युति

- कार्यकाल 5 वर्ष (अनुच्छेद 156), किंतु राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत; प्रसाद न्यायिक समीक्षा योग्य नहीं (सूर्य नारायण, 1981)
- संविधान में हटाने के कोई आधार नहीं; राष्ट्रपति को पत्र द्वारा त्यागपत्र देता है
- किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित या पुनः नियुक्त किया जा सकता है; उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक बना रहता है
- अनुच्छेद 160: राष्ट्रपति आकस्मिकताओं के लिए उपबंध करता है (जैसे राज्यपाल की मृत्यु पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकता है)
- 1989: वी.पी. सिंह सरकार ने सभी राज्यपालों से त्यागपत्र माँगा; 1991: नरसिम्हा राव सरकार ने 14 राज्यपाल बदले

### शक्तियाँ

- कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियाँ; कोई कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्ति नहीं

### कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ

| शक्ति                    | विवरण                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्यपालिका की कार्यवाही | उसके नाम से (अनुच्छेद 166); प्रमाणीकरण और कार्य-आवंटन के नियम बनाता है                                                                               |
| नियुक्त करता है          | मुख्यमंत्री (और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री), महाधिवक्ता (राज्यपाल के प्रसादपर्यंत), राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष / सदस्य |

| शक्ति                     | विवरण                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पद से हटाना               | राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं; राज्य निर्वाचन आयोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाया जाता है |
| जनजातीय कल्याण मंत्री     | छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा (बिहार 94वें संशोधन, 2006 द्वारा अपवर्जित)                                                         |
| सूचना                     | मुख्यमंत्री से सूचना माँग सकता है; मुख्यमंत्री से किसी मंत्री के निर्णय को परिषद के समक्ष रखने को कह सकता है (अनुच्छेद 167)              |
| आपातकाल                   | राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है (अनुच्छेद 356); उस दौरान राष्ट्रपति के अधिकारों के रूप में कार्य करता है                              |
| विश्वविद्यालय             | कुलाधिपति; कुलपतियों की नियुक्ति करता है                                                                                                 |
| सत्र                      | विधान सभा को आहूत, सत्रावसित और विघटित करता है (अनुच्छेद 174)                                                                            |
| अभिभाषण                   | आम चुनाव के बाद का पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र (अनुच्छेद 176)                                                                |
| परिषद के मनोनीत सदस्य     | विधान परिषद के सदस्यों का 1/6                                                                                                            |
| आंग्ल-भारतीय मनोनीत सदस्य | 104वें संशोधन (2019) द्वारा 25 जनवरी 2020 से समाप्त                                                                                      |
| निरर्हता                  | (दल-बदल से भिन्न मामलों में) निर्वाचन आयोग की राय के बाद निर्णय करता है                                                                  |
| पीठासीन अधिकारी           | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (या सभापति और उपसभापति) दोनों के पद रिक्त होने पर सदस्य को नियुक्त करता है                                          |
| प्रतिवेदन                 | राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखवाता है                                    |
| अध्यादेश                  | अनुच्छेद 213; सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति                                                                                               |

### वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ

| शक्ति                   | विवरण                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बजट                     | वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है                                                                                                                                                                      |
| धन विधेयक / अनुदान      | केवल उसकी सिफारिश पर                                                                                                                                                                                          |
| आकस्मिकता निधि          | अग्रिम देता है                                                                                                                                                                                                |
| वित्त आयोग              | प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग गठित करता है (पंचायतें, नगरपालिकाएँ)                                                                                                                                      |
| क्षमादान (अनुच्छेद 161) | क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार; दंड का निलंबन, परिहार, लघुकरण                                                                                                                                                |
| न्यायाधीश               | उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु उससे परामर्श (अनुच्छेद 217); जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के साथ (अनुच्छेद 233); अन्य न्यायिक सेवा उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ (अनुच्छेद 234) |

### राज्यपाल और विधेयक (अनुच्छेद 200-201)

चार विकल्प: अनुमति, रोकना, लौटाना (धन विधेयक को नहीं), राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना  
लौटायी गया विधेयक पुनः पारित हो तो: राज्यपाल को अनुमति देनी होगी (निलंबनकारी वीटो)  
आरक्षण अनिवार्य: उच्च न्यायालय की स्थिति को संकट में डालने वाला विधेयक  
सोली सोराबजी के आधार: अधिकारातीत, नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध, राष्ट्रीय हित के विरुद्ध, गंभीर राष्ट्रीय महत्व, अनिवार्य अधिग्रहण (अनुच्छेद 31क)  
एक बार आरक्षित होने पर राज्यपाल की अधिनियमन में कोई और भूमिका नहीं रहती

- डी.सी. वाधवा मामला (1986): बिहार के राज्यपाल ने 256 अध्यादेश पुनः प्रख्यापित किए (1967-81); विधेयक के बिना बार-बार पुनः प्रख्यापन संवैधानिक कपट है और निरस्त किए जाने योग्य है

### वीटो शक्तियाँ - राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल

| बिंदु         | राष्ट्रपति                      | राज्यपाल                                      |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| साधारण विधेयक | 3 विकल्प: अनुमति, रोकना, लौटाना | 4 विकल्प: अनुमति, रोकना, लौटाना, आरक्षित करना |

| बिंदु                               | राष्ट्रपति                                                                        | राज्यपाल                                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| बीटो                                | निलंबनकारी                                                                        | निलंबनकारी                                                                  |
| आरक्षित राज्य विधेयक                | राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, लौटा सकता है (पुनर्विचार के लिए 6 माह) | राज्यपाल परिदृश्य से बाहर; पुनः पारित विधेयक केवल राष्ट्रपति के पास जाता है |
| लौटाया गया, पुनः पारित राज्य विधेयक | राष्ट्रपति अनुमति देने को बाध्य नहीं                                              | -                                                                           |
| धन विधेयक                           | केवल अनुमति देना या रोकना                                                         | अनुमति, रोकना, आरक्षित करना                                                 |
| धन विधेयक लौटाना                    | नहीं लौटा सकता                                                                    | नहीं लौटा सकता                                                              |

### अध्यादेश शक्ति - राष्ट्रपति (अनुच्छेद 123) बनाम राज्यपाल (अनुच्छेद 213)

| बिंदु         | राष्ट्रपति                           | राज्यपाल                                                              |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| कब            | संसद (या कोई एक सदन) सत्र में नहीं   | विधान सभा सत्र में नहीं; द्विसदनीय: दोनों या कोई एक सदन सत्र में नहीं |
| विस्तार       | वे विषय जिन पर संसद विधि बना सकती है | वे विषय जिन पर राज्य विधानमंडल विधि बना सकता है                       |
| व्यपगत होना   | पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह          | पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह                                           |
| शीघ्र व्यपगत  | दोनों सदन अननुमोदन करें              | विधान सभा अननुमोदन करे, परिषद सहमत हो                                 |
| विवेक         | विवेकाधीन नहीं; परिषद की सलाह पर     | विवेकाधीन नहीं; परिषद की सलाह पर                                      |
| पूर्व निर्देश | आवश्यक नहीं                          | तीन मामलों में राष्ट्रपति से आवश्यक                                   |

- राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देश की आवश्यकता तब होती है, जब: विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक हो; वह ऐसे विधेयक को आरक्षित करना चाहे; अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अविधिमान्य हो

### क्षमादान की शक्ति

| बिंदु        | राष्ट्रपति                            | राज्यपाल                                              |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| अपराध        | केंद्रीय विधि                         | राज्य की विधि                                         |
| मृत्युदंड    | क्षमा कर सकता है (एकमात्र प्राधिकारी) | क्षमा नहीं कर सकता; निलंबन, परिहार, लघुकरण कर सकता है |
| कोर्ट मार्शल | क्षमा कर सकता है                      | कोई शक्ति नहीं                                        |

### संवैधानिक स्थिति

- अनुच्छेद 154: कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित; अनुच्छेद 163: विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद सहायता और सलाह देती है; अनुच्छेद 164: परिषद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी
- कोई विषय विवेकाधीन है या नहीं, इस पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम है
- राष्ट्रपति (42वें संशोधन) के विपरीत, मंत्रियों की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है

### राज्यपाल का विवेकाधिकार

| प्रकार        | मामले                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संवैधानिक     | विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना; राष्ट्रपति शासन की सिफारिश; निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में अतिरिक्त प्रभार; असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जिला परिषदों को रॉयल्टी का अंश (छठी अनुसूची) |
| परिस्थितिजन्य | बहुमत न होने पर या मुख्यमंत्री की आकस्मिक मृत्यु पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति; विश्वास सिद्ध न कर पाने वाले मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी; बहुमत खो चुके मंत्रिमंडल के होने पर विधान सभा का विघटन                             |

### राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व

| राज्य      | उत्तरदायित्व                           |
|------------|----------------------------------------|
| महाराष्ट्र | विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए विकास बोर्ड |

| राज्य          | उत्तरदायित्व                                      |
|----------------|---------------------------------------------------|
| गुजरात         | सौराष्ट्र और कच्छ के लिए विकास बोर्ड              |
| नागालैंड       | कानून-व्यवस्था (नागा हिल्स-तुएनसांग)              |
| असम            | जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन                      |
| मणिपुर         | पर्वतीय क्षेत्रों का प्रशासन                      |
| सिक्किम        | सभी वर्गों की शांति और सामाजिक-आर्थिक उन्नति      |
| अरुणाचल प्रदेश | कानून-व्यवस्था                                    |
| कर्नाटक        | हैदराबाद-कर्नाटक विकास बोर्ड (98वाँ संशोधन, 2012) |

- सरकारिया के विचारणीय विषय: मुख्यमंत्री का चयन, बहुमत परीक्षण, मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी, विधान सभा का विघटन, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, विधेयकों का आरक्षण, परिषद में मनोनयन, कुलाधिपति का विवेक
- अनुच्छेद: 153 राज्यपाल; 154 कार्यपालिका शक्ति; 155 नियुक्ति; 156 कार्यकाल; 157 अर्हताएँ; 158 शर्तें; 159 शपथ; 160 आकस्मिकताएँ; 161 क्षमादान; 162 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार; 163 परिषद; 164 मंत्री; 165 महाधिवक्ता; 166 कार्य-संचालन; 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य; 174-176 सत्र / अभिभाषण; 200-201 विधेयक; 213 अध्यादेश; 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; 233-234 न्यायिक सेवा

## मुख्यमंत्री

- राज्यपाल = विधित: कार्यपालिका; मुख्यमंत्री = वास्तविक कार्यपालिका (सरकार का प्रधान); प्रधानमंत्री के समकक्ष

### नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल

- संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं; अनुच्छेद 164: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है
- परिपाटी: बहुमत दल का नेता; यदि बहुमत न हो तो राज्यपाल का विवेक (प्रायः सबसे बड़े दल / गठबंधन का नेता; एक माह के भीतर विश्वास मत)
- नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करना आवश्यक नहीं
- गैर-सदस्य मुख्यमंत्री: निर्वाचित होने के लिए 6 माह, अन्यथा पद समाप्त
- मुख्यमंत्री विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य हो सकता है
- राज्यपाल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है
- कार्यकाल निश्चित नहीं; राज्यपाल के प्रसादपर्यंत, किंतु विधान सभा का बहुमत रखने वाले मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता (एस.आर. बोम्मई, 1994)
- वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित
- स्पष्ट बहुमत न होने पर सरकारिया का वरीयता-क्रम: (1) चुनाव-पूर्व गठबंधन; (2) अन्य के समर्थन से सबसे बड़ा एकल दल; (3) चुनाव-बाद गठबंधन, सभी दल सरकार में शामिल; (4) चुनाव-बाद गठबंधन, कुछ दल बाहर से समर्थन देते हुए
- सरकारिया: 30 दिन के भीतर विश्वास मत; प्रतिद्वंद्वी दावों की परख सदन के पटल पर हो, राज्यपाल द्वारा नहीं

### मुख्यमंत्री की शक्तियाँ

| क्षेत्र  | शक्तियाँ                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिषद    | उसकी सिफारिश पर मंत्री नियुक्त; विभागों का आवंटन / फेरबदल; मंत्री से त्यागपत्र माँगता है या बर्खास्तगी की सलाह देता है; अध्यक्षता करता है; उसका त्यागपत्र या मृत्यु परिषद को भंग कर देती है |
| राज्यपाल | संचार का प्रमुख माध्यम (अनुच्छेद 167); महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पर सलाह देता है                                                                                 |
| विधायिका | सत्र आहूत / सत्रावसान पर सलाह देता है; किसी भी समय विघटन की सिफारिश करता है; नीति की घोषणा करता है                                                                                          |
| अन्य     | राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष; क्षेत्रीय परिषद का बारी-बारी से उपाध्यक्ष (1 वर्ष; केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष होता है); अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य                 |

### मुख्यमंत्री संबंधी अनुच्छेद

- 163: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है
- 164: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है; अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर
- 166: कार्य-संचालन
- 167: राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य
- 177: सदनों में मंत्रियों के अधिकार

## राज्य मंत्रिपरिषद्

### संवैधानिक उपबंध

| अनुच्छेद | उपबंध                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163      | मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद् राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है; सलाह की न्यायालयों में जाँच नहीं हो सकती |
| 164(1)   | मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा; मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर                                            |
| 164(1क)  | परिषद् विधान सभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15%, न्यूनतम 12 (91वाँ संशोधन, 2003)                                   |
| 164(1ख)  | दल-बदल के कारण निरर्हित सदस्य मंत्री पद के लिए वर्जित (91वाँ संशोधन)                                              |
| 164      | राज्यपाल का प्रसाद; विधान सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व; राज्यपाल द्वारा शपथ; वेतन विधानमंडल द्वारा           |
| 164(4)   | गैर-सदस्य मंत्री 6 लगातार माह के बाद पद से हट जाता है                                                             |
| 166      | कार्यपालिका की कार्यवाही राज्यपाल के नाम से                                                                       |
| 167      | मुख्यमंत्री के कर्तव्य                                                                                            |
| 177      | मंत्री किसी भी सदन में बोलता है, मतदान केवल अपने सदन में करता है                                                  |

- शमशेर सिंह (1974): राज्यपाल विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर सहायता और सलाह पर कार्य करता है; उसका समाधान = परिषद् का समाधान
- सामूहिक उत्तरदायित्व: अविश्वास मत का अर्थ सभी का त्यागपत्र (विधान परिषद् से आए मंत्रियों सहित); मुख्यमंत्री का त्यागपत्र = परिषद् का त्यागपत्र
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व: मंत्री केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाए जाते हैं
- कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं: प्रतिहस्ताक्षर नहीं; न्यायालय सलाह की जाँच नहीं कर सकते
- तीन श्रेणियाँ: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री; उप मुख्यमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं
- मंत्रिमंडल = केवल कैबिनेट मंत्री; राज्य मंत्री / उप मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं
- मंत्रिमंडलीय समितियाँ: स्थायी और तदर्थ; मुख्यमंत्री द्वारा गठित; मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विलोकन योग्य
- राज्यों में विभाग होते हैं, मंत्रालय नहीं

## राज्य विधान-मंडल

- अनुच्छेद 168-212; एकसदनीय = राज्यपाल + विधान सभा; द्विसदनीय = राज्यपाल + विधान परिषद् + विधान सभा
- छह द्विसदनीय राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक
- जम्मू-कश्मीर की परिषद् जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त; मध्य प्रदेश की परिषद् का उपबंध 7वें संशोधन द्वारा किया गया, किंतु वह अधिसूचित नहीं हुई
- अनुच्छेद 169: विधान सभा के संकल्प पर (कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3) संसद परिषद् का सृजन / उन्मूलन करती है; साधारण बहुमत से पारित, अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं

### अनुच्छेद 169 के अधीन अधिनियम

| अधिनियम                                | प्रभाव                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| पश्चिम बंगाल और पंजाब के अधिनियम, 1969 | उन्मूलन                                             |
| आंध्र प्रदेश अधिनियम, 1985             | उन्मूलन                                             |
| तमिलनाडु अधिनियम, 1986                 | उन्मूलन                                             |
| आंध्र प्रदेश अधिनियम, 2005             | सृजन (2007 में पुनर्जीवित)                          |
| तमिलनाडु अधिनियम, 2010                 | सृजन (कभी लागू नहीं हुआ; 2011 में विरोध में संकल्प) |

### विधान सभा बनाम विधान परिषद्

| बिंदु        | विधान सभा (अनुच्छेद 170)                                                   | विधान परिषद् (अनुच्छेद 171)         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| निर्वाचन     | प्रत्यक्ष, वयस्क मताधिकार                                                  | अप्रत्यक्ष                          |
| सदस्य संख्या | अधिकतम 500, न्यूनतम 60 (अरुणाचल, सिक्किम, गोवा 30; मिजोरम 40; नागालैंड 46) | अधिकतम विधान सभा का 1/3, न्यूनतम 40 |

| बिंदु            | विधान सभा (अनुच्छेद 170)                                                                  | विधान परिषद (अनुच्छेद 171)                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| अवधि             | 5 वर्ष; स्थायी नहीं                                                                       | स्थायी; प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सेवानिवृत्त; कार्यकाल 6 वर्ष |
| आपातकाल          | संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जाता है; आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर समाप्त | -                                                            |
| न्यूनतम आयु      | 25                                                                                        | 30                                                           |
| निर्वाचन प्रणाली | प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र                                                                | एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व              |

- परिषद की संरचना: 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा; 1/12 स्नातकों द्वारा (3 वर्ष); 1/12 शिक्षकों द्वारा (3 वर्ष, माध्यमिक या उससे ऊपर); 1/3 विधायकों द्वारा (जो सदस्य न हों); 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा)
- परिषद की सीटें: उत्तर प्रदेश 100; महाराष्ट्र 78; बिहार 75; कर्नाटक 75; आंध्र प्रदेश 58; तेलंगाना 40
- विधान सभा: उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी (403); सिक्किम सबसे छोटा राज्य (32); जम्मू-कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र) 114 (पाक-अधिकृत कश्मीर की 24 सीटें रिक्त)
- परिसीमन आयोग अधिनियम: 1952, 1962, 1972, 2002
- 42वें संशोधन ने सीटें 1971 की जनगणना पर 2000 तक स्थिर कीं; 84वें संशोधन ने 2026 तक बढ़ाया; 87वाँ संशोधन: सीटों की संख्या बदले बिना 2001 की जनगणना पर परिसीमन
- विधान सभा में अनुसूचित जाति / जनजाति आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया (104वाँ संशोधन, 2019)

## सदस्यता

### अर्हताएँ, निरर्हताएँ

| पहलू                           | उपबंध                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अर्हताएँ                       | नागरिक; निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ; आयु 25/30; राज्य में निर्वाचक (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951); आरक्षित सीट के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति                                                                                 |
| संवैधानिक निरर्हताएँ           | लाभ का पद; विकृतचित्त; अनुन्मोचित दिवालिया; नागरिक न होना / विदेशी निष्ठा; संसद की विधि                                                                                                                                                                |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 | भ्रष्ट आचरण; 2 वर्ष या अधिक के कारावास की दोषसिद्धि; निर्वाचन लेखा दाखिल न करना; सरकारी संविदा में हित; 25% सरकारी अंश वाली फर्म में निदेशक / लाभ का पद; भ्रष्टाचार / निष्ठाहीनता के कारण बर्खास्तगी; शत्रुता को बढ़ावा, रिश्वत; अस्पृश्यता, दहेज, सती |
| निर्णायक                       | निर्वाचन आयोग की राय के बाद राज्यपाल                                                                                                                                                                                                                   |
| दल-बदल (दसवीं अनुसूची)         | अध्यक्ष / सभापति निर्णय करता है; न्यायिक पुनर्विलोकन योग्य (किहोतो होलोहन, 1992)                                                                                                                                                                       |

- सदस्यों की शपथ राज्यपाल या उसके नामित व्यक्ति के समक्ष; शपथ के बिना बैठने / मतदान करने या निरर्हित होने पर प्रतिदिन 500 रुपये शास्ति (अनुच्छेद 193)
- सीट रिक्त होना: दोहरी सदस्यता; निरर्हता; त्यागपत्र (अध्यक्ष / सभापति को); अनुमति के बिना 60 दिन अनुपस्थिति; निर्वाचन शून्य; निष्कासन; राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति निर्वाचित; राज्यपाल नियुक्त

## पीठासीन अधिकारी

### अध्यक्ष / उपाध्यक्ष बनाम सभापति / उपसभापति

| बिंदु       | विधान सभा                                            | परिषद                                  |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| अनुच्छेद    | 178-181                                              | 182-185                                |
| निर्वाचक    | विधान सभा अपने सदस्यों में से                        | विधान परिषद अपने सदस्यों में से        |
| त्यागपत्र   | अध्यक्ष उपाध्यक्ष को; उपाध्यक्ष अध्यक्ष को           | सभापति उपसभापति को; उपसभापति सभापति को |
| पद से हटाना | प्रभावी बहुमत (तत्समय के सभी सदस्य); 14 दिन की सूचना | वही                                    |

| बिंदु | विधान सभा                                                               | परिषद                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| वेतन  | विधानमंडल द्वारा निर्धारित; राज्य की संचित निधि पर भारित (अनुच्छेद 186) | वही                               |
| पैनल  | अध्यक्ष द्वारा सभापतियों का पैनल                                        | सभापति द्वारा उपसभापतियों का पैनल |

- सदस्य न रहने पर पद रिक्त
- केवल मत बराबर होने पर निर्णायक मत
- धन विधेयक की स्थिति केवल अध्यक्ष तय करता है; कार्य मंत्रणा, नियम और सामान्य प्रयोजन समितियों की अध्यक्षता करता है
- दल-बदल का निर्णय अध्यक्ष (विधान सभा) या सभापति (विधान परिषद) करता है

### सत्र और प्रक्रिया

- राज्यपाल आहूत करता है; अधिकतम अंतराल 6 माह
- स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन पीठासीन अधिकारी द्वारा; सत्रावसान राज्यपाल द्वारा; विधान परिषद भंग नहीं की जा सकती
- गणपूर्ति: 10 या सदस्यों का 1/10, जो अधिक हो
- निर्णय उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से; पीठासीन अधिकारी केवल मत बराबर होने पर मत देता है
- भाषा: राज्य की राजभाषा (राजभाषाएँ), हिंदी या अंग्रेज़ी; अनुमति से मातृभाषा
- मंत्री और महाधिवक्ता किसी भी सदन में बोलते हैं, मतदान नहीं करते (अनुच्छेद 177)

### विधान सभा के विघटन पर विधेयकों का व्यपगत होना

| विधेयक                                                  | व्यपगत होता है? |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| विधान सभा में लंबित                                     | हाँ             |
| विधान सभा द्वारा पारित, विधान परिषद में लंबित           | हाँ             |
| विधान परिषद में लंबित, विधान सभा द्वारा पारित नहीं      | नहीं            |
| पारित, राज्यपाल / राष्ट्रपति की अनुमति की प्रतीक्षा में | नहीं            |
| राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया          | नहीं            |

### संसद बनाम राज्य विधानमंडल - साधारण विधेयक

| बिंदु                  | संसद                                          | राज्य विधान-मंडल                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गतिरोध                 | दूसरा सदन अस्वीकार / संशोधन / 6 माह विलंब करे | विधान परिषद अस्वीकार / संशोधन / 3 माह विलंब करे                                                         |
| समाधान                 | संयुक्त बैठक                                  | संयुक्त बैठक नहीं; विधान सभा विधेयक को पुनः पारित करती है                                               |
| द्वितीय पारण           | लोक सभा निरस्त नहीं कर सकती                   | यदि विधान परिषद पुनः अस्वीकार, संशोधन या 1 माह विलंब करे, तो विधेयक विधान सभा द्वारा पारित माना जाता है |
| विधान परिषद का विलंब   | -                                             | 4 माह (3 + 1)                                                                                           |
| उच्च सदन से आया विधेयक | संयुक्त बैठक संभव                             | विधान सभा अस्वीकार करे तो समाप्त                                                                        |

### धन विधेयक

| बिंदु                    | संसद                                                 | राज्य विधान-मंडल   |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| पुरःस्थापित कहाँ होता है | केवल लोक सभा                                         | केवल विधान सभा     |
| सिफारिश                  | राष्ट्रपति                                           | राज्यपाल           |
| किसके द्वारा             | केवल मंत्री                                          | केवल मंत्री        |
| उच्च सदन                 | संशोधन / अस्वीकार नहीं कर सकता; 14 दिन में लौटाता है | वही                |
| निम्न सदन                | सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार करता है                | वही                |
| 14 दिन में नहीं लौटाया   | पारित माना जाता है                                   | पारित माना जाता है |
| प्रमाणित कौन करता है     | लोक सभा अध्यक्ष                                      | विधान सभा अध्यक्ष  |

- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक (सरकारिया): आरक्षित करना अनिवार्य - उच्च न्यायालय को संकट में डालने वाला विधेयक (अनुच्छेद 200), जल / विद्युत पर कर (अनुच्छेद 288), वित्तीय आपातकाल संबंधी विधेयक (अनुच्छेद 360)
- आरक्षित कर सकता है: अनुच्छेद 31क, अनुच्छेद 31ग, समवर्ती सूची में विरोध (अनुच्छेद 254), व्यापार निर्बंधन (अनुच्छेद 304), अन्य राज्यपाल के निर्णय पर

## विधान परिषद बनाम विधान सभा

### विधान परिषद की स्थिति

| समान                                                                          | असमान                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| साधारण विधेयक (विधान सभा की प्रधानता)                                         | धन विधेयक केवल विधान सभा में; परिषद 14 दिन में केवल सिफारिश करती है  |
| अध्यादेशों का अनुमोदन                                                         | अध्यक्ष धन विधेयक का निर्णय करता है                                  |
| मंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं                                             | साधारण विधेयक में अधिकतम 4 माह का विलंब                              |
| राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन | बजट पर चर्चा कर सकती है, अनुदानों पर मतदान नहीं                      |
| राज्य लोक सेवा आयोग की अधिकारिता का विस्तार                                   | अविश्वास प्रस्ताव नहीं; मंत्रिमंडल केवल विधान सभा के प्रति उत्तरदायी |
|                                                                               | राष्ट्रपति या राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं      |
|                                                                               | संविधान संशोधनों के अनुसमर्थन में कोई प्रभावी भूमिका नहीं            |
|                                                                               | अस्तित्व विधान सभा पर निर्भर                                         |

- परिषद = विलंबकारी / परामर्शदात्री सदन; राज्य सभा से कमज़ोर
- ब्रिटिश लॉर्ड सभा साधारण विधेयक को 1 वर्ष और धन विधेयक को 1 माह विलंबित करती है

## विशेषाधिकार (अनुच्छेद 194)

### विशेषाधिकार

| सामूहिक                                                                                      | व्यक्तिगत                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| कार्यवाही का प्रकाशन (44वें संशोधन ने प्रेस रिपोर्टों को संरक्षण दिया, गुप्त बैठकों को नहीं) | सत्र के दौरान तथा उससे 40 दिन पहले और बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं |
| अपरिचितों को बाहर करना; गुप्त बैठकें                                                         | सदन में वाक्-स्वातंत्र्य                                                     |
| अपने नियम                                                                                    | जुरी सेवा से छूट                                                             |
| सदस्यों / बाहरी व्यक्तियों को अवमानना पर दंड                                                 | सत्र के दौरान साक्षी के रूप में उपस्थित होने से इनकार कर सकता है             |
| सदस्य की गिरफ्तारी की तत्काल सूचना                                                           |                                                                              |
| जाँच; साक्षियों को तलब करना                                                                  |                                                                              |
| न्यायालय जाँच नहीं कर सकते (अनुच्छेद 212)                                                    |                                                                              |
| पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना परिसर में गिरफ्तारी / विधिक प्रक्रिया नहीं                 |                                                                              |

- विशेषाधिकार महाधिवक्ता और मंत्रियों तक विस्तृत हैं, राज्यपाल तक नहीं
- अनुच्छेद 211: उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं
- अनुच्छेद: 168 गठन; 169 परिषदें; 170-171 संरचना; 172 अवधि; 173 अर्हताएँ; 174-176 सत्र / अभिभाषण; 177 मंत्रियों के अधिकार; 178-181 अध्यक्ष; 182-185 सभापति; 186 वेतन; 188 शपथ; 189 मतदान / गणपूर्ति; 190 रिक्ति; 191 निरर्हता; 192 निर्णय; 193 शास्ति; 194 विशेषाधिकार; 196-198 विधेयक; 199 धन विधेयक; 200-201 अनुमति / आरक्षण; 202-207 वित्तीय प्रक्रिया; 210 भाषा; 212 न्यायालय; 213 अध्यादेश

## उच्च न्यायालय

- प्रथम उच्च न्यायालय: कलकत्ता, बंबई, मद्रास (1862); इलाहाबाद (1866)
- अनुच्छेद 214-231; 7वाँ संशोधन: राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 231)
- 25 उच्च न्यायालय; 3 एक से अधिक राज्य को आच्छादित करते हैं; दिल्ली एकमात्र संघ राज्यक्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है (1966); जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का साझा उच्च न्यायालय
- संसद संघ राज्यक्षेत्र पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता बढ़ा / अपवर्जित कर सकती है (अनुच्छेद 230)

## संरचना और नियुक्ति

- मुख्य न्यायाधीश + राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश
- मुख्य न्यायाधीश: भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद नियुक्त; अन्य न्यायाधीश: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी; सामान्य उच्च न्यायालय: सभी राज्यपालों से
- द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993): भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय बाध्यकारी; तृतीय न्यायाधीश मामला (1998): भारत के मुख्य न्यायाधीश + उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम
- 99वाँ संशोधन / राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 चतुर्थ न्यायाधीश मामले (2015) में निरस्त; कॉलेजियम बहाल

### न्यायाधीश

| पहलू             | उपबंध                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अर्हता           | नागरिक; 10 वर्ष न्यायिक पद अथवा उच्च न्यायालय का 10 वर्ष अधिवक्ता                                              |
| आयु / विधिवेत्ता | कोई न्यूनतम आयु नहीं; विधिवेत्ता का उपबंध नहीं                                                                 |
| शपथ              | राज्यपाल या उसके नामित व्यक्ति के समक्ष (अनुच्छेद 219)                                                         |
| वेतन (2018)      | मुख्य न्यायाधीश 2.50 लाख रुपये; न्यायाधीश 2.25 लाख रुपये प्रति माह                                             |
| पेंशन            | अंतिम वेतन का 50%; भारत की संचित निधि पर भारित                                                                 |
| सेवा शर्तें      | वित्तीय आपातकाल को छोड़कर अहित में परिवर्तित नहीं की जा सकतीं                                                  |
| सेवानिवृत्ति     | 62 वर्ष (15वाँ संशोधन, 1963); आयु-विवाद का निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति करता है |
| त्यागपत्र        | राष्ट्रपति को                                                                                                  |
| पद रिक्त करता है | उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति या स्थानांतरण पर                                                                  |
| व्यय             | वेतन / प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर (मतदान-योग्य नहीं)                                                |

- पदच्युति: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान; सिद्ध कदाचार या अक्षमता; दोनों सदनों में विशेष बहुमत, उसी सत्र में; राष्ट्रपति का आदेश
- न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968: 100 लोक सभा / 50 राज्य सभा सदस्यों का प्रस्ताव; 3 सदस्यीय समिति (उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधिवेत्ता)
- आज तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चला
- स्थानांतरण: राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद (अनुच्छेद 222); प्रतिकरात्मक भत्ता; 1977 और 1994 के निर्णय: केवल लोकहित में, न्यायिक पुनर्विलोकन योग्य; तृतीय न्यायाधीश मामला: भारत के मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश + दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (अनुच्छेद 223); अपर न्यायाधीश अधिकतम 2 वर्ष तक (अनुच्छेद 224); स्थायी न्यायाधीश के लौटने तक कार्यवाहक न्यायाधीश; 62 वर्ष के बाद नहीं
- सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 224क): राष्ट्रपति और संबंधित न्यायाधीश की सहमति से

### उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता

न्यायपालिका से परामर्श से नियुक्ति; कार्यकाल की सुरक्षा; निश्चित सेवा शर्तें  
व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित (पेंशन भारत की संचित निधि से)  
विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं (महाभियोग को छोड़कर)  
सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश वकालत से वर्जित (उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर) (अनुच्छेद 220)  
अवमानना की शक्ति; मुख्य न्यायाधीश कर्मचारी नियुक्त करता है (अनुच्छेद 229); अधिकारिता घटाई नहीं जा सकती

## अधिकारिता

### अधिकारिता और शक्तियाँ

| प्रकार             | विवरण                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मूल                | निर्वाचन विवाद; राजस्व मामले; मौलिक अधिकार; संवैधानिक प्रश्नों के लिए मँगाए गए मामले (अनुच्छेद 228)                                                                  |
| मूल सिविल          | कलकत्ता, बंबई, मद्रास, दिल्ली में उच्च मूल्य के मामले; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा मूल आपराधिक अधिकारिता समाप्त                                                |
| रिट (अनुच्छेद 226) | बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा; मौलिक अधिकार और अन्य कोई भी प्रयोजन; उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) के साथ समवर्ती, उससे अधिक व्यापक |

| प्रकार                         | विवरण                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपीलीय सिविल                   | प्रथम अपील (विधि और तथ्य); द्वितीय अपील (केवल विधि); उसी न्यायालय की खंडपीठ में अंतःन्यायालयीय अपील; अधिकरणों की अपीलें खंडपीठ में |
| अपीलीय आपराधिक                 | सत्र न्यायालय का 7 वर्ष से अधिक का दंड; मृत्युदंड की उच्च न्यायालय से पुष्टि आवश्यक                                                |
| पर्यवेक्षी (अनुच्छेद 227)      | सैन्य को छोड़कर सभी न्यायालय और अधिकरण; स्वतः संज्ञान                                                                              |
| अधीनस्थ न्यायालय               | जिला न्यायाधीश से नीचे के न्यायाधीशों की तैनाती, पदोन्नति, अवकाश; संवैधानिक मामले वापस मँगाता है                                   |
| अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 215) | शाश्वत अभिलेख; अवमानना (अधीनस्थ न्यायालयों की भी, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971); पुनर्विलोकन की शक्ति                             |
| न्यायिक पुनर्विलोकन            | अनुच्छेद 13, 226; 42वें संशोधन ने सीमित किया (अनुच्छेद 226क), 43वें ने पुनः बहाल किया                                              |

- चंद्र कुमार (1997): उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता मूल ढाँचा है; अधिकरण उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अधीन

### भारत के उच्च न्यायालय

| वर्ष      | उच्च न्यायालय (अधिकारिता / पीठ संबंधी टिप्पणियाँ)                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1862      | कलकत्ता (पश्चिम बंगाल, अंडमान; कोलकाता); बंबई (महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव; मुंबई); मद्रास (तमिलनाडु, पुदुचेरी; चेन्नई, मदुरै में पीठ)   |
| 1866      | इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश; प्रयागराज, लखनऊ में पीठ)                                                                                                                 |
| 1884-1928 | कर्नाटक 1884 (पूर्व मैसूर); पटना 1916; जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 1928 (श्रीनगर / जम्मू)                                                                             |
| 1947-1949 | पंजाब और हरियाणा 1947 (चंडीगढ़ सहित); उड़ीसा 1948 (कटक); गौहाटी 1948 (असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश); राजस्थान 1949 (जोधपुर)                             |
| 1954-1975 | तेलंगाना 1954 (हैदराबाद); केरल 1956 (लक्षद्वीप सहित; एर्नाकुलम); मध्य प्रदेश 1956 (जबलपुर); गुजरात 1960; दिल्ली 1966; हिमाचल 1971 (शिमला); सिक्किम 1975 (गंगटोक) |
| 2000      | छत्तीसगढ़ (बिलासपुर); झारखंड (रांची); उत्तराखंड (नैनीताल)                                                                                                        |
| 2013      | मणिपुर (इंफाल); मेघालय (शिलांग); त्रिपुरा (अगरतला)                                                                                                               |
| 2019      | आंध्र प्रदेश (अमरावती)                                                                                                                                           |

- शहर / राज्य के नाम बदलने के बावजूद नाम अपरिवर्तित: बंबई, कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा उच्च न्यायालय
- अनुच्छेद: 214 उच्च न्यायालय; 215 अभिलेख न्यायालय; 216 गठन; 217 नियुक्ति; 218 उच्चतम न्यायालय के उपबंध लागू; 219 शपथ; 220 वकालत पर रोक; 221 वेतन; 222 स्थानांतरण; 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश; 224 अपर / कार्यवाहक; 224क सेवानिवृत्त; 225 विद्यमान अधिकारिता; 226 रिट; 227 अधीक्षण; 228 मामलों का अंतरण; 229 कर्मचारी; 230 संघ राज्यक्षेत्र; 231 सामान्य उच्च न्यायालय

### अधीनस्थ न्यायालय

- अनुच्छेद 233-237
- जिला न्यायाधीश: राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के साथ परामर्श से नियुक्त; अर्हताएँ - सरकारी सेवा में न हो, 7 वर्ष अधिवक्ता / प्लीडर, उच्च न्यायालय की सिफारिश
- अन्य न्यायिक सेवा: राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के साथ (अनुच्छेद 234); नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित (अनुच्छेद 235); 233क ने कुछ नियुक्तियों को विधिमाम्य किया (20वाँ संशोधन, 1966); 237 मजिस्ट्रेट

### पदानुक्रम

| स्तर | सिविल                                       | आपराधिक                                                                   |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| जिला | जिला न्यायाधीश                              | सत्र न्यायाधीश (वही व्यक्ति; मृत्युदंड की उच्च न्यायालय से पुष्टि आवश्यक) |
| मध्य | अधीनस्थ न्यायाधीश (असीमित आर्थिक अधिकारिता) | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (7 वर्ष तक)                                      |

| स्तर    | सिविल               | आपराधिक                        |
|---------|---------------------|--------------------------------|
| निम्नतम | मुंसिफ (छोटे मामले) | न्यायिक मजिस्ट्रेट (3 वर्ष तक) |
| महानगर  | नगर दीवानी न्यायालय | महानगर मजिस्ट्रेट              |

- लघुवाद न्यायालय: संक्षिप्त, अंतिम, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण कर सकता है
- पंचायत न्यायालय: न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत

## अधिकरण

- भाग 14क (अनुच्छेद 323क, 323ख) 42वें संशोधन (1976) द्वारा अंतःस्थापित

### अनुच्छेद 323क बनाम 323ख

| बिंदु     | 323क                 | 323ख                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय      | प्रशासनिक (लोक सेवा) | कराधान; विदेशी मुद्रा / आयात-निर्यात; औद्योगिक / श्रम; भूमि सुधार; शहरी संपत्ति की उच्चतम सीमा; निर्वाचन; खाद्य पदार्थ; किराया / काश्तकारी (75वाँ संशोधन, 1993) |
| गठनकर्ता  | केवल संसद            | संसद और राज्य विधानमंडल                                                                                                                                         |
| पदानुक्रम | कोई नहीं             | संभव                                                                                                                                                            |

- चंद्र कुमार (1997): उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित करने वाले खंड असंवैधानिक; अपीलें उच्च न्यायालय की खंडपीठ को जाती हैं

### केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण

| बिंदु              | विवरण                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अधिनियम            | प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985; प्रधान पीठ नई दिल्ली                                                                     |
| पीठें              | 19 (17 उच्च न्यायालयों के स्थानों पर; जयपुर और लखनऊ)                                                                    |
| अधिकारिता          | अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवाएँ, असैन्य रक्षा कर्मचारी; सशस्त्र बल, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी, संसद सचिवालय नहीं |
| सदस्य              | अध्यक्ष + सदस्य (उपाध्यक्ष का पद 2006 में समाप्त); 1 अध्यक्ष, 69 सदस्य स्वीकृत                                          |
| पात्रता / कार्यकाल | आयु 50+; 4 वर्ष या आयु 70 (अध्यक्ष) / 67 (सदस्य) (अधिकरण सुधार अधिनियम 2021)                                            |
| चयन                | भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नामित की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति                        |
| प्रक्रिया          | सिविल प्रक्रिया संहिता से बाध्य नहीं; नैसर्गिक न्याय; 50 रुपये शुल्क                                                    |

- राज्य प्रशासनिक अधिकरण राज्य के अनुरोध पर केंद्र द्वारा स्थापित; 2+ राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण

## उपभोक्ता आयोग

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने 1986 के अधिनियम का स्थान लिया; त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक
- 678 जिला, 35 राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग (1988)

| बिंदु                 | जिला                       | राज्य                   | राष्ट्रीय                   |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| गठनकर्ता              | राज्य सरकार                | राज्य सरकार             | केंद्र                      |
| संरचना                | अध्यक्ष + कम-से-कम 2 सदस्य | अध्यक्ष + कम-से-कम 4    | अध्यक्ष + 4 से 11 (1 महिला) |
| आर्थिक (2021 के नियम) | 50 लाख रुपये तक            | 50 लाख से 2 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये से अधिक       |
| 2019 का अधिनियम       | 1 करोड़ रुपये तक           | 1 से 10 करोड़ रुपये     | 10 करोड़ रुपये से अधिक      |
| 1986 का अधिनियम       | 20 लाख रुपये तक            | 20 लाख से 1 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये से अधिक       |
| अपील किसको            | राज्य (45 दिन)             | राष्ट्रीय (30 दिन)      | उच्चतम न्यायालय (30 दिन)    |
| नियंत्रण              | -                          | जिला आयोग पर            | राज्य आयोग पर               |

- राष्ट्रीय आयोग: केंद्र द्वारा नियुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश / उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर; आयु 50+; 4 वर्ष या 70 (अध्यक्ष) / 67 (सदस्य); केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की अपीलें सुनता है (30 दिन)
- राष्ट्रीय और राज्य आयोग अनुचित संविदा शर्तों को निरस्त कर सकते हैं; अपने आदेशों का 30 दिन में पुनर्विलोकन कर सकते हैं

## लोक अदालतें एवं अन्य न्यायालय

### विधिक सहायता

- अनुच्छेद 39क निःशुल्क विधिक सहायता; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (9 नवंबर 1995 से प्रवर्तित) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका समिति और उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का सृजन करता है
- पात्र: महिलाएँ और बच्चे; अनुसूचित जाति / जनजाति; औद्योगिक कामगार; आपदा / हिंसा के पीड़ित; दिव्यांग; हिरासत में व्यक्ति; आय 1 लाख रुपये तक (उच्चतम न्यायालय में 5 लाख रुपये); तस्करी के शिकार / भिखारी

### लोक अदालत

- 'जनता की अदालत': गांधीवादी; वैकल्पिक विवाद समाधान; पहला शिविर गुजरात 1982; 1987 के अधिनियम के अधीन सांविधिक
- पीठ: न्यायिक अधिकारी + वकील + सामाजिक कार्यकर्ता
- लंबित और मुकदमा-पूर्व मामले; अशमनीय अपराध नहीं
- सिविल न्यायालय की शक्तियाँ (सिविल प्रक्रिया संहिता 1908); अधिनिर्णय = सिविल डिक्ली; अंतिम, कोई अपील नहीं; न्यायालय शुल्क नहीं, समझौता होने पर वापस

### प्रकार

| प्रकार                  | विशेषताएँ                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राष्ट्रीय               | पूरे देश में एक ही दिन; 2015 से किसी विशिष्ट विषय पर मासिक                                                                                                    |
| राज्य                   | सतत, दैनिक, चलित (वैन), मेगा (राज्य में एक दिन)                                                                                                               |
| स्थायी (2002 का संशोधन) | लोक उपयोगी सेवाएँ; अध्यक्ष वर्तमान / पूर्व जिला न्यायाधीश + 2 सदस्य; सीमा 1 करोड़ रुपये (2015); आवेदन के बाद न्यायालय नहीं जा सकते; अधिनिर्णय बहुमत से, अंतिम |

- स्थायी लोक अदालत की सेवाएँ: परिवहन, डाक / तार / दूरभाष, बिजली / जल, स्वच्छता, अस्पताल, बीमा

### अन्य न्यायालय

#### विशेष न्यायालय

| न्यायालय                          | मुख्य तथ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुटुंब न्यायालय (अधिनियम 1984)    | राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से स्थापित करता है; 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में अनिवार्य; वैवाहिक, संपत्ति, वैधता, अभिरक्षा, भरण-पोषण संबंधी मामले; पहले सुलह; वकील का अधिकार नहीं; उच्च न्यायालय में एक अपील                                                                                                   |
| ग्राम न्यायालय (अधिनियम 2008)     | प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय; न्यायाधिकारी राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त; मध्यवर्ती पंचायत के लिए; चलित; संक्षिप्त आपराधिक प्रक्रिया; साक्ष्य अधिनियम से बाध्य नहीं; अपील 6 माह के भीतर सत्र न्यायालय (आपराधिक), जिला न्यायालय (सिविल) में; अभिवाक् सौदेबाज़ी; स्थापना अनिवार्य नहीं |
| वाणिज्यिक न्यायालय (अधिनियम 2015) | जिला वाणिज्यिक न्यायालय और अपीलीय न्यायालय; उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक प्रभाग और अपीलीय प्रभाग; निर्दिष्ट मूल्य 3 लाख रुपये (2018 में, पहले 1 करोड़ रुपये); वाद-पूर्व मध्यस्थता अनिवार्य                                                                                                                               |

- ग्राम न्यायालय विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट पर आधारित; कुटुंब न्यायालय 59वीं पर; वाणिज्यिक न्यायालय 253वीं पर

#### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

राज्यपाल मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता; राष्ट्रपति कर सकता है  
 परिषद साधारण विधेयक को 4 माह, धन विधेयक को 14 दिन विलंबित करती है  
 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त; विधिवेत्ता मार्ग नहीं; 10 वर्ष का अनुभव  
 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राष्ट्रीय आयोग: 4 वर्ष या आयु 70 / 67



## अध्याय 09

## स्थानीय शासन, संघ राज्यक्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र

## पंचायती राज

- पंचायती राज = ग्रामीण स्थानीय स्वशासन; 'स्थानीय शासन' राज्य सूची की प्रविष्टि 5 है
- संवैधानिक दर्जा: **73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992**

## विकास

## संवैधानिक दर्जे से पहले की समितियाँ

| समिति          | वर्ष    | मुख्य सिफारिश                                                                            |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| बलवंतराय मेहता | 1957    | त्रि-स्तरीय प्रणाली (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद); "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" |
| अशोक मेहता     | 1977-78 | द्वि-स्तरीय (जिला परिषद + 15,000-20,000 की जनसंख्या वाली मंडल पंचायत); 132 सिफारिशें     |
| दांतवाला       | 1978    | खंड-स्तरीय नियोजन                                                                        |
| हनुमंत राव     | 1984    | जिला नियोजन                                                                              |
| जी.वी.के. राव  | 1985    | जिला परिषद केंद्रीय; जिला विकास आयुक्त का पद; "बिना जड़ की घास"                          |
| एल.एम. सिंघवी  | 1986    | संवैधानिक मान्यता; नया अध्याय; न्याय पंचायतें; न्यायिक अधिकरण                            |
| पी.के. थुंगन   | 1988    | संवैधानिक मान्यता; तीन स्तर; 5 वर्ष का कार्यकाल; राज्य वित्त आयोग                        |
| वी.एन. गाडगिल  | 1988    | संवैधानिक दर्जा; 3 स्तर; 5 वर्ष का कार्यकाल; 73वाँ संशोधन विधेयक का आधार                 |

- बलवंतराय मेहता: ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष निर्वाचित; समिति और परिषद अप्रत्यक्ष निर्वाचित
- बलवंतराय मेहता: पंचायत समिति = कार्यकारी निकाय; जिला परिषद = सलाहकार, समन्वयकारी, पर्यवेक्षी निकाय
- बलवंतराय मेहता: जिला कलेक्टर जिला परिषद का अध्यक्ष हो
- राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकृत
- राजस्थान** पंचायती राज अपनाने वाला प्रथम राज्य था
- प्रधानमंत्री नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर (राजस्थान) में इसका उद्घाटन किया
- आंध्र प्रदेश ने 1959 में ही इसे अपनाया
- राजस्थान: त्रि-स्तरीय; तमिलनाडु: द्वि-स्तरीय; पश्चिम बंगाल: चतु-स्तरीय
- राजस्थान-आंध्र प्रदेश प्रतिरूप: पंचायत समिति शक्तिशाली (खंड = इकाई)
- महाराष्ट्र-गुजरात प्रतिरूप: जिला परिषद शक्तिशाली (जिला = इकाई)
- अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता सरकार द्वारा नियुक्त; प्रतिवेदन अगस्त 1978
- अशोक मेहता: जिला = विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु; जिला परिषद = कार्यकारी निकाय
- अशोक मेहता: अधिक्रमण केवल तभी, जब 6 माह के भीतर चुनाव हों
- अशोक मेहता: कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने इस पर कार्रवाई की
- जी.वी.के. राव समिति 1985 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त
- थुंगन: कलेक्टर जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो; अधिकतम अधिक्रमण 6 माह
- संवैधानिकीकरण: राजीव गांधी का 64वाँ संशोधन विधेयक (जुलाई 1989) लोक सभा में पारित, राज्य सभा में पराजित; वी.पी. सिंह का विधेयक (सितंबर 1990) व्यपगत; नरसिम्हा राव का विधेयक (सितंबर 1991) 73वाँ संशोधन अधिनियम बना
- 73वाँ संशोधन: लोक सभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 को, राज्य सभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 को पारित
- राष्ट्रपति की अनुमति: 20 अप्रैल 1993; प्रवर्तन **24 अप्रैल 1993 से**
- अध्ययन दल: वी.आर. राव (1960, सांख्यिकी), एस.डी. मिश्र (1961), वी. ईश्वरन (1961, प्रशासन), जी.आर. राजगोपाल (1962, न्याय पंचायतें), आर.आर. दिवाकर (1963, ग्राम सभा), के. संधानम (1963 वित्त; 1965 चुनाव), आर.के. खन्ना (1965, लेखापरीक्षा), दया चौबे (1976)

- 1992 के बाद: ललित माथुर कार्य-बल (2001, शक्ति-हस्तांतरण); वी. रामचंद्रन विशेषज्ञ समूह (2005, तृणमूल नियोजन; साथ ही 2010 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का पुनर्गठन); राजवंत संधू (2008, जिला नियोजन नियमावली); मणिशंकर अय्यर (2012, पंचायतों का सुदृढीकरण)

### याद रखें - पंचायती राज संबंधी समितियों के अध्यक्ष

बलवंतराय मेहता = 3 स्तर (1957); अशोक मेहता = 2 स्तर (1978)  
 एल.एम. सिंघवी = संवैधानिक मान्यता + न्याय पंचायतें (1986)  
 जी.वी.के. राव = "बिना जड़ की घास"; हनुमंत राव = जिला नियोजन  
 गाडगिल = 73वें संशोधन विधेयक का आधार

## 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

- जोड़ा गया: **भाग 9** 'पंचायतें' (अनुच्छेद 243 से 243ण)
- जोड़ी गई: **ग्यारहवीं अनुसूची**: 29 कार्यात्मक विषय (अनुच्छेद 243छ)
- अनुच्छेद 40 (नीति निर्देशक तत्त्व: ग्राम पंचायतें) को व्यावहारिक रूप देता है
- पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायसंगत भाग के अंतर्गत लाता है
- उपबंध दो प्रकार के हैं: अनिवार्य और स्वैच्छिक (विवेकाधीन)

### मुख्य विशेषताएँ

- **ग्राम सभा**: पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता; शक्तियाँ राज्य विधानमंडल के निर्णय के अनुसार
- त्रि-स्तरीय प्रणाली: ग्राम, मध्यवर्ती, जिला
- जिस राज्य की जनसंख्या **20 लाख** तक है, उसके लिए मध्यवर्ती स्तर गठित करना आवश्यक नहीं
- सभी स्तरों पर सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
- मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष: निर्वाचित सदस्यों में से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
- ग्राम पंचायत का अध्यक्ष: राज्य विधानमंडल के निर्णय के अनुसार निर्वाचित
- अध्यक्ष और सभी सदस्यों को बैठकों में मतदान का अधिकार
- अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित (तीनों स्तरों पर); अध्यक्ष के पद भी अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए आरक्षित
- कम-से-कम **एक-तिहाई** सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित (अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाओं सहित)
- प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष के कम-से-कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित
- राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्गों के लिए सीटें / पद आरक्षित कर सकता है
- अनुसूचित जाति / जनजाति आरक्षण अनुच्छेद 334 में उल्लिखित अवधि (2030 तक) के बाद समाप्त
- अनुसूचित जाति आरक्षण अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं (83वाँ संशोधन, 2000)
- कार्यकाल: **5 वर्ष**, पहली बैठक से
- विघटन के बाद नए चुनाव **6 माह के भीतर**
- यदि शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो, तो चुनाव आवश्यक नहीं
- पुनर्गठित निकाय केवल शेष कार्यकाल तक कार्य करता है
- चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु: **21 वर्ष**
- निरर्हता राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विधि या किसी राज्य विधि के अनुसार; प्रश्न राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को निर्दिष्ट
- **राज्य निर्वाचन आयोग** (अनुच्छेद 243ट): मतदाता सूचियों और चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है
- राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है; उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति पदच्युति; सेवा शर्तें अहित में परिवर्तित नहीं की जा सकती
- राज्य विधानमंडल कर लगाने को प्राधिकृत कर सकता है, राज्य के कर सौंप सकता है, सहायता अनुदान दे सकता है और निधियाँ गठित कर सकता है
- **राज्य वित्त आयोग** (अनुच्छेद 243झ): राज्यपाल द्वारा प्रत्येक **5 वर्ष पर गठित**
- राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों, की गई कार्रवाई के प्रतिवेदन सहित, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है
- केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय सुझाता है
- संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू (राष्ट्रपति संशोधन कर सकता है)
- निर्वाचन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक (अनुच्छेद 243ण): परिसीमन / सीट-आवंटन संबंधी विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती
- निर्वाचन विवाद केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष निर्वाचन याचिका से
- विद्यमान राज्य विधियाँ 24 अप्रैल 1993 से 1 वर्ष तक जारी; विद्यमान पंचायतें कार्यकाल पूरा होने तक जारी

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य - पंचायत की परिभाषाएँ (अनुच्छेद 243)

ग्राम = राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना से निर्दिष्ट  
 मध्यवर्ती स्तर = ग्राम और जिला के बीच, राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट  
 पंचायत = ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था

- भाग 9 के अनुच्छेद: 243 परिभाषाएँ; 243क ग्राम सभा; 243ख गठन; 243ग संरचना; 243घ आरक्षण; 243ङ अवधि; 243च निरर्हताएँ; 243छ शक्तियाँ; 243ज कर और निधियाँ; 243झ वित्त आयोग; 243ञ लेखापरीक्षा; 243ट निर्वाचन; 243ठ संघ राज्यक्षेत्र; 243ड अपवर्जित क्षेत्र; 243ढ विधियों का जारी रहना; 243ण न्यायालयों का वर्जन

### अपवर्जित राज्य और क्षेत्र (अनुच्छेद 243ड)

- नागालैंड, मेघालय, मिजोरम
- राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र
- मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहाँ जिला परिषदें हैं
- पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला (दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद)
- संसद भाग 9 को इन क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है: ऐसा किया गया **पेसा अधिनियम, 1996** द्वारा

### अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक उपबंध

- अनिवार्य: ग्राम सभा; तीन स्तर; प्रत्यक्ष चुनाव; मध्यवर्ती / जिला अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन; अध्यक्ष और सदस्यों के मतदान अधिकार; न्यूनतम आयु 21; अनुसूचित जाति / जनजाति आरक्षण; एक-तिहाई महिला आरक्षण; 5 वर्ष का कार्यकाल और अधिक्रमण के 6 माह के भीतर चुनाव; राज्य निर्वाचन आयोग; प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग
- स्वैच्छिक: ग्राम सभा की शक्तियाँ; ग्राम अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति; पंचायतों में निचले स्तर के अध्यक्षों तथा सांसदों / विधायकों का प्रतिनिधित्व; पिछड़े वर्ग आरक्षण; स्वायत्तता; ग्यारहवीं अनुसूची के कार्यों और योजनाओं का हस्तांतरण; वित्तीय शक्तियाँ (कर, सहायता अनुदान, निधियाँ)

### ग्यारहवीं अनुसूची (29 विषय)

- ग्यारहवीं अनुसूची (29): 1 कृषि; 2 भूमि विकास और भूमि सुधार, मृदा संरक्षण; 3 लघु सिंचाई, जलविभाजक; 4 पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन; 5 मत्स्य पालन; 6 सामाजिक और कृषि वानिकी; 7 लघु वन उपज; 8 लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण; 9 खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग; 10 ग्रामीण आवास; 11 पेयजल; 12 ईंधन और चारा; 13 सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग; 14 ग्रामीण विद्युतीकरण; 15 गैर-परंपरागत ऊर्जा; 16 गरीबी उन्मूलन; 17 शिक्षा; 18 तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा; 19 प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा; 20 पुस्तकालय; 21 सांस्कृतिक गतिविधियाँ; 22 बाज़ार और मेले; 23 स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र; 24 परिवार कल्याण; 25 महिला और बाल विकास; 26 समाज कल्याण, जिसमें दिव्यांग और मानसिक रूप से अक्षम शामिल; 27 कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति / जनजाति का कल्याण; 28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली; 29 सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव

### पेसा अधिनियम, 1996 (विस्तार अधिनियम)

- पंचायतें (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंध
- भाग 9 का विस्तार **पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों** पर, संशोधनों सहित
- पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों वाले दस राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान
- उद्देश्य: जनजातीय आबादी के लिए स्वशासन; ग्राम सभा गाँव के शासन का केंद्र
- उद्देश्य: जनजातीय परंपराओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण
- उद्देश्य: उच्च स्तर की पंचायतें ग्राम सभा या निचले स्तर की पंचायतों की शक्तियाँ न हड़पें

### पेसा की विशेषताएँ

- राज्य की विधि रूढ़िगत विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के अनुरूप हो
- गाँव = बस्ती या बस्तियों / पुरवों का समूह जो परंपराओं के अनुसार अपने कार्य चलाता है
- ग्राम सभा = ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में दर्ज व्यक्ति
- ग्राम सभा परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और रूढ़िगत विवाद-समाधान की रक्षा करती है
- ग्राम सभा क्रियान्वयन से पूर्व योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करती है
- ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान करती है
- ग्राम पंचायत को ग्राम सभा से निधियों के उपयोग का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा
- अनुसूचित जनजाति के लिए कम-से-कम **आधी** सीटों का आरक्षण; सभी स्तरों पर अध्यक्ष के सभी पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित
- मध्यवर्ती / जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व से वंचित अनुसूचित जनजातियों को राज्य मनोनीत कर सकता है: सदस्यों के अधिकतम **दसवें भाग** तक
- भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से पूर्व ग्राम सभा / पंचायत से परामर्श
- लघु जल निकायों का नियोजन और प्रबंधन: पंचायतें
- लघु खनिजों के संभावना अनुज्ञापत्र / खनन पट्टे और लघु खनिज रियायतों की नीलामी के लिए ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य
- असंगत विधियाँ अनुमति की तिथि से एक वर्ष बाद समाप्त हो जाती हैं
- पेसा की विशिष्ट शक्तियाँ: मादक पदार्थों का विनियमन; लघु वन उपज का स्वामित्व; भूमि के अन्य-संक्रामण की रोकथाम; ग्राम बाज़ारों का प्रबंधन; अनुसूचित जनजातियों को साहूकारी पर नियंत्रण; सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं पर नियंत्रण; जनजातीय उप-योजनाओं सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण
- अनुसूचित क्षेत्रों के जिला-स्तरीय प्रशासन में राज्य विधानमंडल छोटी अनुसूची का प्रतिरूप अपनाए

## पंचायती राज के वित्त

- स्रोत: केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान (अनुच्छेद 280); राज्य वित्त आयोग का हस्तांतरण (अनुच्छेद 243इ); राज्य के ऋण / अनुदान; केंद्र प्रायोजित योजनाएँ; आंतरिक संसाधन (कर और करेतर)
- ग्राम पंचायतों का अपना कर-क्षेत्र है; मध्यवर्ती और जिला स्तर चुंगी, शुल्क और करेतर राजस्व पर निर्भर हैं
- पंचायती राज संस्थाओं की कमज़ोरियाँ: कार्यों, निधियों और कार्मिकों के हस्तांतरण की अपर्याप्तता; नौकरशाही नियंत्रण; बँधी निधियाँ; अनुदानों पर निर्भरता; कर लगाने में हिचक; कमज़ोर ग्राम सभा; समानांतर निकाय; खराब अवसंरचना

## नगरपालिकाएँ

- नगरीय स्थानीय शासन = निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नगरीय क्षेत्र का शासन
- संवैधानिक दर्जा: **74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992**
- केंद्रीय मंत्रालय: आवास और शहरी कार्य; रक्षा (छावनी बोर्ड); गृह मामले (संघ राज्यक्षेत्र)

## नगरीय निकायों का विकास-क्रम

- 1687-88: मद्रास में पहला नगर निगम; 1726: बंबई और कलकत्ता
- लॉर्ड मेयो का प्रस्ताव (1870): वित्तीय विकेंद्रीकरण
- लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव (1882): स्थानीय स्वशासन का 'मैग्रा कार्टा'; रिपन = स्थानीय स्वशासन के जनक
- हॉबहाउस विकेंद्रीकरण संबंधी शाही आयोग (1907-09)
- 1919 का अधिनियम: हस्तांतरित विषय; 1924 का छावनी अधिनियम; 1935 का अधिनियम: प्रांतीय विषय
- नगरीय समितियाँ: पी.के. वत्तल (1949-51, स्थानीय वित्त); जॉन मथाई (1953-54, कराधान); नूरुद्दीन अहमद (1963-65, प्रशिक्षण); ए.पी. जैन (1963-66, ग्रामीण-नगरीय संबंध; नगर क्षेत्र समितियों का पंचायती राज संस्थाओं में विलय); रफीक ज़कारिया (1963, संसाधन); बी.एस. मूर्ति (1965-68, सेवा शर्तें); गिरिजापति मुखर्जी (1974, बजट सुधार); के.एन. सहाय (1982); सी.एम. कोरिया (1985-88, राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग)
- ए.पी. जैन समिति: छोटी नगर क्षेत्र समितियों का पंचायती राज संस्थाओं में विलय
- संवैधानिकीकरण: राजीव गांधी का 65वाँ संशोधन (नगरपालिका) विधेयक (अगस्त 1989) राज्य सभा में पराजित; वी.पी. सिंह का विधेयक (सितंबर 1990) व्यपगत; नरसिम्हा राव का विधेयक (सितंबर 1991) 74वाँ संशोधन अधिनियम बना
- 74वाँ संशोधन प्रवर्तन में: **1 जून 1993** से; राष्ट्रपति की अनुमति अप्रैल 1993

## 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

- जोड़ा गया: **भाग 9क** 'नगरपालिकाएँ' (अनुच्छेद 243त से 243यछ)
- जोड़ी गई: **बारहवीं अनुसूची**: 18 कार्यात्मक विषय (अनुच्छेद 243ब)
- नगरपालिकाओं को संविधान के न्यायसंगत भाग के अंतर्गत लाता है

## मुख्य विशेषताएँ

- प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ:
  - **नगर पंचायत** संक्रमणशील क्षेत्र (ग्रामीण से नगरीय) के लिए
  - **नगरपालिका परिषद** छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए
  - **नगर निगम** बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए
- औद्योगिक टाउनशिप: राज्यपाल निर्दिष्ट कर सकता है; नगरपालिका गठित नहीं की जाती
- राज्यपाल के विचारणीय कारक: जनसंख्या, घनत्व, राजस्व, गैर-कृषि रोज़गार का अंश, आर्थिक महत्व
- सभी सदस्य वार्डों (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों) से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
- अध्यक्ष का निर्वाचन: राज्य विधानमंडल के उपबंध के अनुसार
- राज्य विधानमंडल प्रतिनिधित्व दे सकता है (पहले समूह को मताधिकार के बिना): नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति
- साथ ही: क्षेत्र के सांसद और विधायक; राज्य सभा और विधान परिषद के सदस्य जो क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं; समितियों के अध्यक्ष (वार्ड समितियों को छोड़कर)
- **वार्ड समितियाँ**: ऐसी नगरपालिका, जिसकी जनसंख्या **3 लाख या अधिक हो**
- आरक्षण: जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति / जनजाति; कम-से-कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए (अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाओं सहित)
- अध्यक्ष के पदों का अनुसूचित जाति / जनजाति / महिलाओं के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल तय करता है; पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित कर सकता है
- अनुसूचित जाति / जनजाति आरक्षण अनुच्छेद 334 के अनुसार समाप्त (2030 तक)
- कार्यकाल: **5 वर्ष**; विघटन के 6 माह के भीतर नया चुनाव
- विघटन से पूर्व नगरपालिका को सुनवाई का उचित अवसर मिलना आवश्यक
- निरर्हता: राज्य विधानमंडल के चुनावों के समान; न्यूनतम आयु 21 वर्ष
- **राज्य निर्वाचन आयोग** सभी नगरपालिका चुनाव संपन्न कराता है (अनुच्छेद 243यक)
- **राज्य वित्त आयोग** (पंचायतों के समान) प्रत्येक 5 वर्ष पर नगरपालिका वित्त की समीक्षा करता है

- संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू: 2001 में राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि अनुच्छेद 243यघ और 243यड दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर लागू नहीं होंगे
- अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं; दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर प्रभाव नहीं
- विद्यमान विधियाँ 1 जून 1993 से 1 वर्ष तक जारी
- निर्वाचन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक (अनुच्छेद 243यछ)

## योजना समितियाँ

### जिला बनाम महानगर योजना समिति

| विशेषता             | जिला योजना समिति (अनुच्छेद 243यघ)                                                   | महानगर योजना समिति (अनुच्छेद 243यड)                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| प्रयोजन             | पंचायत और नगरपालिका योजनाओं को समेकित करती है; जिला विकास योजना का प्रारूप बनाती है | महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप                     |
| निर्वाचित सदस्य     | चार-पंचमांश                                                                         | दो-तिहाई                                                         |
| निर्वाचक            | जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य                                       | क्षेत्र की नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक्ष |
| प्रतिनिधित्व अनुपात | ग्रामीण : नगरीय जनसंख्या                                                            | नगरपालिका : पंचायत जनसंख्या                                      |
| योजना भेजने वाला    | अध्यक्ष, राज्य सरकार को                                                             | अध्यक्ष, राज्य सरकार को                                          |

- महानगर क्षेत्र = 10 लाख या अधिक जनसंख्या, एक या अधिक जिलों में, दो या अधिक नगरपालिकाएँ / पंचायतें
- भाग 9क के अनुच्छेद: 243त परिभाषाएँ; 243थ गठन; 243द संरचना; 243ध वार्ड समितियाँ; 243न आरक्षण; 243प अवधि; 243फ निरहताएँ; 243ब शक्तियाँ; 243भ कर और निधियाँ; 243म वित्त आयोग; 243य लेखापरीक्षा; 243यक निर्वाचन; 243यख संघ राज्यक्षेत्र; 243यग अपवर्जित क्षेत्र; 243यघ जिला योजना समिति; 243यड महानगर योजना समिति; 243यच विधियों का जारी रहना; 243यछ न्यायालयों का वर्जन

## बारहवीं अनुसूची (18 विषय)

- बारहवीं अनुसूची (18): 1 नगरीय नियोजन; 2 भूमि उपयोग और भवन विनियमन; 3 आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना; 4 सड़कें और पुल; 5 जल आपूर्ति; 6 लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट; 7 अग्निशमन सेवाएँ; 8 नगरीय वानिकी, पर्यावरण; 9 कमजोर वर्ग, जिनमें दिव्यांग शामिल; 10 मलिन बस्ती सुधार; 11 नगरीय गरीबी उन्मूलन; 12 पार्क, उद्यान, खेल के मैदान; 13 सांस्कृतिक, शैक्षिक, सौंदर्यपरक पहलू; 14 कब्रिस्तान / श्मशान, विद्युत शवदाह गृह; 15 मवेशी बाड़े, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम; 16 जन्म-मृत्यु पंजीकरण; 17 सड़क प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस पड़ाव, सार्वजनिक सुविधाएँ; 18 बूचड़खाने और चर्मशोधन शालाएँ

## नगरीय सरकारों के प्रकार (आठ)

### नगरीय स्थानीय निकायों के आठ प्रकार

| निकाय                  | गठनकर्ता                                             | स्वरूप / प्रमुख                          | मुख्य बिंदु                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| नगर निगम               | राज्य का अधिनियम (संघ राज्यक्षेत्र: संसद का अधिनियम) | महापौर की अध्यक्षता वाली परिषद           | 3 प्राधिकरण: परिषद, स्थायी समितियाँ, आयुक्त                  |
| नगरपालिका              | राज्य का अधिनियम (संघ राज्यक्षेत्र: संसद का अधिनियम) | अध्यक्ष / सभापति की अध्यक्षता वाली परिषद | 3 प्राधिकरण: परिषद, स्थायी समितियाँ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| अधिसूचित क्षेत्र समिति | सरकारी राजपत्र अधिसूचना                              | पूर्णतः मनोनीत                           | न निर्वाचित, न सांविधिक                                      |
| नगर क्षेत्र समिति      | पृथक् राज्य अधिनियम                                  | निर्वाचित / मनोनीत / मिश्रित             | अर्ध-नगरपालिका; छोटा नगर                                     |
| छावनी बोर्ड            | छावनी अधिनियम, 2006 (केंद्र)                         | आंशिक निर्वाचित, आंशिक मनोनीत            | रक्षा मंत्रालय के अधीन                                       |
| टाउनशिप                | सार्वजनिक उद्यम                                      | नगर प्रशासक                              | कोई निर्वाचित सदस्य नहीं                                     |
| पोर्ट ट्रस्ट           | संसद का अधिनियम                                      | पदेन अध्यक्ष                             | निर्वाचित और मनोनीत सदस्य                                    |
| विशेष प्रयोजन अभिकरण   | राज्य अधिनियम या कार्यपालिका संकल्प                  | कार्य-आधारित                             | नगरपालिकाओं के अधीनस्थ नहीं                                  |

## नगर निगम

- बड़े शहरों के लिए (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु)
- परिषद = विचार-विमर्श और विधायी शाखा; निर्वाचित पार्षद तथा कुछ मनोनीत विशेषज्ञ
- **महापौर**: अधिकांश राज्यों में एक वर्ष के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए निर्वाचित; औपचारिक, शोभा-प्रधान प्रमुख; परिषद की अध्यक्षता करता है
- स्थायी समितियाँ लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कराधान और वित्त का कार्य देखती हैं
- **नगर आयुक्त**: मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी; राज्य सरकार द्वारा नियुक्त; सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी

## नगरपालिका

- कस्बों और छोटे शहरों के लिए; नगरपालिका परिषद, समिति, बोर्ड, बरो नगरपालिका भी कहलाती है
- अध्यक्ष / सभापति प्रशासन की धुरी है और उसे कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं (महापौर के विपरीत)
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त

## अधिसूचित क्षेत्र समिति

- तेज़ी से विकसित हो रहे औद्योगिक कस्बे या ऐसे कस्बे के लिए जो अभी नगरपालिका के योग्य नहीं हैं
- अध्यक्ष सहित सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत

## छावनी बोर्ड

- निर्माण और प्रशासन: **केंद्र**; पहले पाँच प्रकारों में से शेष चार राज्य के निकाय हैं
- छावनी अधिनियम, 2006 ने छावनी अधिनियम, 1924 को निरसित किया
- 62 छावनी बोर्ड
- कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा; वह केंद्रीय संवर्ग का सदस्य होता है
- स्टेशन की कमान संभालने वाला सैन्य अधिकारी = पदेन अध्यक्ष
- उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष के लिए निर्वाचित
- निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल: 5 वर्ष
- नागरिक आबादी के अनुसार छावनी की श्रेणियाँ: श्रेणी 1 - 50,000 से अधिक; श्रेणी 2 - 10,000-50,000; श्रेणी 3 - 2,500-10,000; श्रेणी 4 - 2,500 से कम
- श्रेणी 1 बोर्ड: 8 निर्वाचित सदस्य, साथ में स्टेशन कमांडर, कार्यकारी अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, 3 सैन्य अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

## विशेष प्रयोजन अभिकरण

- नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण, जल आपूर्ति और मल-जल निकासी बोर्ड, आवास बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत आपूर्ति बोर्ड, नगर परिवहन बोर्ड
- कार्य-आधारित, क्षेत्र-आधारित नहीं

## नगरपालिका कार्मिक

### नगरपालिका कार्मिक प्रणालियाँ

| प्रणाली | विशेषताएँ                                                                                                    | किनमें प्रचलित                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| पृथक्   | प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और नियंत्रण करता है; स्थानांतरणीय नहीं; सर्वाधिक प्रचलित | अधिकांश राज्य                                               |
| एकीकृत  | राज्य द्वारा नियुक्ति; राज्यव्यापी संवर्ग, स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरणीय                               | आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश |
| समेकित  | स्थानीय और राज्य कर्मचारी एक ही सेवा में; राज्य विभागों में स्थानांतरणीय                                     | ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा                       |

- प्रशिक्षण: अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, मुंबई (1927); नगरीय और पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली (1967) तथा क्षेत्रीय केंद्र (1968); राष्ट्रीय नगरीय कार्य संस्थान (1976); मानव बस्ती प्रबंधन संस्थान (1985)

## नगरपालिका राजस्व

- पाँच स्रोत: कर राजस्व, करेतर राजस्व, अनुदान, हस्तांतरण, ऋण
- **संपत्ति कर** = सबसे महत्वपूर्ण कर राजस्व
- अन्य कर: मनोरंजन, विज्ञापन, व्यवसाय, जल, पशु, प्रकाश, तीर्थयात्री, बाज़ार कर, नए पुलों पर पथकर
- उपकर: पुस्तकालय, शिक्षा, भिक्षावृत्ति
- करेतर: किराया, शुल्क और जुर्माने, रॉयल्टी, लाभ, ब्याज, उपयोगकर्ता शुल्क
- हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग के आधार पर
- वित्तीय संस्थाओं से ऋण केवल राज्य सरकार की स्वीकृति से

## केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद

- स्थापना **1954 में अनुच्छेद 263** के अधीन, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
- पहले 'केंद्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद'; 1980 के दशक में नाम बदला
- 1958 तक नगरीय और ग्रामीण दोनों; उसके बाद केवल नगरीय
- सलाहकार निकाय

- अध्यक्ष: आवास और शहरी कार्य केंद्रीय मंत्री; सदस्य: स्थानीय स्वशासन के राज्य मंत्री
- कार्य: नीति संबंधी सिफारिश, विधायी प्रस्ताव, केंद्र-राज्य सहयोग, साझा कार्य-योजना, केंद्रीय वित्तीय सहायता, केंद्र-सहायता प्राप्त कार्य की समीक्षा

#### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य - नगरीय निकाय

महापौर (निगम) = शोभा-प्रधान; अध्यक्ष (नगरपालिका) = कार्यकारी शक्तियों वाली धुरी  
अधिसूचित क्षेत्र समिति = पूर्णतः मनोनीत; छावनी बोर्ड = केंद्र द्वारा गठित, रक्षा मंत्रालय के अधीन  
टाउनशिप और पोर्ट ट्रस्ट: टाउनशिप में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं; पोर्ट ट्रस्ट संसद द्वारा गठित  
74वें संशोधन के अधीन नगरपालिकाओं के प्रकार: नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, नगर निगम

## संघ राज्यक्षेत्र

- अनुच्छेद 1: भारत का राज्यक्षेत्र = राज्य, संघ राज्यक्षेत्र, अर्जित राज्यक्षेत्र
- वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्यक्षेत्र
- संघ राज्यक्षेत्र केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ('केंद्र शासित प्रदेश'); संघवाद से विचलन
- अनुच्छेद 239 से 241 (भाग 8) संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित हैं
- उद्भव 'अनुसूचित जिले' (1874) -> मुख्य आयुक्त के प्रांत -> भाग ग के राज्य / भाग घ के राज्यक्षेत्र
- 1956 में 7वें संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित
- पूर्व संघ राज्यक्षेत्र जो अब राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा
- पूर्वगालियों से अर्जित: गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली; फ्रांसीसियों से: पुदुचेरी

| संघ राज्यक्षेत्र                  | वर्ष | कार्यकारी प्रमुख | उच्च न्यायालय          | विधायिका |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------------|----------|
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह       | 1956 | उप-राज्यपाल      | कलकत्ता                | नहीं     |
| दिल्ली                            | 1956 | उप-राज्यपाल      | अपना (1966 से)         | हाँ (70) |
| लक्षद्वीप                         | 1956 | प्रशासक          | केरल                   | नहीं     |
| पुदुचेरी                          | 1962 | उप-राज्यपाल      | मद्रास                 | हाँ (30) |
| चंडीगढ़                           | 1966 | प्रशासक          | पंजाब और हरियाणा       | नहीं     |
| जम्मू-कश्मीर                      | 2019 | उप-राज्यपाल      | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | हाँ (90) |
| लद्दाख                            | 2019 | उप-राज्यपाल      | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | नहीं     |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 2020 | प्रशासक          | बंबई                   | नहीं     |

- लक्षद्वीप: पहले 'लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह' (1973 तक)
- दिल्ली को 1992 में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र नामित किया गया; पांडिचेरी का नाम 2006 में पुदुचेरी हुआ
- दादरा और नगर हवेली (1961) तथा दमन और दीव (1962) का 2020 में विलय ("न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन")
- 2019: जम्मू-कश्मीर का विभाजन - जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र (विधायिका सहित) और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र (विधायिका रहित)
- कारण: राजनीतिक / प्रशासनिक (दिल्ली, चंडीगढ़); सांस्कृतिक (पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव); सामरिक (अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप); पिछड़े / जनजातीय लोग (मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल)

## संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन

- प्रशासन: राष्ट्रपति द्वारा, उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से
- प्रशासक = राष्ट्रपति का अभिकर्ता, राज्यपाल की तरह राज्य का प्रधान नहीं
- पदनाम (उप-राज्यपाल / मुख्य आयुक्त / प्रशासक) राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट
- राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है; राज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करता है
- विधान सभा + मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद: पुदुचेरी (1963), दिल्ली (1992), जम्मू-कश्मीर (2019)
- संसद संघ राज्यक्षेत्रों के लिए तीनों सूचियों पर विधि बना सकती है, विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए भी
- पुदुचेरी की विधान सभा: राज्य और समवर्ती सूचियाँ
- दिल्ली की विधान सभा: राज्य और समवर्ती सूचियाँ, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर
- जम्मू-कश्मीर की विधान सभा: राज्य और समवर्ती सूचियाँ, लोक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर
- अनुच्छेद 240: राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लद्दाख के लिए विनियम बना सकता है
- पुदुचेरी: राष्ट्रपति के विनियम केवल तब, जब विधान सभा निलंबित या विघटित हो
- विनियम का बल संसद के अधिनियम के समान; संसद के अधिनियमों को निरसित या संशोधित कर सकता है

- **अनुच्छेद 241:** संसद संघ राज्यक्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन रख सकती है
- दिल्ली = एकमात्र संघ राज्यक्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है (1966)
- गृह मंत्रालय = संघ राज्यक्षेत्रों का नोडल मंत्रालय
- विधायिका रहित पाँच संघ राज्यक्षेत्रों में गृह मंत्री की सलाहकार समिति / प्रशासक की सलाहकार समिति होती है

### दिल्ली के लिए विशेष उपबंध

- **69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991** (1 फरवरी 1992 से प्रभावी): दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र; उप-राज्यपाल; विधान सभा और मंत्रिपरिषद
- **अनुच्छेद 239कक:** 239कख: संवैधानिक तंत्र की विफलता
- विधान सभा: 70 सदस्य, प्रत्यक्ष निर्वाचित; चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है
- राज्य और समवर्ती सूचियों पर विधि, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर; संसद की विधि प्रबल
- मंत्रिपरिषद: विधान सभा की सदस्य संख्या का 10% = 7 (मुख्यमंत्री + 6)
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा; अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं
- परिषद उप-राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है, उन कार्यों को छोड़कर जिनमें वह विवेक से कार्य करता है
- उप-राज्यपाल और मंत्रियों के बीच मतभेद: राष्ट्रपति को निर्दिष्ट
- राष्ट्रपति उप-राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्यथा उपबंधों को निलंबित कर सकता है (अनुच्छेद 356 के समान)
- उप-राज्यपाल सत्र-अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है; पुनः समवेत होने के **6 सप्ताह** के भीतर अनुमोदन आवश्यक
- उप-राज्यपाल को अध्यादेश के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक; विधान सभा के विघटित या निलंबित होने पर जारी नहीं कर सकता

### राज्य बनाम संघ राज्यक्षेत्र

| विशेषता                     | राज्य                               | संघ राज्यक्षेत्र                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| केंद्र से संबंध             | संघीय                               | एकात्मक                              |
| शक्ति                       | केंद्र के साथ वितरित                | केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में     |
| स्वायत्तता                  | हाँ                                 | नहीं                                 |
| प्रशासनिक ढाँचा             | एकरूप                               | एकरूप नहीं                           |
| कार्यकारी प्रमुख            | राज्यपाल                            | प्रशासक / उप-राज्यपाल / मुख्य आयुक्त |
| प्रमुख की स्थिति            | संवैधानिक प्रमुख                    | राष्ट्रपति का अभिकर्ता               |
| राज्य सूची पर संसद का विधान | असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नहीं | तीनों सूचियों का कोई भी विषय         |

- संघ राज्यक्षेत्र संबंधी अनुच्छेद: 239 प्रशासन; 239क स्थानीय विधानमंडल; 239कक दिल्ली; 239कख तंत्र की विफलता; 239ख अध्यादेश; 240 विनियम; 241 उच्च न्यायालय; 242 कूर्ग (निरसित)

### याद रखें - संघ राज्यक्षेत्र

उप-राज्यपाल: दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख

प्रशासक: चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप

विधायिका: दिल्ली (70), पुदुचेरी (30), जम्मू-कश्मीर (90)

केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है

अनुच्छेद 240 के विनियम: अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लद्दाख (और विधान सभा के निलंबित / विघटित होने पर पुदुचेरी)

### अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

- **अनुच्छेद 244**, भाग 10: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासन
- **पाँचवीं अनुसूची:** असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ; इसे "संविधान के भीतर संविधान" कहा जाता है
- **छठी अनुसूची:** असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र

### पाँचवीं अनुसूची - अनुसूचित क्षेत्र

- **राष्ट्रपति** राज्यपाल से परामर्श करके अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, परिवर्तित करता है और रद्द करता है
- मानदंड (संविधान में नहीं): जनजातीय आबादी की बहुलता; सुसंहत और उचित आकार; व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई (जिला, खंड, तालुक); आर्थिक पिछड़ापन
- राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत; राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व और वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को
- केंद्र अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यों को निर्देश दे सकता है

- **जनजाति सलाहकार परिषद:** 20 सदस्य, तीन-चौथाई विधान सभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि
- यदि राष्ट्रपति निर्देश दे, तो अनुसूचित जनजातियों वाले, किंतु अनुसूचित क्षेत्र-रहित राज्य में भी ऐसी परिषद गठित की जा सकती है
- राज्यपाल निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम लागू न हों, या संशोधनों सहित लागू हों
- राज्यपाल (जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श के बाद) अनुसूचित जनजातियों द्वारा भूमि अंतरण, भूमि आवंटन, साहूकारी पर विनियम बना सकता है; अधिनियमों को निरसित या संशोधित कर सकता है; राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक
- राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर आयोग किसी भी समय नियुक्त कर सकता है, 10 वर्ष के बाद अनिवार्यतः
- आयोग: यू.एन. डेबर (1960 में नियुक्त, 1961 में प्रतिवेदन); दिलीप सिंह भूरिया (2002, प्रतिवेदन 2004)
- अनुसूचित क्षेत्रों वाले दस राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान

## छठी अनुसूची - जनजातीय क्षेत्र

- बल **स्वशासन** पर (पाँचवीं अनुसूची के विपरीत)
- जनजातीय क्षेत्र **स्वायत्त जिलों** के रूप में गठित; राज्य की कार्यपालिका के अधिकार में बने रहते हैं
- **राज्यपाल** स्वायत्त जिलों का गठन और पुनर्गठन करता है (क्षेत्र, नाम, सीमाएँ)
- राज्यपाल किसी जिले को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है, जहाँ विभिन्न जनजातियाँ रहती हों
- **जिला परिषद:** 30 सदस्य (4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 26 निर्वाचित); निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष; मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत
- प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र की पृथक् प्रादेशिक परिषद
- परिषदें भूमि, वन, नहर के जल, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार, विवाह और विवाह-विच्छेद, सामाजिक रीति-रिवाजों पर विधि बनाती हैं; राज्यपाल की अनुमति आवश्यक
- जनजातीयवादों के लिए ग्राम परिषदें / न्यायालय गठित कर सकती हैं; उच्च न्यायालय की अधिकारिता राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट
- जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाज़ार, घाट, मत्स्य पालन, सड़कें प्रबंधित कर सकती है
- गैर-जनजातियों द्वारा साहूकारी और व्यापार का विनियमन (राज्यपाल की अनुमति आवश्यक)
- परिषदें भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करती हैं और निर्दिष्ट कर लगाती हैं
- संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम लागू नहीं होते, या संशोधनों सहित लागू होते हैं
  - असम: राज्यपाल संसद और राज्य, दोनों के अधिनियमों के लिए निर्देश देता है
  - मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम: संसद के अधिनियमों के लिए राष्ट्रपति निर्देश देता है; राज्य के अधिनियमों के लिए राज्यपाल
- राज्यपाल प्रशासन पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है; उसकी सिफारिश पर परिषद को भंग कर सकता है

### जनजातीय क्षेत्र (दस स्वायत्त जिले)

| राज्य        | जनजातीय क्षेत्र                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| असम (3)      | उत्तरी कछार पहाड़ी, कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला |
| मेघालय (3)   | खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ                   |
| त्रिपुरा (1) | त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला                                       |
| मिजोरम (3)   | चकमा, मारा, लाई                                                     |

- अनुच्छेद: 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र; 244क असम में स्वायत्त राज्य; 339 अनुसूचित क्षेत्रों पर संघ का नियंत्रण तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य - अनुसूचियाँ

पाँचवीं अनुसूची = अनुसूचित क्षेत्र (10 राज्य); छठी अनुसूची = जनजातीय क्षेत्र (पूर्वोत्तर के 4 राज्य)

जनजाति सलाहकार परिषद: 20 सदस्य, तीन-चौथाई अनुसूचित जनजाति के विधायक; जिला परिषद: 30 सदस्य (26 निर्वाचित + 4 मनोनीत)

डेबर (1960-61) प्रथम अनुसूचित क्षेत्र आयोग; भूरिया (2002-04) द्वितीय

## अध्याय 10

## संवैधानिक निकाय

## निर्वाचन आयोग

## मूल बातें

- अनुच्छेद 324: संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण
- स्थायी, स्वतंत्र, अखिल भारतीय निकाय (केंद्र और राज्यों के लिए समान)
- पंचायत और नगरपालिका चुनावों से संबद्ध नहीं: राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ट, 243यक)
- 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एकल-सदस्यीय (केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त)
- 16 अक्टूबर 1989: दो और निर्वाचन आयुक्त नियुक्त (मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने वाले **61वें संशोधन, 1988**)
- जनवरी 1990 में दो पद समाप्त; पुनः एकल-सदस्यीय
- अक्टूबर 1993: पुनः दो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त; तब से बहु-सदस्यीय (3)

## संरचना और सेवा शर्तें

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त + उतनी संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त, जितनी राष्ट्रपति निर्धारित करे
- अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है
- राष्ट्रपति आयोग से परामर्श के बाद प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त कर सकता है
- सेवा शर्तें और कार्यकाल: राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित (संसद की विधि के अधीन)
- अधिनियम, 1991: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ, वेतन और भत्ते समान (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान)
- कार्यकाल: **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**, जो भी पहले हो

## निर्वाचन आयोग - स्वतंत्रता और कमियाँ

| पहलू                                    | उपबंध                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदच्युति       | उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति और आधारों पर (दोनों सदनों का विशेष बहुमत; सिद्ध कदाचार या अक्षमता) |
| मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें    | नियुक्ति के बाद अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं की जा सकतीं                                                   |
| अन्य निर्वाचन आयुक्त / प्रादेशिक आयुक्त | केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं                                                    |
| कमी 1                                   | संविधान सदस्यों की कोई योग्यता निर्धारित नहीं करता                                                           |
| कमी 2                                   | संविधान सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं करता                                                              |
| कमी 3                                   | सेवानिवृत्त निर्वाचन आयुक्तों को आगे की सरकारी नियुक्ति से वर्जित नहीं किया गया है                           |

## मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति

- **अनूप बरनवाल मामला (2023):** उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक संसद विधि न बनाए, नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर हो
  - प्रधानमंत्री
  - लोक सभा में विपक्ष का नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता)
  - भारत का मुख्य न्यायाधीश
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी चाहा कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदच्युति के आधार भी यही हों (मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर) और उनकी सेवा शर्तें अलाभकारी रूप से परिवर्तित न की जाएँ
- संसद ने बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 बनाया: चयन समिति = प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ का एक कैबिनेट मंत्री, विपक्ष का नेता (भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर)

## शक्तियाँ और कार्य

## निर्वाचन आयोग - शक्तियाँ

| श्रेणी    | कार्य                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रशासनिक | निर्वाचन क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्रों का निर्धारण (परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर) |

| श्रेणी       | कार्य                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रशासनिक    | निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करना और उनका पुनरीक्षण करना; मतदाताओं का पंजीकरण                                                             |
| प्रशासनिक    | चुनाव की तिथियाँ और कार्यक्रम अधिसूचित करना; नामांकन पत्रों की संवीक्षा                                                                |
| प्रशासनिक    | राजनीतिक दलों को मान्यता देना; चुनाव चिह्न आवंटित करना; राष्ट्रीय/राज्य दल का दर्जा प्रदान करना                                        |
| प्रशासनिक    | रेडियो और टेलीविज़न पर दलों के प्रचार का रोस्टर तैयार करना                                                                             |
| प्रशासनिक    | धांधली, बूथ पर कब्जे और हिंसा की स्थिति में मतदान रद्द करना                                                                            |
| प्रशासनिक    | चुनाव के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रपति/राज्यपाल से अनुरोध करना                                                             |
| अर्ध-न्यायिक | दलों की मान्यता और चुनाव चिह्नों के आवंटन संबंधी विवादों में न्यायालय के रूप में कार्य करना                                            |
| अर्ध-न्यायिक | निर्वाचन व्यवस्था संबंधी विवादों की जाँच के लिए अधिकारी नियुक्त करना                                                                   |
| सलाहकारी     | संसद सदस्यों की निरर्हता पर राष्ट्रपति को सलाह देना                                                                                    |
| सलाहकारी     | राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता पर राज्यपाल को सलाह देना                                                                        |
| सलाहकारी     | राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं, इस पर राष्ट्रपति को सलाह देना (आपातकाल को एक वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए) |
| संहिता       | दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्धारित करना                                                                            |

- उप निर्वाचन आयुक्त सहायता करते हैं (सिविल सेवक, जो आयोग द्वारा कार्यकाल प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त होते हैं)
- राज्य स्तर: **मुख्य निर्वाचन अधिकारी** (राज्य सरकार से परामर्श करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त)
- जिला स्तर: कलेक्टर जिला रिटर्निंग अधिकारी होता है
  - प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है
  - प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है

#### याद रखें - निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 324; कार्यकाल 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु; वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसा पदच्युति-संरक्षण प्राप्त है; अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाए जाते हैं  
पंचायत/नगरपालिका चुनावों के लिए नहीं (राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243ट / 243यक)  
अक्टूबर 1993 से तीन निर्वाचन आयुक्त

## संघ लोक सेवा आयोग

### संरचना और कार्यकाल

- अनुच्छेद **315 से 323** (भाग 14)
- केंद्रीय भर्ती अभिकरण; "योग्यता प्रणाली का प्रहरी"
- अध्यक्ष + सदस्य, जिनकी नियुक्ति **राष्ट्रपति** करता है; संख्या राष्ट्रपति तय करता है
- कोई योग्यता निर्धारित नहीं, सिवाय इसके कि **आधे** सदस्यों ने भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन **10 वर्ष** पद धारण किया हो
- कार्यकाल: **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**, जो भी पहले हो
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है
- अध्यक्ष का पद रिक्त होने या उसके कार्य करने में असमर्थ होने पर राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष (एक सदस्य) नियुक्त करता है (**15वें संशोधन, 1963 द्वारा**)

### पद से हटाना

- राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित आधारों पर:
  - दिवालिया होना
  - पद के कर्तव्यों से बाहर वैतनिक नियोजन
  - मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अयोग्य (राष्ट्रपति की राय में)

- आधार: **कदाचार** - राष्ट्रपति मामला उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट करता है; उच्चतम न्यायालय की सलाह **बाध्यकारी होती है**
- उच्चतम न्यायालय की जाँच के दौरान राष्ट्रपति अध्यक्ष/सदस्य को निलंबित कर सकता है
- कदाचार (परिभाषित): सरकारी संविदा में हित रखना या उसके लाभ में भाग लेना (कंपनी के सदस्य के रूप में अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप से भाग लेने को छोड़कर)

### स्वतंत्रता

- केवल संवैधानिक आधारों और रीति से ही पदच्युति (कार्यकाल की सुरक्षा)
- नियुक्ति के बाद सेवा शर्तें अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं की जा सकतीं
- व्यय **भारत की संचित निधि** पर भारित (मतदान के अधीन नहीं)
- अध्यक्ष: पद छोड़ने के बाद किसी भी सरकारी नियोजन के लिए पात्र नहीं
- सदस्य: संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के पात्र, किंतु अन्य कोई नियोजन नहीं

### कार्य

- अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं तथा केंद्र-प्रशासित क्षेत्रों की सेवाओं के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है
- विशेष योग्यता वाले पदों के लिए संयुक्त भर्ती योजनाओं में (दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर) राज्यों की सहायता करता है
- राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है
- इन विषयों पर परामर्श लिया जाता है:
  - सिविल सेवाओं और पदों में भर्ती की पद्धतियाँ
  - नियुक्तियों, पदोन्नतियों और स्थानांतरणों के सिद्धांत
  - अनुशासनात्मक मामले (स्मृति-पत्र/याचिकाओं सहित)
  - सिविल सेवकों के विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के दावे
  - सेवा के दौरान लगी चोटों के लिए पेंशन के दावे
  - राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई भी विषय
- परामर्श **निर्देशात्मक है, आज्ञापक नहीं**; संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन से पद पर कोई अधिकार नहीं मिलता
- अतिरिक्त कार्य प्रदान करने का अधिकार **संसद को**
- राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन, जिसे अस्वीकृत सलाह पर ज्ञापन के साथ संसद के समक्ष रखा जाता है

### सीमाएँ (संघ लोक सेवा आयोग से इन पर परामर्श नहीं लिया जाता)

- पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण
- नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
- एक वर्ष से अनधिक अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्ति (आपात स्थिति में)
- समूह ग और समूह घ की अधिकांश सेवाएँ
- बोर्डों, आयोगों और अधिकरणों के अध्यक्ष/सदस्य
- राजनयिक और कांसुलर मिशनों के प्रमुख (राजदूत, उच्चायुक्त)
- राष्ट्रपति विनियमों द्वारा विषयों को छूट दे सकता है (**संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958**); इन्हें संसद के समक्ष **14 दिन तक रखा जाता है**

### भूमिका

- संघ लोक सेवा आयोग = केंद्रीय **भर्ती** अभिकरण; **कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग** = केंद्रीय **कार्मिक** अभिकरण
- सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन, सेवा शर्तों, संवर्ग प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंध नहीं
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है (1985 में गठित; 3 विभाग: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
- सलाह केवल **परामर्शी** होती है, बाध्यकारी नहीं
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (कार्यकारी संकल्प 1964; सांविधिक दर्जा 2003) से भी अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श लिया जाता है; संघ लोक सेवा आयोग का पलड़ा भारी है (संवैधानिक निकाय)

## राज्य लोक सेवा आयोग

- संघ लोक सेवा आयोग के समान ही अनुच्छेद 315-323
- अध्यक्ष और सदस्य **राज्यपाल** द्वारा नियुक्त; **केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं**
- संख्या और सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित करता है
- **आधे** सदस्यों ने भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन 10 वर्ष पद धारण किया हो
- कार्यकाल: **6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु** (मूलतः 60; **41वें संशोधन, 1976 द्वारा बढ़ाई गई**)
- **निलंबन**: उच्चतम न्यायालय की जाँच के दौरान राज्यपाल द्वारा (संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति निलंबित करता है)
- पदच्युति के आधार संघ लोक सेवा आयोग के समान; कदाचार का मामला उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट, सलाह बाध्यकारी

### • व्यय राज्य की संचित निधि पर भारत

- राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष: संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के पात्र
- राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य: संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य या उसी/किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के पात्र
- राज्य सेवाओं के लिए कार्य संघ लोक सेवा आयोग के समान; परामर्श निर्देशात्मक
- अतिरिक्त कार्य प्रदान करने का अधिकार **राज्य विधानमंडल को**
- राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है
- पिछड़े वर्गों के आरक्षण तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दावों पर परामर्श नहीं लिया जाता
- राज्यपाल छूट संबंधी विनियम बनाता है (14 दिन के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं)

### संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग

- दो या अधिक राज्यों के लिए; राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर **संसद के अधिनियम** द्वारा गठित (सांविधिक, संवैधानिक नहीं)
- अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा; कार्यकाल 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु
- राष्ट्रपति द्वारा निलंबित/पदच्युत; राष्ट्रपति को त्यागपत्र

### संघ लोक सेवा आयोग बनाम राज्य लोक सेवा आयोग बनाम संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग

| बिंदु          | UPSC               | राज्य लोक सेवा आयोग | संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग |
|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| प्रकृति        | संवैधानिक          | संवैधानिक           | सांविधिक                    |
| नियुक्तिकर्ता  | राष्ट्रपति         | राज्यपाल            | राष्ट्रपति                  |
| आयु सीमा       | 65                 | 62                  | 62                          |
| कार्यकाल       | 6 वर्ष             | 6 वर्ष              | 6 वर्ष                      |
| पदच्युति       | राष्ट्रपति         | राष्ट्रपति          | राष्ट्रपति                  |
| निलंबन         | राष्ट्रपति         | राज्यपाल            | राष्ट्रपति                  |
| त्यागपत्र किसे | राष्ट्रपति         | राज्यपाल            | राष्ट्रपति                  |
| प्रतिवेदन किसे | राष्ट्रपति         | राज्यपाल            | संबंधित राज्यों के राज्यपाल |
| व्यय           | भारत की संचित निधि | राज्य की संचित निधि | संबंधित राज्य               |

### अनुच्छेद 315-323 (लोक सेवा आयोग)

| अनुच्छेद | विषय                                            |
|----------|-------------------------------------------------|
| 315      | संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग             |
| 316      | सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल                 |
| 317      | सदस्यों की पदच्युति और निलंबन                   |
| 318      | सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विनियम |
| 319      | सदस्य न रहने के बाद पद धारण करने पर प्रतिबंध    |
| 320      | कार्य                                           |
| 321      | कार्यों के विस्तार की शक्ति                     |
| 322      | व्यय                                            |
| 323      | प्रतिवेदन                                       |

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य - लोक सेवा आयोग

राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति हटाता है  
 संघ लोक सेवा आयोग में आयु 65 वर्ष; राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में 62 वर्ष  
 संघ लोक सेवा आयोग की शर्तें राष्ट्रपति तय करता है; राज्य लोक सेवा आयोग की राज्यपाल  
 संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग सांविधिक है

### वित्त आयोग

- अनुच्छेद 280 (अर्ध-न्यायिक निकाय); अनुच्छेद 281: सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जाती हैं
- राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक **पाँचवें वर्ष** या उससे पहले गठित

- संरचना: अध्यक्ष + 4 सदस्य; राष्ट्रपति जितनी अवधि निर्दिष्ट करें, उतनी अवधि तक पद धारण करते हैं; पुनर्नियुक्ति के पात्र
- योग्यताएँ संसद द्वारा निर्धारित (**वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951**)
  - अध्यक्ष: सार्वजनिक कार्यों का अनुभव
  - सदस्य: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (या उसके लिए अर्हित), सरकारी वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान, वित्त और प्रशासन में व्यापक अनुभव, या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान

### कार्य (राष्ट्रपति को निम्नलिखित पर सिफारिश करता है)

- केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण तथा राज्यों के बीच उनका आवंटन
- भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांत
- राज्य की संचित निधि की वृद्धि के उपाय, ताकि पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हो सके (**राज्य वित्त आयोग** की सिफारिशों के आधार पर; 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा जोड़ा गया)
- सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य विषय
- सिफारिशें **परामर्शी** होती हैं, बाध्यकारी नहीं; प्रतिवेदन कृत कार्यवाई ज्ञापन सहित संसद के समक्ष रखा जाता है
- "राजकोषीय संघवाद का संतुलन-चक्र"

### वित्त आयोग

| आयोग      | अध्यक्ष            | नियुक्ति | प्रतिवेदन    | अवधि      |
|-----------|--------------------|----------|--------------|-----------|
| पहला      | के. सी. नियोगी     | 1951     | 1952         | 1952-57   |
| दूसरा     | के. संधानम         | 1956     | 1957         | 1957-62   |
| तीसरा     | ए. के. चंदा        | 1960     | 1961         | 1962-66   |
| चौथा      | पी. वी. राजमन्नार  | 1964     | 1965         | 1966-69   |
| पाँचवाँ   | महावीर त्यागी      | 1968     | 1969         | 1969-74   |
| छठा       | ब्रह्मानंद रेड्डी  | 1972     | 1973         | 1974-79   |
| सातवाँ    | जे. एम. शेलत       | 1977     | 1978         | 1979-84   |
| आठवाँ     | वाई. बी. चव्हाण    | 1982     | 1984         | 1984-89   |
| नौवाँ     | एन. के. पी. साल्वे | 1987     | 1989         | 1989-95   |
| दसवाँ     | के. सी. पंत        | 1992     | 1994         | 1995-2000 |
| ग्यारहवाँ | ए. एम. खुसरो       | 1998     | 2000         | 2000-05   |
| बारहवाँ   | सी. रंगराजन        | 2002     | 2004         | 2005-10   |
| तेरहवाँ   | विजय केलकर         | 2007     | 2009         | 2010-15   |
| चौदहवाँ   | वाई. वी. रेड्डी    | 2013     | 2014         | 2015-20   |
| पंद्रहवाँ | एन. के. सिंह       | 2017     | 2019 और 2020 | 2020-26   |
| सोलहवाँ   | अरविंद पनगढ़िया    | 2023     | 2025         | 2026-31   |

### याद रखें - वित्त आयोग

अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग), अनुच्छेद 281 (सिफारिशें), अनुच्छेद 243झ (राज्य वित्त आयोग)  
 अध्यक्ष + 4 सदस्य; प्रत्येक पाँचवें वर्ष  
 परामर्शी, बाध्यकारी नहीं  
 प्रथम: के. सी. नियोगी; पंद्रहवाँ: एन. के. सिंह; सोलहवाँ: अरविंद पनगढ़िया

### वस्तु एवं सेवा कर परिषद

- **101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016** ने वस्तु एवं सेवा कर लागू किया; अनुच्छेद **279क** जोड़ा
- राष्ट्रपति ने परिषद का गठन आदेश द्वारा किया, दिनांक **15 सितंबर 2016**
- सचिवालय नई दिल्ली में; संघ का राजस्व सचिव पदेन सचिव होता है
- प्रमुख वस्तु एवं सेवा कर निर्णयों की शक्ति से युक्त प्रथम संवैधानिक **संघीय** निकाय (सहकारी संघवाद)
- सामंजस्यपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर संरचना और राष्ट्रीय बाज़ार की आवश्यकता से निर्देशित

## संरचना

- केंद्रीय वित्त मंत्री: **अध्यक्ष**
- राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री
- प्रत्येक राज्य द्वारा नामित वित्त/कराधान के प्रभारी मंत्री (या कोई अन्य मंत्री)
- राज्यों के सदस्य अपने में से एक **उपाध्यक्ष** चुनते हैं (और उसका कार्यकाल तय करते हैं)
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष: स्थायी आमंत्रित सदस्य (मताधिकार रहित)

## कार्यप्रणाली

- गणपूर्ति: कुल सदस्यों का आधा
- निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के **कम से कम तीन-चौथाई** बहुमत से
  - केंद्र: **एक-तिहाई** भारांक
  - सभी राज्य मिलाकर: **दो-तिहाई** भारांक

## कार्य (इन पर सिफारिश करती है)

- वस्तु एवं सेवा कर में समाविष्ट किए जाने वाले कर, उपकर और अधिभार
- वे वस्तुएँ और सेवाएँ, जो वस्तु एवं सेवा कर के अधीन हों या उससे मुक्त हों
- आदर्श वस्तु एवं सेवा कर विधियाँ; उद्ग्रहण के सिद्धांत, अंतर-राज्यीय आपूर्ति का विभाजन, आपूर्ति का स्थान
- छूट के लिए सीमांत आवर्त सीमा
- निम्नतम दरों और दर-पट्टियों सहित वस्तु एवं सेवा कर की दरें
- प्राकृतिक आपदा के दौरान निर्दिष्ट अवधि के लिए विशेष दरें
- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उपबंध
- वह तिथि, जिससे अपरिष्कृत पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीज़ल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाए
- विवादों के न्यायनिर्णयन की व्यवस्था (केंद्र बनाम राज्य; राज्य बनाम राज्य)
- राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर **पाँच वर्ष** तक (वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017)

## राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- संवैधानिक निकाय, **अनुच्छेद 338**
- अन्य राष्ट्रीय आयोग सांविधिक हैं: राष्ट्रीय महिला आयोग (1992), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1993), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (1993), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2007)

## विकास

- मूलतः अनुच्छेद 338: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी (आयुक्त)
- 1978: संकल्प द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सांविधिक बहु-सदस्यीय आयोग
- 1987: नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग (परामर्शी)
- **65वाँ संशोधन, 1990:** अनुच्छेद 338 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग (12 मार्च 1992 से प्रवृत्त)
- **89वाँ संशोधन, 2003:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338क) में विभाजित; **2004** से पृथक् निकाय (19 फरवरी 2004 से लागू)

## संरचना

- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य
- राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त
- कार्यकाल: **3 वर्ष** (नियमों के अधीन); **दो कार्यकाल से अधिक के लिए पात्र नहीं**
- सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित

## कार्य

- अनुसूचित जातियों के रक्षोपायों की जाँच और निगरानी; उनके कार्यकरण का मूल्यांकन
- अधिकारों से वंचित किए जाने की विशिष्ट शिकायतों की जाँच
- सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना में भाग लेना और सलाह देना; प्रगति का मूल्यांकन
- राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन (और विशेष प्रतिवेदन) प्रस्तुत करना
- रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की सिफारिश
- राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य

- यह आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए भी यही कार्य करता है (अनुच्छेद 338, खंड 10)

### प्रतिवेदन और शक्तियाँ

- निम्नलिखित में **सिविल न्यायालय** की शक्तियाँ: शपथ पर समन करना और परीक्षण, दस्तावेजों का प्रकटीकरण और प्रस्तुत करना, शपथ-पत्रों पर साक्ष्य, लोक अभिलेखों की अध्यपेक्षा, साक्षियों और दस्तावेजों के लिए समन

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

- संवैधानिक निकाय, **अनुच्छेद 338क** (जोड़ा गया **89वें संशोधन, 2003** द्वारा)
- 2004 से पृथक्
- संरचना, कार्यकाल (3 वर्ष, अधिकतम दो कार्यकाल), नियुक्ति, कार्य, प्रतिवेदन और सिविल न्यायालय की शक्तियाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समान (अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में)

### अन्य कार्य (राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट, 2005)

- वनवासी अनुसूचित जनजातियों के लिए लघु वन उपज पर स्वामित्व के अधिकार
- खनिज और जल संसाधनों पर जनजातीय अधिकारों की रक्षा
- जनजातियों की आजीविका की रणनीतियाँ और विकास
- विकास परियोजनाओं से विस्थापित जनजातियों को राहत और पुनर्वास
- भूमि का अन्य-संक्रामण रोकना; जिनकी भूमि पहले ही अन्य-संक्रामित हो चुकी है, उनका पुनर्वास
- वनों की सुरक्षा और सामाजिक वनरोपण में जनजातियों को सम्मिलित करना
- पूर्ण क्रियान्वयन: **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996**
- झूम खेती में कमी लाना और उसे समाप्त करना

## राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- इंद्रा साहनी (मंडल) मामला 1992: उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों की सूचियों में अल्प-समावेशन, अति-समावेशन और गैर-समावेशन की शिकायतों की जाँच के लिए स्थायी सांविधिक निकाय का निर्देश दिया
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना **1993** में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 द्वारा (सांविधिक)
- 102वाँ संशोधन, 2018**: संवैधानिक दर्जा प्रदान; अनुच्छेद **338ख** जोड़ा गया; राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम निरसित (2018)
- 102वें संशोधन ने **अनुच्छेद 342क** भी जोड़ा (राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करता है)
- संरचना: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 सदस्य; कार्यकाल 3 वर्ष; अधिकतम दो कार्यकाल (नियम 2018)
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान
- 105वाँ संशोधन, 2021**: राज्यों को पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने से छूट

### राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

| बिंदु                          | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| अनुच्छेद                       | 338                          | 338क                           | 338ख                       |
| संशोधन                         | 65वाँ (1990), 89वाँ (2003)   | 89वाँ (2003)                   | 102वाँ (2018)              |
| सदस्य                          | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष + 3       | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष + 3         | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष + 3     |
| कार्यकाल                       | 3 वर्ष (अधिकतम 2 कार्यकाल)   | 3 वर्ष (अधिकतम 2 कार्यकाल)     | 3 वर्ष (अधिकतम 2 कार्यकाल) |
| राज्य संबंधी प्रतिवेदन जाता है | राज्यपाल                     | राज्यपाल                       | राज्य सरकार को             |
| पृथक् निकाय के रूप में कब से   | 2004                         | 2004                           | 2018 (संवैधानिक)           |

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य - राष्ट्रीय आयोग

2018 से पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सांविधिक (1993) था; राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्रमशः 1990/2003 से संवैधानिक

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राज्य संबंधी प्रतिवेदन राज्य सरकार को जाते हैं; राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन राज्यपाल के माध्यम से जाते हैं

अनुच्छेद 338 का खंड 10: अनुसूचित जातियों में आंग्ल-भारतीय समुदाय सम्मिलित है

## भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी

- अनुच्छेद **350ख** (भाग 17); **7वें संशोधन, 1956** द्वारा **जोड़ा गया** (राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर)

- विशेष अधिकारी की नियुक्ति **राष्ट्रपति करता है**
- कर्तव्य: भाषायी अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की जाँच करना; राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित अंतरालों पर उसे प्रतिवेदन देना
- राष्ट्रपति प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है और संबंधित राज्यों को भेजता है
- संविधान योग्यताएँ, कार्यकाल, वेतन, सेवा शर्तें या पदच्युति निर्दिष्ट नहीं करता
- पद का सृजन **1957 में; भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के रूप में पदनामित**
- तीन क्षेत्रीय कार्यालय: **बेलगाम, चेन्नई, कोलकाता** (प्रत्येक का प्रमुख सहायक आयुक्त)
- अधीन: **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**; केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रतिवेदन

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

### नियुक्ति, कार्यकाल और पदच्युति

- अनुच्छेद **148**: भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख; "लोक-कोष का संरक्षक"
- राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त
- कार्यकाल: **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**, जो भी पहले हो
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है
- राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति और आधारों पर हटाया जाता है (विशेष बहुमत; सिद्ध कदाचार या अक्षमता)

### स्वतंत्रता

- कार्यकाल की सुरक्षा
- संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी भी आगे के पद के लिए पात्र नहीं
- वेतन और शर्तें संसद द्वारा निर्धारित (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान)
- वेतन, छुट्टी, पेंशन और सेवानिवृत्ति की आयु अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं की जा सकती
- लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
- प्रशासनिक व्यय **भारत की संचित निधि पर भारित**

### कर्तव्य और शक्तियाँ

- अनुच्छेद **149**: संसद कर्तव्य विहित करती है; **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971**
- लेखा परीक्षा:
  - भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की और विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि
  - केंद्र और राज्यों की आकस्मिकता निधियाँ और लोक लेखे
  - विभागों के व्यापार, विनिर्माण, लाभ-हानि लेखे
  - केंद्र या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय
  - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान और ऋण प्राप्त करने वाले निकाय
  - केंद्र और राज्यों की प्राप्तियाँ; भंडार और स्टॉक
  - सरकारी कंपनियाँ (कंपनी अधिनियम); वे निगम, जिनकी संविधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा का उपबंध है
  - राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पर कोई भी निकाय (जैसे स्थानीय निकाय)
- अनुच्छेद **150**: केंद्र और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है
- अनुच्छेद **151**: संघ की लेखा परीक्षा रिपोर्टें राष्ट्रपति को (संसद के समक्ष रखी जाती हैं); राज्य की राज्यपाल को (राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती हैं)
- अनुच्छेद **279**: किसी कर या शुल्क के **शुद्ध आगम** का अवधारण और प्रमाणन करता है (प्रमाण-पत्र अंतिम होता है)
- लोक लेखा समिति का "मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक"
- संकलन और रखरखाव करता है - **राज्यों** के लेखाओं का; केंद्र के लेखाओं से **1976** में मुक्त (विभागीकरण: लेखाओं का लेखा परीक्षा से पृथक्करण)
- शक्तियाँ: कार्यालयों का निरीक्षण, लेन-देन की जाँच, अभिलेख मँगाना, लेखा परीक्षा की सीमा और रीति तय करना

### भूमिका

- राष्ट्रपति को तीन लेखा परीक्षा रिपोर्टें: **विनियोग लेखे, वित्त लेखे और सार्वजनिक उपक्रम**
- प्रतिवेदनों की जाँच तत्पश्चात् **लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है**
- वैधिक और विनियामक लेखा परीक्षा: **अनिवार्य**
- औचित्य लेखा परीक्षा** ("विवेक, निष्ठा और मितव्ययिता"): विवेकाधीन
- निष्पादन लेखा परीक्षा** (मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावशीलता): वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत, **2006**
- प्राप्तियों, भंडार और स्टॉक की तुलना में व्यय की लेखा परीक्षा में अधिक स्वतंत्रता
- गुप्त सेवा व्यय: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र स्वीकार करता है

- केवल **महालेखापरीक्षक** के रूप में कार्य करता है, नियंत्रक के रूप में नहीं (संचित निधि से धन जारी करने पर कोई नियंत्रण नहीं); ब्रिटेन में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की दोनों भूमिकाएँ होती हैं

### अनुच्छेद - नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

| अनुच्छेद | विषय                                |
|----------|-------------------------------------|
| 148      | नियंत्रक-महालेखापरीक्षक             |
| 149      | कर्तव्य और शक्तियाँ                 |
| 150      | संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप |
| 151      | लेखा परीक्षा प्रतिवेदन              |

### याद रखें - नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुच्छेद 148: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति पदच्युति व्यवहार में केवल महालेखापरीक्षक, नियंत्रक नहीं  
तीन प्रतिवेदन: विनियोग, वित्त, सार्वजनिक उपक्रम  
अनुच्छेद 279: करों के शुद्ध आगमों को प्रमाणित करता है

## भारत का महान्यायवादी

- अनुच्छेद 76: भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी
- नियुक्ति: **राष्ट्रपति** द्वारा
- योग्यता: उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित
  - भारत का नागरिक, तथा
  - उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का 10 वर्ष तक अधिवक्ता, या प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (राष्ट्रपति की राय में)
- कार्यकाल निश्चित नहीं; पदच्युति की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं हैं
- पदावधि: **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत**
- पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
- मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं (केंद्रीय विधि मंत्री होता है)

### कर्तव्य

- राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट विधिक विषयों पर भारत सरकार को सलाह देना
- राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कर्तव्य निभाना
- उच्चतम न्यायालय के सभी मामलों में सरकार की ओर से उपस्थित होना
- राष्ट्रपति द्वारा किए गए संदर्भ में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, अनुच्छेद 143
- सरकार द्वारा अपेक्षित होने पर किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना

### अधिकार और सीमाएँ

- भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार
- दोनों सदनों, संयुक्त बैठक और जिस समिति का वह सदस्य नामित हो, उसकी कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार, किंतु **मत देने का अधिकार नहीं** (अनुच्छेद 88)
- संसद सदस्य के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त (अनुच्छेद 105)
- सीमाएँ:
  - भारत सरकार के विरुद्ध न सलाह देगा, न ब्रीफ धारण करेगा
  - उन मामलों में सलाह नहीं देगा या उपस्थित नहीं होगा, जिनमें वह सरकार को सलाह देता है या सरकार की ओर से उपस्थित होता है
  - सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक अभियोजन में अभियुक्त का बचाव नहीं करेगा
  - सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी में निदेशक पद स्वीकार नहीं करेगा
  - विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के माध्यम से संदर्भ आए बिना किसी मंत्रालय, विभाग, सांविधिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सलाह नहीं देगा

## राज्य का महाधिवक्ता

- अनुच्छेद 165: राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी; महान्यायवादी का समकक्ष
- नियुक्ति: **राज्यपाल** द्वारा
- योग्यता: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित

- भारत का नागरिक, तथा
- 10 वर्ष तक न्यायिक पद, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता
- प्रतिष्ठित विधिवेत्ता का कोई उपबंध नहीं (उच्चतम न्यायालय के विपरीत)
- कार्यकाल निश्चित नहीं; राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है
- पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित
- कर्तव्य: राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट विधिक विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना; राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कर्तव्य
- राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों और समितियों में बोलने का अधिकार (मताधिकार नहीं) (अनुच्छेद 177)
- राज्य विधानमंडल के सदस्य के विशेषाधिकार प्राप्त (अनुच्छेद 194)

### महान्यायवादी बनाम महाधिवक्ता

| बिंदु                  | महान्यायवादी                                                                       | महाधिवक्ता                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद               | 76                                                                                 | 165                                                    |
| नियुक्तिकर्ता          | राष्ट्रपति                                                                         | राज्यपाल                                               |
| अर्हता                 | उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अर्हित                                     | उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अर्हित           |
| न्यायिक/अधिवक्ता अनुभव | उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 5 वर्ष / उच्च न्यायालय का अधिवक्ता 10 वर्ष / विधिवेत्ता | न्यायिक पद 10 वर्ष / उच्च न्यायालय का अधिवक्ता 10 वर्ष |
| कार्यकाल               | राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत                                                         | राज्यपाल के प्रसादपर्यंत                               |
| पारिश्रमिक             | राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित                                                        | राज्यपाल द्वारा निर्धारित                              |
| विधायिका में अधिकार    | अनुच्छेद 88                                                                        | अनुच्छेद 177                                           |
| विशेषाधिकार            | अनुच्छेद 105                                                                       | अनुच्छेद 194                                           |

### संवैधानिक उपबंध

#### मुख्य तुलना - नियुक्ति, कार्यकाल, पदच्युति

#### संवैधानिक निकाय - नियुक्ति, कार्यकाल, पदच्युति

| निकाय (अनुच्छेद)                                                                                             | नियुक्तिकर्ता | कार्यकाल                      | पदच्युति / त्यागपत्र                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निर्वाचन आयोग (324)                                                                                          | राष्ट्रपति    | 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु       | मुख्य निर्वाचन आयुक्त: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति; निर्वाचन आयुक्त: मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर |
| संघ लोक सेवा आयोग (315-316)                                                                                  | राष्ट्रपति    | 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु       | राष्ट्रपति (कदाचार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच); राष्ट्रपति को त्यागपत्र                                            |
| राज्य लोक सेवा आयोग (315-316)                                                                                | राज्यपाल      | 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु       | राष्ट्रपति; राज्यपाल को त्यागपत्र                                                                                  |
| संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (315-316)                                                                        | राष्ट्रपति    | 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु       | राष्ट्रपति; राष्ट्रपति को त्यागपत्र                                                                                |
| वित्त आयोग (280)                                                                                             | राष्ट्रपति    | राष्ट्रपति जैसा निर्दिष्ट करे | पुनर्नियुक्ति अनुमत                                                                                                |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग / राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग / राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (338, 338क, 338ख) | राष्ट्रपति    | 3 वर्ष (अधिकतम 2 कार्यकाल)    | कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा                                                                               |
| नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (148)                                                                                | राष्ट्रपति    | 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु       | उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति                                                                              |
| महान्यायवादी (76)                                                                                            | राष्ट्रपति    | राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत    | राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय                                                                                      |
| महाधिवक्ता (165)                                                                                             | राज्यपाल      | राज्यपाल के प्रसादपर्यंत      | राज्यपाल द्वारा किसी भी समय                                                                                        |
| राज्य निर्वाचन आयुक्त (243ट)                                                                                 | राज्यपाल      | राज्यपाल द्वारा निर्धारित     | उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति                                                                                |

| निकाय (अनुच्छेद)                        | नियुक्तिकर्ता | कार्यकाल       | पदच्युति / त्यागपत्र |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| विशेष अधिकारी, भाषायी अल्पसंख्यक (350ख) | राष्ट्रपति    | निर्दिष्ट नहीं | निर्दिष्ट नहीं       |

### नियुक्ति / निर्वाचन किसके द्वारा

| पदधारी                                                                                                                                                                                           | किसके द्वारा                                         | अनुच्छेद                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| राष्ट्रपति                                                                                                                                                                                       | निर्वाचक मंडल (निर्वाचित सांसद और विधायक)            | 54                      |
| उपराष्ट्रपति                                                                                                                                                                                     | निर्वाचक मंडल (सभी सांसद)                            | 66                      |
| प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक                                                                                                                             | राष्ट्रपति                                           | 75, 76, 148             |
| राज्य सभा के सदस्य                                                                                                                                                                               | विधायकों द्वारा निर्वाचित / राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत | 80                      |
| राज्य सभा का उपसभापति; लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष                                                                                                                                           | संबंधित सदन के सदस्य                                 | 89, 93                  |
| उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश                                                                                                                                                  | राष्ट्रपति                                           | 124, 217                |
| राज्यपाल                                                                                                                                                                                         | राष्ट्रपति                                           | 155                     |
| मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, महाधिवक्ता                                                                                                                                                         | राज्यपाल                                             | 164, 165                |
| परिषद के सदस्य                                                                                                                                                                                   | स्थानीय निकाय / स्नातक / शिक्षक / विधायक / राज्यपाल  | 171                     |
| जिला न्यायाधीश                                                                                                                                                                                   | राज्यपाल                                             | 233                     |
| संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक; दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री                                                                                                                                     | राष्ट्रपति                                           | 239, 239कक              |
| राज्य निर्वाचन आयुक्त                                                                                                                                                                            | राज्यपाल                                             | 243ट                    |
| वित्त आयोग; संघ लोक सेवा आयोग; संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग; मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त; राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग / राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग / राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग | राष्ट्रपति                                           | 280, 316, 324, 338-338ख |
| राज्य लोक सेवा आयोग                                                                                                                                                                              | राज्यपाल                                             | 316                     |
| भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी                                                                                                                                                         | राष्ट्रपति                                           | 350ख                    |

### आयु

#### आयु संबंधी निर्धारण

| विषय                                                                                                 | आयु | अनुच्छेद    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| राष्ट्रपति; उपराष्ट्रपति; राज्यपाल                                                                   | 35  | 58, 66, 157 |
| राज्य सभा; विधान परिषद                                                                               | 30  | 84, 173     |
| लोक सभा; विधान सभा                                                                                   | 25  | 84, 173     |
| पंचायत; नगरपालिका का सदस्य                                                                           | 21  | 243च, 243फ  |
| मतदाता पंजीकरण                                                                                       | 18  | 326         |
| सेवानिवृत्ति: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश; संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य                               | 65  | 124, 316    |
| सेवानिवृत्ति: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; राज्य लोक सेवा आयोग / संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य | 62  | 217, 316    |

## शपथ

## शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है

| पदधारी                                                                     | शपथ किसके समक्ष                                                        | अनुच्छेद         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| राष्ट्रपति                                                                 | भारत का मुख्य न्यायाधीश (या उपलब्ध वरिष्ठतम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश) | 60               |
| राज्यपाल                                                                   | उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (या उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश)        | 159              |
| उपराष्ट्रपति, सांसद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक | राष्ट्रपति (या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति)                            | 69, 99, 124, 148 |
| केंद्रीय मंत्री                                                            | राष्ट्रपति                                                             | 75               |
| राज्य के मंत्री                                                            | राज्यपाल                                                               | 164              |
| राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश                       | राज्यपाल (या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति)                              | 188, 219         |
| संसद / राज्य विधानमंडल का अभ्यर्थी                                         | निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति                                 | 84, 173          |

## कार्यकाल, वेतन, त्यागपत्र

## कार्यकाल, वेतन और त्यागपत्र

| पदधारी                                                                                                                               | कार्यकाल                                 | वेतन किसके द्वारा निर्धारित                              | त्यागपत्र किसको              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| राष्ट्रपति                                                                                                                           | 5 वर्ष (अनुच्छेद 56)                     | संसद (59)                                                | उपराष्ट्रपति                 |
| उपराष्ट्रपति                                                                                                                         | 5 वर्ष (67)                              | कोई वेतन नहीं; राज्य सभा के सभापति का वेतन मिलता है (64) | राष्ट्रपति                   |
| प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री                                                                                                        | राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (75)          | संसद                                                     | प्रधानमंत्री: राष्ट्रपति     |
| महान्यायवादी                                                                                                                         | राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (76)          | राष्ट्रपति                                               | राष्ट्रपति                   |
| CAG                                                                                                                                  | 6 वर्ष / 65 (अधिनियम द्वारा) (148)       | संसद                                                     | राष्ट्रपति                   |
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश                                                                                                         | 65 वर्ष की आयु तक                        | संसद (125)                                               | राष्ट्रपति                   |
| उच्च न्यायालय के न्यायाधीश                                                                                                           | 62 वर्ष की आयु तक                        | संसद (221)                                               | राष्ट्रपति                   |
| राज्यपाल                                                                                                                             | 5 वर्ष / प्रसादपर्यंत (156)              | संसद (158)                                               | राष्ट्रपति                   |
| मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री                                                                                                         | राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (164)           | राज्य विधान-मंडल                                         | राज्यपाल                     |
| महाधिवक्ता                                                                                                                           | राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (165)           | राज्यपाल                                                 | राज्यपाल                     |
| अध्यक्ष (लोक सभा) / उपाध्यक्ष (लोक सभा)                                                                                              | लोक सभा के कार्यकाल तक                   | संसद (97)                                                | उपाध्यक्ष / अध्यक्ष (94)     |
| राज्य सभा का उपसभापति                                                                                                                | सदस्यता की अवधि तक                       | संसद (97)                                                | सभापति (90)                  |
| अध्यक्ष / उपाध्यक्ष (विधान सभा)                                                                                                      | विधान सभा के कार्यकाल तक                 | राज्य विधानमंडल (186)                                    | उपाध्यक्ष / अध्यक्ष (179)    |
| सांसद / राज्य विधानमंडल के सदस्य                                                                                                     | सदन के कार्यकाल तक                       | संसद (106) / राज्य विधानमंडल (195)                       | सभापति या अध्यक्ष (101, 190) |
| संघ लोक सेवा आयोग / संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग                                                                                      | 6 वर्ष                                   | राष्ट्रपति (318)                                         | राष्ट्रपति                   |
| राज्य लोक सेवा आयोग                                                                                                                  | 6 वर्ष                                   | राज्यपाल (318)                                           | राज्यपाल                     |
| मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त; राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग / राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग / राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग | राष्ट्रपति द्वारा (संसद की विधि के अधीन) | राष्ट्रपति (विधि के अधीन)                                | राष्ट्रपति                   |
| पंचायतें / नगरपालिकाएँ                                                                                                               | 5 वर्ष (243ड, 243प)                      | -                                                        | -                            |
| सहकारी समिति का बोर्ड                                                                                                                | 5 वर्ष (243यज)                           | -                                                        | -                            |

**पदच्युति और विघटन****किसके द्वारा हटाया / विघटित किया जाता है**

| पदधारी / निकाय                                                                                                         | किसके द्वारा                                     | अनुच्छेद                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति                                                                                               | संसद                                             | 61, 67                   |
| राज्य सभा, विधान परिषद                                                                                                 | विघटन के अधीन नहीं                               | 83, 172                  |
| लोक सभा                                                                                                                | राष्ट्रपति                                       | 85                       |
| विधान सभा                                                                                                              | राज्यपाल                                         | 174                      |
| उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त | राष्ट्रपति (संसद की सिफारिश पर)                  | 124, 217, 148, 324, 243ट |
| संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य                                           | राष्ट्रपति                                       | 317                      |
| निर्वाचन आयुक्त / प्रादेशिक आयुक्त                                                                                     | राष्ट्रपति (मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर) | 324                      |
| जिला / प्रादेशिक परिषद (छठी अनुसूची)                                                                                   | राज्यपाल                                         | छठी अनुसूची              |

**प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण****प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है**

| निकाय                                                                                                                     | किसे प्रस्तुत                      | अनुच्छेद             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>CAG</b>                                                                                                                | राष्ट्रपति (संघ); राज्यपाल (राज्य) | 151                  |
| राज्य वित्त आयोग; राज्य लोक सेवा आयोग; संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग                                                        | राज्यपाल                           | 243झ, 323            |
| जिला / महानगर योजना समिति का अध्यक्ष                                                                                      | राज्य सरकार                        | 243यघ, 243यङ         |
| वित्त आयोग; संघ लोक सेवा आयोग; राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग / राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग / राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग | राष्ट्रपति                         | 280, 323, 338-338ख   |
| 339, 340, 344 के अधीन आयोग; विशेष अधिकारी (भाषायी अल्पसंख्यक)                                                             | राष्ट्रपति                         | 339, 340, 344, 350ख  |
| राज्यपाल (राष्ट्रपति शासन का प्रतिवेदन; अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन)                                                    | राष्ट्रपति                         | 356, पाँचवीं अनुसूची |

## अध्याय 11

## गैर-संवैधानिक निकाय

## गैर-संवैधानिक निकाय

## निकायों की तुलना

## वर्ष, आधार और नोडल मंत्रालय

| निकाय                                  | वर्ष                          | प्रकृति / आधार                                                                | नोडल मंत्रालय                         |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| नीति आयोग                              | 1 जनवरी 2015                  | गैर-सांविधिक; मंत्रिमंडल का संकल्प                                            | योजना (जैसा सूचीबद्ध है)              |
| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग              | 1993                          | सांविधिक; मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993                                   | गृह मंत्रालय                          |
| राज्य मानवाधिकार आयोग                  | 1993 के अधिनियम के अधीन       | सांविधिक; राज्य द्वारा स्थापित                                                | राज्य सरकार                           |
| राष्ट्रीय महिला आयोग                   | 1992                          | सांविधिक; राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990                                  | महिला एवं बाल विकास                   |
| राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग      | 2007                          | सांविधिक; बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005                               | महिला एवं बाल विकास                   |
| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग              | 1993 (1978 में गैर-सांविधिक)  | सांविधिक; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992                             | अल्पसंख्यक कार्य                      |
| केंद्रीय सूचना आयोग / राज्य सूचना आयोग | 2005                          | सांविधिक; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005                                       | कार्मिक / राज्य                       |
| केंद्रीय सतर्कता आयोग                  | 1964 (सांविधिक 2003)          | संकल्प, तत्पश्चात् केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003                        | कार्मिक                               |
| केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो                | 1963                          | गैर-सांविधिक; गृह मंत्रालय का संकल्प; दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 | कार्मिक (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) |
| लोकपाल                                 | 2013 का अधिनियम               | सांविधिक; लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013                                   | कार्मिक                               |
| राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण               | 2009                          | सांविधिक; राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008                              | गृह मंत्रालय                          |
| राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण       | 2005 (2006 में अधिसूचित)      | सांविधिक; आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005                                          | गृह मंत्रालय                          |
| भारतीय विधिज्ञ परिषद                   | 1961                          | सांविधिक; अधिवक्ता अधिनियम, 1961                                              | विधि एवं न्याय                        |
| विधि आयोग                              | 1955 (स्वतंत्र भारत का प्रथम) | गैर-सांविधिक; कार्यकारी आदेश                                                  | विधि एवं न्याय                        |
| परिसीमन आयोग                           | 1952 (प्रथम)                  | सांविधिक; परिसीमन अधिनियम                                                     | विधि एवं न्याय                        |
| पूर्वोत्तर परिषद                       | 1972                          | सांविधिक; पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971                                      | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय     |

## संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल और पदच्युति

| निकाय                     | संरचना                      | नियुक्तिकर्ता                                                                                                          | कार्यकाल                                     | पदच्युति                                      |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | अध्यक्ष + 5 सदस्य (+7 पदेन) | राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री की समिति | 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु; पुनर्नियुक्ति संभव | राष्ट्रपति; कदाचार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच |

| निकाय                             | संरचना                                                           | नियुक्तिकर्ता                                                                                                                     | कार्यकाल                                                 | पदच्युति                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| राज्य मानवाधिकार आयोग             | अध्यक्ष + 2 सदस्य                                                | राज्यपाल; मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की समिति                                                   | 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु; पुनर्नियुक्ति संभव             | राष्ट्रपति (राज्यपाल नहीं); उच्चतम न्यायालय की जाँच |
| राष्ट्रीय महिला आयोग              | अध्यक्ष + 5 सदस्य + सदस्य-सचिव                                   | केंद्र सरकार                                                                                                                      | 3 वर्ष                                                   | केंद्र सरकार                                        |
| राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग | अध्यक्ष + 6 सदस्य (2 महिलाएँ)                                    | केंद्र सरकार; अध्यक्ष के लिए 3 सदस्यीय समिति                                                                                      | 3 वर्ष; अधिकतम 2 कार्यकाल; आयु 65 / 60                   | केंद्र सरकार                                        |
| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग         | अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 5 सदस्य                                    | केंद्र सरकार                                                                                                                      | 3 वर्ष                                                   | केंद्र सरकार                                        |
| केंद्रीय सूचना आयोग               | मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त                      | राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (लोक सभा), केंद्रीय कैबिनेट मंत्री                                                       | केंद्र जैसा निर्धारित करे या 65 वर्ष; पुनर्नियुक्ति नहीं | राष्ट्रपति; उच्चतम न्यायालय की जाँच                 |
| राज्य सूचना आयोग                  | राज्य मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त          | राज्यपाल; मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता (विधान सभा), कैबिनेट मंत्री                                                                 | केंद्र जैसा निर्धारित करे या 65 वर्ष; पुनर्नियुक्ति नहीं | राज्यपाल; उच्चतम न्यायालय की जाँच                   |
| केंद्रीय सतर्कता आयोग             | आयुक्त + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त                                 | राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता (लोक सभा)                                                                    | 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु                                 | राष्ट्रपति; उच्चतम न्यायालय की जाँच                 |
| लोकपाल                            | अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य                                         | राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता (लोक सभा), भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता | पुस्तक में उल्लिखित नहीं                                 | पुस्तक में उल्लिखित नहीं                            |
| राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  | प्रधानमंत्री + अधिकतम 9 सदस्य                                    | प्रधानमंत्री मनोनीत करता है                                                                                                       | निश्चित नहीं                                             | लागू नहीं                                           |
| भारतीय विधिज्ञ परिषद              | प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद से 1 + महान्यायवादी + सॉलिसिटर जनरल | निर्वाचित                                                                                                                         | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 वर्ष                              | लागू नहीं                                           |
| पूर्वोत्तर परिषद                  | 8 राज्यपाल + 8 मुख्यमंत्री + 3 मनोनीत                            | राष्ट्रपति                                                                                                                        | निश्चित नहीं                                             | लागू नहीं                                           |

### याद रखें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग: समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त  
 राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और पदच्युत  
 राज्य मानवाधिकार आयोग: राज्यपाल द्वारा नियुक्त, किंतु केवल राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत  
 राज्य सूचना आयोग: राज्यपाल द्वारा नियुक्त और पदच्युत

## नीति आयोग

- 1 जनवरी 2015 को स्थापित; योजना आयोग का उत्तराधिकारी (13 अगस्त 2014 को समाप्त)
- न संवैधानिक, न सांविधिक; मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा गठित
- प्रमुख नीतिगत 'थिंक टैंक'; 'नीचे से ऊपर' दृष्टिकोण; सहकारी संघवाद; 'टीम इंडिया'

### नीति आयोग की संरचना

| अंग               | विवरण                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्यक्ष           | प्रधानमंत्री                                                                                                                                         |
| शासी परिषद        | सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों (दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू-कश्मीर) के मुख्यमंत्री, अन्य संघ राज्यक्षेत्रों के उप-राज्यपाल |
| प्रादेशिक परिषदें | एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के लिए; निर्दिष्ट कार्यकाल; अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित द्वारा                     |
| उपाध्यक्ष         | प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त; कैबिनेट मंत्री स्तर                                                                                                     |

| अंग                     | विवरण                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| पूर्णकालिक सदस्य        | राज्य मंत्री स्तर                                        |
| अंशकालिक सदस्य          | अधिकतम 2; चक्रानुक्रम                                    |
| पदेन सदस्य              | प्रधानमंत्री द्वारा नामित अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री       |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी | प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त; सचिव स्तर; निश्चित कार्यकाल |

- चार कार्य-प्रमुख: नीति और कार्यक्रम ढाँचा; सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद; निगरानी और मूल्यांकन; थिंक-टैंक/ज्ञान और नवाचार केंद्र
- दो केंद्र: टीम इंडिया केंद्र; ज्ञान और नवाचार केंद्र
- सात मार्गदर्शक सिद्धांत: अंत्योदय, समावेशन, गाँव, जनाधिकारीय लाभांश, जन-भागीदारी, शासन, धारणीयता
- शासन में बदलाव: परिव्यय से निर्गत, फिर परिणाम
- सूचकांक: विद्यालयी शिक्षा गुणवत्ता, राज्य स्वास्थ्य, समेकित जल प्रबंधन, सतत विकास लक्ष्य, भारत नवाचार, निर्यात प्रतिस्पर्धा
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम: मासिक डेल्टा रैंकिंग
- पहलें: DSSS और SATH
- राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (पूर्व में अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, स्थापित 1962; 2014 में नाम बदला): स्वायत्त निकाय; परिसर नरेला में
- विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (2015): संबद्ध कार्यालय; कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (1952) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (2010) का विलय

### योजना आयोग बनाम नीति आयोग बनाम राष्ट्रीय विकास परिषद

| विशेषता                 | योजना आयोग               | नीति आयोग                           | राष्ट्रीय विकास परिषद    |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| स्थापना                 | मार्च 1950               | 2015                                | अगस्त 1952               |
| आधार                    | कार्यकारी संकल्प         | कार्यकारी संकल्प                    | कार्यकारी संकल्प         |
| स्थिति                  | संविधानेतर, गैर-सांविधिक | संविधानेतर, गैर-सांविधिक            | संविधानेतर, गैर-सांविधिक |
| प्रमुख                  | प्रधानमंत्री             | प्रधानमंत्री                        | प्रधानमंत्री             |
| कार्यकारी प्रमुख        | उपाध्यक्ष                | उपाध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी | कोई नहीं                 |
| राज्यों का प्रतिनिधित्व | कोई नहीं                 | शासी परिषद में मुख्यमंत्री          | सभी मुख्यमंत्री          |

- योजना आयोग से पहले योजना सलाहकार बोर्ड (1946, के. सी. नियोगी) था; सलाहकारी स्टाफ अभिकरण
- आलोचक: 'अति-मंत्रिमंडल', 'समानांतर मंत्रिमंडल', 'गाड़ी का पाँचवाँ पहिया'
- राष्ट्रीय विकास परिषद: 1967 से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सदस्य; अंतिम (57वीं) बैठक 27 दिसंबर 2012 (12वीं योजना)
- राष्ट्रीय विकास परिषद औपचारिक रूप से समाप्त नहीं की गई

### राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- सांविधिक; मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993; मुख्यालय दिल्ली
- जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा के अधिकारों का प्रहरी (संविधान या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं - नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर - में निहित; भारत ने 10 अप्रैल 1979 को अभिगमन किया)
- अध्यक्ष: भारत का कोई भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश (2019 का संशोधन)
- सदस्य: उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश; उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश; मानवाधिकार का ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति (कम से कम 1 महिला)
- सात पदेन सदस्य: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त
- सेवारत न्यायाधीश की नियुक्ति केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद
- कार्यकाल: 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु; पुनर्नियुक्ति संभव; आगे की सरकारी नियुक्ति से वर्जित
- राष्ट्रपति इन आधारों पर पदच्युत करता है: दिवालियापन; पद के बाहर वैतनिक नियोजन; मानसिक या शारीरिक दुर्बलता; विकृतचित्तता; कारावास सहित दोषसिद्धि
- सिद्ध कदाचार या अक्षमता: राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट करता है; उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन पर पदच्युति
- सेवा शर्तें केंद्र द्वारा निर्धारित; अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं की जा सकतीं

### कार्य और शक्तियाँ

- लोक सेवक द्वारा उल्लंघन या उपेक्षा की जाँच (स्वतः संज्ञान, याचिका या न्यायालय के आदेश पर)

- न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप; कारागारों का दौरा; रक्षोपायों और आतंकवाद के कारकों की समीक्षा
- संधियों का अध्ययन; अनुसंधान और साक्षरता को बढ़ावा; गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन
- सिविल न्यायालय की शक्तियाँ; अपना अन्वेषण कर्मचारी वर्ग
- कृत्य के 1 वर्ष बाद किसी मामले की जाँच नहीं कर सकता
- प्रतिकर, अभियोजन, अंतरिम राहत की सिफारिश करता है; उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है
- सिफारिशें बाध्यकारी नहीं; की गई कार्रवाई की सूचना 1 माह के भीतर
- सशस्त्र बल: सीमित भूमिका; की गई कार्रवाई की सूचना 3 माह के भीतर
- प्रतिवेदन की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित विधायिकाओं के समक्ष रखे जाते हैं

### मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

| उपबंध                                                       | परिवर्तन                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष                        | उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश पात्र (पहले केवल पूर्व मुख्य न्यायाधीश)                                             |
| मानवाधिकार सदस्य                                            | 2 से 3, कम से कम 1 महिला                                                                                                |
| पदेन सदस्य                                                  | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त जोड़े गए           |
| कार्यकाल (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग) | 5 वर्ष से घटाकर 3; पुनर्नियुक्ति की अनुमति                                                                              |
| राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष                            | उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश पात्र (पहले केवल पूर्व मुख्य न्यायाधीश)                                               |
| संघ राज्यक्षेत्र                                            | राज्य मानवाधिकार आयोग दिल्ली को छोड़कर संघ राज्यक्षेत्रों को देख सकता है (दिल्ली को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखता है) |
| प्रशासन                                                     | महासचिव (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) / सचिव (राज्य मानवाधिकार आयोग) प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं     |

## राज्य मानवाधिकार आयोग

- सांविधिक; 1993 के अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित
- केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों की जाँच करता है
- यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या कोई अन्य सांविधिक आयोग जाँच कर रहा हो, तो जाँच नहीं करता
- संरचना: अध्यक्ष (सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश) + 2 सदस्य (उच्च न्यायालय के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश या 7 वर्ष के अनुभव वाला जिला न्यायाधीश; एक मानवाधिकार विशेषज्ञ)
- राज्यपाल मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की समिति (विधान परिषद होने पर उसके सभापति और विपक्ष के नेता सहित) की सिफारिश पर नियुक्त करता है
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सेवारत उच्च न्यायालय न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की नियुक्ति
- कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समान आधारों पर केवल राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत
- 1 वर्ष की सीमा; की गई कार्रवाई 1 माह में; प्रतिवेदन राज्य सरकार को
- मानवाधिकार न्यायालय: प्रति जिला एक; राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से स्थापित करता है; विशेष लोक अभियोजक (7 वर्ष के अभ्यास वाला अधिवक्ता)

## राष्ट्रीय महिला आयोग

- सांविधिक, स्वायत्त; राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (31 जनवरी 1992 से प्रवृत्त)
- उद्भव: भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (1974); राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988)
- नोडल मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास (2006 से पृथक् मंत्रालय)
- महिला हित के प्रति समर्पित अध्यक्ष + 5 सदस्य + सदस्य-सचिव; कम से कम एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति सदस्य
- सदस्य-सचिव: प्रबंधन/समाजशास्त्र का विशेषज्ञ या संघ की सिविल सेवा का अधिकारी
- सभी केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत; कार्यकाल 3 वर्ष
- केंद्र द्वारा पदच्युति: अनुमोचित दिवालिया; नैतिक अधमता के लिए दोषसिद्धि; विकृतचित्त; कार्य करने से इनकार; लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित; पद का दुरुपयोग
- चौदह-सूत्री अधिदेश: रक्षोपायों की जाँच; स्वतः संज्ञान; कारागारों और रिमांड गृहों का निरीक्षण; मुकदमेबाज़ी हेतु निधि; प्रगति का मूल्यांकन
- सिविल न्यायालय की शक्तियाँ; मताधिकार रहित गैर-सदस्यों को सहयोजित कर सकता है
- शिकायतें 23 शीर्षकों के अंतर्गत दर्ज
- पारिवारिक महिला लोक अदालत: पारिवारिक और विवाह संबंधी विवाद

- विशाखा बंनार राजस्थान राज्य (1997): कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रणाली

## राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- सांविधिक; बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन 2007 में स्थापित
- बालक: 18 वर्ष से कम (बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1989; भारत ने 1992 में अनुसमर्थन किया)
- स्वायत्त; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- अध्यक्ष (बाल कल्याण में प्रतिष्ठित) + 6 सदस्य, कम से कम 2 महिलाएँ
- अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्री के अधीन 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर
- कार्यकाल 3 वर्ष; अधिकतम 2 कार्यकाल; आयु सीमा: अध्यक्ष 65, सदस्य 60
- केंद्र द्वारा पदच्युति: सिद्ध कदाचार या अक्षमता (अध्यक्ष); दिवालियापन; वैतनिक नौकरी; कार्य से इनकार; विकृतचित्ता; पद का दुरुपयोग; नैतिक अधमता; 3 बैठकों में अनुपस्थिति
- सिविल न्यायालय की शक्तियाँ; राज्य आयोग या अन्य सांविधिक आयोग के समक्ष लंबित मामले की जाँच नहीं कर सकता
- अतिरिक्त भूमिकाएँ: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (समीक्षा, जाँच); लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (निगरानी); किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (निगरानी)
- राज्य आयोग: वही संरचना; राज्य सरकार द्वारा नियुक्त और पदच्युत
- बाल न्यायालय: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य द्वारा निर्दिष्ट सत्र न्यायालय

## राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

- 1978: गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा अल्पसंख्यक आयोग (12 जनवरी 1978)
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (17 मई 1993 से प्रवृत्त): सांविधिक; प्रथम सांविधिक आयोग 1993
- स्वायत्त; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (2006 में पृथक्)
- 'अल्पसंख्यक' परिभाषित नहीं; केंद्र अधिसूचित करता है
- 1993 में अधिसूचित: मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी (ज़रथुश्टी)
- जैन 27 जनवरी 2014 को जोड़े गए
- अध्यक्ष + उपाध्यक्ष (1995 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया) + 5 सदस्य, केंद्र द्वारा मनोनीत; अध्यक्ष सहित पाँच अल्पसंख्यक समुदायों से
- कार्यकाल 3 वर्ष; पदच्युति के आधार राष्ट्रीय महिला आयोग के समान
- नौ-सूत्री अधिदेश: विकास का मूल्यांकन; रक्षोपायों की निगरानी; शिकायतों की जाँच
- सिविल न्यायालय की शक्तियाँ; वार्षिक प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखा जाता है

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

राष्ट्रीय महिला आयोग: अधिनियम 1990, आयोग 1992; राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग: अधिनियम 2005, आयोग 2007; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: अधिनियम 1992, आयोग 1993

राष्ट्रीय महिला आयोग 5 सदस्य; राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 6 सदस्य; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष + 5 सदस्य केवल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अधिकतम 2 कार्यकाल और आयु सीमाएँ हैं  
तीनों: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और पदच्युत

## केंद्रीय सूचना आयोग

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन 2005 में स्थापित; सांविधिक
- केंद्रीय कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित शिकायतों और अपीलों का निर्णय करता है
- मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त; राष्ट्रपति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोक सभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफारिश पर नियुक्त करता है
- मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता न होने पर: सबसे बड़े एकल विपक्षी समूह का नेता
- सांसद/विधायक न हो, लाभ का पद न हो, दल से संबंध न हो, व्यवसाय न हो
- कार्यकाल केंद्र द्वारा निर्धारित (2019 का संशोधन) या 65 वर्ष की आयु; पुनर्नियुक्ति नहीं
- सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है; कुल कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष
- राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति: दिवालियापन; नैतिक अधमता के लिए दोषसिद्धि; वैतनिक नियोजन; दुर्बलता; प्रतिकूल वित्तीय हित
- सिद्ध कदाचार या अक्षमता: उच्चतम न्यायालय की जाँच
- शिकायतें: जन सूचना अधिकारी न होना; इनकार; समय पर उत्तर न मिलना; अनुचित शुल्क; अपूर्ण या मिथ्या सूचना
- स्वतः संज्ञान से जाँच; सिविल न्यायालय की शक्तियाँ; किसी भी अभिलेख का परीक्षण कर सकता है
- किसी रूप में सूचना देने, जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने, प्रतिकर और शास्तियों का आदेश दे सकता है
- जन सूचना अधिकारी पर शास्ति: 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये
- केंद्र को वार्षिक प्रतिवेदन, जो संसद के समक्ष रखा जाता है

**सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019**

| पहलू                                                                                      | पहले                          | बाद में                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| कार्यकाल (मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त) | 5 वर्ष                        | केंद्र द्वारा निर्धारित |
| मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन                                                                | मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान | केंद्र द्वारा निर्धारित |
| सूचना आयुक्त / राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन                                           | निर्वाचन आयुक्त के समान       | केंद्र द्वारा निर्धारित |
| राज्य सूचना आयुक्त का वेतन                                                                | राज्य के मुख्य सचिव के समान   | केंद्र द्वारा निर्धारित |
| पेंशन कटौती                                                                               | प्रावधान था                   | हटाया गया               |

**राज्य सूचना आयोग**

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन; राज्य मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त (संख्या भिन्न)
- राज्यपाल मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधान सभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर नियुक्त करता है
- कार्यकाल और सेवा शर्तें केंद्र द्वारा निर्धारित; 65 वर्ष की आयु; पुनर्नियुक्ति नहीं
- राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त के समान आधारों पर पदच्युत करता है (कदाचार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच)
- मुख्य सूचना आयुक्त के समान शक्तियाँ और शास्तियाँ; प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल को

**प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य**

मुख्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति पदच्युत करता है; राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल दोनों: सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित  
दोनों: शास्ति 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये

**केंद्रीय सतर्कता आयोग**

- केंद्र की प्रमुख भ्रष्टाचार-निरोधी एजेंसी; शीर्ष सतर्कता संस्था
- संथानम समिति (1962-64) की सिफारिश पर संकल्प द्वारा 1964 में स्थापित; केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा सांविधिक
- व्हिसल-ब्लोअर शिकायतों के लिए नामित अभिकरण (लोकहित प्रकटन तथा मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004)
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त
- राष्ट्रपति हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है; समिति: प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता (लोक सभा)
- कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु; आगे की सरकारी नियुक्ति से वर्जित
- राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के समान आधारों पर पदच्युति; कदाचार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच
- वेतन: आयुक्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान; सतर्कता आयुक्त संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के समान
- संगठन: सचिवालय; मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा (कार्यों का तकनीकी लेखा परीक्षण); विभागीय जाँच के लिए आयुक्त
- केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अपराधों के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर अधीक्षण
- अखिल भारतीय सेवाओं और समूह क के अधिकारियों की जाँच करता है; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जाँच और लंबित मंजूरीयों की समीक्षा करता है
- सतर्कता और अनुशासनात्मक नियमों पर केंद्र को केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
- सलाह से असहमति पर: लिखित कारण
- अधिकारिता: अखिल भारतीय सेवाएँ, समूह क, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्केल 5 और उससे ऊपर, भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में ग्रेड डी और उससे ऊपर, सामान्य बीमा में प्रबंधक और उससे ऊपर, भारतीय जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और उससे ऊपर
- राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन, जो संसद के समक्ष रखा जाता है
- मुख्य सतर्कता अधिकारी: मंत्रालयों में सतर्कता प्रभाग का प्रमुख

**व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014**

- व्हिसल ब्लोअर की पहचान की रक्षा करता है
- वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी: केंद्रीय सतर्कता आयोग
- झूठी या तुच्छ शिकायत: अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और अधिकतम 30,000 रुपये तक का जुर्माना
- गुमनाम प्रकटन पर कार्रवाई नहीं की जाती
- विशेष सुरक्षा समूह पर लागू नहीं

## केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

- उद्भव: विशेष पुलिस स्थापन (1941, युद्ध एवं आपूर्ति विभाग)
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 द्वारा इसे गृह विभाग में ले जाया गया
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा; दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन एक प्रभाग के रूप में विलीन
- गैर-सांविधिक; शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 से; कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन
- ध्येय वाक्य: उद्योग, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा
- भारत में इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो
- किसी राज्य में कार्य करने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक (रेल क्षेत्रों को छोड़कर)
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो: भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध; राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण: आतंकवाद

### केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक

| पहलू                                | उपबंध                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नियुक्ति                            | केंद्र; समिति: प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (लोक सभा), भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश (लोकपाल अधिनियम, 2013) |
| मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं | सबसे बड़े एकल विपक्षी दल का नेता (2014 का संशोधन)                                                                                                       |
| कार्यकाल                            | निश्चित 2 वर्ष (केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003)                                                                                                    |
| विस्तार                             | कुल अधिकतम 5 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन 2021)                                                                            |
| अभियोजन निदेशक                      | केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर नियुक्त                                                                                                             |
| पुलिस अधीक्षक स्तर और उससे ऊपर      | समिति: केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव                                                           |

- कार्य: केंद्रीय कर्मचारियों का भ्रष्टाचार; राजकोषीय और आर्थिक विधियाँ; संगठित अपराध; भ्रष्टाचार-निरोधी अभिकरणों में समन्वय; अनुरोध पर राज्यों के मामले
- पारंपरिक अपराध केवल राज्य के अनुरोध या न्यायालय के निर्देश पर
- धारा 6क (संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के लिए केंद्र की पूर्व अनुमति) को उच्चतम न्यायालय ने (2014) अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के कारण निरस्त किया

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

केंद्रीय सतर्कता आयोग: सलाहकारी सतर्कता निकाय; 1964 का संकल्प; 2003 में सांविधिक  
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो: अन्वेषण अभिकरण; 1963 का संकल्प; गैर-सांविधिक

## लोकपाल एवं लोकायुक्त

- ओम्बड्समैन सर्वप्रथम स्वीडन में (1809); फिनलैंड 1919; डेनमार्क 1955; नॉर्वे 1962; न्यूजीलैंड 1962 (राष्ट्रमंडल में प्रथम); ब्रिटेन 1967
- ओम्बड्समैन निर्णयों को पलट नहीं सकता; केवल प्रतिवेदन देता है
- फ्रांस: प्रशासनिक न्यायालय; सोवियत संघ/चीन: प्रोक्क्यूरेटर प्रणाली
- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70, मोरारजी देसाई) ने लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की
- दस विधेयक: 1968, 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, अगस्त 2011, दिसंबर 2011
- 1989 का विधेयक वापस लिया गया; अगस्त 2011 का विधेयक वापस लिया गया; दिसंबर 2011 का विधेयक 2013 के अधिनियम के रूप में अधिनियमित

### लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

- केंद्र में लोकपाल; राज्यों में लोकायुक्त
- अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य; 50% न्यायिक सदस्य; 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से
- चयन समिति: प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता (लोक सभा), भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का नामित न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित विधिवेत्ता
- खोज समिति सहायता करती है; उसमें भी 50% आरक्षण
- अधिकारिता: प्रधानमंत्री (अपवादों सहित), मंत्री, सांसद, समूह क से घ
- संदर्भित मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर अधीक्षण
- अभियोजन के दौरान भी लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की
- लोकपाल अभियोजन की मंजूरी देता है

- प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये से अधिक के विदेशी दान (विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम) शामिल; सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएँ अपवर्जित
- राज्यों को 365 दिन के भीतर लोकायुक्त स्थापित करना अनिवार्य
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अधिकतम दंड 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष; न्यूनतम 3 वर्ष (धाराएँ 7, 8, 9, 12), 2 वर्ष (धारा 15)

### लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमाएँ

| चरण                 | समय                      |
|---------------------|--------------------------|
| प्रारंभिक जाँच      | 3 माह + 3 माह            |
| अन्वेषण             | 6 माह + एक बार में 6 माह |
| विचारण              | 1 वर्ष + 1 वर्ष          |
| शिकायतों की परिसीमा | 7 वर्ष                   |

- कमियाँ: स्वतः संज्ञान की शक्ति नहीं; गुमनाम शिकायतें नहीं; प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायतों की अपारदर्शी प्रक्रिया

### लोकायुक्त

- महाराष्ट्र प्रथम (1971); ओडिशा ने इससे पहले अधिनियम पारित किया (1970)
- संरचना भिन्न-भिन्न (लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त)
- राज्यपाल द्वारा नियुक्त; सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
- सिफारिशें केवल परामर्शी
- राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है

### राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अधीन 2009 में गठित (26/11 मुंबई हमलों के बाद)
- केंद्रीय आतंकवाद-रोधी अभिकरण; मुख्यालय नई दिल्ली; गृह मंत्रालय के अधीन
- केंद्र द्वारा नियुक्त महानिदेशक के नेतृत्व में
- आतंकी वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ: जाली मुद्रा और आतंकी वित्तपोषण
- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करता है
- संप्रभुता, आतंकी हमलों, विमान अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों, सामूहिक विनाश के हथियारों पर समवर्ती अधिकारिता
- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (मोडली) ने ऐसे अभिकरण की सिफारिश की

### राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019

| उपबंध                 | विवरण                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारत के बाहर तक पहुँच | भारतीयों या भारतीय हितों के विरुद्ध विदेश में किए गए अनुसूचित अपराध                          |
| शक्तियाँ              | राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अधिकारियों को भारत में और भारत के बाहर पुलिस की शक्तियाँ प्राप्त |
| विशेष न्यायालय        | केंद्र या राज्यों द्वारा नामित सत्र न्यायालय                                                 |
| नए अपराध              | मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित शस्त्र, साइबर-आतंकवाद, विस्फोटक                         |

### राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2004 की सुनामी के बाद); 2005 में कार्यकारी आदेश द्वारा गठित, 2006 में अधिसूचित
- इससे पहले: उच्चाधिकार प्राप्त समिति (1999), राष्ट्रीय समिति (2001, गुजरात भूकंप के बाद)
- शीर्ष निकाय; गृह मंत्रालय के अधीन
- प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष + अधिकतम 9 सदस्य; उपाध्यक्ष को कैबिनेट स्तर, अन्य को राज्य मंत्री स्तर
- कार्य: नीतियाँ; राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन; राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए दिशानिर्देश; प्रवर्तन में समन्वय; शमन निधियों की सिफारिश
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का सामान्य अधीक्षण
- निविदा के बिना आपातकालीन क्रय
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (नई दिल्ली) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से निर्देशित

### राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

| प्राधिकरण                        | अध्यक्ष      | सदस्य    | अन्य            |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------------|
| राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | प्रधानमंत्री | अधिकतम 9 | उपाध्यक्ष नामित |

| प्राधिकरण                    | अध्यक्ष                                 | सदस्य    | अन्य                                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | मुख्यमंत्री                             | अधिकतम 9 | राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष<br>मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में                                                            |
| जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  | कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट /<br>उपायुक्त | अधिकतम 7 | सह-अध्यक्ष: जिला परिषद का अध्यक्ष<br>(छठी अनुसूची: मुख्य कार्यकारी<br>सदस्य); मुख्य कार्यकारी अधिकारी<br>की नियुक्ति राज्य द्वारा |

## भारतीय विधिज्ञ परिषद

- सांविधिक; अधिवक्ता अधिनियम, 1961; स्वायत्त; विधिक कार्य विभाग
- उद्भव: अखिल भारतीय विधिज्ञ समिति (1951, न्यायमूर्ति एस. आर. दास; प्रतिवेदन 1953); विधि आयोग (1958)
- सदस्य: प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद से एक निर्वाचित; महान्यायावादी और सॉलिसिटर जनरल पदेन
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष: 2 वर्ष
- कार्य: व्यावसायिक आचरण; विधिक शिक्षा के मानक; विधि विश्वविद्यालयों को मान्यता; राज्य विधिज्ञ परिषदों का पर्यवेक्षण; विदेशी विधि उपाधियों को मान्यता
- 24 राज्य विधिज्ञ परिषदें; राज्य विधिज्ञ परिषद की सदस्य संख्या निर्वाचक संख्या के अनुसार 15 / 20 / 25 (5,000 से कम / 5,000-10,000 / 10,000 से अधिक)
- राज्य विधिज्ञ परिषद: एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन; कार्यकाल 5 वर्ष (भारतीय विधिज्ञ परिषद 6 माह बढ़ा सकती है); महाधिवक्ता पदेन (दिल्ली: अपर सॉलिसिटर जनरल)
- राज्य विधिज्ञ परिषद के कार्य: नामावली बनाए रखना; कदाचार का निर्णय
- साझा राज्य विधिज्ञ परिषदें: केरल और लक्षद्वीप; मद्रास (तमिलनाडु और पुदुचेरी); पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़; पश्चिम बंगाल और अंडमान-निकोबार; जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

### उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता

| प्रकार          | मुख्य बिंदु                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वरिष्ठ अधिवक्ता | सहमति से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा नामित; अभिलेख-अधिवक्ता के बिना उपस्थित नहीं हो सकता                          |
| अभिलेख-अधिवक्ता | केवल यही उपस्थिति दर्ज करा सकता है या पक्षकार की ओर से कार्य कर सकता है; 1959 से परीक्षा; 1954 में 'अभिकर्ताओं' का स्थान लिया |
| अन्य अधिवक्ता   | राज्य नामावली में; केवल अभिलेख-अधिवक्ता के निर्देश पर या अनुमति मिलने पर उपस्थित हो सकते हैं                                  |

- वरिष्ठ अधिवक्ता नामन समिति: भारत के मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, महान्यायावादी, एक मनोनीत विधिज्ञ सदस्य

## भारत का विधि आयोग

- गैर-सांविधिक सलाहकारी निकाय; निश्चित कार्यकाल के लिए कार्यकारी आदेश; सिफारिशें बाध्यकारी नहीं
- स्वतंत्रता से पूर्व: प्रथम 1834 (मैकाले); द्वितीय 1853 और तृतीय 1861 (रोमिली); चतुर्थ 1879 (व्हिटली स्टोक्स)
- स्वतंत्र भारत का प्रथम: 1955-58, एम. सी. सीतलवाड (महान्यायावादी); प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष
- अध्यक्ष: द्वितीय टी. टी. कल्लामनिकन; तृतीय और चतुर्थ जे. एल. कपूर; छठे और सातवें गजेंद्रगडकर; आठवें एच. आर. खन्ना; पंद्रहवें बी. पी. जीवन रेड्डी; 18वें ए. आर. लक्ष्मणन; 21वें (2015-18) बी. एस. चौहान
- 22वाँ: 21 फरवरी 2020 को गठित; अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी (नवंबर 2022 में नियुक्त); 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया
- 23वाँ विधि आयोग सितंबर 2024 में तीन वर्ष के लिए गठित
- संरचना निश्चित नहीं: अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य-सचिव (भारतीय विधिक सेवा), अंशकालिक सदस्य
- कार्य: अप्रचलित विधियों का निरसन; राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आलोक में विधियों की समीक्षा; विदेशों के लिए अनुसंधान; निर्धनों के लिए विधि
- 21वें आयोग तक 277 प्रतिवेदन (जैसे घृणा-भाषण 267; जमानत 268; डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग 271; न्यायालयों का अवमान 274)

## भारत का परिसीमन आयोग

- सांविधिक (संवैधानिक नहीं); आदेशों का विधि का बल होता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती
- लोक सभा और विधान सभा के समक्ष रखे जाते हैं; कोई संशोधन अनुमत नहीं
- राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी

**परिसीमन आयोग**

| आयोग  | वर्ष | अधिनियम                    |
|-------|------|----------------------------|
| पहला  | 1952 | परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 |
| दूसरा | 1963 | परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 |
| तीसरा | 1973 | परिसीमन अधिनियम, 1972      |
| चौथा  | 2002 | परिसीमन अधिनियम, 2002      |

- अनुच्छेद: 81, 82, 170, 330, 332; 84वें (2001) और 87वें (2003) संशोधनों द्वारा संशोधित

**84वें और 87वें संशोधनों का प्रभाव**

| मद                                     | उपबंध                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| लोक सभा और विधान सभा की सीटें          | 2026 के बाद की पहली जनगणना तक 1971 की जनगणना पर स्थिर |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सीटें | 2001 की जनगणना के आधार पर पुनर्निर्धारित              |
| पुनः परिसीमन का आधार                   | 2001 की जनगणना                                        |
| निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ           | 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थिर                   |

- 106वाँ संशोधन (2023): एक-तिहाई महिला आरक्षण; प्रारंभ के बाद की पहली जनगणना के पश्चात परिसीमन के बाद प्रभावी
- चौथा आयोग: 3 सदस्य (अध्यक्ष: उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश; मुख्य निर्वाचन आयुक्त या नामित निर्वाचन आयुक्त; राज्य निर्वाचन आयुक्त); अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह
- प्रत्येक राज्य से 10 सहयोगी सदस्य (5 सांसद, 5 विधायक); न मत, न हस्ताक्षर
- प्रतिवेदन 2007; 2008 में अधिसूचित; असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड अपवर्जित
- 2009 लोक सभा: 543 में से 499 सीटें नए परिसीमन पर
- 2020 आयोग: अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई; पदेन सुशील चंद्रा; चार पूर्वोत्तर राज्य मार्च 2021 में हटाए गए; जम्मू-कश्मीर प्रतिवेदन मई 2022

**जम्मू-कश्मीर परिसीमन आदेश (मई 2022)**

| मद                                             | विवरण                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विधान सभा सीटें                                | 90 (जम्मू 43, कश्मीर 47); पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर के लिए 24 रिक्त रखी गईं                       |
| नई सीटें                                       | 6 जम्मू, 1 कश्मीर                                                                               |
| अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित | 9 / 7                                                                                           |
| लोक सभा सीटें                                  | 5, प्रत्येक में 18 विधान सभा सीटें                                                              |
| जनगणना का आधार                                 | 2011                                                                                            |
| सिफारिशें                                      | कश्मीरी प्रवासी 2 सदस्य (1 महिला); पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों को प्रतिनिधित्व |

- पुनर्गठन अधिनियम, 2019: 114 सीटें (पहले 111 सीटें, जिनमें लद्दाख की 4 और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर की 24); उप-राज्यपाल द्वारा 2 महिलाएँ मनोनीत

**पूर्वोत्तर परिषद**

- सांविधिक सलाहकारी निकाय; पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971; 1 अगस्त 1972 से प्रवृत्त
- सदस्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम (2002)
- सचिवालय: शिलांग; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन
- प्रादेशिक योजना निकाय (2002 का संशोधन)

**पूर्वोत्तर परिषद की संरचना**

| सदस्य                    | संख्या   |
|--------------------------|----------|
| राज्यपाल                 | 8        |
| मुख्यमंत्री              | 8        |
| राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत | 3        |
| केंद्रीय मंत्री          | वैकल्पिक |

| सदस्य     | संख्या                                   |
|-----------|------------------------------------------|
| अध्यक्ष   | जुलाई 2018 से केंद्रीय गृह मंत्री (पदेन) |
| उपाध्यक्ष | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (पदेन)   |

- कार्य: बहु-राज्यीय परियोजनाओं को प्राथमिकता देने वाली प्रादेशिक योजनाएँ; सुरक्षा और लोक व्यवस्था की समीक्षा; क्रियान्वयन की समीक्षा
- पुनरुद्धार समिति (2003; पी. पी. श्रीवास्तव; प्रतिवेदन 2004)

## अध्याय 12

# सहकारी समितियाँ, राजभाषा, लोक सेवाएँ, विशेष उपबंध

## सहकारी समितियाँ

97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011

### किए गए परिवर्तन

| परिवर्तन     | उपबंध                                                                                | अनुच्छेद                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| मौलिक अधिकार | सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार                                                      | अनुच्छेद 19(1)(ग)       |
| DPSP         | स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा | अनुच्छेद 43ख            |
| नया भाग      | भाग 9ख "सहकारी समितियाँ"                                                             | अनुच्छेद 243यज से 243यन |

- विषय: राज्य सूची की प्रविष्टि 32; 15 फरवरी 2012 से प्रवृत्त

### भाग 9ख के उपबंध

| विषय                             | उपबंध                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अधिकतम निदेशक                    | 21                                                                                                   |
| बोर्ड में आरक्षण                 | 1 सीट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति + 2 सीटें महिलाएँ                                                |
| बोर्ड / पदाधिकारियों का कार्यकाल | 5 वर्ष                                                                                               |
| सहयोजित सदस्य                    | अधिकतम 2 विशेषज्ञ; मताधिकार नहीं; पदाधिकारी नहीं बन सकते                                             |
| कार्यात्मक निदेशक                | बोर्ड के सदस्य; 21 में नहीं गिने जाते                                                                |
| अधिक्रमण / निलंबन                | अधिकतम 6 माह (बहु-राज्य को छोड़कर सहकारी बैंक: 1 वर्ष)                                               |
| लेखा परीक्षा                     | वर्ष में कम से कम एक बार; वर्षांत के 6 माह के भीतर; राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से लेखा परीक्षक |
| बहु-राज्य समितियाँ               | राज्य विधानमंडल/अधिनियम/सरकार को संसद/केंद्रीय अधिनियम/केंद्र सरकार पढ़ा जाए                         |

- साधारण निकाय की बैठक और विवरणियाँ वर्षांत के 6 माह के भीतर; शीर्ष समिति की लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है; संघ राज्यक्षेत्र शामिल (राष्ट्रपति छूट दे सकता है)
- अधिक्रमण के आधार: निरंतर चूक; उपेक्षा; समिति के लिए हानिकारक कार्य; गतिरोध; निर्वाचन निकाय द्वारा चुनाव न कराना
- जहाँ सरकार का कोई अंशधारण, ऋण, सहायता या गारंटी नहीं, वहाँ अधिक्रमण नहीं
- प्रशासक को 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे

### न्यायिक संवीक्षा

| मामला                          | न्यायालय / वर्ष            | निर्णय                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राजेंद्र एन. शाह बनाम भारत संघ | गुजरात उच्च न्यायालय, 2013 | राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में (अनुच्छेद 368) भाग 9ख अधिकारातीत; अनुच्छेद 19(1)(ग) और 43ख अप्रभावित                                          |
| भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह | उच्चतम न्यायालय, 2021      | उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार, किंतु भाग 9ख पूर्णतः निरस्त नहीं; केवल बहु-राज्य सहकारी समितियों (राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों) के लिए प्रवर्तनीय |

### याद रखें

21 निदेशक + 2 सहयोजित (मताधिकार रहित); 1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति + 2 महिला सीटें  
कार्यकाल 5 वर्ष; अधिक्रमण अधिकतम 6 माह

मौलिक अधिकार 19(1)(ग); नीति निदेशक तत्त्व 43ख; भाग 9ख  
उच्चतम न्यायालय 2021: भाग 9ख केवल बहु-राज्य समितियों के लिए वैध

## राजभाषा

### भाग 17 (अनुच्छेद 343-351)

- चार शीर्षक: संघ की भाषा; क्षेत्रीय भाषाएँ; न्यायपालिका और विधियों की भाषा; विशेष निर्देश

#### संघ की भाषा

- देवनागरी लिपि में हिंदी (अनुच्छेद 343); अंक अंतरराष्ट्रीय रूप में
- अंग्रेज़ी 15 वर्ष (1950-1965) तक जारी; संसद बढ़ा सकती है
- राष्ट्रपति 5 और 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग नियुक्त करेगा (अनुच्छेद 344)
- 1955: बी. जी. खेर के अधीन आयोग (प्रतिवेदन 1956); 1957: जी. बी. पंत के अधीन संसदीय समिति
- दूसरा आयोग (1960 में देय) कभी नियुक्त नहीं हुआ
- राजभाषा अधिनियम, 1963: अंग्रेज़ी हिंदी के साथ अनिश्चित काल तक जारी; 1967 में संशोधन द्वारा कुछ मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेज़ी अनिवार्य

#### क्षेत्रीय भाषाएँ

- राज्य प्रचलित कोई भी भाषा या हिंदी अपना सकता है (अनुच्छेद 345); आठवीं अनुसूची तक सीमित नहीं; तब तक अंग्रेज़ी
- संपर्क भाषा: संघ और राज्यों के बीच / राज्यों के बीच अंग्रेज़ी (अनुच्छेद 346); राज्य हिंदी के प्रयोग पर सहमत हो सकते हैं
- अनुच्छेद 347: राष्ट्रपति जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता देने का निर्देश दे सकता है

### न्यायपालिका और विधियों की भाषा (अनुच्छेद 348)

#### भाषा संबंधी नियम

| विषय                                         | स्थिति                                                                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही                 | केवल अंग्रेज़ी (हिंदी का कोई उपबंध नहीं)                                             |
| उच्च न्यायालय की कार्यवाही                   | अंग्रेज़ी; राष्ट्रपति की सहमति से राज्यपाल हिंदी/राज्य की भाषा की अनुमति दे सकता है  |
| उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्रियाँ, आदेश     | अंग्रेज़ी; राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन क्षेत्रीय भाषा अनुमत, अंग्रेज़ी अनुवाद सहित |
| विधेयकों, अधिनियमों, नियमों के प्राधिकृत पाठ | अंग्रेज़ी; 1963 के अधिनियम के अधीन हिंदी अनुवाद प्राधिकृत                            |
| अन्य भाषाओं में राज्य की विधियाँ             | अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित किया जाना आवश्यक                                           |

- प्राधिकृत अनुवाद (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973: आठवीं अनुसूची की भाषाओं (हिंदी को छोड़कर) में अनुवाद प्राधिकृत
- अनुच्छेद 349: भाषा संबंधी विधियों के लिए विशेष प्रक्रिया

#### विशेष निर्देश

| अनुच्छेद | उपबंध                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 350      | संघ/राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में शिकायत निवारण हेतु अभ्यावेदन                    |
| 350क     | भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा (7वाँ संशोधन, 1956)     |
| 350ख     | भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (7वाँ संशोधन, 1956) |
| 351      | हिंदी का विकास; शब्दावली मुख्यतः संस्कृत से                                             |

### आठवीं अनुसूची

- 22 भाषाएँ (मूलतः 14); प्रयोजन: राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व; हिंदी का संवर्धन

### राजभाषा पर संसदीय समिति

- राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन; 1976 में गठित
- 30 सदस्य: 20 लोक सभा + 10 राज्य सभा

- अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य करते हैं; परंपरा से केंद्रीय गृह मंत्री

## शास्त्रीय भाषाएँ

- श्रेणी 2004 में सृजित; लाभ: 2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, उत्कृष्टता केंद्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पीठें
- शास्त्रीय भाषाएँ: तमिल 2004; संस्कृत 2005; तेलुगु, कन्नड़ 2008; मलयालम 2013; ओडिया 2014; मराठी, पालि, प्राकृत, असमिया, बांग्ला 2024 (कुल 11)

## लोक सेवाएँ

### वर्गीकरण

- अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र और राज्यों में समान; केंद्रीय सेवाएँ केवल केंद्र के अधीन; राज्य सेवाएँ केवल राज्य के अधीन
- भारतीय प्रशासनिक सेवा: कार्मिक मंत्रालय; भारतीय पुलिस सेवा: गृह मंत्रालय; भारतीय वन सेवा: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- अनुच्छेद 312: राज्य सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 के संकल्प के बाद संसद की विधि द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा
- सरदार पटेल: अखिल भारतीय सेवाओं के जनक; अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951
- नियंत्रण: अंतिम केंद्र के पास, तात्कालिक राज्यों के पास; वेतन और पेंशन राज्यों द्वारा; अनुशासन केवल केंद्र द्वारा
- सभी समूह क; स्केल: कनिष्ठ, वरिष्ठ, सुपर टाइम स्केल
- 26 राज्य संवर्ग, संयुक्त संवर्ग सहित: असम-मेघालय; अगमुट (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ राज्यक्षेत्र)
- वरिष्ठ पदों का अधिकतम 33 1/3% राज्य सेवाओं से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा: 42वाँ संशोधन (1976); अभी तक सृजित नहीं; जिला न्यायाधीश से नीचे नहीं
- केंद्रीय सेवाएँ: समूह क की 66 सेवाएँ; भारतीय विदेश सेवा शीर्ष क्रम की (विदेश मंत्रालय)
- समूह क, ख राजपत्रित; समूह ग, घ अराजपत्रित
- राज्य सिविल सेवा सर्वाधिक प्रतिष्ठित

### संवैधानिक उपबंध (भाग 14, अनुच्छेद 308-314)

#### अनुच्छेद

| अनुच्छेद | विषय                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 308      | निर्वाचन                                                                                              |
| 309      | भर्ती और सेवा शर्तें                                                                                  |
| 310      | पदावधि (प्रसाद का सिद्धांत)                                                                           |
| 311      | पदच्युति, पद से हटाया जाना, पदावनति                                                                   |
| 312      | अखिल भारतीय सेवाएँ                                                                                    |
| 312क     | क्राउन द्वारा नियुक्त अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन/प्रतिस्तरण की शक्ति (28वाँ संशोधन, 1972) |
| 313      | संक्रमणकालीन उपबंध                                                                                    |
| 314      | विद्यमान अधिकारियों का संरक्षण (28वें संशोधन द्वारा निरसित)                                           |

- अनुच्छेद 309: संसद/राज्य विधानमंडल विनियमन करते हैं; तब तक राष्ट्रपति/राज्यपाल नियम बनाते हैं; लोक सेवकों के मौलिक अधिकारों पर व्यक्तिगत निर्बंधन की अनुमति
- अनुच्छेद 310: रक्षा, केंद्रीय सिविल, अखिल भारतीय सेवाएँ राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत; राज्य सिविल सेवाएँ राज्यपाल के प्रसादपर्यंत
- अपवाद: विशेष अर्हता वाले नवांगंतुक के लिए प्रतिकर संविदा, यदि पद बिना कदाचार के समाप्त या रिक्त हो जाए

#### अनुच्छेद 311 के रक्षोपाय

| रक्षोपाय | विवरण                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युति/पद से हटाया जाना नहीं        |
| 2        | जाँच, आरोपों की सूचना, व्यक्तिगत सुनवाई के बिना पदच्युति/पद से हटाया जाना/पदावनति नहीं |

- रक्षा/सैन्य कर्मियों को उपलब्ध नहीं
- जाँच आवश्यक नहीं: (1) आपराधिक दोषसिद्धि; (2) जाँच व्यवहार्य नहीं (लिखित कारण); (3) राष्ट्रपति/राज्यपाल राज्य की सुरक्षा के संबंध में संतुष्ट
- 42वें संशोधन (1976) ने दूसरा अवसर (प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन) समाप्त किया

- पदच्युति भविष्य में सरकारी नियोजन के लिए निरर्हता है; पद से हटाया जाना नहीं
- युक्तियुक्त अवसर: आरोपों की सूचना; साक्षियों से प्रतिपरीक्षा; जाँच प्रतिवेदन की प्रति

**याद रखें**

अनुच्छेद 312 का संकल्प: राज्य सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3  
अनुच्छेद 310 प्रसाद; अनुच्छेद 311 दो रक्षोपाय, तीन अपवाद  
तीन अखिल भारतीय सेवाएँ: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा

**सरकार के अधिकार एवं दायित्व****संपत्ति (अनुच्छेद 294-300)****उपबंध**

| अनुच्छेद | विषय                                | मुख्य बिंदु                                                                                            |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 294-295  | उत्तराधिकार                         | डोमिनियन, प्रांतों, देशी रियासतों की संपत्ति/दायित्व संघ/राज्यों को अंतरित                             |
| 296      | राजगामी, व्यपगत, बोना वैकेंशिया     | राज्य में स्थित होने पर राज्य में निहित, अन्यथा संघ में                                                |
| 297      | समुद्री संपदा                       | प्रादेशिक जल (12 समुद्री मील), महाद्वीपीय मग्नतट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (200 समुद्री मील) संघ में निहित |
| 298      | व्यापार/कारोबार                     | संघ/राज्य की कार्यपालिका शक्ति उस तक विस्तृत                                                           |
| 299      | संविदाएँ                            | तीन शर्तें                                                                                             |
| 300      | वाद                                 | भारत संघ / राज्य वाद कर सकता है या उस पर वाद किया जा सकता है                                           |
| 361      | राष्ट्रपति, राज्यपालों की उन्मुक्ति | संरक्षण                                                                                                |

- राजगामी: उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु; व्यपगत: अधिकारों की समाप्ति; बोना वैकेंशिया: स्वामिहीन संपत्ति
- 44वाँ संशोधन (1978): अर्जन के लिए प्रतिकर केवल अल्पसंख्यक संस्थाओं और सीमा के भीतर स्वयं कृषित भूमि के लिए (17वाँ संशोधन, 1964)

**संविदाएँ (अनुच्छेद 299)**

- राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा की गई अभिव्यक्त हो
- राष्ट्रपति/राज्यपाल की ओर से निष्पादित
- उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित
- आज्ञापक; पालन न होने पर संविदा शून्य
- राष्ट्रपति, राज्यपाल, निष्पादक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं

**अपकृत्य**

- सरकार पर संविदा में वाद हो सकता है; अपकृत्य में केवल गैर-संप्रभु कृत्यों के लिए (पारंपरिक नियम, 'राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता')
- क्राउन कार्यवाही अधिनियम, 1947 ने ब्रिटेन में उन्मुक्ति समाप्त की

**ऐतिहासिक मामले**

| मामला                                         | वर्ष | निर्णय                                         |
|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| पी. एंड ओ. स्टीम नेविगेशन कंपनी               | 1861 | संप्रभु/गैर-संप्रभु कृत्यों का भेद             |
| कस्तूरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य            | 1964 | संप्रभु उन्मुक्ति की पुनः पुष्टि               |
| एन. नागेंद्र राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य      | 1994 | उन्मुक्ति की आलोचना; उपेक्षा के लिए राज्य दायी |
| कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ                       | 1999 | संप्रभु उन्मुक्ति अस्वीकृत                     |
| आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चल्ला रामकृष्ण रेड्डी | 2000 | कस्तूरीलाल अब बाध्यकारी नहीं                   |

## अधिकारियों के विरुद्ध वाद

## उन्मुक्तियाँ

| अधिकारी             | आधिकारिक कृत्य                                                                                 | व्यक्तिगत कृत्य                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| राष्ट्रपति/राज्यपाल | कार्यकाल के दौरान या बाद में कोई वाद नहीं                                                      | कार्यकाल में कोई आपराधिक कार्यवाही/गिरफ्तारी नहीं; 2 माह के नोटिस के बाद दीवानी वाद |
| मंत्री              | कोई दायित्व नहीं (प्रतिहस्ताक्षर नहीं)                                                         | अपराधों और अपकृत्यों के लिए दायी                                                    |
| न्यायिक अधिकारी     | उन्मुक्त (न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850)                                               | कोई उन्मुक्ति नहीं                                                                  |
| सिविल सेवक          | सरकारी संविदाओं पर दायी नहीं; संप्रभु अपकृत्यों में उन्मुक्त; 2 माह के नोटिस के बाद दीवानी वाद | कर्तव्य के बाहर के कृत्यों के लिए नोटिस आवश्यक नहीं                                 |

- सिविल सेवकों के विरुद्ध आधिकारिक कृत्यों के लिए आपराधिक कार्यवाही हेतु पूर्व मंजूरी आवश्यक

## प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

संविदा: सरकार दायी, अधिकारी नहीं

वाद का नाम: 'भारत संघ', '... राज्य'

राष्ट्रपति/राज्यपाल/सिविल सेवक के विरुद्ध दीवानी वाद: 2 माह के नोटिस

## कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध

- भाग 16, अनुच्छेद 330-342क: अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग, आंग्ल-भारतीय

## वर्गों का विनिर्देशन

| वर्ग                        | अनुच्छेद | किसके द्वारा विनिर्दिष्ट                            | परिवर्तन  |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| अ.जा.                       | 341      | राष्ट्रपति (राज्यपाल से परामर्श)                    | केवल संसद |
| अ.ज.जा.                     | 342      | राष्ट्रपति (राज्यपाल से परामर्श)                    | केवल संसद |
| पिछड़े वर्ग (केंद्रीय सूची) | 342क     | राष्ट्रपति (102वाँ संशोधन 2018; 105वाँ संशोधन 2021) | केवल संसद |

- 105वाँ संशोधन (2021): राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधि द्वारा अपनी अन्य पिछड़ा वर्ग सूचियाँ तैयार कर सकते हैं

## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपबंध

| उपबंध                                     | अनुच्छेद | विवरण                                                     |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| लोक सभा सीटें                             | 330      | जनसंख्या अनुपात                                           |
| विधान सभा सीटें                           | 332      | जनसंख्या अनुपात                                           |
| अवधि                                      | 334      | 2030 तक (104वाँ संशोधन, 2019)                             |
| सेवाएँ और पद                              | 335      | दक्षता बनी रहे; 82वाँ संशोधन (2000): पदोन्नति में शिथिलता |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग              | 338      | संवैधानिक                                                 |
| राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग            | 338क     | 89वाँ संशोधन (2003) द्वारा पृथक्                          |
| अनुसूचित क्षेत्र / अनुसूचित जनजाति कल्याण | 339      | आयोग: देबर (1960), भूरिया (2002)                          |

## पिछड़े वर्ग

| मद                         | विवरण                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग | 1993 में सांविधिक; 102वाँ संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक (अनुच्छेद 338ख) |
| अनुच्छेद 340 आयोग          | पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करता है                                 |
| प्रथम (काका कालेलकर)       | 1953; प्रतिवेदन 1955; कोई कार्रवाई नहीं                                |

| मद                     | विवरण                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| द्वितीय (बी. पी. मंडल) | 1979; प्रतिवेदन 1980; वी. पी. सिंह सरकार द्वारा 1990 में अन्य पिछड़ा वर्ग की नौकरियों में 27% |

- आंग्ल-भारतीय: लोक सभा में 2 मनोनीत (अनुच्छेद 331), विधान सभा में 1 (अनुच्छेद 333); 25 जनवरी 2020 को समाप्त (104वाँ संशोधन)
- सेवाओं में आरक्षण (अनुच्छेद 336) और शैक्षिक अनुदान (अनुच्छेद 337) 1960 में समाप्त
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आंग्ल-भारतीयों को भी आच्छादित करता है (अनुच्छेद 338 का खंड 10)

#### याद रखें

विधायिकाओं में आरक्षण 2030 तक

आंग्ल-भारतीय मनोनयन 2020 में समाप्त

अनुच्छेद 338, 338क, 338ख: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग

सूचियाँ केवल संसद द्वारा बदली जाती हैं

### कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध

- भाग 21 (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध); अनुच्छेद 371 से 371ज बारह राज्यों को आच्छादित करते हैं
- उद्देश्य: पिछड़े क्षेत्र, जनजातीय हित, अशांत क्षेत्र, स्थानीय लोगों के हित

#### अनुच्छेद 371 शृंखला

| अनुच्छेद | राज्य                  | जोड़ा गया                   | प्रमुख उपबंध                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 371      | महाराष्ट्र, गुजरात     | 7वाँ संशोधन 1956            | राज्यपाल का उत्तरदायित्व: पृथक् विकास बोर्ड (विदर्भ, मराठवाड़ा; सौराष्ट्र, कच्छ), न्यायसंगत निधि आवंटन, तकनीकी शिक्षा, नौकरियाँ                                        |
| 371क     | नागालैंड               | 13वाँ, 1962                 | नागा प्रथागत विधि, धर्म, न्याय, भूमि पर संसद के अधिनियमों के लिए विधान सभा की सहमति आवश्यक; कानून-व्यवस्था पर राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व; तुएनसांग प्रादेशिक परिषद |
| 371ख     | असम                    | 22वाँ, 1969                 | जनजातीय क्षेत्र के सदस्यों की विधान सभा समिति                                                                                                                          |
| 371ग     | मणिपुर                 | 27वाँ, 1971                 | पहाड़ी क्षेत्र के सदस्यों की विधान सभा समिति; राज्यपाल का वार्षिक प्रतिवेदन                                                                                            |
| 371घ     | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना | 32वाँ, 1973 (तेलंगाना 2014) | सार्वजनिक नियोजन/शिक्षा में न्यायसंगत अवसर; स्थानीय संवर्ग; प्रशासनिक अधिकरण                                                                                           |
| 371ङ     | आंध्र प्रदेश           | 32वाँ, 1973                 | केंद्रीय विश्वविद्यालय                                                                                                                                                 |
| 371च     | सिक्किम                | 36वाँ, 1975                 | विधान सभा न्यूनतम 30; लोक सभा की 1 सीट; शांति के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व                                                                                    |
| 371छ     | मिजोरम                 | 53वाँ, 1986                 | मिज़ो प्रथागत विधि, धर्म, न्याय, भूमि के लिए विधान सभा की सहमति आवश्यक; विधान सभा न्यूनतम 40                                                                           |
| 371ज     | अरुणाचल प्रदेश         | 55वाँ, 1986                 | कानून-व्यवस्था के लिए राज्यपाल का उत्तरदायित्व; विधान सभा न्यूनतम 30                                                                                                   |
| 371झ     | गोवा                   | 56वाँ, 1987                 | विधान सभा न्यूनतम 30                                                                                                                                                   |
| 371ञ     | कर्नाटक                | 98वाँ, 2012                 | हैदराबाद-कर्नाटक विकास बोर्ड; क्षेत्र के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण                                                                                             |

**याद रखें**

प्रथागत विधि का संरक्षण: नागालैंड, मिजोरम

कानून-व्यवस्था: नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश

विधान सभा का न्यूनतम आकार: सिक्किम 30, मिजोरम 40, अरुणाचल 30, गोवा 30

कर्नाटक 371ज: 98वाँ संशोधन

## अध्याय 13

# राजनीतिक गतिकी: दल, चुनाव, सुधार, दल-बदल विरोध

## राजनीतिक दल

### प्रकार और दलीय प्रणालियाँ

- विचारधारा के प्रकार: प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी (दक्षिणपंथी); उदारवादी (मध्यमार्गी); उग्र सुधारवादी (वामपंथी)
- भारत: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) = वामपंथी; कांग्रेस = मध्यमार्गी; भारतीय जनता पार्टी = दक्षिणपंथी
- एकदलीय: पूर्व सोवियत संघ; द्विदलीय: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन; बहुदलीय: फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, भारत

### भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषताएँ

- बहुदलीय; विश्व में दलों की सर्वाधिक संख्या
- एक प्रभुत्वशाली दल: रजनी कोठारी की 'कांग्रेस प्रणाली'; 1967 के बाद प्रभुत्व घटा
- दलों में अपने घोषणा-पत्रों में घोषित विचारधारा के अनुसार भेद; वर्गीकरण: राष्ट्रीय बनाम राज्य, वैचारिक, क्षेत्रीय, जाति/समुदाय-आधारित, व्यक्ति-केंद्रित (दलों का कोई क्रम नहीं)
- व्यक्ति-पूजा; धर्म, जाति, भाषा पर आधारित दल
- 1967 के चुनावों के बाद दल-बदल आम; कोई प्रभावी राष्ट्रीय विपक्ष नहीं

### प्रमुख दलों का गठन

| दल                                                                   | संस्थापक                                  | वर्ष |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस                                            | ए. ओ. ह्यूम                               | 1885 |
| शिरोमणि अकाली दल                                                     | –                                         | 1920 |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी                                             | एम. एन. रॉय                               | 1925 |
| जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस                                        | शेख अब्दुल्ला                             | 1939 |
| द्रविड़ मुनेत्र कड़गम                                                | सी. एन. अन्नादुरई                         | 1949 |
| भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)                               | –                                         | 1964 |
| शिव सेना                                                             | बाल ठाकरे                                 | 1966 |
| अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम                              | एम. जी. रामचंद्रन                         | 1972 |
| भारतीय जनता पार्टी                                                   | ए. बी. वाजपेयी और एल. के. आडवाणी          | 1980 |
| तेलुगु देशम पार्टी                                                   | एन. टी. रामा राव                          | 1982 |
| बहुजन समाज पार्टी                                                    | कांशीराम                                  | 1984 |
| असम गण परिषद                                                         | पी. के. महंत                              | 1985 |
| समाजवादी पार्टी                                                      | मुलायम सिंह यादव                          | 1992 |
| राष्ट्रीय जनता दल / बीजू जनता दल                                     | लालू प्रसाद यादव / नवीन पटनायक            | 1997 |
| अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस                                          | ममता बनर्जी                               | 1998 |
| राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी                                          | शरद पवार, पी. ए. संगमा, तारिक अनवर        | 1999 |
| जनता दल (यूनाइटेड) / जनता दल (सेक्युलर) / पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | शरद यादव / देवेगौड़ा / मुफ्ती मोहम्मद सईद | 1999 |
| लोक जनशक्ति पार्टी                                                   | राम विलास पासवान                          | 2000 |
| तेलंगाना राष्ट्र समिति (अब भारत राष्ट्र समिति)                       | के. चंद्रशेखर राव                         | 2001 |
| वाईएसआर कांग्रेस पार्टी                                              | वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी                  | 2011 |
| आम आदमी पार्टी                                                       | अरविंद केजरीवाल                           | 2012 |
| नेशनल पीपुल्स पार्टी                                                 | पी.ए. संगमा                               | 2013 |

## दलों की मान्यता

- निर्वाचन आयोग दलों का पंजीकरण करता है; मतदान प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय/राज्य दलों को मान्यता देता है; अन्य पंजीकृत-अमान्यताप्राप्त होते हैं
- शासी आदेश: निर्वाचन चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968
- मान्यता से आरक्षित चिह्न, राज्य मीडिया पर निःशुल्क प्रसारण समय, निःशुल्क निर्वाचक नामावलियाँ मिलती हैं
- पंजीकृत-अमान्यताप्राप्त दल 'मुक्त चिह्नों' में से चुनता है

### मान्यता की शर्तें (कोई एक)

| स्थिति    | शर्त                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| राष्ट्रीय | 4 या अधिक राज्यों में (लोक सभा या विधान सभा) 6% वैध मत और 4 लोक सभा सीटें |
| राष्ट्रीय | कम से कम 3 राज्यों से लोक सभा की 2% सीटें                                 |
| राष्ट्रीय | 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त                         |
| राज्य     | विधान सभा चुनाव में 6% मत और 2 विधान सभा सीटें                            |
| राज्य     | राज्य से लोक सभा चुनाव में 6% मत और 1 लोक सभा सीट                         |
| राज्य     | विधान सभा की 3% सीटें या 3 सीटें, जो भी अधिक हों                          |
| राज्य     | राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों पर 1 लोक सभा सीट                        |
| राज्य     | राज्य में कुल वैध मतों का 8% (लोक सभा या विधान सभा)                       |

- 1952: 14 राष्ट्रीय और 39 राज्य दल; 2019: 7 राष्ट्रीय दल
- 2023 की समीक्षा: आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बनी; अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दर्जा समाप्त
- वर्तमान राष्ट्रीय दल: भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी

### याद रखें

कोठारी का शब्द: 'कांग्रेस प्रणाली' (एक-दलीय प्रभुत्व)

भारतीय जनता पार्टी 1980; बहुजन समाज पार्टी 1984; समाजवादी पार्टी 1992; आम आदमी पार्टी 2012

संस्थापक: ह्यूम (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस), एम. एन. रॉय (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी), कांशीराम (बहुजन समाज पार्टी)

## क्षेत्रीय दलों की भूमिका

- विशेषताएँ: एक राज्य/क्षेत्र में कार्यरत; क्षेत्रीय सांस्कृतिक/भाषायी/जातीय हितों की अभिव्यक्ति; अधिक स्वायत्तता की माँग

### क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण

| आधार                                                 | उदाहरण                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्षेत्रीय संस्कृति या जातीयता                        | अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तेलुगु देशम पार्टी, शिव सेना, असम गण परिषद |
| अखिल भारतीय दृष्टिकोण, राष्ट्रीय आधार नहीं           | समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी                                                  |
| राष्ट्रीय दलों से टूटकर बने                          | बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल, वाईएसआर कांग्रेस                                     |
| करिश्माई व्यक्तिगत नेता (व्यक्ति-केंद्रित; अल्पजीवी) | नेता-आधारित दल                                                                                |

- कारण: सांस्कृतिक बहुलता, क्षेत्रीय असंतुलन, भाषायी पुनर्गठन, कांग्रेस की विफलता और केंद्रीकरण, कमज़ोर राष्ट्रीय विपक्ष, करिश्माई नेता

### भूमिका बनाम दुष्प्रभाव

| भूमिका                                              | दुष्प्रभाव                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| एक-दलीय प्रभुत्व को चुनौती दी                       | राष्ट्रीय हित की तुलना में क्षेत्रीय हित |
| केंद्र-राज्य संबंधों में राज्यों को अधिक स्वायत्तता | क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद को बढ़ावा   |
| तृणमूल स्तर पर सहभागिता                             | अनसुलझे जल और सीमा विवाद                 |
| केंद्र पर अंकुश                                     | लोकलुभावन योजनाएँ                        |
| राज्यपालों की पक्षपातपूर्ण भूमिका को उजागर किया     | गठबंधन केंद्र पर दबाव; भ्रष्टाचार        |
| गठबंधनों में सत्ता की साझेदारी                      | —                                        |

## चुनाव

### संवैधानिक उपबंध (अनुच्छेद 324-329, भाग 15)

#### चुनाव संबंधी अनुच्छेद

| अनुच्छेद | विषय                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 324      | चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित       |
| 325      | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली से अपवर्जन नहीं |
| 326      | लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार                |
| 327      | निर्वाचन विधियाँ बनाने की संसद की शक्ति                              |
| 328      | राज्य विधानमंडल की शक्ति (केवल संसद की विधि की अनुपूरक)              |
| 329      | न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक (परिसीमन, सीट आवंटन)                    |
| 329क     | प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के निर्वाचन (निरसित)                         |

- भारत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों का पर्यवेक्षण करता है
- पंचायत और नगरपालिका चुनाव: पृथक् राज्य निर्वाचन आयोग
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य निर्वाचक नामावली; सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल समाप्त
- मतदान आयु 21 से 18: 61वाँ संशोधन (1988); 28 मार्च 1989 से प्रवृत्त
- निर्वाचन याचिका: उच्च न्यायालय (1966 से); अपील केवल उच्चतम न्यायालय में
- अनुच्छेद 323ख: निर्वाचन अधिकरण (कोई स्थापित नहीं); खंड 3(घ) एल. चंद्र कुमार (1997) में निरस्त
- भारत निर्वाचन आयोग: तीन सदस्य (मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त); 2023 के अधिनियम के अधीन प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर नियुक्त

### निर्वाचन तंत्र

#### निर्वाचन अधिकारी

| अधिकारी                       | कार्य                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी        | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में चुनाव का पर्यवेक्षण करता है                         |
| जिला निर्वाचन अधिकारी         | जिले में चुनाव का पर्यवेक्षण करता है; पीठासीन और मतदान अधिकारी नियुक्त करता है |
| रिटर्निंग अधिकारी             | निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव संचालित करता है                                     |
| निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी | निर्वाचक नामावली तैयार करता है                                                 |
| पीठासीन अधिकारी               | मतदान केंद्र पर मतदान संचालित करता है                                          |

- प्रेक्षक: सामान्य, वय, पुलिस (भारतीय पुलिस सेवा) प्रेक्षक

### निर्वाचन प्रक्रिया

- कार्यकाल 5 वर्ष; लोक सभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं
- आदर्श आचार संहिता कार्यक्रम की घोषणा से प्रभावी (1968 में सहमति; पहली बार प्रभावी रूप से 1991 में प्रयुक्त)
- नामांकन: एक सप्ताह; संवीक्षा के 2 दिन के भीतर नाम वापसी; प्रचार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले समाप्त
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें: 1998 में प्रयोग (राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली); पूरा राज्य गोवा 1999; सभी उप-चुनाव 2003; लोक सभा 2004
- मतदान केंद्र 2 किमी के भीतर; अधिकतम 1200 मतदाता; 8 घंटे खुला; स्याही बाँट हाथ की तर्जनी पर
- अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक निर्गम सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) के परिणाम प्रतिबंधित; जनमत सर्वेक्षण मतदान से 2 दिन पहले प्रतिबंधित
- सर्वाधिक मत प्रणाली, एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र; गुप्त मतदान

#### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

मतदान आयु में कटौती: 61वाँ संशोधन (1988)  
 निर्वाचन याचिका: उच्च न्यायालय; अपील केवल उच्चतम न्यायालय में  
 परिसीमन आदेश: न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं (अनुच्छेद 329)

## लोक सभा चुनाव

| निर्वाचन                  | सीटें | प्रमुख परिणाम                        |
|---------------------------|-------|--------------------------------------|
| पहली (1952)               | 489   | कांग्रेस 364                         |
| चौथी (1967)               | 520   | कांग्रेस 283                         |
| पाँचवीं (1971)            | 518   | कांग्रेस 352                         |
| छठी (1977)                | 542   | जनता पार्टी 298, कांग्रेस 154        |
| ग्यारहवीं (1996)          | 543   | भारतीय जनता पार्टी 161, कांग्रेस 140 |
| बारहवीं/तेरहवीं (1998/99) | 543   | भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक में 182  |
| चौदहवीं (2004)            | 543   | कांग्रेस 145, भारतीय जनता पार्टी 138 |
| पंद्रहवीं (2009)          | 543   | कांग्रेस 206                         |
| सोलहवीं (2014)            | 543   | भारतीय जनता पार्टी 282, कांग्रेस 44  |
| सत्रहवीं (2019)           | 543   | भारतीय जनता पार्टी 303, कांग्रेस 52  |
| अठारहवीं (2024)           | 543   | भारतीय जनता पार्टी 240, कांग्रेस 99  |

## निर्वाचन विधियाँ

### लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

| अधिनियम                       | उपबंध                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 | सीटों का आवंटन; राष्ट्रपति द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के साथ परिसीमन; निर्वाचक नामावलियाँ; निर्वाचन अधिकारी; सिविल न्यायालयों पर रोक |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 | चुनावों का संचालन; सदस्यों की अर्हताएँ और निरर्हताएँ; दलों का पंजीकरण                                                               |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 | भ्रष्ट आचरण और अपराध; निर्वाचन याचिकाएँ (उच्च न्यायालय, अपील उच्चतम न्यायालय में); उप-चुनाव; चुनाव व्यय                             |

- परिसीमन अधिनियम: 1952, 1962, 1972, 2002 (2002 का अधिनियम 2001 की जनगणना पर आधारित)

### अन्य निर्वाचन विधियाँ

| नाम                                               | उपबंध                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959              | कुछ लाभ के पदों को छूट देता है         |
| राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 | राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन |
| निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960             | निर्वाचक नामावलियाँ                    |
| निर्वाचन संचालन नियम, 1961                        | चुनावों का संचालन                      |
| निर्वाचन चिह्न आदेश, 1968                         | चिह्न और दलों की मान्यता               |
| राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1992          | पंजीकरण के लिए अतिरिक्त विवरण          |
| आस्तियों और दायित्वों की घोषणा नियम, 2004         | लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य          |
| राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974    | 1952 के नियमों का स्थान लिया           |

## चुनाव सुधार

### निर्वाचन सुधार समितियाँ

| समिति / आयोग                                      | वर्ष |
|---------------------------------------------------|------|
| तारकुंडे समिति (अनौपचारिक, जे. पी. नारायण द्वारा) | 1974 |
| दिनेश गोस्वामी समिति                              | 1990 |
| वोहरा समिति (अपराध-राजनीति गठजोड़)                | 1993 |

| समिति / आयोग                                                    | वर्ष       |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| इंद्रजीत गुप्त समिति (राज्य द्वारा वित्तपोषण; 8 सदस्य)          | 1998       |
| विधि आयोग का 170वाँ प्रतिवेदन                                   | 1999       |
| संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (वेंकटचलैया) | 2000-02    |
| द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग - शासन में नैतिकता (वीरप्पा मोइली) | 2007       |
| टंखा समिति                                                      | 2010       |
| जे. एस. वर्मा समिति (आपराधिक विधि)                              | 2013       |
| विधि आयोग का 244वाँ (निरहताएँ) और 255वाँ (निर्वाचन सुधार)       | 2014, 2015 |

## 1996 से पूर्व

- मतदान आयु 21 से 18 (61वाँ संशोधन, 1988)
- 1989: निर्वाचन कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर भारत निर्वाचन आयोग में; इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का विधिक उपबंध; बूथ पर कब्जे पर मतदान स्थगित
- 1989: राज्य सभा/परिषद के प्रस्तावक: निर्वाचकों का 10% या 10 निर्वाचक, जो भी कम हो
- 1993: निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने का भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय

## 1996 के सुधार (गोस्वामी समिति)

- अभ्यर्थियों की सूची: मान्यता प्राप्त दल, पंजीकृत-अमान्यताप्राप्त, निर्दलीय
- राष्ट्रध्वज, संविधान के अपमान या राष्ट्रगान में बाधा के लिए दोषसिद्धि: 6 वर्ष के लिए निरहता
- मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले मतदान क्षेत्र में मद्य की बिक्री नहीं
- प्रस्तावक: निर्दलीयों के लिए 10 निर्वाचक; मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थियों के लिए 1
- अभ्यर्थी की मृत्यु: चुनाव रद्द नहीं; मान्यता प्राप्त दल 7 दिन में दूसरा नामित कर सकता है
- उप-चुनाव 6 माह के भीतर (अपवाद: शेष कार्यकाल 1 वर्ष से कम; भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कठिनाई प्रमाणित)
- मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश; प्रति अभ्यर्थी अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्र
- मतदान केंद्र के निकट शस्त्र: संज्ञेय अपराध
- नाम वापसी और मतदान के बीच का अंतराल 20 से घटाकर 14 दिन

## 1996 के बाद

### 1996 के बाद के सुधार

| वर्ष      | सुधार                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1997      | राष्ट्रपति: 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक (10 से बढ़ाकर); उपराष्ट्रपति: 20 (5 से); जमानत राशि 2,500 रुपये से 15,000 रुपये |
| 1998      | निर्वाचन कार्य के लिए स्थानीय निकायों, बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की अध्यपेक्षा     |
| 1999      | अधिसूचित वर्गों के लिए डाक मतपत्र                                                                                      |
| 2003      | सशस्त्र बलों के सेवा मतदाताओं के लिए प्रतिनिधि द्वारा मतदान                                                            |
| 2003      | राज्य सभा: अधिवास की अपेक्षा समाप्त; खुला मतपत्र (मतपत्र दल के एजेंट को दिखाना)                                        |
| 2003      | मान्यता प्राप्त दलों को निःशुल्क निर्वाचक नामावलियाँ; न्यायसंगत मीडिया समय                                             |
| 2003      | सरकारी कंपनी को छोड़कर किसी से भी अंशदान; 20,000 रुपये से अधिक पर प्रतिवेदन                                            |
| 2003      | भारत निर्वाचन आयोग का आदेश: अभ्यर्थी आपराधिक मामले, आस्तियाँ, दायित्व, शिक्षा घोषित करें                               |
| 2004/2009 | इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों पर ब्रेल: आसिफनगर उप-चुनाव 2004 में प्रयोग; लोक सभा 2009                                     |

- प्रकटीकरण: 2 या अधिक वर्ष के दंड वाला लंबित मामला, जिसमें आरोप तय हो चुके हों; झूठा शपथ-पत्र निर्वाचन अपराध है

**2010 से****2010 के बाद के सुधार**

| सुधार                                                     | विवरण                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| निर्गम सर्वेक्षण (एक्ज़िट पोल) पर प्रतिबंध                | लोक प्रतिनिधित्व संशोधन 2009, 1 फरवरी 2010 से प्रभावी                     |
| प्रतिभूति जमा (लोक सभा)                                   | सामान्य 25,000 रुपये; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 12,500 रुपये          |
| प्रतिभूति जमा (विधान सभा)                                 | सामान्य 10,000 रुपये; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 5,000 रुपये           |
| निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें | जिला मजिस्ट्रेट को; आगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को                         |
| अनिवासी भारतीयों का मतदान                                 | 2010 का संशोधन                                                            |
| ऑनलाइन पंजीकरण                                            | 2013                                                                      |
| नोटा (इनमें से कोई नहीं)                                  | उच्चतम न्यायालय का निर्देश; 2013 के राज्य चुनाव; लोक सभा 2014             |
| वीवीपैट (मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल)            | पहली बार नोकसेन (नागालैंड) उप-चुनाव 2013 में; पच्ची 7 सेकंड दिखाई देती है |
| इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों पर अभ्यर्थियों के चित्र         | 1 मई 2015 से                                                              |
| नकद चंदा                                                  | गुमनाम सीमा 20,000 रुपये से 2,000 रुपये (2017)                            |
| कॉर्पोरेट चंदा                                            | 7.5% शुद्ध लाभ की सीमा हटाई गई (2017)                                     |
| विदेशी वित्तपोषण                                          | अनुमत; विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 संशोधित (2018)                |

- नोटा: सर्वाधिक मत पाने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित, भले ही नोटा के मत अधिक हों
- भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता: मामला 3 माह के भीतर राष्ट्रपति को

**निरर्हता पर ऐतिहासिक मामले (2013)**

| मामला                                 | निर्णय                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम जन चौकीदार | जेल में बंद व्यक्ति निर्वाचक नहीं; चुनाव नहीं लड़ सकते (2013 के लोक प्रतिनिधित्व संशोधन द्वारा निष्प्रभावी) |
| लिली थॉमस बनाम भारत संघ               | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) निरस्त; दोषसिद्ध सांसद/विधायक तत्काल निरर्ह                           |

**निर्वाचन बॉण्ड**

- 2018 में अधिसूचित; क्रेता के नाम के बिना वाहक लिखत
- क्रेता: भारतीय नागरिक या संस्थाएँ; पात्र दल: पिछले चुनाव में कम से कम 1% मत
- मूल्य-वर्ग: 1,000 रुपये; 10,000; 1 लाख; 10 लाख; 1 करोड़
- फरवरी 2024 में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराकर निरस्त किया

**निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021**

- निर्वाचक नामावली आधार से संबद्ध
- चार अर्हक तिथियाँ: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर
- सेवा मतदाताओं के लिए 'पत्नी' के स्थान पर 'पति/पत्नी'
- मतगणना और इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के भंडारण के लिए परिसरों की व्यापक अध्यपेक्षा

**याद रखें**

राज्य सभा में खुला मतपत्र: 2003; डाक मतपत्र: 1999; प्रतिनिधि द्वारा मतदान (सेवा मतदाता): 2003  
अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्र: 1996; नोटा 2013; वीवीपैट पहली बार नोकसेन 2013  
गोस्वामी समिति (1990) से 1996 के सुधार हुए

**मतदान व्यवहार**

- सेफोलॉजी (निर्वाचन विज्ञान): मतदान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन
- निर्धारक: जाति (स्थानीय स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण), धर्म, भाषा, क्षेत्र, व्यक्तित्व, धन, सत्तारूढ़ दल का कार्य-निष्पादन (सत्ता-विरोधी रुझान), दल-निष्ठा, विचारधारा

- लहर वाला चुनाव (पॉल ब्रास): किसी राष्ट्रीय दल या नेता की ओर एकदिशीय प्रवृत्ति; धन अप्रभावी
- कोठारी: 'भारतीय राजनीति जातिवादी है और जाति का राजनीतिकरण हो गया है'

## गठबंधन सरकार

- गठबंधन: साझा कार्यक्रम पर विभिन्न दलों का गठजोड़; विशेषताएँ: न्यूनतम कार्यक्रम, व्यावहारिकता, समझौता, सत्ता
- कांग्रेस ने पहले चार लोक सभा चुनाव (1952-67) बहुमत से जीते; 1969 का विभाजन: बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार

### केंद्र में गठबंधन सरकारें

| अवधि      | गठबंधन                                                     | प्रधानमंत्री     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 1977-79   | जनता पार्टी                                                | मोरारजी देसाई    |
| 1979-80   | जनता पार्टी (सेक्युलर)                                     | चरण सिंह         |
| 1989-90   | राष्ट्रीय मोर्चा                                           | वी.पी. सिंह      |
| 1990-91   | जनता दल (समाजवादी)                                         | चंद्रशेखर        |
| 1996-97   | संयुक्त मोर्चा                                             | एच.डी. देवेगौड़ा |
| 1997-98   | संयुक्त मोर्चा                                             | आई. के. गुजराल   |
| 1998-99   | भारतीय जनता पार्टी-नीत                                     | ए. बी. वाजपेयी   |
| 1999-2004 | राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन                                | ए. बी. वाजपेयी   |
| 2004-14   | संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-द्वितीय | मनमोहन सिंह      |
| 2014-     | राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (2024 के बाद पुनः गठबंधन)      | नरेंद्र मोदी     |

- बाहरी समर्थन: चरण सिंह, चंद्रशेखर, गुजराल को कांग्रेस; वी. पी. सिंह को भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल; संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-प्रथम को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

### गुण बनाम दोष

| गुण                             | दोष                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| विविध हितों को समायोजित करता है | अस्थिरता                                                      |
| सहमति-आधारित निर्णय             | प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सीमित करता है ('अति-प्रधानमंत्री') |
| संघवाद को सुदृढ़ करता है        | समन्वय समिति 'अति-मंत्रिमंडल' के रूप में                      |
| निरंकुशता घटाता है              | छोटे साझेदार 'किंग-मेकर' के रूप में                           |
| -                               | 'विशाल मंत्रिपरिषद' (वाजपेयी 1999: 70+)                       |

## दल-बदल विरोधी कानून

- 52वाँ संशोधन (1985): दसवीं अनुसूची; अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में परिवर्तन
- 91वाँ संशोधन (2003): विभाजन (एक-तिहाई) की छूट हटाई गई

### दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता

| सदस्य       | निरर्ह यदि                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| दल का सदस्य | स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दे                                                                |
| दल का सदस्य | अनुमति के बिना सचेतक के विरुद्ध मतदान करे/मतदान से विरत रहे और 15 दिन में क्षमा न किया जाए |
| निर्दलीय    | निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो                                                       |
| मनोनीत      | सीट ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी दल में शामिल हो                                           |

- अपवाद: विलय (विधायक दल के दो-तिहाई सहमत); पीठासीन अधिकारी द्वारा दल छोड़ना/पुनः शामिल होना
- निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है; कोई समय-सीमा नहीं
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992): अंतिमता खंड अमान्य; पीठासीन अधिकारी अधिकरण के रूप में कार्य करता है; न्यायिक पुनर्विलोकन अनुमत
- नियम पीठासीन अधिकारी द्वारा बनाए जाते हैं; 30 दिन के लिए सदन के समक्ष रखे जाते हैं

**91वाँ संशोधन: मंत्री**

| स्तर  | सीमा                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------|
| संघ   | लोक सभा का अधिकतम 15% (प्रधानमंत्री सहित)              |
| राज्य | विधान सभा का अधिकतम 15% (मुख्यमंत्री सहित); न्यूनतम 12 |

- दल-बदलू मंत्री पद और किसी भी पारिश्रमिक वाले राजनीतिक पद के लिए निरह

**याद रखें**

दसवीं अनुसूची: 52वाँ (1985); विभाजन की छूट हटी: 91वाँ (2003)  
विलय के लिए दो-तिहाई आवश्यक; मनोनीत सदस्य के पास 6 माह  
मंत्रियों की सीमा 15%, राज्यों में न्यूनतम 12

**दबाव समूह**

- यह शब्द अमेरिका से लिया गया; हित समूह भी कहलाते हैं; चुनाव नहीं लड़ते
- ओडेगार्ड की तकनीकें: चुनाव-प्रचार, पैरवी (लॉबिंग), प्रचार-प्रसार

**भारत में दबाव समूह**

| श्रेणी           | उदाहरण                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| व्यापारिक        | FICCI, ASSOCHAM, FAIFDA, AIMO                                                                                                                                                                                                                          |
| श्रमिक संघ       | अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी), भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (कांग्रेस), हिंद मजदूर सभा (समाजवादी), भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)), भारतीय मजदूर संघ (भारतीय जनता पार्टी) |
| कृषक             | भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा (सबसे पुरानी, सबसे बड़ी), शेतकरी संगठन                                                                                                                                                                      |
| व्यावसायिक       | भारतीय चिकित्सा संघ, भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ, AIFUCT                                                                                                                                                                      |
| छात्र            | अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (भारतीय जनता पार्टी), अखिल भारतीय छात्र संघ (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी), भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (कांग्रेस), भारतीय छात्र संघ (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी))                                                |
| धार्मिक          | विश्व हिंदू परिषद, जमात-ए-इस्लामी, अकाली दल                                                                                                                                                                                                            |
| जातिगत           | नादर संघ, हरिजन सेवक संघ, क्षत्रिय महासभा                                                                                                                                                                                                              |
| जनजातीय          | नागालैंड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद, जनजातीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक, संयुक्त मिज़ो मुक्ति संगठन                                                                                                                                                             |
| विचारधारा-आधारित | नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको, गांधी शांति प्रतिष्ठान                                                                                                                                                                                                      |
| अनौमिक (अराजक)   | नक्सलवादी, जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा, असम का संयुक्त मुक्ति मोर्चा, दल खालसा                                                                                                                                                                          |

- व्यापारिक समूह: सर्वाधिक शक्तिशाली
- अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस: 1920; प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय

**राष्ट्रीय एकता****बाधाएँ**

| बाधा          | अभिव्यक्तियाँ                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्षेत्रवाद    | अलगाव (खालिस्तान, द्रविड़ नाडु); राज्य का दर्जा (बोडोलैंड, विदर्भ, गोरखालैंड); सीमा विवाद (चंडीगढ़, बेलगाम); नदी विवाद (कावेरी, कृष्णा, रावी-ब्यास); 'भूमिपुत्र' |
| सांप्रदायिकता | जुड़ें 1909, 1919, 1935 के अधिनियमों में; धर्म-आधारित दल; अयोध्या में ढाँचा 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त                                                              |

| बाधा    | अभिव्यक्तियाँ                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जातिवाद | जातिगत दल (जस्टिस पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी); जाति-आधारित टिकट; आरक्षण आंदोलन |
| भाषावाद | भाषायी राज्य; राजभाषा विवाद                                                                     |

- प्रथम भाषायी राज्य: आंध्र (1953)
- राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55): फज़ल अली, के. एम. पणिक्कर, एच. एन. कुंजरू
- राजभाषा अधिनियम 1963: हिंदी राजभाषा; अंग्रेज़ी सहायक भाषा
- तमिलनाडु: द्विभाषा नीति, त्रिभाषा सूत्र अस्वीकार
- जातिगत प्रतिद्वंद्विताएँ: कम्मा-रेड्डी (आंध्र), लिंगायत-वोक्कालिगा (कर्नाटक), नायर-एझावा (केरल), बनिया-पाटीदार (गुजरात), जाट-अहीर (हरियाणा)

### एकीकरण निकाय

| निकाय                                   | वर्ष                  | विवरण                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| राष्ट्रीय एकता परिषद                    | 1961 (पहली बैठक 1962) | प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में; मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता; 16 बैठकें (16वीं 2013 में) |
| राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान | 1992                  | स्वायत्त, गृह मंत्रालय के अधीन; हिंसा के बाल पीड़ितों को सहायता                          |

## विदेश नीति

### भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत

| सिद्धांत              | मुख्य तथ्य                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विश्व शांति           | अनुच्छेद 51 (राज्य के नीति निदेशक तत्त्व)                                                                                |
| उपनिवेशवाद-विरोध      | इंडोनेशिया, अल्जीरिया, घाना, नामीबिया को समर्थन                                                                          |
| नस्लवाद-विरोध         | 1954 में दक्षिण अफ्रीका से संबंध विच्छेद; 1994 में बहाल                                                                  |
| गुटनिरपेक्षता         | कोई सैन्य गठबंधन नहीं; स्वतंत्र दृष्टिकोण                                                                                |
| पंचशील                | तिब्बत पर 1954 की भारत-चीन संधि (नेहरू, चाउ एन-लाई)                                                                      |
| अफ्रीकी-एशियाई झूकाव  | एशियाई संबंध सम्मेलन 1947; बांडुंग 1955                                                                                  |
| राष्ट्रमंडल           | 1949 से जारी; राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक, नई दिल्ली 1983                                                               |
| संयुक्त राष्ट्र संगठन | 1945 से सदस्य; विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष                                              |
| निरस्त्रीकरण          | छह-राष्ट्र शिखर सम्मेलन 1985; परमाणु अप्रसार संधि (1968) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (1996) पर हस्ताक्षर नहीं |

- पंचशील: प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता; अनाक्रमण; अहस्तक्षेप; समानता और पारस्परिक लाभ; शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
- 77 का समूह (1964); 15 का समूह (1990); दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (1985); बिस्मटेक और हिंद महासागर रिम संघ (1997)

### गुजराल सिद्धांत (1996)

- देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री आई. के. गुजराल द्वारा प्रतिपादित
- पाँच सिद्धांत: छोटे पड़ोसियों (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका) से पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं; किसी का भू-भाग दूसरे के विरुद्ध प्रयुक्त न हो; अहस्तक्षेप; प्रादेशिक अखंडता का सम्मान; द्विपक्षीय शांतिपूर्ण समाधान

### परमाणु सिद्धांत

- विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध; पहले प्रयोग नहीं; व्यापक प्रतिशोध
- केवल नागरिक नेतृत्व द्वारा परमाणु कमान प्राधिकरण के माध्यम से प्राधिकृत
- गैर-परमाणु राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु प्रयोग नहीं; जैविक/रासायनिक हमले की स्थिति में विकल्प

### परमाणु कमान प्राधिकरण

| परिषद    | अध्यक्ष      | कार्य                                      |
|----------|--------------|--------------------------------------------|
| राजनीतिक | प्रधानमंत्री | प्रयोग को प्राधिकृत करने का एकमात्र अधिकार |

| परिषद       | अध्यक्ष                   | कार्य                                         |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| कार्यपालिका | राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार | सलाह देता है और निर्देशों का निष्पादन करता है |

## क्षेत्रीय नीतियाँ

### कनेक्ट सेंट्रल एशिया और एक्ट ईस्ट

| नीति                 | वर्ष | मुख्य तथ्य                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कनेक्ट सेंट्रल एशिया | 2012 | पाँच गणराज्य: कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान; शंघाई सहयोग संगठन, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा; बिश्केक में विश्वविद्यालय |
| लुक ईस्ट             | 1992 | पी.वी. नरसिम्हा राव                                                                                                                                                           |
| एक्ट ईस्ट            | 2014 | मोदी सरकार; एशिया-प्रशांत, आसियान; पूर्वोत्तर संपर्क-सेतु के रूप में                                                                                                          |

### याद रखें

गुजराल सिद्धांत 1996: पारस्परिकता का अभाव; लुक ईस्ट 1992, 2014 में नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पंचशील 1954; परमाणु कमान प्राधिकरण की राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं

## संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग

- 2000 में गठित; 11 सदस्य; अध्यक्ष एम. एन. वेकटचलैया; प्रतिवेदन 2002
- सदस्य: बी. पी. जीवन रेड्डी, आर. एस. सरकारिया, के. पुन्नैया, सोली सोराबजी, के. परासरन, सुभाष कश्यप, सी. आर. ईरानी, आबिद हुसैन, सुमित्रा कुलकर्णी, पी. ए. संगमा (त्यागपत्र दिया)
- केवल अनुशासनात्मक; मूल ढाँचे और संसदीय लोकतंत्र के भीतर
- 249 सिफारिशें: 58 संवैधानिक संशोधन, 86 विधायी, 105 कार्यकारी

### सिफारिशें: अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व

| क्षेत्र         | सिफारिश                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 15, 16 | जातीय/सामाजिक मूल, राजनीतिक मत, संपत्ति, जन्म जोड़ें                                                                                                                |
| अनुच्छेद 19     | प्रेस की स्वतंत्रता शामिल करें                                                                                                                                      |
| नए अधिकार       | यातना के विरुद्ध; अवैध वंचन के लिए प्रतिकर; देश छोड़ने और लौटने का अधिकार; निजता; ग्रामीण मजदूरी रोज़गार 80 दिन; शीघ्र न्याय; निःशुल्क विधिक सहायता; सुरक्षित पेयजल |
| अनुच्छेद 21क    | 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा; लड़कियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 18 वर्ष तक                                                                             |
| अनुच्छेद 22     | निवारक निरोध अधिकतम 6 माह; बोर्ड: अध्यक्ष + 2 सेवारत उच्च न्यायालय न्यायाधीश                                                                                        |
| अनुच्छेद 25     | सिक्ख, जैन, बौद्ध धर्म पृथक् धर्म                                                                                                                                   |
| अनुच्छेद 31ख    | नौवीं अनुसूची केवल कृषि सुधार, आरक्षण, अनुच्छेद 39(ख)/(ग) के लिए                                                                                                    |
| आपातकाल         | अनुच्छेद 17, 23, 24, 25, 32 निलंबित नहीं किए जा सकते                                                                                                                |
| भाग 4           | नाम बदलकर 'राज्य के नीति निदेशक तत्व और कार्रवाई' करें; जनसंख्या नियंत्रण; प्रत्येक 5 वर्ष में शिक्षा आयोग; अंतर-धार्मिक आयोग                                       |
| अनुच्छेद 51क    | कर्तव्य: मतदान और कर चुकाना; उत्तरदायी अभिभावकत्व; उद्योग कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा दें                                                                       |

### सिफारिशें: संसद और कार्यपालिका

| क्षेत्र     | सिफारिश                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| विशेषाधिकार | अनुच्छेद 105/194 की उन्मुक्ति भ्रष्ट कृत्यों के लिए नहीं |

| क्षेत्र                           | सिफारिश                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| राज्य सभा                         | अधिवास की अपेक्षा बनाए रखें                                    |
| सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | बंद करें                                                       |
| समितियाँ                          | स्थायी संविधान समिति; विधायन समिति                             |
| बैठकें                            | लोक सभा 120 दिन; राज्य सभा 100 दिन                             |
| त्रिशंकु संसद                     | लोक सभा नेता चुनती है; राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है |
| अविश्वास                          | रचनात्मक मत; सूचना 20% सदस्यों द्वारा                          |
| मंत्रिपरिषद्                      | निचले सदन का अधिकतम 10%                                        |
| लोकपाल                            | प्रधानमंत्री दायरे से बाहर; लोकायुक्त                          |
| सिविल सेवाएँ                      | संयुक्त सचिव से ऊपर पार्श्व प्रवेश; सिविल सेवा बोर्ड           |

### सिफारिशें: संघीय, न्यायपालिका, स्थानीय निकाय

| क्षेत्र                | सिफारिश                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समवर्ती सूची           | आपदा प्रबंधन जोड़ें                                                                                              |
| नया निकाय              | अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य आयोग                                                                             |
| राज्यपाल               | मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद नियुक्त                                                                            |
| अनुच्छेद 356           | बनाए रखें; अंतिम उपाय; केवल सदन में शक्ति परीक्षण                                                                |
| राज्य विधेयक           | राष्ट्रपति 3 माह में निर्णय करे                                                                                  |
| नदी विवाद              | 3-5 उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की पीठ                                                                           |
| राष्ट्रीय न्यायिक आयोग | भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश, विधि मंत्री, राष्ट्रपति का 1 नामित                |
| सेवानिवृत्ति की आयु    | उच्च न्यायालय 65; उच्चतम न्यायालय 68                                                                             |
| निर्णय                 | 90 दिन के भीतर; दो-स्तरीय अधीनस्थ न्यायालय; अभिवाक् सौदेबाज़ी (प्ली-बार्गेनिंग)                                  |
| जनजातीय क्षेत्र        | पाँचवीं अनुसूची से छठी अनुसूची                                                                                   |
| बंधुआ मज़दूरी          | राष्ट्रीय प्राधिकरण                                                                                              |
| पंचायतें               | मुख्यमंत्री के अधीन राज्य पंचायत परिषद; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा; परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग |
| पूर्वोत्तर             | स्वायत्त जिला परिषदों को ग्यारहवीं अनुसूची के विषय; राष्ट्रीय आप्रवासन परिषद                                     |

### सिफारिशें: निर्वाचन प्रक्रियाएँ और दल

| क्षेत्र                                 | सिफारिश                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपराधी                                  | 5+ वर्ष के अपराध में आरोपित निरर्ह; जघन्य अपराध के दोषसिद्ध स्थायी रूप से वर्जित                                 |
| राज्य द्वारा वित्तपोषण                  | विनियमन लागू होने तक टालें                                                                                       |
| चुनाव लड़ना                             | एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से नहीं                                                                              |
| रन-ऑफ मतदान                             | 50% से एक अधिक मत की जाँच करें                                                                                   |
| निर्दलीय                                | लगातार 3 पराजयों के बाद वर्जित                                                                                   |
| प्रतिभूति जमा                           | जब्ती की सीमा 16.67% से 25%                                                                                      |
| उच्च पद                                 | भारत से बाहर जन्मे व्यक्तियों की पात्रता की जाँच की जाए                                                          |
| मुख्य निर्वाचन आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त | पैनल: प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (लोक सभा), विपक्ष के नेता (राज्य सभा), लोक सभा अध्यक्ष, राज्य सभा के उपसभापति |
| राजनीतिक दल                             | पंजीकरण और कार्यप्रणाली पर विधि; मान्यता की सीमा बढ़ाई जाए; पारदर्शी वित्तपोषण                                   |

| क्षेत्र      | सिफारिश                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दल-बदल विरोध | दल-बदलू त्यागपत्र देकर पुनः चुनाव लड़े; मंत्री पद से वर्जित; सरकार गिराने वाला मत अमान्य; निरर्हता का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग करे |

**याद रखें**

संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग: 2000-02; वेंकटचलैया; 249 सिफारिशें (58/86/105)

मंत्रियों की सीमा: 10% (संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग) बनाम 15% (91वाँ संशोधन)

दल-बदल प्राधिकारी: भारत निर्वाचन आयोग (संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग) बनाम पीठासीन अधिकारी (दसवीं अनुसूची)

सेवानिवृत्ति की आयु: उच्च न्यायालय 65, उच्चतम न्यायालय 68

## अध्याय 14

## ऐतिहासिक निर्णय एवं सिद्धांत

## ऐतिहासिक निर्णय और उनका प्रभाव

## मौलिक अधिकारों और संशोधन शक्ति पर निर्णय

## आरंभिक मामले (1950-1967)

| मामला (वर्ष)                                 | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद                      | निर्णय                                                                                                                                                                            | प्रभाव                                                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950)          | क्रॉस रोड्स मामला; अनुच्छेद 19               | वाक्-स्वातंत्र्य में प्रसार की स्वतंत्रता सम्मिलित; मद्रास का क्रॉस रोड्स पर प्रतिबंध शून्य                                                                                       | प्रथम संशोधन (1951) ने अनुच्छेद 19(2) में "लोक व्यवस्था" जोड़ा                                                     |
| ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)       | निवारक निरोध मामला; अनुच्छेद 21, 22          | निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 निरस्त; "दैहिक स्वतंत्रता" = शारीरिक अवरोध से मुक्ति; अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका से संरक्षण देता है, विधायिका से नहीं                      | पाठवादी व्याख्या; "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" "सम्यक् प्रक्रिया" के समान नहीं; मेनका गांधी (1978) में पलटा गया |
| मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन (1951)     | सांप्रदायिक सरकारी आदेश; अनुच्छेद 15, 29, 46 | चिकित्सा/अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में सांप्रदायिक आरक्षण शून्य (अनुच्छेद 15(1), 29(2)); नीति निदेशक तत्त्व मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ                                            | प्रथम संशोधन ने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा                                                                               |
| शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)            | अनुच्छेद 13, 368                             | अनुच्छेद 368 की शक्ति में मौलिक अधिकारों का संशोधन सम्मिलित; अनुच्छेद 13(2) में "विधि" = सामान्य विधि, संविधायी विधि नहीं                                                         | प्रथम संशोधन (अनुच्छेद 31क, 31ख) बरकरार; सज्जन सिंह (1964) में पुनः पुष्टि                                         |
| बेरुबारी संघ (1960)                          | अनुच्छेद 143 संदर्भ; अनुच्छेद 3, 368         | अनुच्छेद 3 विदेशी राज्य को राज्यक्षेत्र के अंतरण को आच्छादित नहीं करता; अनुच्छेद 368 के संशोधन की आवश्यकता; प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं                                        | 9वाँ संशोधन (1960); प्रस्तावना संबंधी मत केशवानंद में पलटा गया                                                     |
| के. एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1961) | जूरी विचारण                                  | भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि बरकरार                                                                                                                            | जूरी प्रणाली की समाप्ति का कारण बना; दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ने इसे हटाया                                        |
| आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)      | अनुच्छेद 13, 368                             | शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को पलटा; संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती; संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अधीन "विधि" है; भविष्यलक्षी अधिनियम (प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग) लागू किया | 24वाँ संशोधन (1971) ने इसे निष्प्रभावी किया                                                                        |

## मूल ढाँचा और संशोधन शक्ति संबंधी मामले

| मामला (वर्ष)                              | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद              | निर्णय                                                                                                                                | प्रभाव                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)     | मौलिक अधिकार मामला; अनुच्छेद 13, 368 | गोलकनाथ को पलटा; संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, किंतु मूल ढाँचे में नहीं; 24वाँ और 29वाँ संशोधन बरकरार | मूल ढाँचे के सिद्धांत का जन्म                |
| इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) | चुनाव मामला; अनुच्छेद 329क           | अनुच्छेद 329क(4) (39वाँ संशोधन) मूल ढाँचे के उल्लंघन के कारण निरस्त                                                                   | 42वाँ संशोधन ने अनुच्छेद 368(4) और (5) जोड़े |

| मामला (वर्ष)                               | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद           | निर्णय                                                                                                                                                                   | प्रभाव                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)         | अनुच्छेद 31ग, 368                 | अनुच्छेद 368(4), (5) और अनुच्छेद 31ग में 42वें संशोधन का परिवर्तन निरस्त; सीमित संशोधन शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार-नीति निदेशक तत्व का संतुलन मूल लक्षण हैं | 42वें संशोधन के प्रयास को निष्प्रभावी किया     |
| वामन राव बनाम भारत संघ (1980)              | नौवीं अनुसूची                     | 24 अप्रैल 1973 से पूर्व नौवीं अनुसूची में जोड़ी गई विधियाँ वैध; बाद के समावेशन मूल ढाँचे को क्षति पहुँचाने पर चुनौती योग्य                                               | अंतिम तिथि = केशवानंद का निर्णय                |
| आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) | नौवीं अनुसूची मामला; अनुच्छेद 31ख | वामन राव की पुनः पुष्टि; 24 अप्रैल 1973 के बाद की नौवीं अनुसूची की विधियाँ मूल ढाँचे की कसौटी के अधीन                                                                    | नौवीं अनुसूची का न्यायिक पुनर्विलोकन           |
| किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)        | दल-बदल मामला; दसवीं अनुसूची       | दसवीं अनुसूची का पैरा 7 शून्य (अनुच्छेद 368(2) के अधीन अनुसमर्थन आवश्यक था); शेष वैध                                                                                     | पैरा 7 ने न्यायालय की अधिकारिता पर रोक लगाई थी |

## अनुच्छेद 21, स्वतंत्रता और आपातकाल पर निर्णय

### अनुच्छेद 21 और आपातकाल के मामले

| मामला (वर्ष)                                 | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद                    | निर्णय                                                                                                                                                     | प्रभाव                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) | बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला; अनुच्छेद 21, 359 | अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 21 निलंबित; आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं; आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम की धारा 16क(9) बरकरार | 44वाँ संशोधन: अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किया जा सकता; अब मान्य विधि नहीं |
| मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)             | दैनिक स्वतंत्रता मामला; अनुच्छेद 21        | गोपालन को पलटा; अनुच्छेद 14, 19, 21 परस्पर संबद्ध; प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष, व्यक्तिपुक्त होनी चाहिए; दैनिक स्वतंत्रता का व्यापकतम विस्तार            | "सम्यक् प्रक्रिया" का समावेश; स्वर्णिम त्रिकोण (14-19-21)               |
| बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980)             | मृत्युदंड; अनुच्छेद 19, 21                 | मृत्युदंड (भारतीय दंड संहिता धारा 302) वैध, किंतु केवल विरलतम में विरल मामलों में                                                                          | विरलतम में विरल का सिद्धांत                                             |
| एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986)           | ओलियम गैस रिसाव मामला; अनुच्छेद 21, 32     | अनुच्छेद 32 की शक्ति उपचारात्मक है; प्रतिकर प्रदान कर सकता है                                                                                              | पूर्ण दायित्व (दोष-रहित) ने कठोर दायित्व का स्थान लिया                  |
| मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992)         | कैपिटेशन फीस मामला; अनुच्छेद 21, 41        | सभी स्तरों पर शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग; कैपिटेशन फीस अनुच्छेद 14 का उल्लंघन                                                                     | उत्तरी कृष्णन का आधार                                                   |
| उत्तरी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) | अनुच्छेद 21, 45                            | शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, किंतु निःशुल्क शिक्षा केवल 14 वर्ष की आयु तक                                                                                | 86वाँ संशोधन (2002): अनुच्छेद 21क; शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009        |
| विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)            | अनुच्छेद 15, 21                            | कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 15, 21 का उल्लंघन; विशाखा दिशा-निर्देश निर्धारित                                                                        | कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013                      |
| अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011)            | इच्छामृत्यु; अनुच्छेद 21                   | सक्रिय इच्छामृत्यु अवैध; निष्क्रिय इच्छामृत्यु उच्च न्यायालय की अनुमति से अनुमत                                                                            | कॉमन कॉज़ (2018) में और विस्तारित                                       |

| मामला (वर्ष)                             | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद               | निर्णय                                                                                                 | प्रभाव                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) | निजता के अधिकार का मामला; अनुच्छेद 21 | निजता अनुच्छेद 21 और भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार; निरपेक्ष नहीं; कसौटी = वैधता, आवश्यकता, आनुपातिकता | एम. पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) को पलटा |
| पुट्टस्वामी-द्वितीय (2018)               | आधार निर्णय                           | आधार अधिनियम 2016 वैध; कुछ उपबंध निरस्त                                                                | आधार और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019         |

## समानता, आरक्षण और शिक्षा पर निर्णय

### आरक्षण और शिक्षा के मामले

| मामला (वर्ष)                                      | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद                                        | निर्णय                                                                                                                                    | प्रभाव                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)                 | मंडल मामला; अनुच्छेद 16                                        | 27% अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण बरकरार; क्रीमी लेयर अपवर्जित; पदोन्नति में आरक्षण नहीं; 50% की सीमा; 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदेश निरस्त | राम नंदन समिति; राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग; 76वाँ, 77वाँ, 81वाँ, 82वाँ, 85वाँ संशोधन |
| एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006)                   | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पदोन्नतियाँ; अनुच्छेद 16, 335 | 77वाँ, 81वाँ, 82वाँ, 85वाँ संशोधन (अनुच्छेद 16(4क), 16(4ख)) बरकरार; 50% की सीमा, क्रीमी लेयर, पद-आधारित रोस्टर यथावत                      | पदोन्नति में आरक्षण बरकरार                                                           |
| टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) | अल्पसंख्यक संस्थाएँ; अनुच्छेद 29, 30                           | अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्यवार; गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाएँ प्रवेश में स्वतंत्र; सहायता मिलने पर अनुच्छेद 29(2) लागू          | 93वाँ संशोधन (2005): अनुच्छेद 15(5)                                                  |

## संस्थाओं, शासन और राजनीति पर निर्णय

### संस्थागत और संघीय मामले

| मामला (वर्ष)                               | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद                                  | निर्णय                                                                                                                                                                                                               | प्रभाव                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986)      | अध्यादेश मामला; अनुच्छेद 213                             | अध्यादेशों का बार-बार पुनः प्रख्यापन (बिहार में 256) "संविधान के साथ कपट" है                                                                                                                                         | अध्यादेश की शक्ति विधायिका का स्थान नहीं ले सकती                                    |
| एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)        | राष्ट्रपति शासन; अनुच्छेद 356                            | उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन; भार संघ पर; न्यायालय विधान सभा बहाल कर सकता है; पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचा है                                                                                                     | अनुच्छेद 356 के मनमाने प्रयोग पर अंकुश                                              |
| उच्चतम न्यायालय अभिलेख-अधिवक्ता संघ (1993) | द्वितीय न्यायाधीश मामला; अनुच्छेद 124, 217               | एस. पी. गुप्ता (1981, प्रथम न्यायाधीश मामला) को पलटा; "परामर्श" = भारत के मुख्य न्यायाधीश की "सहमति"; भारत के मुख्य न्यायाधीश दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे; वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश बनेगा | कॉलेजियम प्रणाली; तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)                                      |
| उच्चतम न्यायालय अभिलेख-अधिवक्ता संघ (2015) | चतुर्थ न्यायाधीश / राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मामला | 99वाँ संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 शून्य (न्यायिक स्वतंत्रता)                                                                                                                              | कॉलेजियम बहाल                                                                       |
| विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997)          | जैन हवाला मामला                                          | केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा; केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्वायत्तता; एकल निर्देश निरस्त                                                                                                                   | केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003; एकल निर्देश 2014 में पुनः निरस्त (अनुच्छेद 14) |

| मामला (वर्ष)                                | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद | निर्णय                                                                                                                                                                                                                | प्रभाव                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)            | पुलिस सुधार             | सात निर्देश (राज्य सुरक्षा आयोग; तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से पुलिस महानिदेशक, 2 वर्ष के कार्यकाल सहित; अन्वेषण का कानून-व्यवस्था से पृथक्करण; पुलिस स्थापना बोर्ड; पुलिस शिकायत प्राधिकरण; राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग) | आंशिक क्रियान्वयन                                                                            |
| टी. एस. आर. सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ (2013) | सिविल सेवा सुधार        | सिविल सेवा बोर्ड; निश्चित न्यूनतम कार्यकाल; निर्देश लिखित में                                                                                                                                                         | भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संवर्ग नियम (नियम 7) 2014 में संशोधित |

### चुनाव और राजनीति के अपराधीकरण के मामले

| मामला (वर्ष)                                            | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद         | निर्णय                                                                                                                             | प्रभाव                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002) | चुनाव सुधार मामला; अनुच्छेद 19  | अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन मतदाता को अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार; आपराधिक मामलों, आस्तियों, दायित्वों, शिक्षा पर शपथ-पत्र | निर्वाचन आयोग का आदेश 2003; झूठा शपथ-पत्र = निर्वाचन अपराध                         |
| पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (2013)               | नोटा मामला; अनुच्छेद 14, 19, 21 | मतदान न करने का अधिकार; इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों में नोटा बटन                                                                     | नोटा पहली बार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, राजस्थान (2013) में प्रयुक्त |
| लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)                          | अनुच्छेद 102, 191               | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) निरस्त; दोषसिद्ध विधायक दोषसिद्धि पर तत्काल निरर्थ                                      | लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 की वापसी            |
| रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा (2020)             | राजनीति का अपराधीकरण            | दलों को अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड चयन के कारणों (योग्यता, जीतने की संभावना नहीं) सहित प्रकाशित करने होंगे                     | निर्वाचन आयोग प्रपत्र सी-7                                                         |

### अधिकारों, गरिमा और सामाजिक मुद्दों पर निर्णय

#### सामाजिक और वैयक्तिक विधि के मामले

| मामला (वर्ष)                                        | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद                    | निर्णय                                                                                                         | प्रभाव                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शाह बानो (मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो) (1985)    | भरण-पोषण; दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 | मुस्लिम पति इद्दत के बाद भी भरण-पोषण के लिए दायी; धारा 125 पंथनिरपेक्ष है; समान नागरिक संहिता एकीकरण में सहायक | मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986; डेनियल लतीफी (2001) ने इसे बरकरार रखा |
| शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)                     | तीन तलाक मामला; अनुच्छेद 14                | तलाक़-ए-बिद्दत असंवैधानिक (प्रकट रूप से मनमाना)                                                                | मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019                                                   |
| राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) | ट्रांसजेंडर अधिकार; अनुच्छेद 14, 21        | "तृतीय लिंग" को मान्यता; स्व-पहचानित लिंग का अधिकार; पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण                             | ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019                                                   |
| नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)                | अनुच्छेद 14, 15, 19, 21                    | भारतीय दंड संहिता की धारा 377 वहाँ तक निरस्त, जहाँ तक वह सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध ठहराती है          | सुरेश कुमार कौशल (2013) को पलटा                                                                      |
| जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018)                     | व्यभिचार; अनुच्छेद 14, 15, 21              | भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198(2) निरस्त                                    | व्यभिचार अब केवल सिविल दोष / विवाह-विच्छेद का आधार                                                   |
| इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (2018)   | सबरीमाला मामला; अनुच्छेद 14, 21, 25        | 10-50 वर्ष की आयु की महिलाओं पर प्रतिबंध असंवैधानिक; नियम 3(ख) निरस्त                                          | पुनर्विलोकन बृहत्तर पीठ को निर्दिष्ट (2019)                                                          |

| मामला (वर्ष)                           | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद | निर्णय                                                                                                          | प्रभाव                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| एम. सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास (2019) | अयोध्या मामला           | 2.77 एकड़ रामलला विराजमान को; न्यास का गठन होगा; उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि | श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास; भूमि धन्नीपुर में |

### वाक्-स्वातंत्र्य, प्रौद्योगिकी और अन्य मामले

| मामला (वर्ष)                                                          | लोकप्रिय नाम / अनुच्छेद             | निर्णय                                                                                                          | प्रभाव                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004)                                       | राष्ट्रीय ध्वज; अनुच्छेद 19         | राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन मौलिक अधिकार                                          | वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं      |
| श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)                                     | ऑनलाइन अभिव्यक्ति; अनुच्छेद 19      | सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66क निरस्त (अस्पष्ट, अति-व्यापक)                                        | अनुच्छेद 19(2) से संरक्षित नहीं  |
| अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020)                                     | इंटरनेट निलंबन; अनुच्छेद 19         | इंटरनेट पहुँच अनुच्छेद 19(1)(क) और (छ) के अंतर्गत संरक्षित; अनिश्चितकालीन निलंबन अनुमेय नहीं; आनुपातिकता आवश्यक | इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार       |
| इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (2020) | क्रिप्टोकॉर्सेसी; अनुच्छेद 19(1)(छ) | आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) लेन-देन पर प्रतिबंध वाला भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र निरस्त (अनुपातहीन)        | क्रिप्टो व्यापार पर प्रतिबंध हटा |

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य - न्यायाधीश मामले

प्रथम न्यायाधीश मामला = एस. पी. गुप्ता (1981): परामर्श, सहमति नहीं  
द्वितीय न्यायाधीश मामला = अभिलेख-अधिवक्ता (1993): मुख्य न्यायाधीश की सहमति; कॉलेजियम का जन्म  
तृतीय न्यायाधीश मामला = सलाहकारी राय (1998): प्रक्रिया ज्ञापन  
चतुर्थ न्यायाधीश मामला = राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (2015): 99वाँ संशोधन निरस्त

### याद रखें - मामलों के उपनाम

क्रॉस रोड्स = रोमेश थापर; निवारक निरोध = गोपालन  
मौलिक अधिकार मामला = केशवानंद; चुनाव मामला = इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण  
बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला = ए. डी. एम. जबलपुर; दैहिक स्वतंत्रता मामला = मेनका गांधी  
मंडल मामला = इंद्रा साहनी; दल-बदल मामला = किहोतो होलोहन  
फुटपाथ निवासी = ओल्गा टेलिस; ओलियम गैस रिसाव = एम. सी. मेहता  
कैपिटेशन फीस = मोहिनी जैन; नोटा = पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़; तीन तलाक = शायरा बानो

### पलटे गए निर्णय

गोपालन (1950)-मेनका गांधी (1978)  
शंकर प्रसाद और सज्जन सिंह-गोलकनाथ (1967)  
गोलकनाथ-केशवानंद (1973)  
एम. पी. शर्मा और खड़क सिंह-पुट्टस्वामी (2017)  
सुरेश कौशल (2013)-नवतेज जोहर (2018)

## अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाने वाले निर्णय

### अनुच्छेद 21 का भाग घोषित अधिकार

| क्र. | मामला                              | वर्ष | घोषित अधिकार                    |
|------|------------------------------------|------|---------------------------------|
| 1    | सतवंत सिंह साहनी बनाम डी. रामरत्नम | 1967 | विदेश यात्रा का अधिकार          |
| 2    | सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन    | 1978 | एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार |

| क्र. | मामला                                                                             | वर्ष | घोषित अधिकार                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 3    | चार्ल्स शोभराज बनाम अधीक्षक, केंद्रीय कारागार                                     | 1978 | लोहे की बेड़ियों (बार फेटर्स) के विरुद्ध अधिकार                  |
| 4    | एम. एच. होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य                                             | 1978 | निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार                                  |
| 5    | हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार                                               | 1979 | शीघ्र विचारण का अधिकार                                           |
| 6    | प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन                                             | 1980 | हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार                                         |
| 7    | किशोर सिंह रविंदर देव बनाम राजस्थान राज्य                                         | 1980 | पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार (थर्ड डिग्री) के विरुद्ध अधिकार     |
| 8    | फ्रांसिस कोरैली मुलिन बनाम प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली                       | 1981 | मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार; बंदी की जीवन-आवश्यकताएँ |
| 9    | बंबई बंदरगाह न्यासी मंडल बनाम दिलीप कुमार नाडकर्णी                                | 1982 | प्रतिष्ठा का अधिकार                                              |
| 10   | टी. वी. वैथीस्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य                                             | 1983 | विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार                               |
| 11   | शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र राज्य                                                 | 1983 | अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार                             |
| 12   | बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ                                                 | 1983 | बंधुआ मज़दूरी के विरुद्ध अधिकार                                  |
| 13   | रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (देहरादून खनन मामला) | 1985 | उचित / स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार                       |
| 14   | भारत के महान्यायवादी बनाम लछमा देवी                                               | 1985 | सार्वजनिक फाँसी के विरुद्ध अधिकार                                |
| 15   | ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम (फुटपाथ निवासी मामला)                              | 1985 | आजीविका का अधिकार                                                |
| 16   | हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम उमेद राम शर्मा                                           | 1986 | पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार                              |
| 17   | परमानंद कटारा बनाम भारत संघ                                                       | 1989 | आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार                              |
| 18   | शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम एन. के. तोटामे                                           | 1990 | आश्रय का अधिकार                                                  |
| 19   | उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य                                              | 1993 | 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार                             |
| 20   | कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाम भारत संघ                                   | 1995 | स्वास्थ्य का अधिकार                                              |
| 21   | भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर                      | 1995 | उपयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार                               |
| 22   | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (चकमा प्रवासी मामला)          | 1996 | राज्य से खदेड़े न जाने का अधिकार                                 |
| 23   | पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य                                | 1996 | सरकारी अस्पताल में समय पर चिकित्सा उपचार का अधिकार               |
| 24   | पुलिस आयुक्त, दिल्ली बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय                        | 1996 | निष्पक्ष विचारण का अधिकार                                        |
| 25   | वेल्लोर सिटिज़ंस वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ                                       | 1996 | खतरनाक उद्योगों से संरक्षण                                       |
| 26   | डॉ. बी. एल. वाधेरा बनाम भारत संघ                                                  | 1996 | प्रदूषण-मुक्त जल और वायु                                         |

| क्र. | मामला                                                | वर्ष | घोषित अधिकार                                           |
|------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 27   | अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य            | 1997 | सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा सशक्तीकरण का अधिकार        |
| 28   | एस. के. मस्तान बी बनाम महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे | 2002 | पारिवारिक पेंशन का अधिकार                              |
| 29   | एन. डी. जयाल बनाम भारत संघ                           | 2003 | सतत विकास का अधिकार                                    |
| 30   | ध्वनि प्रदूषण, इन री                                 | 2005 | ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार                      |
| 31   | रिलायंस एनर्जी बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम | 2007 | अवसर का अधिकार                                         |
| 32   | दिलीप एस. दहानुकर बनाम कोटक महिंद्रा                 | 2007 | दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील का अधिकार          |
| 33   | रामलीला मैदान घटना, इन री                            | 2012 | सोने का अधिकार                                         |
| 34   | के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ                    | 2017 | निजता का अधिकार                                        |
| 35   | कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ                              | 2018 | गरिमा के साथ मरने का अधिकार (निष्क्रिय इच्छामृत्यु)    |
| 36   | एम. के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ                      | 2024 | जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार |

## संशोधनों से संबंधित निर्णय

### संशोधनों को असंवैधानिक घोषित करने वाले निर्णय

| क्र. | मामला (वर्ष)                                   | चुनौती दिया गया संशोधन | असंवैधानिक घोषित उपबंध                                 |
|------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | आई. सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)        | 17वाँ संशोधन, 1964     | 17वाँ संशोधन (आंशिक रूप से)                            |
| 2    | केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)          | 25वाँ संशोधन, 1971     | अनुच्छेद 31ग (आंशिक रूप से)                            |
| 3    | इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)      | 39वाँ संशोधन, 1975     | अनुच्छेद 329क (खंड 4)                                  |
| 4    | मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)             | 42वाँ संशोधन, 1976     | अनुच्छेद 368 (खंड 4, 5) और अनुच्छेद 31ग (आंशिक रूप से) |
| 5    | पी. साम्बमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1986) | 32वाँ संशोधन, 1973     | अनुच्छेद 371घ (खंड 5 और परंतुक)                        |
| 6    | किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)            | 52वाँ संशोधन, 1985     | दसवीं अनुसूची (पैरा 7)                                 |
| 7    | एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)           | 42वाँ संशोधन, 1976     | अनुच्छेद 323क(2)(घ) और अनुच्छेद 323ख(3)(घ)             |
| 8    | उच्चतम न्यायालय अभिलेख-अधिवक्ता संघ (2015)     | 99वाँ संशोधन, 2014     | 99वाँ संशोधन (पूर्णतः)                                 |
| 9    | भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (2021)          | 97वाँ संशोधन, 2011     | 97वाँ संशोधन (आंशिक रूप से)                            |

### संविधान संशोधनों को जन्म देने वाले निर्णय

| संशोधन अधिनियम | उसके कारण बने मामले                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| पहला (1951)    | रोमेश थापर 1950; ब्रिज भूषण 1950; चंपकम दोरायराजन 1951 |
| चौथा (1955)    | बेला बनर्जी 1953; सगीर अहमद 1954                       |
| छठा (1956)     | यूनाइटेड मोटर्स 1953; बंगाल इम्युनिटी 1955             |
| नौवाँ (1960)   | बेरुबारी संघ 1960                                      |
| 11वाँ (1961)   | एन. बी. खरे 1957                                       |

| संशोधन अधिनियम                    | उसके कारण बने मामले                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15वाँ (1963)                      | निर्वाचन आयोग बनाम वेंकट राव 1953                                                                                                                       |
| 20वाँ (1966)                      | चंद्र मोहन 1966                                                                                                                                         |
| 24वाँ (1971)                      | गोलकनाथ 1967                                                                                                                                            |
| 25वाँ (1971)                      | आर. सी. कूपर 1970 (बैंक राष्ट्रीयकरण मामला)                                                                                                             |
| 26वाँ (1971)                      | माधवराव सिंधिया 1970 (प्रिवी पर्स मामला)                                                                                                                |
| 43वाँ (1977)                      | मिश्रीलाल जैन 1977                                                                                                                                      |
| 46वाँ (1982)                      | गैनन डंकरले 1958; न्यू इंडिया शुगर मिल्स 1962; एसोसिएटेड होटल्स 1972; तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1976; विशु एजेंसीज़ 1977; नॉर्दर्न इंडिया केटरर्स 1978 |
| 75वाँ (1993)                      | प्रभाकरन नायर 1987                                                                                                                                      |
| 76वाँ, 77वाँ, 81वाँ, 82वाँ, 85वाँ | इंद्रा साहनी 1992 (मंडल मामला)                                                                                                                          |
| 82वाँ (2000)                      | एस. विनोद कुमार 1996                                                                                                                                    |
| 85वाँ (2001)                      | वीरपाल सिंह चौहान 1995; अजीत सिंह जनुजा 1996                                                                                                            |
| 86वाँ (2002)                      | उन्नी कृष्णन 1993                                                                                                                                       |
| 93वाँ (2005)                      | टी. एम. ए. पाई 2002; पी. ए. इनामदार 2005                                                                                                                |

## संवैधानिक निर्वचन के महत्वपूर्ण सिद्धांत

### एक नज़र में सिद्धांत

| सिद्धांत                   | मूल विचार                                                                                                                | अनुच्छेद / उद्गम | प्रमुख मामले                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पृथक्करणीयता               | यदि पृथक् किया जा सकता हो, तो विधि का केवल असंवैधानिक भाग ही शून्य होता है                                               | अनुच्छेद 13      | गोपालन 1950, एफ. एन. बलसारा 1951, चमारबागवाला 1957, मिनर्वा मिल्स 1980, किहोतो होलोहन 1992                         |
| अधित्यजन (त्याग)           | भारत में मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता (अमेरिका में किया जा सकता है)                                         | भाग 3            | बेहराम खुरशीद पेसिकाका 1954, बशेशर नाथ 1958, ओल्गा टेल्स 1985, नर सिंह पाल 2000                                    |
| आच्छादन                    | मौलिक अधिकार से असंगत संविधान-पूर्व विधि मृत नहीं, निष्क्रिय होती है; मौलिक अधिकार की छाया हटने पर पुनर्जीवित हो जाती है | अनुच्छेद 13(1)   | भीकाजी नारायण ढाकरस 1955, दीप चंद 1959, महेंद्र लाल जैन 1962, अंबिका मिल्स 1974, दुलारे लोध 1984                   |
| राज्यक्षेत्रीय संबंध       | अतिरिक्त-राज्यक्षेत्रीय प्रभाव वाला राज्य का कानून पर्याप्त, वास्तविक संबंध होने पर वैध होता है                          | अनुच्छेद 245     | वैलेस 1948, चमारबागवाला 1957, टिस्को 1958, चारुसिला दासी 1959, खजान सिंह 1973, श्रीकांत 1994, एन. टी. पी. सी. 2002 |
| सार और तत्त्व              | आनुषंगिक अतिक्रमण होने पर भी विधि वैध है, यदि उसका वास्तविक स्वरूप विधायिका की सूची में आता हो                           | अनुच्छेद 246     | प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी 1947, एफ. एन. बलसारा 1951, डी. एन. बनर्जी 1952, जी. चावला 1958, इस्माइल फारुकी 1994         |
| छद्म विधायन                | जो कार्य प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता, वह अप्रत्यक्षतः भी नहीं किया जा सकता; रूप किसी विधि को नहीं बचाता                | अनुच्छेद 246     | कामेश्वर सिंह 1952, गजपति नारायण देव 1953, मूपिल नायर 1960, एम. आर. बालाजी 1962                                    |
| विवक्षित शक्तियाँ          | शक्ति के प्रदान में विवक्षित रूप से वह सब शामिल है जो उसके प्रयोग के लिए आवश्यक है                                       | सूक्ति           | गोपाल चंद्र मिश्र 1978, रूपा अशोक हुरा 2002, राजा राम पाल 2007, सलिल सभलोक 2013                                    |
| आनुषंगिक और सहायक शक्तियाँ | सूची की प्रविष्टि में उससे युक्तियुक्त रूप से आनुषंगिक विषय भी सम्मिलित हैं                                              | सातवीं अनुसूची   | चतुर्भुज 1959, राय रामकृष्ण 1963, पथुम्मा 1978, गॉडफ्रे फिलिप्स 2005                                               |

| सिद्धांत                          | मूल विचार                                                                    | अनुच्छेद / उद्गम      | प्रमुख मामले                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्व-निर्णय (स्टेयर डेसिसिस)     | निचली अदालतें उच्चतर अदालतों के निर्णयों से बाध्य होती हैं                   | अनुच्छेद 141          | वामन राव 1980                                                                                   |
| अधिकृत क्षेत्र (आच्छादित क्षेत्र) | समवर्ती सूची के विषय पर संसद की विधि असंगत राज्य विधि को अपवर्जित कर देती है | अनुच्छेद 254          | दीप चंद 1959, एम. करुणानिधि 1979, हेक्स्ट 1983                                                  |
| भविष्यलक्षी अधिनियम               | नया निर्णय केवल भविष्य पर लागू होता है                                       | अनुच्छेद 32, 141, 142 | गोलकनाथ 1967, मंडल 1992, करुणाकर 1993                                                           |
| सामंजसपूर्ण अर्थान्वयन            | परस्पर विरोधी उपबंधों को साथ पढ़ा जाता है, ताकि दोनों प्रभावी हों            | संपूर्ण संविधान       | देवारु 1957, एम. एस. एम. शर्मा 1958, ओ. एन. मोहिंद्र 1968, डी. ए. वी. कॉलेज 1971, केशवानंद 1973 |
| उदार निर्वचन                      | व्यापक, न कि शब्दशः पांडित्यपूर्ण पाठ; संविधान एक जीवंत जीव के रूप में       | निर्वचन               | हिर्गिस (ऑस्ट्रेलिया); प्रविष्टियों को व्यापकतम विस्तार में पढ़ा जाता है                        |
| शाब्दिक निर्वचन                   | सादा, स्वाभाविक, व्याकरणिक अर्थ; कठोर / प्रत्यक्षवादी अर्थान्वयन             | निर्वचन               | गोपालन 1950                                                                                     |
| प्रयोजनात्मक निर्वचन              | निर्माताओं के उद्देश्य / आशय को देखना; प्रस्तावना मुख्य आधार                 | निर्वचन               | बेरुबारी 1960                                                                                   |
| सृजनात्मक निर्वचन                 | बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यायालय नई अवधारणाएँ विकसित करते हैं        | निर्वचन               | गोलकनाथ 1967; केशवानंद 1973                                                                     |

## पृथक्करणीयता का सिद्धांत

- इसे पृथक्करण का सिद्धांत भी कहा जाता है
- आधार: अनुच्छेद 13(1) - संविधान-पूर्व विधियाँ मौलिक अधिकारों से असंगति की सीमा तक शून्य हैं
- आधार: अनुच्छेद 13(2) - संविधान-पश्चात् विधियाँ उल्लंघन की सीमा तक शून्य हैं
- कसौटी: क्या विधायिका शेष भाग को अवैध जानते हुए भी वैध भाग को अधिनियमित करती
- यदि वैध और अवैध भाग अविभाज्य रूप से मिले हों, तो संपूर्ण अधिनियम गिर जाता है
- यदि वैध भाग एकल योजना का है, जिसे समग्र रूप में लागू होना था, तो संपूर्ण अधिनियम गिर जाता है
- यदि शेष भाग अत्यंत क्षीण और कटा-छँटा रह जाए, तो संपूर्ण अधिनियम गिर जाता है
- यदि शेष भाग को बिना संशोधन के लागू नहीं किया जा सकता, तो वह न्यायिक विधायन होगा, अतः संपूर्ण अधिनियम निरस्त होगा
- पृथक्करणीयता सार पर निर्भर करती है, इस पर नहीं कि उपबंध एक ही धारा में हैं या नहीं

## अधित्यजन का सिद्धांत

- ज्ञात अधिकार का स्वेच्छिक त्याग
- भारत में मौलिक अधिकारों पर लागू नहीं (अधित्यजन-निषेध का सिद्धांत); अमेरिका में लागू
- मौलिक अधिकार राज्य पर आज़ापक हैं और लोकनीति के रूप में स्थापित हैं
- उदाहरण: नागरिक अनुच्छेद 15(1), 20, 21 के संरक्षण का त्याग नहीं कर सकता

## आच्छादन का सिद्धांत

- अनुच्छेद 13(1) की भविष्यलक्षी प्रकृति में निहित
- मौलिक अधिकार से असंगत संविधान-पूर्व विधि प्रारंभ से शून्य नहीं, बल्कि प्रवर्तनहीन हो जाती है
- वह अतीत के लेन-देनों, 1950 से पहले अर्जित अधिकारों तथा गैर-नागरिकों के लिए वैध बनी रहती है
- यदि मौलिक अधिकार में बाद में संशोधन हो जाए, तो विधि पुनर्जीवित हो जाती है
- प्रतिपादित: **भीकाजी नारायण ढाकरस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955)** - मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 43 अनुच्छेद 19(1)(छ) से आच्छादित हुई; पहले संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(6) में परिवर्तन से पुनर्जीवित हुई
- दीप चंद (1959) और महेंद्र लाल जैन (1962): संविधान-पश्चात् विधियों पर लागू नहीं (मृत-जात, अनुच्छेद 13(2))
- अंबिका मिल्स (1974): गैर-नागरिकों के संबंध में संविधान-पश्चात् विधि पर लागू किया गया
- दुलारे लोध (1984): संविधान-पश्चात् विधि पर नागरिकों के विरुद्ध भी लागू किया गया

## राज्यक्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत

- संसद अतिरिक्त-राज्यक्षेत्रीय विधियाँ बना सकती है (अनुच्छेद 245); राज्य विधानमंडल नहीं

- अपवाद: राज्य और विषय-वस्तु के बीच पर्याप्त संबंध होने पर राज्य की विधि वैध है
- संबंध वास्तविक होना चाहिए, भ्रामक नहीं; दायित्व का संबंध से प्रासंगिक होना आवश्यक है
- 1950 से पूर्व: संघीय न्यायालय द्वारा रैले (1944), वाडिया (1949); प्रिवी काउंसिल द्वारा वैलेस (1948) - सभी आयकर विधियाँ
- चमारबागवाला (1957): जुए पर कर
- टिस्को (1958): बिक्री-कर विधि
- चारुसिला दासी (1959): पश्चिम बंगाल में स्थित न्यास-संपत्ति पर बिहार की विधि बरकरार
- श्रीकांत (1994): राज्य के बाहर धारित भूमि को गिनने वाली गुजरात की भूमि-सीमा विधि बरकरार
- लागू नहीं: मोटर यान अधिनियम के अधीन अंतरराज्यीय मार्ग योजना और अनुच्छेद 298 के अधीन राज्य का व्यापार (खजान सिंह 1973)

### सार और तत्त्व का सिद्धांत

- तब लागू होता है जब एक विधायिका की विधि दूसरी की सूची में अतिक्रमण करती है (अनुच्छेद 246)
- विधि को एक समग्र इकाई के रूप में देखा जाता है: अधिनियमन, मुख्य उद्देश्य, क्षेत्र और प्रभाव
- आनुषंगिक अतिक्रमण होने पर भी वैध, यदि वास्तविक प्रकृति अधिनियमित करने वाली विधायिका की क्षमता के भीतर हो
- उद्भव प्रिवी काउंसिल से (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के विवाद)
- प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स (1947): बंगाल साहूकार अधिनियम वैध - "साहूकारी" (राज्य) ने "वचन-पत्रों" (केंद्र) को आनुषंगिक रूप से प्रभावित किया
- जहाँ सूचियों में टकराव हो: सूची 1, सूची 3 पर और सूची 3, सूची 2 पर प्रभावी

### छद्म विधायन का सिद्धांत

- विधायिका अप्रत्यक्ष रूप से वह करती है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती (संविधान के साथ कपट)
- सार मायने रखता है, रूप नहीं; प्रयोजन/सद्भावना अप्रासंगिक - केवल सक्षमता
- संविधान के साथ कपट: विधायिका के पास शक्ति नहीं है, पर वह होने का दिखावा करती है
- विधायी शक्ति के साथ कपट: विधायिका के पास शक्ति है, पर वह उसके प्रयोग का दिखावा करती है

### विवक्षित शक्तियों का सिद्धांत

- इसे विवक्षा का सिद्धांत भी कहा जाता है
- सूक्ति: जो कोई कोई वस्तु प्रदान करता है, वह वह भी प्रदान करता है जिसके बिना वह निष्प्रभावी रहती
- गोपाल चंद्र मिश्र (1978): उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र वापस ले सकता है (अनुच्छेद 217)
- रूपा अशोक हुरा (2002): पुनर्विलोकन खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका सुनने की उच्चतम न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति (अनुच्छेद 137)
- राजा राम पाल (2007): संसद अवमानना के लिए सदस्यों का निष्कासन कर सकती है (अनुच्छेद 105)
- सलिल सभलोक (2013): राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की राज्यपाल की अनुच्छेद 316 की शक्ति में प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति विवक्षित है
- **विवक्षित प्रतिषेध (विपरीत):** एक बात का स्पष्ट उल्लेख दूसरी को अपवर्जित करता है; अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लागू; भारत में लागू नहीं

### आनुषंगिक और सहायक शक्तियों का सिद्धांत

- अमेरिकी समकक्ष: "आवश्यक और उचित" शक्तियाँ
- कर लगाने की शक्ति में कर-अपवंचन रोकने की शक्ति सम्मिलित है; किराया वसूली पर विधान बनाने की शक्ति में छूट देना भी सम्मिलित है
- कर लगाने की शक्ति में माल जब्त करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है
- "सट्टेबाजी और जुआ" (राज्य सूची की प्रविष्टि 34) में उस पर कर लगाना (प्रविष्टि 62) सम्मिलित नहीं है
- छद्म प्रयोग के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता

### पूर्व-निर्णय (स्टेयर डेसिसिस) का सिद्धांत

- अंग्रेजी सिद्धांत; सूक्ति "स्टेयर डेसिसिस एट नॉन क्विंटा मूवेरे"
- अनुच्छेद 141: उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है
- उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णयों से कठोरता से बाध्य नहीं है, पर केवल प्रबल कारणों से ही उनसे हटता है
- उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलट या अनदेखा नहीं कर सकता

### अधिकृत क्षेत्र और विरोध का सिद्धांत

- इसे आच्छादित क्षेत्र का सिद्धांत भी कहते हैं; उद्गम अनुच्छेद 254 से
- केवल समवर्ती सूची की प्रविष्टियों पर लागू
- संघ सूची का विषय: राज्य वर्जित; राज्य सूची का विषय: संसद वर्जित
- अनुच्छेद 254(1): टकराव होने पर संसद की विधि प्रभावी; राज्य विधि विरोध की सीमा तक शून्य
- अनुच्छेद 254(2) का अपवाद: राष्ट्रपति के लिए आरक्षित और उनकी अनुमति प्राप्त राज्य विधि उस राज्य में प्रभावी रहती है; संसद बाद में उसे अध्यारोहित कर सकती है

- विरोध की कसौटियाँ: प्रत्यक्ष टकराव; आशयित अधिकार (संपूर्ण संहिता); अधिकृत क्षेत्र
- सूची 2 और सूची 1/3 के बीच अतिव्यापन: अनुच्छेद 246(1) का "इसके होते हुए भी" खंड लागू होता है, अनुच्छेद 254 नहीं

### भविष्यलक्षी अधिनिर्णय का सिद्धांत

- अमेरिकी सिद्धांत; भारत में पहली बार गोलकनाथ (1967) में लागू
- नया निर्णय केवल भावी लेन-देनों पर लागू; अतीत के लेन-देन सुरक्षित
- आधार: अनुच्छेद 32, 141, 142
- तीन प्रतिपादनाएँ: केवल संविधान-संबंधी मामलों में; केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा; पूर्वव्यापिता की सीमा न्यायालय के विवेक पर
- गोलकनाथ के पलटे जाने के बाद भी बना रहा
- मंडल मामला (1992): प्रवर्तन पाँच वर्ष के लिए स्थगित
- करुणाकर (1993): लाभ केवल लंबित मामलों को, समाप्त कार्यवाहियों को नहीं
- साधारण संविधियों पर भी विस्तारित

### सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत

- इसे टकराव-परिहार का नियम भी कहा जाता है
- संविधान को समग्र रूप में पढ़ा जाए; निर्माताओं का आशय टकराव का नहीं था
- लागू होता है: मौलिक अधिकार बनाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व; विभिन्न मौलिक अधिकारों में; मौलिक अधिकार बनाम विधायी विशेषाधिकार; मौलिक अधिकार बनाम संशोधन प्रक्रिया; सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियाँ

#### सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के मामले

| मामला (वर्ष)                                    | निर्णय                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्री वेंकटरमण देवारु बनाम मैसूर राज्य (1957)    | अनुच्छेद 26(ख), अनुच्छेद 25(2)(ख) के अधीन                                                            |
| एम. एस. एम. शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा (1958)      | अनुच्छेद 19(1)(क), अनुच्छेद 194(3) के अधीन विधायी विशेषाधिकारों के अधीन                              |
| ओ. एन. मोहिंद्रू बनाम दिल्ली बार काउंसिल (1968) | उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ताओं पर संसद का अनन्य अधिकार; शेष समवर्ती सूची में      |
| डी. ए. वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य (1971)        | यदि संघ सूची में हस्तक्षेप होता हो, तो राज्य उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम निर्धारित नहीं कर सकता |
| केशवानंद भारती (1973)                           | अनुच्छेद 13(2) में "विधि" का अर्थ साधारण विधि है, अनुच्छेद 368 के संशोधन नहीं                        |

### निर्वचन के प्रकार

- **उदार:** संविधान एक जीवंत, सावयवी लिखत है; उसे व्यापक रूप से पढ़ा जाए (न्यायमूर्ति हिगिंस); विधायी प्रविष्टियों को व्यापकतम विस्तार में पढ़ा जाता है
- **शाब्दिक** (कठोर / प्रत्यक्षवादी अर्थान्वयन): सादा व्याकरणिक अर्थ; "भावना" से कुछ नहीं पढ़ा जाता (गोपालन)
- **प्रयोजनात्मक:** निर्माताओं का आशय सुनिश्चित करना; प्रस्तावना "निर्माताओं के मन की कुंजी" है (बेरुबारी)
- **सृजनात्मक:** न्यायालय नए सिद्धांत विकसित करते हैं; उदाहरण - भविष्यलक्षी अधिनिर्णय (गोलकनाथ), मूल ढाँचा (केशवानंद), "न्यायिक सृजनशीलता का उच्च-चिह्न")

#### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

आच्छादन: संविधान-पूर्व विधियाँ (अनुच्छेद 13(1)); संविधान-पश्चात् विधियाँ मृत-जात होती हैं (दीप चंद), अंबिका मित्स / दुलारे लोध को छोड़कर  
 अधित्यजन: अमेरिका में अनुमत, भारत में नहीं  
 विवक्षित शक्तियाँ: भारत में लागू; विवक्षित प्रतिषेध: केवल अमेरिका/ऑस्ट्रेलिया में  
 संविधान के साथ कपट = शक्ति का सर्वथा अभाव; विधायी शक्ति के साथ कपट = शक्ति है, पर वास्तव में प्रयुक्त नहीं  
 राज्यक्षेत्रीय संबंध: संसद के लिए आवश्यक नहीं; केवल राज्य विधानमंडल के लिए आवश्यक

## अध्याय 15

## विश्व के संविधान

## विश्व के संविधान

भारतीय संविधान द्वारा उधार ली गई विशेषताएँ

## भारतीय संवैधानिक विशेषताओं का स्रोत

| स्रोत                   | ग्रहण की गई विशेषताएँ                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारत शासन अधिनियम, 1935 | संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध                                                                                                                                |
| ब्रिटेन                 | संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, द्विसदनीयता                                                                                                              |
| अमेरिका                 | मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का सभापति होना, प्रस्तावना |
| आयरलैंड                 | राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य सभा के सदस्यों का नामनिर्देशन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति                                                                                                        |
| कनाडा                   | सशक्त केंद्र वाला संघ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता                                                                      |
| ऑस्ट्रेलिया             | समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद की संयुक्त बैठक                                                                                                                                    |
| वाइमर (जर्मनी)          | आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन                                                                                                                                                               |
| सोवियत संघ              | मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) का आदर्श                                                                                                                                |
| फ्रांस                  | गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श                                                                                                                                                           |
| दक्षिण अफ्रीका          | संशोधन की प्रक्रिया, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन                                                                                                                                                   |
| जापान                   | विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया                                                                                                                                                                           |

## याद रखें

मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग: अमेरिका  
 राज्य के नीति निदेशक तत्व और राज्य सभा में नामनिर्देशन: आयरलैंड  
 समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक: ऑस्ट्रेलिया  
 अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास: कनाडा  
 मौलिक कर्तव्य: सोवियत संघ  
 आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन: वाइमर जर्मनी

## अमेरिकी संविधान

- निर्मित 1787 (फिलाडेल्फिया सम्मेलन); लागू 1789
- सबसे पुराना लिखित संविधान: प्रस्तावना + 7 अनुच्छेद + 27 संशोधन
- प्रथम आधुनिक संघीय राज्य: 50 राज्य + कोलंबिया ज़िला; अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास
- अधिकार-पत्र (पहले दस संशोधन, 1791): इसे धारण करने वाला पहला संविधान
- संशोधन: कांग्रेस के दो-तिहाई + तीन-चौथाई (50 में से 38) राज्य, या दो-तिहाई (34) राज्यों की याचिका पर सम्मेलन
- सीनेट 100 सदस्य, 6 वर्ष; प्रतिनिधि सभा 435, 2 वर्ष

## अमेरिकी राष्ट्रपति

| मद       | उपबंध                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| निर्वाचन | अप्रत्यक्ष, 538 का निर्वाचक मंडल; 270 आवश्यक (कोलंबिया ज़िले के 3) |

| मद               | उपबंध                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बहुमत न मिलने पर | प्रतिनिधि सभा शीर्ष तीन में से चुनती है                                                           |
| कार्यकाल         | 4 वर्ष, 20 जनवरी से प्रारंभ; अधिकतम दो कार्यकाल (22वाँ संशोधन, 1951)                              |
| अर्हताएँ         | जन्म से नागरिक, 35 वर्ष, 14 वर्ष का निवास                                                         |
| महाभियोग         | प्रतिनिधि सभा बहुमत से प्रारंभ करती है; सीनेट दो-तिहाई से विचारण करती है, मुख्य न्यायाधीश पीठासीन |
| वीटो             | सशर्त (दो-तिहाई से पुनः पारित) और जेबी (कांग्रेस 10 दिनों के भीतर स्थगित हो जाए)                  |

## ब्रिटिश संविधान

- अलिखित, लचीला, एकात्मक; 'संविधानों की जननी'; यूनाइटेड किंगडम का गठन 1921
- स्रोत: परंपराएँ, महान अधिकार-पत्र, संविधियाँ, सामान्य विधि, विधिक टीकाएँ
- अधिकार-पत्र: मैग्ना कार्टा 1215, अधिकारों की याचिका 1628, अधिकार-पत्र 1689; बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679
- संसदीय संप्रभुता; न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं
- राजा राज्य करता है, शासन नहीं; ताज अमर है, राजा नश्वर
- प्रधानमंत्री 'बराबरी वालों में प्रथम' है; विपक्ष द्वारा छाया मंत्रिमंडल; विपक्ष का नेता 'वैकल्पिक प्रधानमंत्री' (आइवर जेनिंग्स)

## फ्रांसीसी संविधान

- पाँचवाँ गणतंत्र, 1958, द गॉल के अधीन; लिखित, कठोर, एकात्मक
- मूलतः 15 अध्यायों में प्रस्तावना + 92 अनुच्छेद; आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व
- राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाला पहला गणतंत्रीय संविधान
- संवैधानिक परिषद: 9 सदस्य, 9 वर्ष, सलाहकारी

### फ्रांसीसी राष्ट्रपति

| तत्त्व        | मूल           | संशोधित          |
|---------------|---------------|------------------|
| निर्वाचन      | अप्रत्यक्ष    | प्रत्यक्ष (1962) |
| कार्यकाल      | 7 वर्ष        | 5 वर्ष (2000)    |
| कार्यकाल-सीमा | कोई सीमा नहीं | लगातार दो (2008) |

- उच्च राजद्रोह के लिए महाभियोग; उच्च न्याय न्यायालय द्वारा विचारण
- 12 महीनों में एक बार राष्ट्रीय सभा (577, 5 वर्ष) भंग करता है, आपातकाल में नहीं; सीनेट 348, 6 वर्ष

## जापानी संविधान

- मैकआर्थर / शोवा संविधान; 1946 में अंगीकृत, 1947 में लागू; मेइजी संविधान 1889 से 1947 तक
- अनुच्छेद 9: युद्ध का त्याग; अनुच्छेद 10 से 40: अधिकार और कर्तव्य
- न्यायिक पुनर्विलोकन सीधे संविधान से प्राप्त (अमेरिका के विपरीत)
- डायट: पार्षद सभा 248, 6 वर्ष (उच्च सदन); प्रतिनिधि सभा 465, 4 वर्ष (निम्न सदन) (डायट के आधिकारिक आँकड़े, 2026)

### जापान बनाम ब्रिटेन

| बिंदु                              | ब्रिटेन | जापान                        |
|------------------------------------|---------|------------------------------|
| प्रधानमंत्री का चयन                | सम्राट  | डायट (सम्राट द्वारा नियुक्त) |
| मंत्रियों की नियुक्ति              | सम्राट  | प्रधानमंत्री                 |
| प्रधानमंत्री मंत्रियों को हटाता है | नहीं    | हाँ                          |
| संसद में मंत्री                    | सभी     | बहुमत                        |

## सोवियत संविधान

- संविधान: 1918, 1924, 1936 (स्तालिन), 1977 (ब्रेझ्नेव); प्रथम समाजवादी संविधान
- प्रेसीडियम: 39 सदस्य; बहुल कार्यपालिका; '20वीं सदी का नवाचार'
- एकदलीय (सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी) तानाशाही; लोकतांत्रिक केंद्रवाद; अधिकार और कर्तव्य दोनों उपबंधित

## रूसी संविधान

- 20 दिसंबर 1993 को अंगीकृत; संघीय: 21 गणराज्य, 6 क्राय, 49 ओब्लास्ट, 10 ओकरुग
- संघीय परिषद (उच्च सदन): प्रत्येक संघीय घटक से दो सदस्य तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य, अतः संख्या बदलती रहती है; राज्य ऊ्यूमा 450, 5 वर्ष (निम्न सदन)

## चीनी संविधान

- राष्ट्रीय जन कांग्रेस एकसदनीय (लगभग 3,000 प्रतिनिधि); संशोधन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के दो-तिहाई से
- जन गणराज्य 1949; संविधान 1954, 1975, 1978, 1982 (वर्तमान)
- संशोधन: राष्ट्रीय जन कांग्रेस के दो-तिहाई से; स्थायी समिति या एक-पाँचवें प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित
- राष्ट्रपति: राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा निर्वाचित, 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 45 वर्ष, औपचारिक; राज्य परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री

## स्विस संविधान

- संविधान: 1848, 1874, 1999 (1 जनवरी 2000 से लागू); मूलतः 6 शीर्षकों में 196 अनुच्छेद
- 26 कैंटन (20 पूर्ण, 6 अर्ध); अवशिष्ट शक्तियाँ कैंटनों के पास
- संघीय परिषद (बुंडेसराट): 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका, 4 वर्ष
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र: जनमत-संग्रह और पहल; उच्च सदन राज्य परिषद 46, निम्न सदन राष्ट्रीय परिषद 200, समान शक्तियाँ
- संघीय परिषद का अध्यक्ष: 1 वर्ष, बराबरी वालों में प्रथम
- त्रिस्तरीय नागरिकता: कम्प्यून्, कैंटन, संघ

### संविधानों की तुलना

| देश             | लिखित | कठोर  | रूप     | कार्यपालिका      |
|-----------------|-------|-------|---------|------------------|
| अमेरिका         | हाँ   | हाँ   | संघीय   | अध्यक्षीय        |
| यूनाइटेड किंगडम | नहीं  | लचीला | एकात्मक | संसदीय           |
| फ्रांस          | हाँ   | हाँ   | एकात्मक | अर्ध-राष्ट्रपतीय |
| जापान           | हाँ   | हाँ   | एकात्मक | संसदीय           |
| सोवियत संघ      | हाँ   | हाँ   | संघीय   | एकदलीय           |
| चीन             | हाँ   | हाँ   | एकात्मक | एकदलीय           |
| स्विट्ज़रलैंड   | हाँ   | हाँ   | संघीय   | बहुल             |

### प्रायः भ्रम पैदा करने वाले तथ्य

बहुल कार्यपालिका: स्विट्ज़रलैंड (संघीय परिषद), सोवियत संघ (प्रेसीडियम)

छाया मंत्रिमंडल: केवल ब्रिटेन में

युद्ध का संवैधानिक त्याग करने वाला एकमात्र देश: जापान

विवेकपूर्ण संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक परिषद: फ्रांस

# UP-PSC 2026

## PRELIMS

# SIMULATOR TESTS

Write Your  
**Prelims** before the  
***Actual Prelims***



SCAN TO  
REGISTER

ENGLISH &  
हिंदी माध्यम

SIMULATOR - 0  
**25 OCT**  
2026

SIMULATOR - 1  
**01 NOV**  
2026

SIMULATOR - 2  
**11 NOV**  
2026

SIMULATOR - 3  
**22 NOV**  
2026

SIMULATOR - 4  
**29 NOV**  
2026

Know your real All-India  
rank and percentile—no  
illusions, no comfort zones.

Validate **elimination**  
**techniques**, risk-taking  
and accuracy at scale.

**WHY  
SIMULATOR  
TESTS**

Experience exam - day  
**pressure** before the actual  
D-Day.

Identify **blind spots** and  
course-correct in time.

ONLINE & OFFLINE TEST AT



DELHI



LUCKNOW



PRAYAGRAJ



VARANASI



KANPUR

UPPSC PRELIMS

**QRS** QUICK  
REVISION  
SERIES

OPEN FOR ALL ON



YouTube

SCAN TO  
WATCH



30+ Classes

✉ admissions@forumias.academy

🌐 academy.forumias.com



9311740400



9311740404